सूचना का अधिकार अधिनियम--2005

कार्यालय

मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।

(मैनुअल संख्या--05)

खण्ड--1

मैनुअल संख्या	मैनुअल का नाम	पृष्ठ संख्या
05	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	01 से 305

अनुक्रमणिका

15.	संख्या–460/वि0अनु0–5/स्टाम्प/2003 दिनांक 15 सितम्बर, 2003	वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत रू0 10.00 (दस लाख) की सीमा तक के ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक के पक्ष में निष्पादित भूमि के पंजीकृत बन्धक विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट	
16.	संख्या–118/विअनु–5/स्टाम्प/2004 दिनांक 31 मार्च, 2004	कार्य संविदा से सम्बन्धित अनुबन्ध विलेखों के निष्पादन पर स्टाम्प शुल्क का निर्धारण।	
17.	संख्या–सा0–3–780/दस–901/96 दिनांक 24 जून, 1996	पेंशन देयों की स्वीकृति की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण।	
18.	संख्या–सा–ए–1482/दस–96–10 (4)/95 दिनांक 10 सितम्बर, 1996	अवशेष पेंशन भुगतान के सम्बन्ध में प्रक्रिया	
19.	संख्या–सा–3–268/दस–901/94 दिनांक 25 मार्च, 1997	राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशन भोगियों को अंतरिम राहत की स्वीकृति।	
20.	संख्या–सा–3–111/दस–301–97 दिनांक 1 मई, 1997	राज्य सरकार के सिविल/ पारिवारिक पेंशनरों आदि को मंहगाई राहत की स्वीकृति।	
21.	संख्या–सा–3–1722/दस–309/97 दिनांक 23 दिसम्बर, 1997	वेतन समिति उत्तर प्रदेश 1997 की संस्तुतियों का स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप पुनरीक्षित/समेकित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर मंहगाई राहत की स्वीकृति हेतु।	
22.	संख्या–सा0–3–1513/दस–97–2/81(टी0सी0) दिनांक 12 नवम्बर, 1997	नई पारिवारिक पेंशन योजना 1965 के अधीन पारिवारिक पेंशन को पात्रता–विकलांग तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त सन्तानों को पारिवारिक पेंशन का वितरण।	
23.	संख्या–568/वि0अनु0–1/2002 दिनांक 13 जून, 2002	रेवेन्यू रिकवरी (उ0प्र0 संशोधन) अधिनियम 1965 के अन्तर्गत वसूली प्रमाण पत्र पर वसूल किये जाने वाले प्रदेशीय सरकार के अतिरिक्त अन्य देयों की वसूली के व्यय का निर्धारण।	
24.	संख्या–658/18(1)/2006 दिनांक 28 सितम्बर, 2006	प्रदेश में वर्ग–4 की भूमि के अवैध कब्जों का विनियमितीकरण करने के सम्बन्ध में।	
25.	संख्या–429//18(1)/2005 दिनांक 5 अगस्त, 2005	अनुसूचित जाति की बन्धक भूमि की वसूली प्रक्रिया में की गई नीलामी के सम्बन्ध में।	
26.	संख्या–1157/राजस्व/2002 दिनांक 7 अक्टूबर, 2002	उत्तरांचल राजस्व संग्रह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, राजस्व विभाग, उत्तरांचल को मान्यता।	
27.	संख्या–398/18(1)/2005 दिनांक 24 अक्टूबर, 2005	उत्तरांचल में कार्यरत संग्रह चपरासी का पदनाम परिवर्तन	

28.	सख्या–719 / 18(1) / 2005 दिनांक 30 नवम्बर, 2005	राजस्व संग्रह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ उत्तरांचल के दिनांक 23 व 24 दिसम्बर, 2005 को हो रहे तृतीय द्विवार्षिक राज्य स्तरीय अधिवेशन हेतु अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	
29.	संख्या–249 / 18(1) / 2006 दिनांक 16 मार्च, 2006	भू–राजस्व के अवशेष की बकाया के रूप में बोक्सा जनजाति के किसी व्यक्ति के विरूद्व जारी वसूली प्रमाण पत्र के तहत वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।	
30.	संख्या–66मु0मं0 / 18(1) / 2006 दिनांक 16 मई, 2006	पर्वतीय राजस्व सीजनल संग्रह अमीन एवं संग्रह परिचारक संघ, उत्तरांचल द्वारा दिनांक 7.2.2006 से 4.4.2006 तक किये गये धरना, प्रदर्शन आदि के सम्बन्ध में।	
31.	संख्या–1599 / एक–1 / 2000–8(8) / 1980–रा0–1 दिनांक 2 अगस्त, 2000	उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम 1982 उ0प्र0 अधिनियम संख्या–20 1982) द्वारा विभिन्न अधिनियमों में किये गये महत्वपूर्ण संशोधनों का आशय कार्यान्वयन की सुविधा हेतु स्पष्ट किये जाने के सम्बन्ध में।	
32.	संख्या–2241 / राजस्व / 2001 दिनांक 16 जुलाई, 2001	उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश) 2001 अधिसूचना	
33.	संख्या–629 / जिंस / रा0कृ0बीमा / 2001–2002 दिनांक 28 दिसम्बर, 02	उत्तरांचल में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू होने पर ग्राम पंचायतवार जिन्सवार एवं मिलान खसरा तैयार किये जाने के संबंध में	
34.	संख्या–1078 / 18(1) / 2004 दिनांक 25 नवम्बर, 2004	कुमांयू एवं गढ़वाल मण्ड़ल के पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यरत पटवारियों एवं भू–लेख निरीक्षकों तथा उनसे सम्बद्व अनुसेवकों को कतिपय भत्ते की दरों में पुनरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।	
35.	संख्या–05 जी0आई0–1 / (1) / 2005 दिनांक 21 मार्च, 2005	भारत सरकार के कामन मिनिमम प्रोग्राम के तहत महिला सशक्तीकरण हेतु सरकार भूमि को पत्र व्यक्तियों में आवंटित करते समय आवंटन पट्टा / पट्टे में पति पत्नी का नाग संयुक्त रूप से दर्ज करने के सम्बन्ध में।	
36.	संख्या–390 / 18(1) / 2005 दिनांक 13 जून, 2005	उत्तर प्रदेश भूमि लेख (उत्तरांचल संशोधन) नियमावली 2005	
37.	संख्या–यू0ओ0 82 / राजस्व / 2001 दिनांक 28 जनवरी, 2002	भूमि अर्जन अधिनियम 1894 यथा संशोधित की धारा–11 के अन्तर्गत एवार्ड्स की घोषणा के निमित्त अधिकार का प्रतिनिधायन।	

38.	संख्या–703/1–13–2004–8–(3)/ 2004–रा0–13 दिनांक 27 मई, 2004	प्रदेश के औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति, 2004 के अन्तर्गत अवस्थापन सुविधाओं एवं उसके सदृश सेवा क्षेत्र को दिये जाने वाले प्रोत्साहन/लाभ के सम्बन्ध में।	
39.	संख्या–422/18(1)/2005 दिनांक 15 सितम्बर, 2005	डिप्टी कलेक्टर को जिलों में कलेक्टर के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत अधिकार।	
40.	सख्या–1145/राजस्व/2003 दिनांक 30 अप्रैल 2003	तहसीलों में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति में नियम–22 बी का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	
41.	संख्या–57/18(1)/2005 दिनांक 25 जनवरी, 05	नवसृजित तहसील/ उपतहसीलों के पदों के सृजन की स्वीकृति।	
42.	संख्या–199(2)/18(1)2005 दिनांक 31 मार्च, 05	वरिष्ठ सहायक के पदो को ज्येष्ठ सहायक के पद में उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	
43.	संख्या–530/18(1)/2005 दिनांक 6 अगस्त,06	राजस्व विभाग के अन्तर्गत धारा–5(1) के अन्तर्गत लोक सूचना धारा–5(2) सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं धारा 19 के अन्तर्गत अपीलीय अधिकारी नामित करने विषयक ज्ञाप।	
44.	संख्या–2314/30–2/2005 दिनांक 2सितम्बर, 06	लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर समूह ग के पदों पर सीधी भर्ती के लिए शुल्क अधिसूचना।	
45.	संख्या–530(3)/18(1)/2005 दिनांक 22 सितम्बर, 2006	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–5 एवं धारा–19 के अन्तर्गत राजस्व विभाग उत्तरांचल शासन के अधीन लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी नामित करने विषयक ज्ञाप।	
46.	संख्या–1540(1)/कार्मिक–2 दिनांक 29 मार्च 03	राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण हेतु जाति प्रमाण पत्र।	
47.	संख्या–1739/30(2)/2005 दिनांक 14 जुलाई,05	लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तरांचल राज्य सम्मिलित सेवा परीक्षा 2002 के अन्तर्गत चयनित/संस्तुत अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्रों की जांच के सम्बन्ध में।	
48.	संख्या–766/एक–1–2001 दिनांक 9 मई, 2001	विदेशों को भेजे जाने वाले प्रमाण पत्रों का सत्यापन के सम्बन्ध में।	✓
49	संख्या–1937/कार्मिक–2/2001 दिनांक 5 दिसम्बर, 2001	अधिवर्षता आयु प्राप्त करने पर कर्मचारी/अधिकारी की सेवानिवृत्ति।	✓
50.	संख्या–84/कार्मिक–2/2002, दिनांक 29 जनवरी, 2002	लोक सेवा आयोग को विभिन्न पदों के लिए पद चयन हेतु अधियाचन प्रेषित किए जाने के सम्बन्ध में।	

51.	सख्या–|113/कार्मिक–2/2002 दिनाक 7अगस्त,2002	उत्तरांचल (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदो पर) तदर्थ नियुक्तियो का विनियमितीकरण नियमावली 2002	
52.	सख्या–1095/कार्मिक–2/2002, दिनांक 6 अगस्त, 2002	तदर्थ नियुक्तियों/पदोन्नतियो पर प्रतिबन्ध विषयक।	
53.	सख्या–44/कार्मिक अनुभाग–2/2003 दिनाक 5 अप्रैल, 2003	उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासन अकादमी नैनीताल के नाम को परिवर्तित कर "उत्तरांचल प्रशासन अकादमी नैनीताल" किए जाने विषयक।	
54.	सख्या–1297/तीस–2/2004 दिनांक 25 अगस्त, 2004	लोक सेवकों द्वारा कार्यालयो में स्वच्छता, समयबद्वता एवं शिष्टता के सम्बन्ध में।	
55	संख्या–4216/तीस–1–2004 दिनांक 2दिसम्बर, 2004	शासन में शाखाओं का गठन व शाखा–प्रमुखों के अधिकारों का प्रतिनिधायन।	
56.	संख्या–1887/तीस–(2)/2005 दिनांक 5 जुलाई, 2005	अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों का शीघ्रता से निस्तारण।	
57.	सख्या–412/तीस–(2)/2004 दिनांक 5 मार्च, 2005	राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपने स्थानान्तरण के समय चार्ज नोट छोड़ा जाना।	
58.	संख्या–48/तीस–(2)/2006 दिनांक 5 मार्च, 2005	लोक सेवा आयोग की सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के पदों पर चयन हेतु अधियाचन।	
59.	संख्या–2607/30(ii)/2005 दिनांक	लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं तथा अन्य चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ज्ञाप।	
60.	संख्या–2858/तीस(2)/2005 दिनांक 23 सितम्बर, 2005	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की विभागीय परीक्षा का संचालन।	
61.	संख्या–4034/तीस–1/2005 दिनांक 7 अक्टूबर, 2005	मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन के पद पर नियुक्ति विषयक विज्ञप्ति।	
62.	संख्या–1055/का–1/2001 दिनांक 20 जून, 2001	मृतक सरकारी सेवकों के आश्रितों को सेवायोजन प्रदान किया जाना।	
63.	संख्या–1144/कार्मिक–2–2001–53(1)/2001 दिनांक 18 जुलाई, 2001	राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उद्यमों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।	
64.	सख्या–1370/कार्मिक–2/2001 दिनांक 30 अगस्त, 2001	पर्वतीय उप संवर्ग के कार्मिकों एवं पर्वतीय उपसंवर्ग से भिन्न कार्मिकों के उत्तरांचल हेतु विकल्प एवं प्रतिनियुक्ति स्वीकार किये जाने की स्थिति में शर्तों का निर्धारण।	

65.	संख्या–1415/का–2/2001 दिनांक 30 अगस्त, 2001	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994	
66.	संख्या–1454/कार्मिक–2–2001 दिनांक 13 अगस्त, 2001	सीधी भर्ती में आरक्षण नीति को लागू करने हेतु रोस्टर।	
67.	संख्या–1455/कार्मिक–2/2001 दिनांक 31 अगस्त, 2001	पदोन्नतियों में आरक्षण नीति को लागू करने हेतु रोस्टर।	
68.	संख्या–1974/कार्मिक–2/2001 दिनांक 1 जनवरी, 2001	समूह "ग" तथा समूह "घ" के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु रोजगार कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता।	
69.	संख्या–36/1/76–का–2/2002 दिनांक 20 अप्रैल, 2002	चरित्र पंजिकाओं के रख–रखाव और मानिटरिंग के लिये कम्प्यूटर का उपयोग किया जाना।	
70.	संख्या–131/1/कार्मिक–2/2002 दिनांक 20 फरवरी, 2002	सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवा–निवृत्ति।	
71.	संख्या–806/का–2–2002 दिनांक 15 जून, 2002	राज्याधीन सरकारी सेवकों की अधिवर्षता आयु लोक हित में 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष करने की स्वीकृति।	
72.	संख्या–589/कार्मिक–2/2002 दिनांक 21 जून, 2002	राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं के लिए आरक्षण।	
73.	संख्या–1578/एक–4–2002 दिनांक 15 जून, 2002	उत्तरांचल सचिवालय वैयक्तिक सहायक, अवर वर्ग सहायक, सहायक लेखाकार, टंकक, अनुसेवक के पदों पर संविलियन नियमावली 2002	
74.	संख्या–850/कार्मिक–2/2002 दिनांक 5 जुलाई, 2002	उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर पदों पर तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली 2002	
75.	संख्या–780/कार्मिक–2/2002 दिनांक 25 जुलाई, 2006	राज्याधीन सेवाओं में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि का अंकन।	
76.	संख्या–1094/कार्मिक–2/2002 दिनांक 5 अगस्त, 2002	अधिवर्षता आयु प्राप्त करने पर कर्मचारी/अधिकारी की सेवानिवृत्ति।	
77.	संख्या–1095/कार्मिक–2002 दिनांक 6अगस्त, 2002	तदर्थ नियुक्तियों/पदोन्नतियों पर प्रतिबन्ध विषयक।	
78.	संख्या–1028/कार्मिक–2/2002 दिनांक 27अगस्त, 2002	राज्याधीन सेवाओं एवं सार्वजनिक उपक्रमों में अनुसूजित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में।	
79.	संख्या–849/का–2–2002, दिनांक 23 अगस्त, 2002	उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002	

80.	सख्या–1162 / का0–2–2002 दिनाक 23 अगस्त, 2002	उत्तरांचल सेवाकाल में मृत सरकारी सेवको के आश्रितों की भर्ती नियमावली 2002 के नियम 5(1) (तीन) के परन्तुक का स्पष्टीकरण।	
81.	संख्या–192 / कार्मिक–2 / 2002 दिनांक 13 अगस्त, 2002	उत्तरांचल राज्य के सरकारी सेवकों की स्थाईकरण नियमावली 2002	
82.	संख्या–849 / कार्मिक–2 / 2002 दिनांक 23 अगस्त, 2002	उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974)	
83.	संख्या–194 / का–2 / 2002 दिनांक 31अगस्त, 2002	उत्तरांचल सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 2002	
84.	संख्या–254 / कार्मिक–2 / 2002 दिनांक 10 अक्टूबर, 2002	उत्तरांचल राज्य के नागरिकों को आरक्षण की अनुमन्यता।	
85.	संख्या–1472 / कार्मिक–2 / 2002 दिनांक 7.11.2002	उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश लोक सेवा शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002	
86.	सख्या–167 / कार्मिक–2 / 2003 दिनांक 11 फरवरी, 2003	प्रतियोगितात्मक परीक्षा / साक्षात्कार के माध्यम से श्रेष्ठता (मेरिट) के आधार पर चुने गये आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की गणना उनके लिए आरक्षित कोटे के विपरीत किया जाना।	
87.	संख्या–1803 / कार्मिक–2 / 2003 दिनांक 6फरवरी, 2003	विभिन्न विभागों के अन्तर्गत / तदर्थ / संविदा / नियत वेतन / दैनिक वेतन पर की जाने वाली नियुक्तियों पर रोक।	
88.	संख्या–1844 / कार्मिक–2 / 2003 दिनांक 9 अप्रैल, 2003	सरकारी कर्मचारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति।	
89.	संख्या–1525 / कार्मिक–2 / 2002 दिनांक 13 नवम्बर, 2002	उत्तरांचल विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के पदों के लिए) नियमावली–2002	
90.	संख्या–195 / कार्मिक–2 / 2002 दिनांक 13 अगस्त, 2002	उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002	
91.	संख्या–619 / कार्मिक–2 / 2003 दिनांक 24 अप्रैल, 2003	सेवा शर्तों के अन्तर्गत पदोन्नति की शर्तों के शिथिलीकरण के सम्बन्ध में।	
92.	संख्या–737 / कार्मिक–2 / 2003 दिनांक 11 जून, 2003	कार्मिक को रिक्ति घटित होने की तिथि से पदोन्नति पाने के अधिकार तथा किसी सेवा निवृत्त अथवा दिवंगत कार्मिक को ऐसे पूर्वगामी तिथि से नोशलन पदोन्नति विषयक ज्ञाप।	
93.	संख्या–853 / कार्मिक–2 / 2003 दिनांक 12 जून, 2003	मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के सदस्य को सेवायोजन प्रदान करने के सम्बन्ध में।	

94	सख्या–734 / कार्मिक–2 / 2003 दिनाक 3 जुलाई, 2003	सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियो के लिए वार्षिक स्थानान्तरण।	
95.	संख्या–855 / कार्मिक–2 / 2003 दिनांक 2.9.2003	चतुर्थ श्रेणी(समूह"घ") के कर्मचारियो की तृतीय श्रेणी (समूह "ग") के न्यूनतम श्रेणी के लिपिकीय पदो में पदोन्नति के अवसर बढाया जाना।	
96.	संख्या–1098 / कार्मिक–2 / 2003–55 (35) / 2003, दिनाक 31 जुलाई, 2003	उत्तरांचल (उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पदो पर सीधी भर्ती की प्रकिया नियमावली, 2003	
97.	संख्या–1430 / कार्मिक–2 / 2003 दिनांक 29 सितम्बर, 2003	लोक सेवा आयोग की परिधि से निकाले गये पदों के चयन हेतु संगत सेवा नियमावली के अन्तर्गत चयन कराने के सम्बन्ध में।	
98.	संख्या–39 / कार्मिक–2 / 2004 दिनांक 7 जनवरी, 2004	उत्तरांचल के समस्त विभागों के चपरासी तथा जमादार का पदनाम परिवर्तन करके कमशः अनुसेवक तथा वरिष्ठ अनुसेवक किये जाने विषयक ज्ञाप।	
99.	संख्या–135 / कार्मिक–2 / 2004 दिनांक 16फरवरी, 2004	राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति हेतु आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु निर्गत जाति प्रमाण पत्र की जांच करने के सम्बन्ध में।	
100.	संख्या–579 / कार्मिक–2 / 2004, दिनांक 22 मई, 2004	राज्यधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उद्यमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।	
101.	संख्या–484 / तीस(2) / 2004 दिनांक 30 जून, 2004	"उत्तरांचल फैडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज एसोसिएशन" को मान्यता प्रदान करने विषयक ज्ञाप	
102.	संख्या–1269 / तीस–2 / 2004 दिनांक 11अगस्त, 2004	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान घायल / जेल गये आन्दोलनकारियों को सेवायोजन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	
103.	संख्या–743 / तीस(2) / 2004 / 55(40) / 2004, दिनांक 15 जून, 2004	उत्तरांचल सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 2004	
104.	संख्या–739 / तीस(2) / 2004 / 55(41) / 2004, दिनांक 14 जून, 2004	उत्तरांचल सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली 2004	
105.	संख्या–1270 / तीस–2 / 2004 दिनांक 11अगस्त, 2004	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान जेल गये आन्दोलनकारियों को सुविधायें प्रदान किये जाने के संबंध में।	
106.	संख्या–1296 / तीस–2 / 2004 दिनांक 19 अगस्त, 2004	आन्दोलनकारियों को सेवायोजन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	
107.	संख्या–1633 / तीस(2) / 2004 दिनांक 8 अक्टूबर, 2004	उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवको के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974(उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2004) (प्रथम संशोधन) नियमावली 2004	

108.	सख्या–1536 / तीस(2) / 2004 दिनांक 27 अक्टूबर, 2004	मिनिस्ट्रीयल सवर्ग मे वर्तमान पदनामो को प्रतिस्थापन विषयक।	
109.	सख्या–914 / तीस(2) / 2005 दिनाक 8 अप्रैल, 2005	अधिकारियो / कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का अंकन।	
110.	सख्या–432 / तीस(2) / 2005 दिनांक 14 मार्च, 2005	निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदो को भरने के सम्बन्ध में।	
111.	संख्या–855 / तीस–2 / 2005 दिनांक 23 अप्रैल, 2005	समूह घ के कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी (समूह–ग) के न्यूनतम श्रेणी लिपिकीय पदों मे पदोन्नति दिये जाने के सम्बन्ध में।	
112.	सख्या–250 / 18(1) / 2005 दिनांक 16 अप्रैल, 2005	तहसील घनसाली(टिहरी), तहसील पोखरी, गैरसैण(चमोली) एव तहसील ऋषिकेश, विकासनगर(देहरादून) के अन्तर्गत सृजित अस्थाई पदों का स्थाईकरण।	
113.	संख्या–1050 / तीस(2) / 2005 दिनांक 29 अप्रैल, 2005	सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण नीति।	
114.	संख्या–1162 / तीस–2 / 2005, दिनांक 7 मई, 2005	सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों की अनाधिकृत अनुपस्थिति पर विभागीय कार्यवाही सम्बन्धी नियमों का कडाई से अनुपालन।	
115.	संख्या–468 / तीस–2 / 2005 दिनांक 28 अप्रैल, 2005	अनारक्षित रिक्तियों के विरूद्व ज्येष्ठता कम में आने वाले अनु0जाति / जनजाति श्रेणी के व्यक्तियों को पदोन्नति।	
116.	संख्या–1243 / तीस(2) / 2005 दिनांक 12 मई, 2005	अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों का शीघ्रता से निस्तारण।	
117.	संख्या–855 / तीस(2) / 2005 दिनांक 21 मई, 2005	समूह घ के कर्मचारियों को तृतीय (समूह–ग) के न्यूनतम श्रेणी के लिपिकीय पदों में पदोन्नति दिये जाने के सम्बन्ध में।	
118.	सख्या–1399 / तीस(2) / 2005 दिनांक 21 मई, 2005	राज्याधीन सेवाओं / पदों में भर्ती के समय अधिकतम आयु सीमा में छूट के सम्बन्ध में।	
119.	संख्या–1244 / तीस(2) / 2005 दिनांक 21 मई, 2005	राज्याधीन सेवाओं / पदों में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों तथा अक्षम व्यक्तियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट के सम्बन्ध में।	
120.	संख्या–1178 / कार्मिक–2 / 2005 दिनांक 30 मई, 2005	आपराधिक मामलों में दण्डित कर्मचारियों के विरूद्व विभागीय कार्यवाही।	
121.	संख्या–1887 / तीस(2) / 2005, दिनांक जुलाई 5, 2005	अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों को शीघ्रता से निस्तारण।	
122.	संख्या–3806 / तीस(2) / 2005, दिनांक 12 दिसम्बर, 2005	सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिए विज्ञापनों के सम्बन्ध में।	

123.	सख्या–06 / तीस(2) / 2006 दिनाक 12 जनवरी, 2006	विभिन्न विभागों के अन्तर्गत "घ" के कर्मचारियों के समूह "ग" में पदोन्नति के सम्बन्ध में।	
124.	सख्या–87 / तीस(2) / 2006 दिनांक 21 जनवरी, 2006	राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों मे सीधी भर्ती / पदोन्नति में आरक्षण के लिए पद आधारित रोस्टर लागू किया जाना।	
125	संख्या–429 / बावन–33, 98 दिनांक 31 अक्टूबर, 1998	अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी किए जाने के सम्बन्ध में।	
126.	संख्या–3323 / स0क0 / 2003–387 (समाज कल्याण) / 2003, दिनांक 16 दिसम्बर, 2003	एक राज्य से दूसरे राज्य में रोजगार अथवा शिक्षा हेतु विस्थापितों होने के फलस्वरूप जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में।	
127.	संख्या–28 मु0स0 / 36(2) / 2005 दिनांक 28 जुलाई, 2005	प्रशासन तथा सांसदों और राज्यो के विधान मण्डलों के सदस्यो के बीच सरकारी काम–काज की उचित कार्य–विधि के अनुपालन के सम्बन्ध मे अनुदेश–सार्वजनिक समारोहो में आमन्त्रण।	
128.	संख्या–901 / मु0स0 / विविध / 2005 दिनांक 22 अक्टूबर, 2005	शासनादेश एवं स्वीकृतियों की प्रतियां सम्बन्धित मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को प्रेषित करने विषयक।	
129.	संख्या–156 / प्री आर0(90)जीपीएफ / 91–92 दिनांक 30.4.1991	सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निर्वाह निधि लेखों में से 90 प्रतिशत भुगतान के सम्बन्ध में।	
130.	संख्या–यू0ओ0–14 / जनगणना / 2002 दिनांक 25 सितम्बर, 2002	जनगणना कार्य 2001 के कार्य निष्पादन हेतु लगाये गये कार्मिकों के सेवामुक्त होने के पश्चात राज्य के विभिन्न विभागों में खपाये जाने विषयक।	
131.	संख्या–339 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2003 दिनांक 12 सितम्बर, 2003	उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001)(संशोधन) अध्यादेश, 2003	
132.	संख्या–501 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2003 दिनांक 15 जनवरी, 2004	उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 200)(संशोधन) अधिनियम, 2003	
133.	संख्या–3935सख / 99–27–सि–3–3(22)99 दिनांक 21 जून, 1999	आपसी समझौते के आधार पर भूमि कय करना।	
134.	संख्या–2911सख / 2000–27–सि0–3 – 10आडिट / 99 दिनांक 13नवम्बर, 2000	नियमानुसार बिना भूमि अधिग्रहण किये कार्य प्रारम्भ न किया जाना।	
135.	संख्या–2291 / 1(2)वि– / 2002 दिनांक नवम्बर, 29, 2002	वन भूमि हस्तान्तरण / लीज प्रकरणों में किये जाने वाले क्षतिपूरक वृक्षारोपण / भूरक्षण आदि कार्यों के निष्पादन प्रकिया का सरलीकरण।	

136.	सख्या–1975 / एक–6 / 2002 दिनांक 7नवम्बर, 2002	उत्तराचल (उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग समूह "ख" और "ग" सेवा नियमावली 1983 (अनुकूलन एवं उपान्तर आदेश 2002)	
137.	सख्या–244 / 31–2जी / 2005 दिनांक 25 अप्रैल, 2005	विभागाध्यक्ष / निदेशालयो एवं कार्यालयाध्यक्षों के कार्यालयो में अभिलेखो के अभिलेखन एवं उन्हे नष्ट करने के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि का विवरण।	
138.	संख्या–994 / 31(13)जी / 2005 दिनांक 4 जनवरी, 2006	सरकारी कार्यालय में मध्यान्ह भोजन का समय निर्धारण।	
139.	संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 03	उत्तरांचल लोक सेवा आयोग चालक सेवा विनियमावली 2004	
140.	सख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 03	समूह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली 2004	
141.	सरकारी गजट उत्तर प्रदेश 7 फरवरी, 1981	जिला कार्यालय (कलेक्ट्री) लिपिक वर्ग सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए नियमावली।	

राख्या–2588 / एक–4 / सा0प्र0 / 2001

प्रेषक

सचिव,
उत्तरांचल शासन

रोवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादून दिनांक 20 नवंबर, 2001

विषय– स्थाई निवास प्रमाण पत्र

महोदय

समय–समय पर विभिन्न प्रयोजनों के लिए उत्तरांचल में स्थाई निवास प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के विषय में अलग–अलग व्यवस्थायें की जाती रही हैं, जिनके चलते इस संबंध में लगातार भ्रम एवं अस्पष्टता की स्थिति बनी हुई थी। इस विषय को लेकर भी भ्रांतिया विद्यमान रही हैं कि स्थाई निवास प्रमाण पत्र का क्या तात्पर्य है और इसकी आवश्यकता किस प्रयोजन हेतु होनी चाहिए। सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा स्थाई निवास प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने हेतु अर्हताओं एव प्रकिया के विषय में निम्नवत् निर्णय लिया गया है :–

(1) निर्गत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का शीर्षक स्थाई निवास प्रमाण पत्र होगा।

(2) यह प्रमाण पत्र उन्ही व्यक्तियों को दिया जायेगा जो भारत के नागरिक हों तथा उत्तरांचल के सद्भाविक निवासी (Bonafide Residents) हों इस श्रेणी में वह व्यक्ति आयेंगे जिनका स्थाई आवास (permament Home) उत्तरांचल में हो इसमें वे उत्तरांचल निवासी भी सम्मिलित होंगे जो उत्तरांचल मे कम से कम 15 वर्ष से निवास कर रहे हों अथवा जिनका उत्तरांचल में स्थाई आवास (permament Home) हो किन्तु वे अपनी आजीविका के लिए प्रदेश से बाहर निवास कर रहे हों स्थाई आवास (permament Home) का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जो उत्तरांचल में पैत्रिक रूप से रह रहे हों/ जिनका उत्तरांचल में पैत्रिक आवास हो।

(3) स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा इस आशय की घोषणा आवश्यक होगी कि उसने किसी भी प्रयोजन हेतु किसी अन्य राज्य का स्थाई निवास ग्रहण नहीं किया है।

(4) बिन्दु (2) मे की गई व्यवस्था के अपवाद स्वरूप विशिष्ट प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्तियों को भी उत्तरांचल का सद्भाविक निवासी (Bonafide Residents) माना जायेगा जो राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त हों केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपकमों के नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तरांचल में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवायें उत्तरांचल से बाहर अस्थानांतरणीय है भी इस श्रेणी में शामिल होंगे इस आशय का समुचित साक्ष्य आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

(5) शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के संदर्भ में स्थाई निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता उसी दशा में होगी जहां किसी संस्था/ पाठ्यकम विशेष के लिए उत्तरांचल के निवासियों के लिए सीटें/कोटा आरक्षित हो इस संबंध में संबंधित विभाग द्वारा समय– समय पर यथा आवश्यकता आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

2– मुझसे यह भी कहने की अपेक्षा की गई है कि सामान्यतया इस प्रकार के प्रमाण पत्रों की आवश्यकता कतिपय संगठनों, यथा सेना व अर्द्ध सैनिक बलों में राज्यों के लिए निर्धारित कोटे के आधार पर भर्ती के कम में तथा कुछ शिक्षण संस्थाओं/ विशिष्ट

पाठ्यक्रमो हेतु राज्य के लिए निर्धारित कोटे के सदर्भ में पडती है, इसके अतिरिक्त कतिपय सेवाओं यथा सेना, अर्द्धसैनिक बलों व पुलिस मे विशेष वर्गो के व्यक्तियों के लिए शारीरिक अर्हताओं में छूट की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए संबधित विभागों द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र पूर्ववत चल रही प्रकिया के अनुसार जारी किये जाते रहेंगे और इन निर्देशो का उन पर कोई प्रभाव नही पडेगा।

3– उपरोक्त निर्देशों के अनुसार स्थाई निवास प्रमाण पत्र संलग्न–1 प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त होंने पर तथा इसमें उल्लिखित बिन्दुओं पर भली भांति जांच के उपरान्त संलग्न– 2 में इंगित प्रारूप मे निर्गत किया जायेगा।

4– अनुरोध है कि कृपया स्थाई निवास प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में उपरोक्त निर्देशों एवं प्रकियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(पी0सी0 शर्मा)
सचिव

शासनादेश संख्या–2588/एक–4/सा0प्र0/2001 का संलग्नक–1

सेवा में

....

....

विषय– स्थाई निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र

महोदय

....

(1) आवेदक का नाम

(2) आवेदक की जन्म तिथि व जन्म स्थान

(3) आवेदक के पिता का नाम

(4) आवेदक के पिता का जन्म स्थान

(5) यदि पिता का जन्म स्थान उत्तरांचल से भिन्न है तो वह कब से उत्तरांचल में निवास कर रहे हैं।

(6) 1. आवेदक का स्थाई पता

2. आवेदक की शिक्षा–दीक्षा कहां हई है (हाईस्कूल व आगे की शिक्षा के विद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम, जनपद , वर्ष का विवरण दें)

(7) क्या आवेदक के माता/पिता/दादा/परदादा की यहां पैतृक संपति है ? यदि हां तो कहां तथा कब से है (यहां संपति का संक्षिप्त ब्यौरा भी दिया जायेगा)

(8) क्या आवेदक के माता/पिता अपने पैतृक ग्राम में आजीविका उपार्जित कर रहे हैं यदि नहीं तो वे कहां अपनी आजीविका उपार्जित कर रहे हैं तथा कब से (यहां उनके व्यवसाय का विवरण भी दें)

(9) क्या आवेदक के माता/पिता सरकारी सेवा में है यदि हां तो किस जनपद में किस विभाग में किस पद पर तैनात हैं।

(10) स्थाई निवास प्रमाण पत्र मांगे जाने का कारण

हस्ताक्षर

पता...............

1– मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचनायें सत्य है

2– मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा उत्तरांचल के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य से किसी भी प्रयोजन के लिए स्थाई निवास/डोमीसाइल प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है।

दिनांक

स्थान हस्ताक्षर

शासनादेश संख्या–2588/एक–4/सा0प्र0/2001 का संलग्नक–2

स्थाई निवास प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु0/श्रीमती.. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....निवासी ग्राम/मोह0/वार्ड.. तहसील................................ जिला..............................उत्तरांचल के स्थाई निवासी हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र निर्गत करने से पूर्व निर्धारित समस्त मानदंडों की भली भांति जांच कर ली गई है और जांच से पूर्णतया संतुष्ट हूं।

जिलाधिकारी/परगनाधिकारी

मुहर

सं0—यू0ए0 150/एक—4/2002

प्रेषक,

भास्करानन्द
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादून: दिनांक: 26 सितंबर, 2002

विषय— राज्य के दुर्गम इलाकों में पटवारी चौकियों पर स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाये जाने एवं अन्य राजस्व सुविधायें प्रदान किए जाने के संबंध मे।।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन के संज्ञान में लाया गया है कि राज्य के दुर्गम इलाकों में स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाये जाने में ग्रामीण जनता को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है और इन परेशानियों को दूर करने हेतु स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए उप जिलाधिकारियों को स्थानीय स्तर पर न्याय पंचायत क्षेत्र पर कैम्प लगाने का भी सुझाव दिया गया है। इस पृष्ठ भूमि में कृपया जनपद स्तर पर स्थिति की समीक्षा कर ली जाए। यदि ऐसे अनुभव हो कि बड़ी संख्या में स्थाई निवास प्रमाण पत्र लंबित रह रहे हों तो निस्तारण हेतु उपयुक्त व्यवस्था अपनाई जाए। व्यवस्था बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों से स्थाई निवास प्रमाण पत्र के लिए आने वाले निवासियों को प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक औपचारिकतायें पूरी करने और उसे प्राप्त करने के लिए बार—बार न अना पड़े। उन्हें प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक औपचारिकतायें एक बार में ही पूर्ण करा दी जाएं तथा एक निर्धारित तिथि में उन्हें प्रमाण पत्र के संबंध में सूचना आवेदन करते समय ही दे दी जाए और निर्धारित तिथि के भीतर प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएं। यदि प्रक्रिया से संबंधित कोई विशेष कठिनाईयां आ रही हों तो इनके निराकरण के लिए भी आवश्यक उपाय किए जाएं।

2— कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय
(भास्करानन्द)
अपर सचिव

सं0— यू0ए0 150(1)/ एक—4/2002 तद्दिनांक
प्रतिलिपि मंडलायुक्त गढ़वाल एवं कुमायूं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

आज्ञा से
(भास्करानन्द)
अपर सचिव

संख्या–28 / सा0प्रशा0 / 2004

प्रेषक,

पी0सी0शर्मा
सचिव,
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादूनः दिनांक 9 फरवरी, 2004

विषय– स्थाई निवास प्रमाण पत्र।

महोदय

उपर्युक्त विषयक सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या–2588 / एक–4 / सा0 प्रशा0 / 2001 दिनांक 20 नवंबर, 2001 एवं पत्र संख्या–यू0ओ0 150 / एक–4 / 2002 दिनांक 26 सितंबर, 2002 जिनके अंतर्गत उत्तरांचल राज्य में स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गए हैं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाये गये हैं कि जनपद स्तरों पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी किए जाने में अनावश्यक विलंब किया जा रहा है। अतः उक्त स्थिति के निराकरण हेतु शासन द्वारा विचारोपरान्त स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी किए जाने की प्रकिया को सरलीकरण किए जाने तथा समयबद्ध आधार पर प्रमाण पत्र जारी किए जाने के उद्देश्य से निम्न निर्णय लिये गये हैं :–

1– स्थायी निवास प्रमाण पत्र शासनादेश संख्या– – 2588 / एक–4 / सा0 प्रशा0 / 2001 दिनांक 20 नवंबर, 2001 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार निर्गत होगा।

2– स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने संबंधी आवेदन पत्र शासनादेश दिनांक 20 नवंबर, 2001 की संलग्नक–1 पर दिए गये प्रारूप पर स्थानीय लेखपाल को उनके मुख्यालय पर अथवा तहसीलदार को प्रस्तुत किया जायेगा।

3– लेखपाल अथवा तहसीलदार जैसी भी स्थिति हों के द्वारा इस निमित्त बनाये गये रजिस्ट्रर पर इस प्रार्थना पत्र को दर्ज किया जायेगा तथा इसकी प्राप्ति रसीद संबंधित आवेदक को दी जायेगी, जिसमें प्रमाण पत्र आवेदक को दिए जाने का भी उल्लेख होगा।

4– स्थानीय लेखपाल अपनी आख्या कारण सहित तहसीलदार को अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करेंगे तथा इसकी प्रवृष्टि अपने अभिलेखों में करेंगे।

5– तहसीलदार अधिकतम एक सप्ताह के अंतर्गत अपनी आख्या संबंधित उप जिलाधिकारी को भेजेंगे। उचित होगा कि तहसीलदार इस संबंध में सप्ताह का एक दिवस प्रख्यापित कर लें, जिससे कि आवेदनकर्ता उस दिन उस समय उपस्थित होकर यदि कोई भ्रांतियां हो तों उनको दूर कर सके।

6– तहसीलदार से आख्या प्राप्त होने पर संबंधित उपजिलाधिकारी द्वारा अधिकतम दो दिवस के अंतर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जायेगा। यदि किसी आवेदक को स्थायी निवास प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना संभव न हो तो कारण सहित संबंधित आवेदन को सूचित कर दिया जायेगा।

7– जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी के आदेश की विवेचना कर सकते हैं तथा इस संबंध में जिलाधिकारी का निर्णय अंतिम निर्णय होगा।

8– स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए जहां आवश्यकता हो उप जिलाधिकारी स्थानीय स्तर पर न्याय पंचायत क्षेत्र में कैम्प लगाने की कार्यवाही भी करें।

9– उप जिलाधिकारी अनिवार्य रूप से सप्ताह मे एक बार ऐसे प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों के रजिस्ट्रर का निरीक्षण करेंगे तथा लंबित आवेदक पत्रों की रामीक्षा करेगे।

10– जिलाधिकारी द्वारा यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि दूरस्थ क्षेत्रों से स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आने वाले निवासियों को प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करने और उसे प्राप्त करने के लिए बार–बार लेखपाल/तहसीलदार/उपजिलाधिकारी के पास न जाना पडे।

11– समस्त औपचारिकतायें अनिवार्य रूप से एक ही बार मे पूर्ण करा ली जाए और निर्धारित तिथि पर आवेदक को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की सूचना अनिवार्य रूप से उसी दिन प्रदान कर दी जाए।

12– संबंधित जिलाधिकारी इरा संबंध में यदि उन्हें जनपद में कोई विशेष कठिनाई आ रही हो तो उपरोक्त रामय रीमा के अंतर्गत ही उसका निराकरण करने हेतु आवश्यक उपाय करें।

2– कृपया उपरोक्त निर्देशो का कडाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

(पी0सी0 शर्मा)
सचिव

संख्या–28(1)/सा0प्रशा0/2004 तद्दिनांक
प्रतिलिपि मंडलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूं को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

आज्ञा से

(गोविन्द बल्लभ ओली)
अनु राचिव

विभाग–15

अतितत्काल

सं0 बी सी 16014/।/82–एस सी एंड वी सी डी–।
भारत सरकार/गृह मंत्रालय
नई दिल्ली, 18/25 नवंबर, 1982

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवं।

विषय– अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्रवारित व्यक्तियों को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाण–पत्र जारी करना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि इस मंत्रालय को अध्यावेदन दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि रोजगार शिक्षा आदि के उद्देश्य से एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों का उस राज्य से जहां पर वे प्रवासी हैं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में बडी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए पत्र संख्या– सं0 बी सी 12025/2/76–एस सी टी–। दिनांक 22.3.1977 और पत्र सं– सं0 बी सी 112025/।।/79–एस सी एंड वी सी डी–।, IV दिनांक 29.3.1982 के तहत जारी हुए अनुदेशों में संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन के निर्धारित प्राधिकारी उन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं, जो अन्य राज्यों से प्रवासित होकर आए हों, यदि वे अपने पिता/माता के मूल निवास राज्य के निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अपने पिता/माता को जारी किया गया वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, सिवाय उन मामलों में जहां पर निर्धारित प्राधिकारी का यह विचार हो कि प्रमाण पत्र जारी करने से पहले मूल राज्य के माध्यम से आवश्यक जांच–पड़ताल करना जरूरी है। ऐसा प्रमाण पत्र इस बात पर ध्यान दिए बगैर ही जारी किया जाएगा कि जिस राज्य/संघ शासित क्षेत्र में वह व्यक्ति आकर रहने लगा है, वहां पर उसकी जाति/जनजाति अनुसूचित है या नहीं। इस सुविधा से एक राज्य या अन्य राज्य के संबंध में उस व्यक्ति के अनुसूचित जाति/जनजाति दर्जे में कोई परिवर्तन नहीं हो जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र का संशोधित फार्म संलग्न है।

भवदीय
ह0/बी के सरकार
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

<u>सं0 बी सी 16014/1/82–एस सी एंड बी सी डी–।</u>

प्रतिलिपि प्रेषित–

1– कार्मिक तथा ए आर (स्टे0) एस सी टी अनुभाग अनुरोध है कि पूर्वोक्त पैराओं में लिखित स्थिति, जहां आवश्यक हो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण ब्रोशर में जोड़कर आवश्यक संशोधन कर दिया जाए।

2– सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस नई दिल्ली।

3–सचिव, कर्मचारी चयन आयोग सी जी ओ कंपलैक्स ब्लाक नं0 12 लोधी रोड नई दिल्ली।

4– भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

5– सचिव, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, लोक नारायण भवन नई दिल्ली।
6– अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त आर०के०पुरम नई दिल्ली।
7–गृह मत्रालय के एस० सी एंड बह सी डी प्रभाग/टी डी प्रभाग के सभी अनुभाग।

ह०/बी के सरकार
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार द्वारा अपने दावे के समर्थन में पेश किये जाने वाले प्रमाण पत्र का फार्म

जाति के प्रमाण पत्र का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.......... ....पुत्र/पुत्री.......... ....निवासी गांव/शहर.................................जिला/मंडल .... राज्य/संघ शासित क्षेत्र....................................की......................................जाति/जनजाति का/की है, जो निम्नलिखित आदेश के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति घोषित की गई है।

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश 1950
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश 1950
संविधान (अनुसूचित जातियां) संघ शासित क्षेत्र आदेश 1951
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश 1956 बुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 पंजाब, पुनर्गठन अधिकारी 1966, हिमाचंल प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिकारी 1970 और उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथासंशोधित।
संविधान (जम्मू कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश 1956
संविधान (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जातियां आदेश 1959
संविधान (दादर व नगर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश 1962
संविधान (दादर व नगर हवेली) अनुसूचित जनजातियां आदेश 1962
संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश 1964
संविधान अनुसूचित जातियां (उत्तर प्रदेश)आदेश 1967
संविधान (गोवा, दमण, तथा द्वीप) अनुसूचित जातियां आदेश 1968
संविधान (गोवा, दमण, तथा द्वीप) अनुसूचित जनजातियां आदेश 1968
संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजातियां आदेश 1970

....

2– यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी......................................को उसके माता/पिता श्री/श्रीमती.................................. निवासी गांव/शहर...जिला/मंडल................ ....राज्य/संघ शासित क्षेत्र...को दिए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया है और जो जाति/जनजाति के हैं, जिसे..राज्य/संघ शासित क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है।

(निर्धारित प्राधिकारी का नाम) द्वारा अपने पत्र
संख्या– दिनांक के अंतर्गत जारी किया गया।

हस्ताक्षर
पद
मोहर
स्थान
राज्य/संघ शासित क्षेत्र
दिनांक
कृपया राष्ट्रपति के संबंधित आदेश का उल्लेख करें।

प्रतिलिपि– शासनादेश संख्या–1432/26–3–86–11 (वि0स0)/86 दिनांक लखनऊ 10 जुलाई 1986, जो अनु सचिव उ0प्र0शासन हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग–3 से समस्त जिला अधिकारी उ0प्र0 को प्रेषित एवं अन्यों को पृष्ठांकित है।

विषय– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछडी जातियों की सूची के संबंध में।

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–634/26–3–86–11 (वि0स0) / 86 दि0 31.3.86 में आंशिक संशोधन करते हुए यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त शासनादेश के साथ संलग्न पिछडी जातियों की सूची में हिन्दू वर्ग के अंतर्गत क0सं0–36 में भोटिया तथा क0सं0–37 में कोरी (आगरा, मेरठ और रूहेलखंड डिवीजन में) सम्मिलित होने का उल्लेख किया गया है। चूंकि भोटिया जाति उ0प्र0 की अनुसूचित जन जातियों की सूची में तथा कोई जाति उ0प्र0 की अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित है। अतः उक्त कोरी जाति तथा भोटिया जाति पिछडे वर्ग की जातियों की सूची में नहीं रह गई है।

2– अतः अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश की पिछडी जातियों की सूची उक्त अंश तक संशोधित समझी जाए। आपके मार्गदर्शन हेतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियां तथा पिछड़ी जातियों की संशोधित सूची पुनः संलग्न है।

शासनादेश संख्या 1432/26–3–86–11 (वि0स0)/86 दिनांक लखनऊ 10 जुलाई 1986 का संलग्नक

उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची।

1– अगरिया
2– बधिक
3– बादी
4– बहेलिया
5– बैगा
6– बैसवार
7– बजनिया
8– बाजगी
9– बलहर
10–बलई
11–बाल्मीकि
12–बंगाली
13–बनमानुष
14–बांसफोर
15– बरवार
16– बसोड़
17– बावरिया
18– बेलदार
19– बेडिया
20– भांतू
21– भुईया
34 धरमी
35–धसिया
36–गोंड
37–ग्वाल
38–हबुडा
39–हरि
40–हेला
41–कलाबाज
42– कंजड
43– कपडिया
44– करवल।
45– खरैता
46– खरवार (वनवासी को छोड़कर)
47– खटिक
48– खरोट
49– कोल
50– कोरी
51– कोरवा
52– लालबेगी
53– मझवार
54– मजहवी

22– भुईयार
23– बोरिया
24– चमार, धूसिया, झुसिया, जाटव
25– चीरों
26– दवगर
27– धांगर
28– धानुक
29– धरकार
30– धोबी
31– डोम
32– डोमर
33–दुसाध
55– मुसहर
56– नट
57– पंखा
58– परहिया
59– पासी, तरमाली।
60– पंतरी
61– रावत
62– सहरिया
63– सनोरिया
64– सांसिया
65– शिल्पकार
66– तुरैहा

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों की सूची

1– थारू
2–बोक्सा
3– भोटिया
4–राजी
5–जौनसारी

उत्तर प्रदेश के पिछडी जातियों की सूची– हिन्दू

1–अहीर
2– अरख
3– बंजारा
4– बढ़ई
5–बारी
6– बैरागी
7– भर
8– विन्द
9– भुर्जी या भडभूजा
10– छीपी
11– दर्जी
12– धीवर
13– गडेरिया
14– गोसाई
15– गुजर
16– हलवाई
17– जोगी
18–काछी
19– कहार
0– केवट या मल्लाह
21– किसान
22– कोइरी
23– कुम्हार
24– कुर्मी
25– लोध, लोध, लोधी, लोद, लोधी–राजपूत
26– लोहार
27– लोनिया
28– माली
29– मनिहार
30– मुराव या मुराई
31– नाई
32–नायक
33– सोनार
34– तमोली
35– तेली

मुस्लिम

1—भठियारा
2—बढ़ई
3—चिकवा (कस्साव)
4—दर्जी
5—डफोली
6—फकीर
7—गद्दी
8—हज्जाम (नाई)
9— झोजा
10— कसगर
11— कुजड़ा अथवा राइन
12—किसान
13—मनिहार
14— मिरासी
15— मौमिन (अंसारी)
16— मुस्लिम कायस्थ
17— नद्दाफ (धुनिया)
18— नक्काल
19— नट
20— रंगरेज
21— स्वीपर

नोट— कुमायूं डिवीजन में मारछा, नायक, गिरी और पिछडे मुसलमानों (मुस्लिम, लोहार, सोनार माली, छीपी तथा तेली) भी पिछड़ी जातियों में ही माने जायेंगे।

सख्या 1041/XXXI(13) G/2005

प्रेषक,

एम0रामचन्द्रन,
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।
2—समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।
3—समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तरांचल।
4—समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

सामान्य प्रशासन विभाग : देहरादूनः दिनाकः 21 दिसम्बर, 2005

विषय— समस्त प्रमाण पत्रों एवं प्रलेखों ,क्वबनउमदजेद्ध मे माता का नाम भी सम्मिलित किया जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में जारी किये जाने वाले सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों एवं प्रलेखों में पिता के साथ माता का नाम भी अंकित किया जाये।

2— कृपया इस सम्बन्ध में अपने स्तर पर एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयो में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एम.रामचन्द्रन)
मुख्य सचिव

संख्या–224/XXXI (13) /18 (14)/2006

प्रेषक,

राजीव गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादूनः दि0 23 मार्च, 2006

विषय– विदेशों को भेजे जाने वाले प्रमाण पत्रों का सत्यापन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–766/एक–1–2001 दिनांक 09 मई, 2001 (प्रति संलग्न) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रायः यह देखने में आ रहा है कि कतिपय जिलाधिकारियों द्वारा विदेशों को प्रेषित किए जाने वाले प्रमाण पत्रों (यथा जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र/ निकाहनामा, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, शैक्षिक अभिलेख आदि) को सत्यापित किए बगैर प्रतिहस्ताक्षरित अथवा प्रमाणित करके शासन को भेज दिया जाता है तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा अपने नाम तथा पदनाम की स्पष्ट मुहर न लगाकर कृते जिलाधिकारी की मुहर लगा दी जाती है। फलतः शासन स्तर से ऐसे अभिलेखों का नियमानुसार सत्यापन किया जाना संभव नहीं हो पाता है और उसे पुनः संबंधित जिलाधिकारी को वापस करना पड़ता है, जिससे प्रकरण में अनावश्यक विलंब होता है। ऐसे अनावश्यक विलंब के कारण संबंधित व्यक्तियों को असुविधा होती है।

2– इस प्रकरण पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में शासन को सत्यापनार्थ प्रेषित किए जाने वाले इस प्रकार के प्रमाण पत्रों के संबंध में निम्नलिखित प्रकिया/ कार्यवाही सुनिश्चित करने के उपरान्त ही शासन को संदर्भित किये जायें–

(क) ऐसे प्रमाण पत्रों की सत्यता की जांच जिला मजिस्ट्रेट द्वारा करायी जाने एवं उनकी सत्यता सुनिश्चित होने के उपरान्त ही जिला मजिस्ट्रेट स्वयं अथवा उनके द्वारा इस कार्य के लिए नामित अधिकारी (कम से कम अपर जिला मजिस्ट्रेट स्तर का) द्वारा सत्यापित शब्द लिखकर स्पष्ट पूर्ण हस्ताक्षर किये जायें एवं केवल पदनाम की मुहर न लगाकर नाम व पदनाम की मुहर लगाई जाए साथ में जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय की मुहर भी लगायी जाए।

(ख) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे प्रमाण पत्रों के सत्यापनार्थ प्राधिकृत किये गए अधिकारी के पूर्ण नमूना हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से सामान्य प्रशासन विभाग उत्तरांचल शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। जब भी प्राधिकृत अधिकारी के स्थान पर किसी अन्य अधिकारी को प्राधिकृत किया जाए तो यही प्रकिया दोहराई जाये। कृपया बिना नमूना हस्ताक्ष्रर कोई प्रमाण पत्र संत्यापन हेतु न भेजे जायें क्योंकि हस्ताक्षर के नमूनें की उपलब्धता के अभाव में शासन स्तर से सत्यापन संभव न होगा।

(ग) प्रायः यह देखा गया है कि आवेदक अपने प्रमाण पत्रों को संबंधित जिलाधिकारियों से प्रमाणित कराकर स्वयं सीधे शासन को प्रस्तुत कर देते हैं। यह स्थिति संतोषप्रद नहीं है क्योंकि इस प्रकार सत्यापित कराकर प्रस्तुत किये गये अभिलेखों की सत्यता प्रायः संदिग्ध होने की संभावना बनी रहती है। अतएव यह आवश्यक है कि जिला स्तर पर यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि ऐसे प्रमाण पत्र संबंधित व्यक्ति को

शासन मे उपलब्ध कराने हेतु कदापि हस्तगत न किये जायें ताकि मामले में किसी प्रकार के संदेह की संभावना न रहे।

(घ) जिन प्रमाण पत्रों को सत्यापित किया जाए उनके संबंध में यह अवश्य देख लिया जाए कि प्रमाण पत्र पूर्ण रूप से पुष्ट हों, प्रासंगिक हो विधिक हों और नियमानुसार निर्गत हों ताकि कोई भी व्यक्ति किसी गलत अभिलेख के आधार पर पोसपोर्ट बीजा आदि प्राप्त न कर सके और अवैधानिक रूप से देश से बाहर न जा सके। प्रमाण पत्रों/ विलेखों आदि को प्रमाणित कराने का प्रयोजन उनकी वास्तविकता प्रमाण करना है। संबंधित अभिलेखों को शासित करने वाले विनियमों/अधिनियमों की व्यवस्थानुसार उसका प्रमाणीकरण शासन का उद्देश्य नहीं है।

(ङ) किसी भी प्रमाण पत्र को जिलाधिकारी के अग्रसारण पत्र के बिना न भेजा जाए। अग्रसारण पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि संबंधित व्यक्ति किस देश में एवं किस प्रयोजन से जाना चाहता है। अभिलेखों के सत्यापन के संबंध में संवेदनशीलता का बिन्दु निहित होने के कारण किसी भी प्रमाण पत्र पर सत्यापित शब्द अंकित करने से पूर्व प्रमाण पत्र की सत्यता गहराई से जांच कराकर सुनिश्चित करा ली जाए।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए तथा तदनुसार ही प्रमाण पत्र सत्यापनार्थ शासन को संदर्भित किये जायें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय

राजीव गुप्ता
प्रमुख सचिव

विभाग–5

उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त (स्टाम्प एव रजिस्ट्रीकरण)अनुभाग
संख्याः एस0आर0 1907/11–94–218(4)/90
लखनऊ, दिनॉक, 13 जून, 1994
अधिसूचना
स्टाम्प

साधारण खण्ड अधिनियम,1897(अधिनियम सख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1899(अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और धारा 10–क,74 तथा 75 और न्यायालय फीस अधिनियम,1870(अधिनियम संख्या 7 सन् 1870) की धारा 21 की उपधारा (1–क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके,राज्यपाल उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली,,1942 का सशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तर प्रदेश स्टाम्प(बयालिसवॉ सशोधन)
नियमावली, 1994

क्षिप्त नाम और प्रारंभ

1– (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश स्टाम्प (बयालिसवॉ सशोधन) नियमावली,1994 कही जायेगी,

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनॉक से प्रवृत्त होगी।

यम 3कक ा प्रतिस्थापन

2– उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली,1942 मे, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है,नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ 1	स्तम्भ 2
वर्तमान नियम	एतद्दवारा प्रतिस्थापित नियम 3 क क (1) शुल्क का सामान्यतः नगद सदाय नहीं किया जायेगा। तथापि,यदि कलेक्टर का यह समाधान हो जाय कि स्टाम्पों की जिले में अस्थाई रूप से कमी है अथवा अपेक्षित अभिधान के स्टाम्प उपलब्ध नहीं है तो वह इस निमित्त जारी किये गये समान्य या विशेष आदेश द्वारा शुल्क का नगद संदाय करने की अनुज्ञा दे सकेगा और यथास्थिति, कोषागार या उप–कोषागार के प्रभारी अधिकारी को,सरकारी कोषागार या उप–कोषागार में शुल्क का संदाय साक्षित करने वाले चालान के पेश किये जाने पर,लिखत पर पृष्ठॉकन द्वारा इस प्रकार नगद संदत्त की गयी धनराशि को प्रमाणित करने के लिये प्राधिकृत कर सकता है। (2) उप–नियम (1) के अधीन जारी किये गये आदेश में,यदि वह सामान्य हो तो,उसके प्रवर्तन में रहने की अवधि विनिर्दिष्ट होगी। (3) उप–नियम (1) में निर्दिष्ट आदेश के जारी हो जाने पर प्रश्नगत शुल्क की धनराशि शीर्षक "0030–स्टाम्प और

रजिस्ट्रीकरण फीस–ग– न्यायिकेत्तर स्टाम्प–स्टाम्पों की बिकी के अन्तर्गत दो प्रतियो मे साधारण चालान पत्र भर कर जमा की जायेगी। चालान की एक प्रति,यथास्थिति , कोषागार, उप–कोषागार या भारतीय स्टेट बैक में रख ली जायेगी और दूसरी प्रति निक्षेपकर्ता को धनरशि की प्राप्ति के प्रतीक स्वरूप दे दी जायेगी। चालान में उस लिखत का जिसके स्तम्भ में धनराशि जमा करना अपेक्षित है,प्रकार,मूल्य और पक्षकारों के नाम स्पष्टतया दर्शित होगे।

(4) सम्बन्धित निक्षेपकर्ता,यथास्थिति,कोषागार अधिकारी या भारतीय स्टेट बैक द्वारा प्राप्तांकित धनराशि के सम्बन्ध में उपर्युक्त कोषागार चालान की अपनी प्रति के साथ,अनिष्पादित लिखत को,यथास्थिति उस कोषगार या उप–कोषागार के प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा जहॉ धनराशि जमा की गयी हो।

(5) कोषागार अधिकारी किसी ऐसे लिखत पर जो हंस्ताक्षरित होने के पूर्व उसके समक्ष पेश किया जाय और जिसके साथ इस प्रयोजनार्थ आवेदन पत्र हो.नीचे दिये गये प्रारूप में प्रमाण पत्र पृष्ठॉकित करेगा, जिसमें नगद संदत्त किये गये स्टाम्प शुल्क की रकम दर्शित होगीः–

" स्टाम्प अधिनियम की धारा 10–क के अधीन दिये गये कलेक्टर के आदेश सख्या.. ....दिनॉक.............................. के अनुसरण में यह प्रमाणित किया जाता है कि इस लिखत के सम्बन्ध में स्टाम्प शुल्क के रूप में.......................................रूपये (....शब्दों में) की धनराशि का चालान संख्या.. ....दिनॉक................................ ... के द्वारा.............................. के भारतीय स्टेट बैंक/कोषागार/उप–कोषागार में नगद संदाय किया गया है,जिसकी एक प्रतिलिपि यहॉ संलग्न है।
दिनॉक :......... ....

कोषगार/उप–कोषागार का
प्रभारी अधिकारी ।

उपनियम (4) में निर्दिष्ट चालान कोषगार अधिकारी द्वारा रख लिया जायेगा तथा उसे रद्द कर दिया जायेगा जिससे कि उसका पुनः प्रयोग न किया जा सके।

(6) राज्य सरकार किसी जिले में,जैसा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय,शुल्क के नगद भुगतान किये जाने की अनुज्ञा दे सकती है और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) के अर्थान्तरगत उक्त जिले के उप जिलों के किसी या समस्त उप रजिस्ट्रार को एक सौ रूपये से कम की धनराशि तक के शुल्क का नगद भुगतान प्राप्त करने के लिये और लिखत या लिखतों पर फ्रेंकिंग मशीन द्वारा पृष्ठॉकन द्वारा इस प्रकार नगद भुगतान की गयी शुल्क की धनराशि को प्रमाणित करने के

लियें प्राधिकृत कर सकती है।

(7) स्टाम्प अधिनियम की धारा 10–क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसार स्टाम्प शुल्क के नगद भुगतान करने का इच्छुक व्यक्ति इस प्रयोजन के लिये आवेदन पत्र के साथ अनिष्पादित लिखत और स्टाम्प शुल्क की धनराशि उपनियम (6) के अधीन यथानिर्दिष्ट उप–रजिस्ट्रार ऐसे लिखत या लिखतों पर फैंकिंग मशीन द्वारा इस प्रकार नगद भुगतान की गयी शुल्क की धनराशि को पृष्ठॉकित करेगा और अपना हस्ताक्षर करेगा और अपनी मोहर लगायेगा।

(8) उप नियम (7) के अधीन किसी दिन उप–रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त स्टाम्प शुल्क की कुल धनराशि शीर्षक "0030–स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण फीस–ग–न्यायिकेत्तर स्टाम्प–स्टाम्पों की बिकी के अन्तर्गत ऐसे संग्रह के अगले दिन दो प्रतियो में साधारण चालान पत्र भर कर जमा की जायेगी। चालान की एक प्रति, यथास्थिति, कोषागार, उप–कोषगार या भारतीय स्टेट बैंक में रख ली जायेगी और दूसरी प्रति अभिलेख के लिये उप–रजिस्ट्रार के कार्यालय में रखी जायेगी। कोषागार या उप–कोषागार में रख ली गयी और उप–रजिस्ट्रार के कार्यालय में भी रखी गयी चालान को रद्द कर दिया जायेगा जिससे कि उसका पुनः प्रयोग न किया जा सके।
प्रत्येक मास में प्राप्त कुल धनराशि का सत्यापन,अगले मास के प्रथम सप्ताह के भीतर कोषागर से किया जायेगा,जिसके लिये जमा का निम्नलिखित विवरण सम्बन्धित कोषागार अधिकारी या उप कोषागार अधिकारी को भेजा जायेगा,जो पूर्ववर्ती मास के दौरान की गयी प्रत्येक जमा पर लघु हस्ताक्षर करेगा और उसका सत्यापन करेगा:–

जमा का विवरण

क0सं0	जमा का दिनॉक	जमा की धनराशि	चालान संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5

(9) स्टाम्पों के सम्व्यवहारों को अभिलिखित करने के लिये कोषागार और कलेक्टर के कार्यालय में रखे गये रजिस्टरों में,निम्नलिखित शीर्षकों के अधीन दो पृथक स्तम्भ बढा दिये जायेंगे।
(क) उप नियम (3) के अधीन जमा किये गये स्टाम्प शुल्क की धनराशि के लिये:–

"नगद संदत्त किया गया स्टाम्प शुल्क."

(ख) उप नियम (7) के अधीन जमा किये गये स्टाम्प शुल्क की धनराशि के लिये–

"नगद संदत्त किया गया और फैंकिंग मशीन द्वारा पृष्ठॉकित स्टाम्प शुल्क"।

(10) कोषागार अधिकारी स्टाम्प अधिनियम की धारा–10–क की उप धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन अपने द्वारा प्रमाणित लिखतों का एक पृथक रजिस्टर रखेगा जिसमें निम्नलिखित स्तम्भ होंगे:–

(क) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का दिनॉक,
(ख) निक्षेपकर्ता का नाम और पूरा पता,
(ग) लिखत के पक्षकारों के नाम,
(घ) लिखत का वर्ग,
(ड) प्रतिफल की धनराशि या मूल्य,जब अभि[illegible] न हो,
(च) जमा की गयी धनराशि,
(ज) लिखत की वापसी का दिनॉक,
(झ) लिखत के प्रात्पकर्ता का हस्ताक्षर,

कलेक्टर नियतकालिक निरीक्षणों पर या अन्यथा अपना यह समाधान करेगा कि प्रत्येक ऐसे लिखत के सम्बन्ध में [illegible]यक रूप से रद्द किये गये कोषागार चालान विद्यमान हैं।

(11)उप–रजिस्ट्रार स्टाम्प अधिनियम की धारा–10–क [illegible] उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन फेंकिंग मशीन द्वारा पृष्ठॉ[illegible]त लिखतों का एक पृथक रजिस्टर इस नियमावली से संलग्न प्रारूप में रखेगा। कलेक्टर नियत कालिक निरीक्षणों पर या अन्[illegible] उक्त रजिस्टर की प्रविष्टियो की शुद्धता के सम्बन्ध में अपना समाधान स्वयम् करेगा।

(12)स्टाम्प अधिनियम की धारा–10–क की उपधारा [illegible] के,यथास्थिति,खण्ड (क) या (ख) के अधीन किसी लि[illegible] पर किये गये कोषागार अधिकारी या उप–रजिस्ट्रार के पृष्ठॉकन को धारा–10–क की उपधारा (2) के अर्थान्तरगत न्यायिके[illegible]र स्टाम्प समझा जायेगा और न्यायिकेत्तर स्टाम्प पर प्रयोज्य [illegible] यथावश्यक परिवर्तनामें सहित उस पर लागू होंगे।

(13) स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 के अधीन दस्ता[illegible] को परिबद्ध करने के लिये सशक्त समस्त अधिकारी इस[illegible] स्आम्पित लिखतों की परीक्षा उसी प्रकार करेंगे जिस [illegible] वे अपने कर्तव्यों के पालन में अपने समक्ष आने वाले अन्[illegible] लिखतों की परीक्षा करते हैं। किसी लिखत पर अभिलिखत प्र[illegible] पत्र या पृष्ठॉकन या उससे संलग्न चालान,यदि कोई हो,की अभिप्रमाणिकता के बारे में सन्देह होने की दशा में,[illegible] तथ्य का सत्यापन कलेक्टर से कर सकते हैं।

स्पष्टीकरण– इस नियमावली के प्रयोजनार्थ,–

(क) कोषागार अधिकारी के अन्तर्गत जिले में कोषागार [illegible] उप–कोषागार के प्रभारी अधिकारी भी हैं:

(ख) उप रजिस्ट्रार के अन्तर्गत उप–रजिस्ट्रार के [illegible]लय के प्रभारी अधिकारी या उप जिले के संयुक्त सब–रजि[illegible]र भी हैं।"

151–क नया नियम 151–क और 151 ख बढ़या जाना

3– उक्त नियमावली के नियम 151 के पश्चात नि[illegible]लिखित बढा दिये जायेंगे, अर्थात:–

151 क लाईसेंस की अवधि और फीस

(1) स्टाम्पो की बिक्री के लिये लाइसेंस एक वित्तीय वर्ष के लिये स्वीकृत किया जायेगा।।
(2) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत लाइसेंस [illegible] 31 मार्च को समाप्त हो जायेगा।

(3) कलेक्टर लाइसेंस प्राप्त विक्रेता के उस निमित्त लाइसेंस की समाप्ति के दिनॉक के पूर्व एक मास की अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये लिखित आवेदन पत्र पर उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष के लाइसेंस का नवीनीकरण कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि लाइसेंस के नवीकरण के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय और लाइसेंस की अवधि की समाप्ति तक नवीकरण स्वीकृत नहीं किया जाता है तो स्वीकृत किया गया लाइसेंस उस समय तक विधिमान्य रहेगा जब तक कि उसका नवीकरण नहीं कर दिया जाता या नवीकरण करने से इन्कार नहीं कर दिया जाता है।

(4) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए जिसके लिए लाइसेंस स्वीकृत किया जाय,या नवीकरण किया जाय,एक सौ रूपये की लाइसेंस फीस का भुगतान सम्बन्धित कलेक्टर के माध्यम से सरकार को किया जायेगा: प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान एक नए लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाता है तो उस वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए लाइसेंस फीस की गणना प्रत्येक तिमाही या तिमाही के भाग के लिए पच्चीस रूपये की दर से की जायेगी।
(5) यदि लाइसेन्स खो जाय,नष्ट हो जाय,विरूपित हो जाय,फट जाय या अपठनीय हो जाय तो लाइसेन्स प्राप्त विक्रेता लाइसेन्स की दूसरी प्रति की स्वीकृति के लिए कलेक्टर को तुरन्त आवेदन करेगा। कलेक्टर यह समाधान हो जाने पर कि लाइसेन्स की दूसरी प्रति जारी करना न्यायोचित है,पच्चीस रूपये का भुगतान करने पर लाइसेन्स की दूसरी प्रति जारी कर सकता है। ऐसे प्रत्येक लाइसेन्स की दूसरी प्रति पर "दूसरी प्रति" की मोहर लगाई जाएगी।

नियम–151–क में दी गई किसी बात के होते हुए भी,,स्टाम्पों की बिक्री के लिए लाइसेन्स पॉच वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए दो सौ पचास रूपये अधिक के लिए की एक मुश्त लाइसेन्स फीस का भुगतान करने पर स्वीकृत किया जा सकता है।

4– उक्त नियमावली के नियम 152 में,नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात:–

	स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
नियम 156 का निकाला जाना	वर्तमान खण्ड	एतद्दवारा प्रतिस्थापित खण्ड (क) लाइसेन्स प्राप्त विक्रेताओं को, यथास्थिति,एक दस्तावेज या लिखत के लिए और जनता के किसी एक व्यक्ति को कुल पन्द्रह हजार रूपय से अनधिक मूल्य के न्यायालय फीस स्टाम्प या न्यायिकेत्तर स्टाम्प बेचने की अनुमति होगी।"

5– उक्त नियमावली के नियम–156 में,अन्त में निम्नलिखित परन्तुक का स्टाम्प पेपर लाइसेन्स विक्रेता को नहीं दिया जाएगा।"

नियम 176 का निकाला जाना

6– उक्त नियमावली का नियम 176 निकाल दिया जाएगा।

आज्ञा से,
(एस0ए0टी0 रिजवी)
प्रमुख सचिव

संख्याः एस0आर0–1907 (1)/XI –94–218(4)/90 तद्दिनॉकित

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव,वित्त, उ0प्र0 शासन,लखनऊ ।
2– अपर सचिव,राजस्व परिषद,उ0प्र0 इलाहाबाद।
3– महानिरीक्षक निबन्धन,उ0प्र0 इलाहाबाद।
4– समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
5– निदेशक,कोषागार, उ0 प्र0,जवाहर भवन,लखनऊ।
6– समस्त अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व) उत्तर प्रदेश।
7– विधायी अनुभाग–1

आज्ञा से,
(पी0 के0 मिश्र)
विशेष सचिव

संख्या एस0आर0– 1907 (2)/XI –94–218(4)/90 तद्दिनॉकित

प्रतिलिपि अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक,राजकीय मुद्राणालय,ऐशबाग,लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इसे दिनॉक,1–7–94 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट,भाग–4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की दो सौ प्रति महानिरीक्षक कार्यालय एवं एक सौ प्रति शासन के वित्त (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन) अनुभाग को उपलब्ध करायें।

आज्ञा से,
(पी0 के0 मिश्र)
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन) अनुभाग

संख्याः एस0 आर0 1276/11-94-500(90)/93
लखनऊ . दिनॉक : 15 अप्रैल, 1994

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम,1897(अधिनियम संख्या 10 सन 1897) की धारा-21 के साथ पठित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1908 (अधिनियम सं0 16 सन् 1908) की धारा 78 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके,राज्यपाल दिनॉक,01मई 1994 से सरकारी अधिसूचना संख्याः एस0आर0-976/दस-550 (51)-75,दिनॉक 31 मार्च, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में-

(1) अनुच्छेद 1 में, खण्ड (1) में

(एक) उपखण्ड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात-

(क) जहॉ मूल्य या प्रतिफल 100 रूपये 3.00 से अधिक न हो।

(दो) उपखण्ड (ग), (घ), (ड.) और (च) कमशः उपखण्ड (ख),(ग),(घ), और (ड.) के रूप में पुनः संख्याकित कर दिये जायेंगे।

(2) अनुच्छेद 2 में,खण्ड (1) में,

(एक) उप-खण्ड (क) में शब्द और अंक प्रति 300 शब्द या उसके भाग के लिए 1.50 रू0,किन्तु प्रत्येक दस्तावेज के लिए न्यूनतम 6 रूपया " के स्थान पर,शब्द और अंक "प्रति 500.00 शब्द या उसके भाग के लिए 5 रूपया किन्तु प्रत्येक दस्तावेज के लिए न्यूनतम 10 रूपया" रख दिये जायेंगे।

(दो) उपखण्ड (ख) में शब्द और अंक प्रति "प्रति 100 शब्द या उसके भाग के लिए 25 पैसा किन्तु प्रत्येक प्रति के लिए न्यूनतम 5 रूपया" के स्थान पर शब्द और अंक प्रति 500 शब्द या उसके भाग के लिए 5 रूपया किन्तु प्रत्येक प्रति के लिए न्यूनतम 10 रूपया "प्रति रख दिये जायेंगे।

(तीन) स्पष्टीकरण में,खण्ड (3) में शब्द और अंक "2 रूपया" के स्थान पर शब्द और अंक "5रूपया" रख दिये जायेंगे

(3) अनुच्छेद 3 में शब्द और अंक "4रूपया" जहॉ कहीं भी आये हों के स्थान पर शब्द और अंक "5रूपया रख दिये जायेंगे।

और "2.50"

(4) अनुच्छेद 4 में,अंक "5.00"/के स्थान पर कमशः अंक "10.00"और "5.00"रख दिये जायेंगे।

(5) अनुच्छेद 5 में शब्द और अंक "15.00 रूपया" के स्थान पर शब्द और अंक "100.00 रूपया" रख दिये जायेंगे।

(6) अनुच्छेद 7 में, अंक "4" के स्थान पर अंक "10" रख दिया जायेगा।

(7) अनुच्छेद 8 में खण्ड (क) में अंक "4" के स्थान पर अंक "5" और खण्ड (ख) में शब्द और अंक "किसी एक मामले में प्रथम वर्ष के लिए 4रू0 और प्रत्येक अन्य वर्ष

के लिए 2 रूपया किन्तु किसी एक मामले में अधिकतम 50रूपया" के स्थान पर शब्द और अंक "प्रत्येक वर्ष के लिए 5 रूपया किन्तु किसी एक मामले में अधिकतम 100रूपया रख दिये जायेंगे।

(8) अनुच्छेद 9 में खण्ड (क) में,मद (एक) में,शब्द और अंक "12.00रूपया" के स्थान पर शब्द और अंक "15.00रूपया" और मद (दो) में शब्द और अंक "प्रथम 3000रू0 के लिए 12.00 रूपये और प्रत्येक अतिरिक्त 1000रू0 या उसके भाग के लिए 1.00रू0 किन्तु अधिकतम 50.00 रू0" के स्थान पर शब्द और अंक "प्रथम 3000रू0 के लिए 15.00रू0 और प्रत्येक अतिरिक्त 1000रू0 या उसके भाग के लिए 5रू0 किन्तु अधिकतम 50रूपया" रख दिये जायेंगे।

(9) अनुच्छेद 10 में–

(क) खण्ड (क) में,अंक 7.00 के स्थान पर अंक "10.00" रख दिया जायेगा।

(ख) खण्ड (ख) में,अंक "30.00 के स्थान अंक "50.00" रख दिया जायेगा।

(ग) खण्ड (ग) में अंक "30.00" के स्थान पर अंक "50.00" रख दिया जायेगा।

(10) अनुच्छेद 13 में,टिप्पणी के खण्ड (2) में,शब्द और अंक" 4 रूपये या यदि प्रति में शब्दों की संख्या 1200 शब्दों से अधिक हो तो प्रत्येक 300 शब्द या उसके भाग के लिए 1रूपये के त्वरित फीस" के स्थान पर शब्द और अंक "5 रूप्ये या यदि प्रति में शब्दों की संख्या 1000 से अधिक हो तो प्रत्येक 500 शब्दों या उसके भाग के लिए 5रूपये की त्वरित फीस" रख दिये जायेंगे।

(11) अनुच्छेद 14 में शब्द और अंक "प्रत्येक ऐसे 15 दिन या उसके भाग के लिये जिसके दौरान दस्तावेज अदावाकृत रहे 2.50 पैसे किन्तु अधिकतम 30 रूपये है" के स्थान पर शब्द और अंक प्रत्येक ऐसे 15 या उसके भाग के लिये जिसके दौरान दस्तावेज अदावाकृत रहे 5 रूपये किन्तु अधिकतम 50 रूपये है" रख दिये जायेंगे।

(12) अनुच्छेद 15 में,–

(एक) खण्ड (2) में,अंक "2.00 के स्थान पर अंक "5.00" रख दिया जायेगा।

(दो) खण्ड (2) में,अंक "1.50 के स्थान पर अंक "5.00" रख दिया जायेगा।

आज्ञा से,

(अरविन्द शर्मा)
प्रमुख सचिव.

संख्याः एस0आर0 1276 (1)/11–94 तद्दिनॉकित

प्रतिलिपि अंग्रेजी आदेश की प्रति सहित संयुक्त,अधीक्षक,राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग,लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इसे दिनॉक 01 मई,1994 के असाधारण गजट के भाग–4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 500 प्रतियॉ महानिरीक्षक निबन्धन,उ0प्र0,इलाहाबाद को तथा 100 प्रतियॉ शासन के इस अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(पी0के0 मिश्र)
विशेष सचिव

संख्याः एस0आर0 1276 (1)/11–94 तद्दिनॉकित

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर सचिव,राजस्व परिषद,उ0 प्र0, इलाहाबाद।

2– महानिरीक्षक निबन्धन,उत्तर प्रेदश इलाहाबाद।

3– समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।

4– समस्त जिला निबन्धक,उत्तर प्रेदश।

5– विधायी अनुभाग–1

आ[illegible] से,

(पी0 [illegible]0 मिश्र)
विशे[illegible] सचिव

संख्या– क0नि0–5–5443 / 11–2000–500(117) / 2000

प्रेषक,

टी0 जार्ज जोसेफ,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0)
व जिला निबन्धक, उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त उप निबन्धक,
उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 लखनऊः दिनांक : 28 सितम्बर, 2000

विषय : अनुबन्धन पत्र पर दिए गए स्टाम्प शुल्क के बैनामा के समय समायोजन के सम्बन्ध में होने वाली परेशानियां।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह बात आयी है कि अनुबन्धन पत्र पर दिए गए स्टाम्प शुल्क को बाद में बैनामा का पंजीकरण करते समय समायोजन करने में निबन्धन अधिकारियों द्वारा हीला–हवाली करके निष्पादनकर्ताओं को परेशान किया जाता है। यह स्थिति ठीक नहीं है और शासन ने इस प्रकार की शिकायतों को गम्भीरतापूर्वक लिया है।

2– उपरोक्त के विषय में आपको यह अवगत कराना है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची–1 (बी) के अनुच्छेद–5 में अनुबंध के निष्पादन पर दिए गए स्टाम्प शुल्क को बैनामा के पंजीकरण के समय समायोजित किए जाने की व्यवस्था है। इसी के साथ आपको यह भी अवगत कराना है कि संशोधन अध्यादेश दिनांक 07.06.1990 द्वारा उपरोक्त अनुच्छेद में विक्रय पत्र का निष्पादन न होने पर अनुबन्ध पत्र के निष्पादन पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को वापस किए जाने की जो व्यवस्था की गई थी उसे संशोधन अधिनियम दिनांक 01.09.1998 द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

3– कृपया उपरोक्त व्यवस्थाओं के आधार पर सभी मामलों में निष्पादनकर्ताओं की समस्याओं को न्यायपूर्ण ढंग से निस्तारित करने का कष्ट करें तथा इस पत्र की प्राप्ति से शासन को अवगत कराएँ।

भवदीय,

(टी0 जार्ज जोसेफ)
प्रमुख सचिव।

संख्या–:क0नि0–5–5443(1) / 11–2000–500(117) / 2000, तद्दिनांक

प्रतिलिपि :–(1) स्टाम्प आयुक्त तथा अपर सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। (2) समस्त उप / सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(यू0 के0 एस0 चौहान)
विशेष सचिव।

संख्या–क0नि.–5–12.../11–2000
312(29../20..

प्रेषक,

टी0 जार्ज जोसेफ,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
एवं जिला निबन्धक, उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांक 29 फरवरी, 2000

विषय :– स्टाम्पवादों के निस्तारण में होने वाली अनियमिततायें :– आवश्यक मार्ग–निर्देश।

महोदय,

शासन के संज्ञान में अभी हाल में कुछ जनपदों के ऐसे [illegible] हैं जिनमें अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) व जिला निबन्धक के स्तर पर पंजीकरण [illegible] व स्टाम्प शुल्क के निर्धारण सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की अनियमितताए प्रकाश में आई है। इस [illegible] में कुछ अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी प्रारम्भ की गई है। जो [illegible] प्रकाश में आयी हैं उनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :–

(1) मूल्यांकन के सम्बन्ध में सम्बन्धित तहसीलदार से जांच [illegible] किसी अन्य विशेष कनिष्ठ अधिकारी से बाईनेम जांच के आदेश भेजे गये।

(2) ऐसे विलेख पत्र जिसमें अन्तरित सम्पत्तियों के प्रतिफल [illegible] नहीं था, धारा–31 के अन्तर्गत अधिर्णय करते समय प्रतिफल की जानकारी नहीं प्रा[illegible] फलस्वरूप स्टाम्प शुल्क की भारी क्षति हुई।

(3) गलत अधिनिर्णय आदेश (धारा–3) एवं धारा–32 के अन्तर्गत [illegible] प्रमाणक के बारे में राजस्व परिषद द्वारा स्पष्टीकरण मांगे जाने पर आदेश एवं प्रमाणक [illegible] कर दिये गये। धारा–32 का प्रमाणक निश्चयात्मक एवं अन्तिम होता है अतः निरस्तीक[illegible] कार्यवाही अनियमित थी।

(4) पक्षकार के प्रार्थना में स्टाम्प शुल्क के निर्धारण की प्रार्थना [illegible] विक्रीत सम्पत्ति का कामत के निर्धारण की प्रार्थना होने के बावजूद ऐसे प्रार्थना–[illegible]–31 के अन्तर्गत अधिनिर्णय की कार्यवाही की गई और धारा–32 का प्रमाणक जारी कि[illegible]

(5) अधिनिर्णय करते समय एवं धारा–47 ए के अन्तर्गत कार्यवा[illegible] समय स्टाम्प शुल्क का निर्धारण कलेक्टर द्वारा निर्धारित मूल्य सूची के अनुसार नहीं किया गया।

(6) धारा–32 के अन्तर्गत प्रमाणक जारी करने के पूर्व अधि[illegible] बात का परीक्षण नहीं किया गया कि विक्रीत सम्पत्ति यदि एक फैक्ट्री थी तो उस[illegible]/मशीने स्थापित थी या नहीं और यदि स्थापित थीं तो उनका भी हस्तान्तरण हो रहा [illegible]। प्रकरण में प्लांट एवं मशीनरी के मूल्य पर विचार ही नहीं किया गया।

(7) राजस्व अधिकारी स्थल निरीक्षण आख्या में गलत तथ्य हो[illegible] उसकी पुष्टि कराने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया।

(8) अधिनिर्णय के आदेश के पश्चात उसमें दोबारा संशोधन [illegible] संशोधित आदेश के अनुसार पंजीकरण विलेख को कमी स्टाम्प शुल्क की वसूली हे[illegible] करने के लिए उप निबन्धक को निर्देश दिये गये यह कृत्य विधि विपरीत है।

अपर जिलाधिकारी द्वारा स्वयं

(9) विलेख को पंजीकृत करते समय उस पर विक्रय मूल्य अंकित न होने एवं आवश्यक श्रेणी का होने के बावजूद भारतीय आयकर अधिनियम की धारा–230 ए के अन्तर्गत वांछित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न किये जाने के बावजूद स्टाम्पवाद हेतु विलेख को सन्दर्भित नहीं किया गया।

(10) विक्रय में धारा–27 के अन्तर्गत आवश्यक विवरण अंकित न होने के बावजूद उसे स्वीकार किया गया और धारा–64 के अर्न्तगत अभियोजन की कार्यवाही भी नहीं की गयी।

(11) पंजीकरण करते समय शासन द्वारा निर्धारित विशेष पंजीकरण शुल्क तथा मेमों फीस न वसूल कर राजस्व की क्षति की गई।

(12) विलेख को स्टाम्प शुल्क में कमी होने के बावजूद उसका पंजीकरण किया गया एवं तत्पश्चात उसकी फोटो प्रतिलिपि को धारा–33/47 (क) के अर्न्तगत सन्दर्भित किया गया साथ ही धारा–66 (1) के अर्न्तगत प्रत्येक विलेख पत्र का मेमोरेन्डम सम्बन्धित उप निबन्धक, कार्यालय को अग्रसारित नहीं किया गया।

(13) भूमि का गलत वर्गीकरण मानकर कलेक्टर द्वारा निर्धारित मूल्य दरें लगाई गई जिससे स्टाम्प शुल्क की क्षति हुई।

(14) . कोल्ड–स्टोरेज जैसे विशेष प्रकृति के भवनों को सामान्य भवन की दर पर ही प्लिन्थ एरिया के हिसाब से मूल्यांकित किया गया जिससे स्टाम्प शुल्क की क्षति हुई।

2– उपरोक्त अनियमितताओं को देखते हुए मुझे शासन द्वारा आपको सूचित करने का निर्देश मिला है कि स्टाम्प तथा रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी कार्य करते समय निम्न मार्ग–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय :–

(1) स्थल निरीक्षण रिपोर्ट :– प्रत्येक स्टाम्प वाद में स्थल निरीक्षण आख्या मांगना आवश्यक नहीं है। विलेख के अन्त में दिये गये अचल सम्पत्ति के विवरण का परीक्षण कर, विशेष बिन्दु बनाकर आवश्यकतानुसार तहसीलदार से स्थल निरीक्षण रिपोर्ट मांगी जाय। रिपोर्ट के लिए विशेष बिन्दु जैसे सड़क की चौड़ाई जिस पर अचल सम्पत्ति स्थित है की सूचना, भवन/दुकान के निर्माण का विवरण आवासीय व्यवसायिक क्षेत्र में स्थित आदि की सूचना मांगी जाय।

(2) अधिनिर्णय के प्रकरण :– अधिनिर्णय के प्रकरण में शासन के पत्र दिनांक 31.12.1999 तथा शासन के पूर्व निर्देश दिनांक 1.5.1991 का पालन किया जाय। उपरोक्त शासनादेशों में यह अवगत कराया गया है कि तहसील रिपोर्ट के अलावा उस उप निबन्धक की आख्या भी प्राप्त की जाय जिसके क्षेत्र में अधिनिर्णय से सम्बन्धित अचल सम्पत्ति स्थित है। अधिनिर्णय के पश्चात् निर्णय की एक प्रति सम्बन्धित उप निबन्धक को प्रेषित करें साथ ही अपर सचिव, राजस्व परिषद को लेखपत्र की छायाप्रति, प्रकरण का विवरण तथा अधिनिर्णय की प्रति प्रेषित करें। अधिनिर्णय के पश्चात्त विलेख को पुनः बार–बार मूल्य अवधारण हेतु संदर्भित करने का निर्देश देना नियमों के विपरीत है।

(3) विलेख में अचल सम्पत्ति का गलत विवरण देने तथा छुपाने की कार्यवाही :– भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 में विलेख में अचल सम्पत्ति के मूल्य को प्रभावित करने वाले तथ्यों को स्पष्ट लिखने का प्राविधान है। यदि इन तत्यों को छुपाया जाता है तो पक्षकार के विरूद्ध अधिनियम की धारा–64 के अर्न्तगत जिलाधिकारी की अनुमति प्राप्त करके न्यायालय में क्रेता को अभियोजित किया जा सकता है।

(4) गलत तहसील रिपोर्ट पर कार्यवाही :– विलेख में दिये गये अचल सम्पत्ति के विवरण से भिन्न एवं त्रुटिपूर्ण तहसील आख्या पर अपने निर्ण को तथ्यों की पुष्टि होने तक न लिखें। यदि गलत तहसील रिपोर्ट की पुष्टि होती है तो सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति जिलाधिकारी को भेजें।

(5) लेखपत्रों का पंजीकरण :– जिला निबन्धक के पद पर विलेखों के पंजीकरण की ऐच्छिक शक्ति रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अर्न्तगत आपको प्राप्त है। विलेख के पंजीकरण के पूर्व निम्न तथ्यों का परीक्षण कर लें ––

(क) सम्पत्ति आपके क्षेत्राधिकार में स्थित है,

(ख) निष्पादकगण बालिक हैं,

(ग) विलेख का निष्पादक प्रस्तुतीकरण के 4 माह के अन्दर हुआ है,
(घ) विलेख पर टिकाऊ फोटो लगा है, एवं फोटो अभिप्रमाणित है।
(ड) लेखपत्र की फोटो प्रति पृष्ठ ओर से ली गई है।
(च) विलेख के साथ निम्न अनुमतियॉ आवश्यकतानुसार मूल रूप में संलग्न होनी चाहिए।
(1) आयकर मुक्ति प्रमाण पत्र (फार्म–34ए)
(2) आयकर मुक्ति प्रमाण–पत्र (फार्म–37 आई)
(3) अनुसूचित जाति अनुज्ञा।
(छ) विलेख में प्रतिफल आयकर मुक्ति प्रमाण पत्र के अनुरूप अंकित है।
(ज) विलेख की कलेक्टर रेट के अनुसार उचित स्टाम्प पर लिखा हुआ होना चाहिए (धारा–47 क) :–

यदि गणितीय त्रुटि से स्टाम्प कम लगा है तो पक्षकार को अवगत कराया जाय तथा भारतीय स्टाम्प अधिनियम की सुसंगत धारा के अन्तर्गत स्टाम्पवाद प्रारम्भ किया जाय। कमी स्टाम्प पूर्ण होने पर ही विलेख को पंजीकृत कर पक्षकार को वापस किया जाय।

(7) विलेख के पंजीकरण से पूर्व ऐच्छिक निबन्धन शुल्क जो निबन्धन सारणी में दिया गया है कि रसीद भी निबन्धन शुल्क की रसीद के साथ पक्षकार को दी जाय। पंजीकृत विलेख का मेमो संबंधित उप निबन्धक को भेजा जाय, यदि अचल सम्पत्ति दो जनपदों में स्थित है तो सम्बन्धित जिला निबन्धक को विलेख को प्रति एवं मेमो प्रेषित किया जाय।

(8) उपरोक्त कार्यो को लिपिकगण के भरोसे न छोड़े, क्योकि यह आपका वैधानिक दायित्व है और रूचि लेकर इन कार्यो को पूर्ण करें।

3– उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपेक्ष की जाती है।

भवदीय,

(टी0 जार्ज जोसेफ)
प्रमुख सचिव।

संख्या–:क0नि0–5–1242/11–2000–312(29)/2000, तद्दिनांक

प्रतिलिपि :–प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) अपर सचिव, राजस्व परिषद्/आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(यू0 के0 एस0 चौहान)
विशेष सचिव।

प्रेषक,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तरांचल देहरादून।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

संख्या–3146 /महानि0नि0/संशोधन/2002–2003 दिनांक :2 : नवम्बर, 2002.

विषय : भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1908 में संशोधन विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1908 (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश 2002 (उत्तरांचल अध्यादेश सं0 05 सन् 2002) की प्रतिलिपि आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि जनपद के स्टाम्प एवं निबन्धन कार्यालयों में अध्यादेश की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाते हुए अनुपालन करावाने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

कृते महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तरांचल, देहरादून।

उत्तरांचल सरकार
वित्त अनुभाग–5
सं0–512 वि0अनु0–5/स्टाम्प/2002
देहरादून : दिनांक 28 अक्टूबर 2002
अधिसूचना

भारतीय स्टाम्प (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश 2002 (उत्तरांचल अध्यादेश सं0–05 सन् 2002) की धारा–1, की धारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल 23.10.2002 को ऐसा दिनांक नियत करते है जब उक्त अध्यादेश प्रवृत करते है।

आज्ञा से,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव, वित्त।

सं0–512 वि0अनु0–5/स्टाम्प/2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–हिन्दी तथा अग्रेजी सूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रालय रूकडी को इस आशयक के साथ प्रेषित कि कृपया इससे आगामी 2002, के असाधारण गजट के भाग–4 खण्ड–ब में अवश्य प्रकाशित करा दे। तत्पश्चात गजट की 50 प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(एल0एम0 पंत)
अपर सचिव।

सं0–512 वि0अनु0–5/स्टाम्प/2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–महानिरीक्षक, निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प, उत्तरांचल देहरादून का भारतीय स्टाम्प (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश 2002 उत्तरांचल अध्यादेश सं0 05 वर्ष 2002) कि सम्बन्ध में विधायी विभाग द्वारा जारी अध्यादेश सं0 05 सनॅ 2002 की प्रति संलग्न करते हुये, इस आशय से प्रेषित कि वे कृपाया अपने स्तर से समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को प्रति सहित आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।

मण्डल आयुक्त, गढ़वाल, कुमायूॅ।
समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

आज्ञा से,

(एल0एम0 पंत)
अपर सचिव।

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)
देहरादून, सोमवार, 15 सितम्बर, 2003 ई0
भाद्रपद 24, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–5
संख्या–317/वि0अनु0–5/स्टाम्प/2003
देहरादून, 15 सितम्बर, 2003

अधिसूचना

प0आ0–135

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से वीर चन्द्र सिंह, गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत रू0 10.00 लाख (दस लाख) की सीमा तक के ऋण प्राप्त करने के लिये बैंक के पक्ष में निष्पादित भूमि के पंजीकृत बन्धक विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट देने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव।

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–5
संख्या–460 /वि0अनु0–5/स्टाम/2003
देहरादून: दिनांक: 15 सितम्बर, 2003

अधिसूचना

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899(अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा–9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने श्री राज्यपाल इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत रू0 10.00 लाख की सीमा तक के ऋण प्राप्त करने के लिये बैंक के पक्ष में निष्पादित भूमि के पंजीकृत बन्धक विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट देने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 317 (1)/वित्त अनु0–5/स्टाम्प/2003, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव एवं आयुक्त, उत्तरांचल शासन।
2– समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
3– महानिरीक्षक, निबन्धन,उत्तरांचल देहरादून।
4– महालेखाकार, उत्तरांचल सत्यनिष्ठाभवन, थार्न हिल रोड़, इलाहाबाद।
5– उपनिदेशक, राजकीय प्रेस,रूड़की को इस अनुरोध सहित कि वे अधिसूचना को उसी दिनांक के असाधारण गजट के भाग 4 खण्ड़ (ब) में प्रकाशित कराते हुये उसकी 200 प्रतियां वित्त अनुभाग–5 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
6– न्याय/विधायी अनुभाग।
7– गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा से,

(एल0एम0 पन्त)
अपर सचिव।

सर्वोच्च प्राथमिकता
संख्या–118 /विअनु–5/स्टाम्प/2004

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक, निबन्धन,
उत्तरांचल, देहरादून।

वित्त अनुभाग–5 देहरादून:: दिनांक 31 मार्च,2004

विषय:– कार्य संविदा से सम्बन्धित अनुबन्ध विलेखों के निष्पादन पर स्टाम्प शुल्क का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–क0सं0वि0–5–714 (1)/11–99, दि0 01.04.1999 एवं इसी क्रम में महानिरीक्षक, निबन्धन,उ0प्र0 के परिपत्र संख्या–3511 /महा0नि0नि0/2002–2003 दिनांक 30.12.2002 के माध्यम से भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची–1 बी के अनुच्छेद–40 (क)तथा अनुच्छेद–57 का निर्वचन करते हुये कार्य संविदा (कान्टैक्ट इन्सट्रमेंन्ट) से सम्बन्धित अनुबन्ध विलेख में निष्पादित की जाने वाली प्रतिभूति के आधार पर निम्नवत् स्टाम्प शुल्क का निर्धारण किया गया था:–

(1) प्रतिभूति नकद धनराशि होने पर, अनुबन्ध विलेख पर स्टाम्प शुल्क भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1–बी, के अनुच्छेद 40 (क) के अनुसार प्रभार्य होगा अर्थात रू0125/– प्रति हजार की धनराशि पर।

(2) एफ0डी0आर0,एन0सी0सी0 आदि होने पर अनुबन्ध विलेख पर स्टाम्प शुल्क भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1– बी के अनुच्छेद 40 (ख) के अनुसार प्रभार्य होगा अर्थात रू0 70/– प्रति हजार की धनराशि परं

(3) बैंक गारन्टी होने पर अनुबन्ध विलेख पर स्टाम्प शुल्क भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1–बी के अनुच्छेद 12–क के अनुसार देय होगा अर्थात रू0 पांच प्रति हजार की धनराशि पर परन्तु अधिकतम स्टाम्प रू010,000.00 देय होगा।

(4) अनुबन्ध के पक्षों से भिन्न से तृतीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध सम्पादित होने के विषय में दी गई जमानत के विलेख पर स्टाम्प शुल्क भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1–बी के अनुच्छेद 57 के अनुसार प्रभार्य होगा अर्थात एक सौ रूपये।

2– विषयगत सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर रिट याचिका संख्या–1010/एम0/बी0/2003, आदित्य इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड बनाम राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय ने इसी विषय पर माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के द्वारा तेजवीर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में पारित आदेश का संज्ञान लेते हुये दिनांक 29.10.2003 को इस आशय के आदेश पारित किये कि कार्य संविदा लिखतों पर बाजारू कीमत (Ad- Valorem) आधारित स्टाम्प ड्यूटी आरोपित न करते हुये प्रत्येक लिखित पर रू0 100.00 की दर से निर्धारित

की जाय एवं तत्सम्बन्धी आदेश भी पारित किये जायें। माननीय न्यायालय के सन्दर्भगत आदेश में कार्य संविदा से सम्बन्धित अनुबन्ध विलेखों को जमानत पत्र मानते हुये ऐसे जमानत पत्रों पर रू0 100.00 का स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होने के निर्देश पारित किये। इस प्रकार माननीय न्यायालय के अनुच्छेद 40 (क) एवं (ख) के अन्तर्गत निर्धारित स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता, जमानत विलेख मानते हुये रू0100.00 निर्धारित कर दी गयी हैं। माननीय न्यायालय के सन्दर्भगत आदेशों के उपरान्त कतिपय अन्य याचिकाएं भी माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर हुयी, जिन पर भी न्यायालय ने उल्लिखित आदेश दिनांक 29.10.2003 को पारित ओदशों के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश पारित किये।

3— विषयगत मामले में माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.10.2003 का समादर करते हये मुझे यह कहने के निदेश हुआ है कि शासन के अग्रिम आदेशों/इसी विषय पर माननीय उच्चतम न्यायालय की ओर से अन्यथा प्राप्त होने वाले निर्देशों (उत्तर प्रदेश शासन की ओर से दायर की जा रही विशेष अनुज्ञा याचिका के दृष्टिगत) तक कार्य संविदा से सम्बन्धित अनुबन्ध विलखों को जमानत पत्र मानते हुये भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1899 की अनुसूची—1 बी के अनुच्छेद—57 से आच्छादित समझते हुये ऐसे जमानत पत्रों पर एक मुश्त रू0100.00 (रू0 एक सौ मात्र) का स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होगा।

4— शासन के उपर्युक्त निर्णयानुसार सम्बन्धित समस्त अधिकारियों/कार्यालयों को अपने स्तर से समुचित निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें, साथ ही विषय से सम्बन्धित माननीय उच्च न्यायालय,नैनीताल में लम्बित समस्त रिट याचिकाओं में माननीय न्यायालय को शपथ—पत्र के माध्यम से अवगत भी कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रभुख सचिव।

संख्या—118 (1)/वि0अनु0—5/स्टाम्प/2004, तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव एवं आयुक्त, उत्तरांचल शासन।
2— समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
3— मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, नैनीताल को उनके पत्र दिनांक 06.12.2003 के सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही के अनुरोध सहित।
4— सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन— उधमसिंहनगर को इस निर्देश सहित कि वे विषय से सम्बन्धित माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में लम्बिंत समस्त रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय को शपथ—पत्र के माध्यम से अवगत कराने के कम में मुख्य स्थायी अधिवक्ता से तत्काल सम्पर्क करने का कष्ट करें।
7— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(एल0एम0 पन्त)
अपर सचिव।

संख्या–सा0–3–780 / दस–901 / 96

प्रेषक,

नृपेन्द्र मिश्र,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– निदेशक,
नागरिक उड्डयन निदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

2– निदेशक,
पर्यटन निदेशालय
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

3– निदेशक,
न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

4– आयुक्त,
गन्ना तथा चीनी विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

5– प्रमुख सचिव
राज्यपाल सचिवालय
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

6– आयुक्त
चकबन्दी
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

7– निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, निदेशालय
उत्तर प्रदेश कानपुर।

8– सचिव,
अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

9– मुख्य अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

10– महानिरीक्षक,
कारागार
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

11– निबन्धक,
सहकारी समितियां
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

12– महानिरीक्षक,
होमगार्ड्स
उत्तर प्रदेश लखनऊ

13— निदेशक,
प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान
उत्तर प्रदेश नैनीताल।

14— आयुक्त,
आबकारी विभाग
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

15— आयुक्त,
श्रम विभाग
उत्तर प्रदेश कानपुर।

16— सचिव,
लोक सेवा आयोग,
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

17— आयुक्त,
परिवहन विभाग
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

18— महानिदेशक,
स्वास्थ्य
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

19— निदेशक,
परिवार कल्याण विभाग
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

20— निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

21— निदेशक,
शिक्षा निदेशालय
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

22— प्रधानाचार्य,
मेडिकल कालेज आगरा।

23— प्रधानाचार्य,
मेडिकल कालेज इलाहाबाद।

24— प्रधानाचार्य,
मेडिकल कालेज कानपुर।

25— प्रधानाचार्य,
मेडिकल कालेज मेरठ।

26— प्रधानाचार्य,
मेडिकल कालेज झांसी।

27— प्रधानाचार्य,
मेडिकल कालेज गोरखपुर।

लखनऊ : दिनांक : 24 जून, 1996

वित्त (सामान्य)
अनुभाग–3

विषय— पेंशन देयों की स्वीकृति की प्रकिया का विकेंद्रीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि पेंशन प्राधिकार पत्रों के निर्गमन में होने वाली कठिनाईयों के निराकरण के लिए राज्य सरकार ने पार्श्वांकित शासनादेशों

द्वारा प्रदेश के निम्नलिखित चौदह विभागों के पेंशन देयों की स्वीकृति की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण करके इन विभागों से संबंधित कर्मचारियों के पेंशन अथवा अन्य सेवानैवृत्तिक लाभों की स्वीकृति आदि के कार्य को महालेखाकार कार्यालय से वापस लेकर इसे विभागीय मुख्य लेखाधिकारी के माध्यम से करवाने के लिए स्वीकृति प्रदान करते है।

गा०आ०सं०–सा–3–1446/-912/85/दि० 6.8.85
गा०आ०सं०–सा–3–1480/-912/85/दि० 6.8.85
गा०आ०सं०–सा–3–555/-912/85/दि० 19.3.87
गा०आ०सं०–सा–3–2138/-89–912/85/दि० 28.

1– पुलिस विभाग	2– लोक निर्माण विभाग
3– सिंचाई विभाग	4– राजस्व परिषद।
5– व्यापार कर विभाग	6– वन विभाग
7– सचिवालय प्रशासन विभाग	8– खाद्य एवं रसद विभाग।
9– उद्योग विभाग	10– कृषि विभाग
11– ग्राम्य विकास विभाग	12–पशुपालन विभाग
13– शिक्षा विभाग	14– विधान सभा/विधान परिषद

2– उपरोक्त विभागों के अतिरिक्त अन्य सभी विभागों के सरकारी कर्मचारियों के सेवानैवृत्ति लाभों, यथा पेंशन, ग्रेच्युटी, पेंशन की राशिकरण आदि के प्राधिकार पत्रों के निर्गमन के कार्य को दिनांक 01 अक्तूबर, 1988 से महालेखाकार उत्तर प्रदेश से वापस लेकर उसे शासन के कार्यालय ज्ञान संख्या– सा–3 893/दस–88–912/85 दि० 02 जून, 1988 द्वारा स्थापित पेंशन निदेशालय द्वारा संपादित किये जाने के आदेश जारी किए गए थे। पेंशन देयों की स्वीकृति के विकेंद्रीकरण संबंधी योजना के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण उपरोक्त संदर्भित शासनादेश में किया गया है।

3– पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के अधिकार के प्रतिनिधायन की प्रक्रिया में ऐसा अनुभव किया गया है कि अभी कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण की दिशा में अपेक्षित गति नहीं प्राप्त की जा सकी है और पेंशन निदेशालय उत्तर प्रदेश व अन्य विभागों में अधिक संख्या में पेंशन प्रकरण लंबित हैं। अतएव सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त योजना के आधार पर ही दिनांक 31 जुलाई 1996 अथवा उसके उपरान्त सेवा निवृत्त होने वाले आपके विभाग के सरकारी सेवकों के संबंध में भी पेंशनीय लाभों की स्वीकृति एवं भुगतानादेश जारी करने का कार्य पेंशन निदेशालय उत्तर प्रदेश के बजाय आपके विभाग के वित्त नियंत्रक द्वारा संपादित किया जायेगा। आपके विभाग में इस योजना को लागू करने हेतु विस्तृत रूपरेखा वही रहेगी जैसी कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 6 अगस्त 1985 (प्रतिलिपि संलग्न) में जारी की गइ है। उक्त शासनादेश के पैरा–1 (19) में जारी आदेशों में शासनादेश संख्या–सा–3–50–86/दस–912/85 दि० 3 जनवरी 1986 (प्रतिलिपि– संलग्न) द्वारा किंचित संशोधन कर दिया गया है।

4– शासनादेश संख्या–3–1713/दस/90–933/89 दि० 28 जुलाई 1989 में पेंशन प्रकरणों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था का उल्लेख है। उक्त शासनादेश की एक प्रति आपके मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है। इसी के साथ आपकी सुविधा हेतु पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश की प्रति भी संलग्न है।

5– उपरोक्त कार्य के संपादन हेतु कोई अतिरिक्त स्टाफ नहीं दिया जायेगा। इस कार्य हेतु अपने वर्तमान स्टाफ से ही कार्य संपादित कराने का कष्ट करें।

कृपया इन आदेशों की प्राप्ति स्वीकार करने का कश्ट करें।

भवदीय
नृपेन्द्र मिश्र
प्रमुख सचिव

संख्या–सा–3–780(1)/दस–901/96 तद्दिनांक

1– महालेखाकार (लेखा) प्रथम एवं द्वितीय आडिट तृतीय एवं चतुर्थ उत्तर प्रदेश लखनऊ

2– निदेशक, कोष्ठागार उत्तर प्रदेश जवाहर भवन लखनऊ
3– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश लखनऊ
4– प्रदेश के समस्त मंडलायुक्त।
5– प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी।
6– प्रदेश के समस्त कोषाधिकारी।
7– संबंधित विभाग के वित्त नियंत्रक।
8– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री इलाहाबाद।
9– निदेशक, पेंशन निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ
10– सचिव कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ
11– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12– निदेशक, सूचना विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को आवश्यक प्रचार हेतु।

आज्ञा से
शिव प्रकाश
संयुक्त सचिव

आवश्यक

संख्या सा—ए—1482/दस—96—10 (4)/95

प्रेषक,

श्री शेखर अग्रवाल,
सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रक) विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1— समस्त मंडलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2— समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
3— समस्त कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांक 10 सितंबर, 1996

विषय— अवशेष पेंशन भुगतान के संबंध में प्रकिया।

महोदय,

1 (सामान्य) भाग—1

मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सी0एस0आर0 के प्रस्तर— 957 के नीचे अंकित राज्य सरकार के निर्णय बिन्दु (3) में यह व्यवस्था है कि यदि पेंशन का आहरण नियमित रूप से नहीं किया जाता है और उसकी अवधि अंतिम आहरण के एक वर्ष से अधिक नहीं है तो उसका भुगतान कोषाधिकारी अपने प्राधिकार से कर सकता है यदि उक्त अवधि एक वर्ष से अधिक है, किन्तु दो वर्ष से अधिक नहीं है तो जिलाधिकारी की स्वीकृति अपेक्षित होगी, किन्तु यदि बकाया पेंशन की अवधि दो वर्ष से अधिक और छः वर्ष से अधिक नहीं है तो आयुक्त की स्वीकृति अपेक्षित होगी।

1— इस संबंध में आपका ध्यान शासनादेश सं0—ए—1—549/ दस – 5(2)/71 दि0 3 जनवरी 1972 की ओर आकृष्ट करना है जिसके प्रस्तर—1 बिन्दु —4 में अवशेष भुगतान की प्रकिया निर्धारित की गई है जो निम्नवत् है।

(4) सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद—956 के अनुसार अगर भारत में भुगतान की जाने वाली पेंशन को एक साल से अधिक अवधि तक आहरित नहीं किया जाता है तो उस पेंशन का भुगतान बन्द कर दिया जाएगा। अनुच्छेद— 957 के अनुसार यदि अवशेष की धनराशि 1,000 रू0 से अधिक हो तो उसे पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी की स्वीकृति के बिना भुगतान नहीं किया सकता। अब यह निश्चय किया गया है कि यदि अवशेष की धनराशि रू0 8100/— या कम हो तो भी पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी की स्वीकृति के बिना ही उसका भुगतान किया जा सकेगा, परन्तु इस भुगतान को करने के लिए उसको जिलाधिकारी के आदेश की आवश्यकता होगी जिसके अधीनस्थ कोषागार से भुगतान किया जा रहा हो।

3— शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि न्यूनतम मूल पेंशन रू0 375 तथा उस पर मंहगाई राहत व अंतरिम राहत की धनराशि मिलाकर 13 माह के बकाया पेंशन अवशेष उक्त शासनादेश में संबंधित जिलाधिकारी के आदेश से पेंशन अवशेष के भुगतान की अधिकतम निर्धारित सीमा रू0 8100/— से काफी अधिक हो जायेगी अतः अवशेष पेंशन के भुगतान के लिए निर्धारित उक्त सीमा प्रक्रिया में संशोधन किया जाना अपरिहार्य हो गया है।

4— अतएव अधिकाधिक पेंशनर लाभांवित हो सके तथा महालेखाकार/विभागों से पत्राचार में समय नष्ट किये बिना ही पेंशन अवशेष का भुगतान पेंशनरों को हो सके। इस दृष्टि से सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय अवशेष पेंशन के भुगतान के संबंध में निम्नवत् प्रकिया निर्धारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

यदि पेंशन का आहरण एक वर्ष से अधिक और दो वर्ष तक नहीं किया गया है तो पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी की स्वीकृति के बिना ही संबंधित जिलाधिकारी की अनुमति से दो वर्ष तक के बकाया पेंशन के अवशेष धनराशि का भुगतान एवं पेंशन आहरण पुनः शुरू किया जा सकेगा। इसी प्रकार यदि पेंशन का आहरण दो वर्ष से अधिक और छः वर्ष्ज तक नहीं किया गया है तो संबंधित मंडलायुक्त की अनुमति से छः वर्ष तक के बकाया पेंशन के अवशेष धनराशि का भुगतान एवं पेंशन आहरण पुनः शुरू किया जा सकेगा। उक्त से ऊपर के पेंशन अवशेष भुगतान/ पेंशन के पुनर्आहरण के प्रकरणों में शासन की स्वीकृति /आदेश प्राप्त होंगे।

5— उपर्युक्त निर्णय के अनुसार सी0एस0आर0 में आवश्यक संशोधन अलग से प्रसारित किये जाएंगे।

आज्ञा से
शेखर अग्रवाल
सचिव
वित्त (व्यय–नियंत्रण) विभाग

संख्या–ए–1–1482(1)/दस–96–10(4)/95 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय तथा महालेखाकार (आडिट) द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

2— डिप्टी चीफ एकाउंटेंट रिजर्व बैंक आफ इंडिया सेंट्रल आफिस मुंबई–1 को इस सहित कि स्टेट बैंक आफ इंडिया को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए जाएं।

3— महाप्रबंधक, स्टेट बैंक आफ इंडिया हेड आफिस, 3 स्टैंड रोड कलकत्ता।

4— उत्तर प्रदेश शासन के समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।

5— सचिवालय के समस्त अनुभाग।

6— वित्त (सामान्य अनुभाग–3 को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि वे कृपया सी0एस0 उक्तानुसार संशोधन के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से
शिवानन्द
संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त(सामान्य) अनुभाग--3
संख्या–सा–3–268 / दस–901 / 94
लखनऊ: दिनांक: 25 मार्च 1997

शुद्धि पत्र

विषय-- राज्य सरकार के पेंशन / पारिवारिक पेंशन भोगियों को अंतरिम राहत की स्वीकृति।

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–सा–3–जी0आई0–11 / दस–901 / 94 दिनांक 13 सितंबर, 1995 के पैरा–3 में की गई व्यवस्था के संबंध में शासन को शंकायें संदर्भित हुई है, जिनका स्पष्टीकरण निम्नरूप से किये जाने का आदेश हुआ है:–

प्रस्तर–3 की वर्तमान व्यवस्था	प्रस्तर–3 की एतदद्वार संशोधित व्यवस्था
3–अंतरिम राहत को एक अलग घटक के रूप में दर्शाया जाए। इस घटक पर कोई मंहगाई राहत अनुमन्य नहीं होगी। अंतरिम राहत की अदायगी करते समय पैसों को निंकटतम रूपये में बदल दिया जाय।	अंतरिम राहत को एक अलग घटक के रूप में दर्शाया जाये। इस घटक पर कोई मंहगाई राहत अनुमन्य नहीं होगी। अंतरिम राहत की अदायगी करते समय पैसों को रूपये में बदल दिया जाए।

शिव प्रकाश
संयुक्त सचिव

सेवा में,
1– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश।
2– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
3– सचिव विधान सभा / विधान परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ
4– राज्यपाल सचिवालय।
5– समस्त मंडलायुक्त / जिलाधिकारी।
6– महालेखागार द्वितीय (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
7– निदेशक, कोषागार उ0प्र0जवाहर भवन लखनऊ
8– समस्त कोषाधिकारी उ0प्र0।
9– निदेशक पेंशन निदेशालय इंन्दिरा भवन लखनऊ।
10– मुख्य लेखाधिकारी, पुलिस, सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण, राजस्व विभाग, वन, खाद्य एवं रसद, उद्योग, कृषि, विकास, पशुपालन, शिक्षा.... उत्तर प्रदेश सचिवालय विधान सभा / विधान परिषद सचिवालय विभाग।
11– पेंशनर्स संघों को निर्धारित सूचना के अनुसार

आज्ञा से

शिव प्रकाश
संयुक्त सचिव

संख्या–सा–3–268 (1) दस–901/94

प्रतिलिपि– निम्नलिखित प्रगत्येक को 50 अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मैनुजिंग डाइरेक्टर, स्टेट बैंक आफ इंडिया, केंद्रीय कार्यालय पोस्ट नं0–512 बंबई 40002

2– जनरल मैनेजर, इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय 14 इंडिया एक्सचेंज प्लसे, कलकत्ता।

3– जनरल मैनेजर, बैंक आफ बडौदा, केंद्रीय कार्यालय ब्रांच एक्सपेंशन प्रोग्राम पोस्ट बाक्स न0–6058–3 फजल रोड आफ कफूपरेड कौलाबा बंबई–।।

4– जनरल मैनेजर, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया प्रधान कार्यालय चन्दरमुखी नान प्वाइंट बंबई, 40002

5– जनरल मैनेजर, पंजाब बैंक 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली (100 प्रतियां)

6– जनरल मैनेजर, यूनियन बैंक आफ इंडिया प्रधान कार्यालय, यूनियन बैंक बिल्डिंग 29 बैकव रिवल्मेशन, नारीमन प्वाइंट बंबई 400020

7– जनरल मैनेजर, बैंक आफ इंडिया प्रधान कार्यालय, एक्सप्रेस टावर्स होम प्वाइंट, पोसट बाक्स नं0 234 बंबई 40002 (एक प्रति)

8– रीजनल मैनेजर इंडिया ओवरसीज बैंक प्रधान कार्यालय, 151 माउंट मद्रास–2

9– जनरल मैनेजर यूनाइटेड कामर्शियल बैंक, प्रधान कार्यालय, ...रोड

10– जनरल मैनेजर, कैनारा बैंक प्रधान कार्यालय 112 जयचम राजेंद्र रोड बाक्स नं0 41 नं0 0648 बंगलौर–2

11– जनरल मैनेजर, सिन्डीकेंट, बैंक प्रधान कार्यालय, पोस्ट बाक्स नंबर 1 मनी क0(कर्नाटक स्टेट।

12– जनरल मैनेजर, देना बैंक प्रधान कार्यालय देवकरन.......... पोसट बाक्स नं0 41 फोर्ट बंबई 40000।

13– जनरल मैनेजर, इंडियन बैंक प्रधान कार्यालय इंडियन बैंक बिल्डिंग पोस्ट बाक्स नं0– 1348, 17 नार्थ बी रोड मद्रास–1।

14– जनरल मैनेजर, बैंक आफ महाराष्ट्र प्रधान कार्यालय, 1177 बुधवार पीठ बाक्स नं0–514 पूना–2।

15– मैनेजर स्टेट बैंक आफ पटियाला–28 कस्तूरबा गांधी मार्ग नई दिल्ली 110001।

16– मैनेजर, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर, प्रधान कार्यालय तिलक मार्ग जयपुर 302005 (500 प्रतियां)

17– चीफ मैनेजर (वित्त एवं लेखा) स्टेट बैंक आफ टावनकोर मुख्य कार्यालय, पोस्ट बाक्स नं0 34 त्रिवेंद्रम 69500।

आज्ञा से
शिव प्रकाश
संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त (सामान्य अनुभाग–3
संख्या सा–3–111/दस–301–97
लखनऊ 1 मई, 1997

कार्यालय ज्ञाप

विषय– राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को मंहगाई राहत की स्वीकृति।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–सा0–3–1206/ दस– 301 –95 दिनांक 22 अक्तूबर, 1996 जिसके द्वारा मंहगाई राहत की एक किस्त 1 मई, 1996 से स्वीकृत की गई थी के कम में राज्यपाल महोदय ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनर, पारिवारिक पेंशनरों के लिए मंहगाई के 608 औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई अतिरिक्त वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञान दिनांक 22 अक्तूबर, 1996 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 1 जनवरी 1997 से मंहगाई राहत की दरें निम्नानुसार निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है:–

पेंशन/पारिपारिक पेंशन प्रतिमाह मंहगाई राहत की मासिक दर

1–रू01750 से अनाधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 170 प्रतिशत
2–रू01750 से अधिक किन्तु, रू03,000 से अनधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशनक I 128 प्रतिशत किन्तु न्यूनतम रू02975
3– रू0 3000 से अधिक	पेंशन का 110 प्रतिशत किन्तु न्यूनतम रू03840

2– मंहगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के गुणांक में अगणित होगी उसे अगले रूपये में राउंड कर दिया जायेगा।

3– 1 जनवरी 1997 एवं उसके बाद अनुमन्य मंहगाई राहत जैसी इन आदेशों के अंतर्गत देय है का एक रेडी–रेकनर संलग्न किया जा रहा है। यदि रेडी रेकनर में दर्शाये गए अंकों में कोई त्रुटि पाई जाये तो कोषाधिकारी द्वारा इन आदेशों के अनुसार आवश्यक संशोधन करके भुगतान कर दिया जाए तथा शासन की जानकारी में भी लाया जाए।

4– यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपकम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

5– यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

6– शासन के कार्यालय ज्ञान सं0–ए–1–252/दस–10 (3) 81 दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन अधिकारियों/ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस कार्यालय ज्ञान के अंतर्गत अनुमन्य मंहगाई राहत का भुगतान संलग्न रेडी रेकनर के आधार पर कर दिया जायेगा।

7– मंहगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में अन्य शर्ते एवं प्रतिबंध जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेश निर्धारित हैं पूर्ववत लागू रहेंगे।

आनन्द मिश्र
सचिव

सेवा में

उ0प्र0 शासन के प्रमुख सचिव, समस्त सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं पूर्व में निर्धारित वितरण सूची में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण।

उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त (राजस्व) अनुभाग
सख्या–सा 3–1722/दस–309/97
दिनांक 23 दिसम्बर, 1997
कार्यालय ज्ञाप

विषयः वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 1997 की संस्तुतियों का स्वीकार किए जाने के फलस्वरू पुनरीक्षित/समेकित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर मंहगाई राहत की स्वीकृति हेतु।

वेतन समिति उत्तर प्रदेश 1997 द्वारा राज्य सरकार के सिविल पेंशन/ पारिवारिव पेंशन के अभिनवीकरण/पुनरीक्षण हेतु की गई संस्तुतियों को स्वीकार कर लिया गया है तथा तदनुसार दिनांक 1.1.1996 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत पेंशनर एवं दिनांक 1.1.1996 को अथवा इसके उपरान्त सेवानिवृत्त/मृत पेंशनरों की पेंशन/ पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के संदर्भ में कार्यालय ज्ञान संख्या–सा–3–1721 /दस–308–97 दिनांक 23.12.97 एवं कार्यालय ज्ञान संख्या सा–3–1720 /दस–308/97 निर्गत किये जा चुके हैं। इस संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि औसत मंहगाई मूल्य सूचकांक 1510 तक के मंहगाई राहत के समायोजन के उपरान्त निम्नलिखित तिथियों एवं संगणक (संलग्न)में दर्शायी गई दरों पर मंहगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की है।:–

अवधि	मंहगाई राहत की दर
दि01.7.96 से 31.12.96	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 4 प्रतिशत
दि01.1.97 से 30.6.97	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 8 प्रतिशत
दि01.7.97 से आगे	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 13 प्रतिशत

1– ऐसी पेंशन/पारिवारिक पेंशन सम्मिलित है जिनमें कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की दिनांक 1.1.96 के पूर्व है एवं जिन मामलों में पारिवारिक पेंशन दि0 1.1.96 से पूर्व स्वीकृत की गई है तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या सा–3–172/दस–308–97 दि0 23.12.97 के अधीन दिनांक 1.1.96 से समेकन किया गया है।

2– ऐसे प्रकरणों में जिनमें सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति दिनांक 1.1.96 को अथवा उसके उपरान्त हुई एवं जिन प्रकरणों में पारिवारिक पेंशन प्रथम बार दि0 1.1.96 को अथवा उसके उपरान्त स्वीकृत हुई है, जिनका विवरण कार्यालय ज्ञान संख्या–सा–3–1720/दस–308–97 दिनांक 23.12.97 के अनुसार किया गया है उनमें स्वीकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन की मूल पेंशन एवं मूल पारिवारिक पेंशन मानी जायेगी।

1.2 महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपया के गुणांक मे अगणित होगी उसे अगले रूप्ये मे राउंड कर दिया जायेगा।

1.3 पेंशन/पारिवारिक पेंशन को महंगाई राहत के भुगतान के संदर्भ में यथा सेवायोजित/पुनर्योजित पेंशनर एवं जिन मामलों में एक से अधिक पेंशनें अनुमन्य है शेष व्यवस्था पूर्ववत रहेगी।

1.4 दिनांक 17.96 ये 31.12.96 तक दिनांक 1.1.97 से 30.6.97 तक एवं दिनांक 1.1.97 ये स्वीकृत मंहगाई राहत से संबंधित दर एवं धनराशि का एक संगणक संलग्न है। यदि संगणक में दर्शाये गये अंकों में कोई त्रुटि पायी जाए तो कोषाधिकारी द्वारा इन आदेशों के अनुसार आवश्यक संशोधन करके भुगतान कर दिया जाय तथा शासन की जानकारी में भी लाया जाए।

2– कार्यालय ज्ञान संख्या–सा–3–1206/दस–301 –96 दि0 22.10.96 एवं कार्यालय ज्ञान सं0–सा–3–111/दस–301–97 दिनांक 1.5.97 द्वारा पूर्व में दिना 1.7.96 से एवं 1.1.97 से स्वीकृत महंगाई राहत, जिसे सरकारी पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को भुगतान किया जा चुका है, को इस आदेश से अतिक्रमिक करते हुए भुगतान की गई संपूर्ण धनराशि को इन आदेशों के अनुसार स्वीकृत

मंहगाई राहत से समायोजित कर ली जायेगी। यदि उपरोक्तानुसार समायोजन के उपरान्त भी कोई धनराशि समायोजन हेतु शेष रहती है तो उसे भविष्य में स्वीकृत होने वाली महंगाई राहत से समायोजित किया जायेगा।

3(1) शह आदेश सभी सरकारी सिविल पेंशन/पारिवारिक पेंशनरों पर लागू होगी।

3(2) यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के पेंशनरों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4— शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—ए—1—252/दस—10(3)—81 दि0 27.4.82 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान कोषाधिकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के अंतर्गत अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान संलग्न संगणक के आधार पर कर दिया जायेगा। महंगाई राहत स्वीकार करने के संबंध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व शासनोदशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत लागू रहेंगे।

5— इन आदेशों के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि के समेकन के उपरान्त अनुमन्य धनराशि के अवशेष का भुगतान दि01.10.97 से नकद किया जायेगा दि0 1.1.96 से 30997 की अवधि के अवशेष का भुगतान दो समान किस्तों में होगा। प्रथम किस्त का भुगतान 31.3.98 किया जायेगा तथा द्वितीय किस्त का भुगतान 31.7.98 तक किया जायेगा, किन्तु जिन प्रकरणों में दि0 1.1.96 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु उपर्युक्त प्रकार से अनुमन्य अवशेष धनराशि की प्राप्ति से पूर्व हो गई है उनमें स्व0 कर्मचारी के पात्र उत्तराधिकारी को समस्त अवशेष का भुगतान एकमुश्त नकद किया जायेगा।

आलोक रंजन
सचिव
वित्त।

सेवा में

उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव,समस्त सचिव, विभागध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं पूर्व से निर्धारित वितरण सूची में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण।

संख्या'–सा0–3–1513/दस–97–2/81 (टी0सी)

प्रेषक,

श्री आलोक रंजन,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागध्यक्ष तथा
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश

लखनऊ दिनांक 12 नवंबर 1997

विषय– नई पारिवारिक पेंशन योजना 1965 के अधीन पारिवारिक पेंशन को पात्रता–विकलांग तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त सन्तानों को पारिवारिक पेंशन का वितरण।

महोदय,

(सामान्य) ग–3

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश संख्या 1155/दस–2 /81 दिनांक 6 अगस्त 1981 में यह व्यवस्था की गई है कि किसी सरकारी कर्मचारी के परिवार में कोई पुत्र/पुत्री मानसिक रूप से विक्षिप्त/ शरीर से विकलांग है और मुख्य चिकित्साधिकारी या उसके समकक्ष चिकित्साधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है कि वह अपने जीविकोपार्जन करने में असमर्थ है तो माता तथा पिता की मृत्यु के उपरान्त ऐसे विकलांग/मानसिक रूप से विक्षिप्त सन्तान आजीवन अथवा जीविकोपार्जन करने की तिथि जो भी पहले हो तक पारिवारिक पेंशन मिलेगी। शासनादेश दि0 6 अगस्त 1981 के प्रस्तर–2 (1) में यह प्रतिबन्ध है कि ऐसे विकलांग/मानसिक विक्षिप्तता कर्मचारी को सेवाकाल में परिलक्षित हो गई हो इस शासनादेश की शर्त संख्या– 2 (5) में यह व्यवस्था की है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त अथवा विकलांग पुत्र अथवा पुत्री कोआजीवन पारिवारिक पेंशन इस प्रकार संरक्षक के माध्यम से दी जायेगी। जैसे वह पुत्र/पुत्री अव्यस्क हो उपरोक्त प्रस्तर 2(1) एवं 2 (5) व्यवस्था के रहते पारिवारिक पेंशनरों को कठिनाई हो रही है तथा यह भी अनुभव किया गया कि ऐसी सन्तानें लाभ से वंचित हो रही हैं जिसकी विकलांगता/मानसिक विक्षिप्तता कर्मचारी की सेवानिवृत्त के उपरान्त परिलक्षित हुई है।

2– अतः सरकारी सेवक एवं उनके परिवार की कठिनाईयों पर सम्यक रूप से विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने शासनादेश दि0 6 अगस्त 1981 के प्रस्तर–2 (1) तथा 2(5) में निहित व्यवस्था को निम्नवत् संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है:–

क– पुत्र/पुत्री की विकलांगता/मानसिक विक्षिप्तता यदि कर्मचारी की सेवाकाल के उपरान्त भी परिलक्षित हुई हो तो उसे पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी बशर्ते उसे किसी अन्य नियम के अधीन पारिवारिक पेंशन नहीं मिल रही है।

ख– शारीरिक रूप से विकलांग व्यस्क संतान यदि वह स्वयं पेंशन प्राप्त करने में सक्षम हो तो पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने हेतु संरक्षक नियुक्त किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

3– उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दि0 6 अगस्त 1981 इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय

आलोक रंजन
सचिव

संख्या'–सा0–3–1513/दस–97–2/81 (टी0सी) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– महालेखाकार प्रथम तथा तृतीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद
2– महालेखाकार द्वितीय उत्तर प्रदेश लखनऊ
3– सचिव विधान सभा/विधान परिषद लखनऊ
4– सचिवालय के समस्त अनुभाग
5– निदेशक, पेंशन निदेशालय उ0प्र0लखनऊ
6 समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी

आज्ञा से

विजय बहादुर सिंह
संयुक्तसचिव

विभाग –3

संख्या– 568 / वि0अनु0–1/2002

प्रेषक,

श्री इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 13 जून, 2002

विषय :– रेवेन्यू रिकवरी (उ0प्र0संशोधन)अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत वसूली प्रमाण–पत्र पर वसूल किये जाने वाले, प्रदेशीय सरकार के अतिरिक्त अन्य देयों की वसूली के व्यय का निर्धारण।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रेवेन्यू (उ0प्र0संशोधन) अधिनियम 1965 (उ0प्र0अधिनियम ग्यारह, 1965) की धारा 5 तथा तदधीन बने नियमों के अन्तर्गत वसूली प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर प्रदेशीय शासन के विभागों को छोड़कर अन्य सरकारी, अर्द्धशासकीय संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों को देयों की वसूली जिला अधिकारियों द्वारा भू–राजस्व के बकाये की भांति की जाती है।

2– राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या–285/11–96 (2-8–76) राजस्व–7, दिनॉक 30.08.74 द्वारा यह निर्णय लिया गया था प्रदेशीय शासन के विभागों को छोड़कर अन्य सरकारी, अर्द्धशासकीय संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के देयों की भू राजस्व की बकाया की भांति वसूली किये जाने की दशा में वसूली का व्यय वसूली की गई, धनराशि के 6.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया जाय।

3– राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या–285/11–96 (2–8–76)–राजस्व–7, दिनॉक 30 अगस्त, 1974 पर सम्यक रूप से विचार कर शासन द्वारा इस शासनादेश में उ0प्र0 की भांति निम्न संशोधन किये जाते हैं :–

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों की गैर निष्पादित आस्तियों को कम करने के सम्बन्ध में लागू की गयी "एकमुश्त समाधान योजना" के अन्तर्गत बैंकों द्वारा उ0प्र0लोकधन (देयों की वसूली) अधिनियम अथवा उ0प्र0कृषि उधार अधिनियम के अन्तर्गत निर्गत वसूली प्रमाण पत्रों के सापेक्ष अतिदेयों के भुगतान हेतु एकमुश्त समझौता राशि पर 10 प्रतिशत संग्रह व्यय लिया जाये तथा बैंकों और राजस्व विभाग के संयुक्त निरीक्षण में पाये गये वसूली प्रमाण पत्रों के सन्दर्भ में जहॉ वसूली सम्भव नहीं है, उक्त धनराशि को सम्बन्धित बैंकों द्वारा "राइट आफ" किये जाने के आधार पर वसूली प्रमाण पत्र वापस किये जाने पर 10 प्रतिशत वसूली व्यय न लिया जाय।

यह आदेश राजस्व विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं अनुरोध है कि कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव।

संख्या–658 / 18(1) / 2006

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
नैनीताल, उधमसिंहनगर, चम्पावत,
हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी एवं टिहरी गढ़वाल।

राजस्व विभाग देहरादून दिनांक : 28 सितम्बर, 2006

विषयः– प्रदेश में वर्ग–4 की भूमि के अवैध कब्जों का विनियमितीकरण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में खतौनी के वर्ग 4 में दर्ज भूमि पर अनधिकृत कब्जों की समस्या काफी पुरानी है तथा इस समस्या के निदान हेतु विनियमितीकरण के आदेश पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य द्वारा भी समय--समय पर किये गये हैं। दिनाँक 03.06.1995 तक के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के अवैध कब्जों को पूर्ववर्ती उ0प्र0 सरकार द्वारा विनियमित किया जा चुका है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के उक्त अवधि के अवैध कब्जे 3.125 एकड़ तक के ही निःशुल्क विनियमित किये गए थे। अन्य वर्गों के मामले में अनधिकृत कब्जों को 1381 फसली (30 जून, 1974) तक सशुल्क नियमित किया जा चुका है। किन्तु यह समस्या अभी भी विद्यमान है। अतः शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश में वर्ग--4 की भूमि के अवैध कब्जों को विनियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया है। विनियमितीकरण के लिये निम्न सिद्धान्त एवं शर्ते होंगी :–

1. जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा–132 के अन्तर्गत आने वाली भूमि (सार्वजनिक उपयोग जैसे– चकमार्ग, गूल, खलिहान, कब्रिस्तान, श्मशानघाट, चरागाह आदि) का विनियमितीकरण नहीं किया जायेगा।

2. जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा-132 के अन्तर्गत आने वाली भूमि (सार्वजनिक उपयोग जैसे– चकमार्ग, गूल, खलिहान, कब्रिस्तान, शमशानघाट, चरागाह आदि) पर यदि अवैध कब्जा पाया जाता है, तो उसे पहले खाली कराया जायेगा, और तब उस किसान की अन्य वर्ग–4 की भूमि का विनियमितीकरण किया जायेगा।

3. किसी किसान की वर्ग–4 की भूमि का विनियमितीकरण करने से पूर्व तहसीलदार को यह प्रमाण--पत्र देना होगा, कि जिस किसान की वर्ग–4 की भूमि विनियमित की जा रही है, उस किसान के पास धारा--132 के अधीन आने वाली भूमि अवैध कब्जे में नहीं है।

...........(2)

4. वर्ग- 4 की उस भूमि का विनियमितीकरण जिसका वाद मा0 न्यायालय में लम्बित है, इस शर्त के अधीन किया जायेगा कि विनियमितीकरण मा0 न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

5. विनियमितीकरण की यह नीति 1390 फसली अर्थात् दिनांक 30–6–1983 तक के अनधिकृत कब्जों पर ही लागू होगी।

6. विनियमितीकरण की यह नीति जनपद हरिद्वार, उधमसिंहनगर, नैनीताल की तहसील हल्द्वानी, लालकुंआ, रामनगर, कालाढूंगी एवं जनपद चम्पावत की तहसील पूर्णागिरी तथा जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर, देहरादून, ऋषिकेश, जनपद पौड़ी गढ़वाल की तहसील कोटद्वार व जनपद टिहरी गढ़वाल के ढालावाला क्षेत्र की वर्ग–4 की भूमि के लिये ही है। गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के कारण पर्वतीय जनपदों एवं क्षेत्रों में यह नीति लागू नहीं की जा रही है।

7. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की अपनी भूमि को सम्मिलित करते हुए वर्ग–4 की उतनी ही भूमि का विनियमितीकरण निःशुल्क किया जाये, जिसको मिलाकर उनके पास कुल 3.125 एकड़ भूमि से अधिक भूमि न हो।

8. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कब्जेदारों के लिए उनकी अपनी एवं वर्ग--4 की कब्जे की भूमि को मिलाकर 3.125 एकड़ से अधिक परन्तु 12.5 एकड़ से अनाधिक भूमि का विनियमितीकरण कब्जे की अवधि का भूराजस्व का बीसगुना तथा जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के 25 प्रतिशत नजराना लेकर कर दिया जाय।

9. सामान्य वर्ग के लिये, अपनी भूमि को सम्मिलित करते हुए वर्ग--4 की उतनी ही भूमि का विनियमितीकरण निर्धारित सर्किल रेट का 10 प्रतिशत नजराना जमा करने पर किया जायेगा, जिसको मिलाकर उनकी कुल भूमि 3.125 एकड़ तक हो जाये।

10. नगरीय क्षेत्र के भूमिहीनों को वर्ग–4 की 100 वर्ग मीटर तक भूमि का विनियमितीकरण कब्जे की अवधि का भूराजस्व का दोगुना तथा जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत नजराना लेकर कर दिया जाय।

11. यदि किसी व्यक्ति के पास वर्ग–4 की भूमि को सम्मिलित करते हुए विनियमितीकरण के बाद 3.125 एकड़ से अधिक भूमि है, तो उसकी 6.25 एकड़ तक भूमि का विनियमितीकरण कब्जे की अवधि का भूराजस्व का बीसगुना तथा जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 50 प्रतिशत नजराना जमा करने पर किया जाये।

........(3)

12. यदि किसी व्यक्ति के पास वर्ग–4 की भूमि को सम्मिलित करते हुये 6.25 एकड़ से अधिक भूमि है, तो उसकी 12.50 एकड़ (अधिकतम सीलिंग सीमा) तक भूमि का विनियमितीकरण कब्जे की अवधि का भूराजस्व का बीसगुना तथा जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 75 प्रतिशत नजराना जमा करने पर किया जाये।

13. शासनादेश संख्या–150/3/89/(206)–राजस्व–6 दिनांक 19 जुलाई, 1989 में दी गयी व्यवस्था के तहत जिन्होंने (30–6–1974 तक के अवैध कब्जे) विनियमितीकरण हेतु सम्पूर्ण धनराशि दिनांक 31–12–1989 तक जमा कर दी है, उनका विनियमितीकरण बिना किसी अतिरिक्त नजराने लिये किया जाये।

14 विनियमितीकरण हेतु पात्र अध्यासियों की पहचान उनका नाम खतौनी के श्रेणी–4 में अंकित अभिलेख से ही किया जायेगा। खतौनी में अंकित व्यक्ति के ऐसे भूमि पर कब्जे का सत्यापन तहसील स्तर पर किया जायेगा। तथा सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र दिया जायेगा।

15– उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ग–4 के अवैध काबिज भूमि का विनियमितीकरण पूर्व की भांति गवर्मेन्ट ग्रान्ट एक्ट 1895 के अनुसार पट्टे देकर किया जायेगा।

16– वर्ग–4 के ऐसे अध्यासी जिनकी मृत्यु वर्ष 1390 फसली के बाद हुई हो, उनके वारिसान के पक्ष में यह सन्तोष कर लेने के बाद नियमितीकरण कर दिया जाय कि जमींदारी विनाश अधिनियम, 1950 में उपबन्धित व्यवस्था के अनुसार मृतक अध्यासी के उत्तराधिकारी ही प्रश्नगत भूमि पर काबिज है।

17– खतौनी के वर्ग–4 के ऐसे खातों में जहां अनधिकृत अध्यासियों का नाम संयुक्त रूप से अंकित है और उनमें, भिन्न–भिन्न परिवारों के व्यक्ति भी शामिल हैं, ऐसे मामलों में यदि किसी डीड के आधार पर संयुक्त अध्यासियों के हिस्से भिन्न–भिन्न हैं, तो उसी के अनुसार नियमितीकरण किया जाय, अन्यथा उनके हिस्से बराबर मानकर कार्यवाही की जाय। यह ध्यान रखा जाय कि संयुक्त कब्जे की भूमि उपरोक्तानुसार पट्टे पर दिये जाने से किसी व्यक्ति के परिवार के पास नियमितीकरण के उपरान्त सीलिंग सीमा के अधिक भूमि न होने पावे।

18· वर्ग–4 की भूमि पर अनधिकृत काबिज जो अध्यासी उक्त योजना का लाभ प्राप्त कर विनियमितीकरण नहीं करायेंगे, उनके विरूद्ध नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

..............4

19· नियमितीकरण की इस योजना की अवधि 30 जून, 2007 तक ही रहेगी।

20-- अतः अनुरोध है कि 1390 फसली से पूर्व के वर्ग–4 के अनधिकृत कब्जों को नियमित करने की उपरोक्त योजना को शीघ्रताशीघ्र पूर्ण कराया जाय और अपने स्तर पर प्रत्येक पक्ष में इसकी साप्ताहिक समीक्षा करके प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। मण्डलायुक्तों द्वारा भी अपनी मासिक बैठक में इसकी प्रतिमाह समीक्षा करके सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1– अपर मुख्य सचिव तथा वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तरांचल।
2– अवस्थापना विकास आयुक्त, उत्तरांचल।
3– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
4– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
5– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
6– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
7– आयुक्त, कुमॉऊ/गढ़वाल मण्डल।
8- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर उत्तरांचल।
9 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
अनु सचिव।

संख्या–568(1)/वि0अनु0–1/2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. मुख्य राजस्व आयुक्त।
3. मण्डलायुक्त, कुमॉऊ एवं गढवाल मण्डल
4. निदेशक, बीमा निदेशालय, उत्तरांचल।

आज्ञा से,
ह0/–
(राधा रतूडी)
अपर सचिव।

संख्या : 429/18(1)/2005

प्रेषक,

सोहन लाल,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व विभाग देहरादून : दिनॉक : 5 अगस्त, 2005

विषय :— अनुसूचित जाति की बन्धक भूमि की वसूली प्रक्रिया में की गई नीलामी के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या--2468/ सी0 आर0 ए0 —2005 दिनॉक 4 अप्रैल, 2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा—157—ख, 157—ग व 157 का सम्मिलित परिणाम यह है कि ऋण न चुकाये जाने की स्थिति में ऋण वसूलने के लिये नीलामी होगी और नीमाली में उच्चतम बोली बोलने वाले को भूमि का अन्तरण किया जायेगा। यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा अन्तरण अनुसूचित जनजाति के ही व्यक्ति को हो। हर व्यक्ति इसके लिये अधिकृत है। कोई भी व्यक्ति बोली में भाग ले सकता है।

2— कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमांयू मण्डल, उत्तरांचल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

आज्ञा से,
ह0/—
(सोहन लाल)
अपर सचिव।

उत्तरॉचल शासन
भूमि संसाधन शाखा (राजस्व)
संख्या–1157 / राजस्व / 2002
देहरादून : दिनॉक 07 अक्टूबर, 2002

कार्यालय ज्ञाप

श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश सेवा संघों को मान्यता नियमावली–1979 के नियम–3(1) के प्राविधानों के अनुसार एवं उक्त नियमावली मे उल्लिखित नियमों/शर्तो के अधीन उत्तरॉचल राजस्व संग्रह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, राजस्व विभाग, उत्तरॉचल को मान्यता प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(एस0के0दास)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 1157 (1)/राजस्व/2002, तद्दिनॉक ।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरॉचल, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरॉचल।
4. श्री गोबिन्दसिंह नेगी, प्रान्तीय अध्यक्ष, राजस्व संग्रह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, उत्तरॉचल, तहसील सदर, देहरादून।
5. कार्मिक अनुभाग, उत्तरॉचल सचिवालय।

आज्ञा से,
ह0/–
(सोहन लाल)
अपर सचिव।

उत्तरांचल शासन
राजस्व विभाग
संख्या : 398/18(1)/2005
देहरादून : दिनाँक : 24 अक्टूबर, 2005

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से राजस्व विभाग, उत्तरांचल में कार्यरत् संग्रह चपरासी का पद नाम निम्नलिखित प्रतिबन्ध के अधीन "संग्रह परिचारक" किया जाता है।

इस पदनाम परिवर्तन के फलस्वरूप उक्त पदधारकों के कार्य की प्रकृति तथा उनके वेतनमान व अन्य परिलब्धियाँ पूर्वधारित पद के ही रहेंगे। उक्तानुसार सम्बन्धित सेवा नियमावली में यथासमय संशोधन कर दिया जायेगा।

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
2. सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तरांचल शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल/कुमांयू मण्डल, उत्तरांचल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5. श्री गोबिन्द सिंह नेगी, अध्यक्ष, राजस्व संग्रह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, उत्तरांचल।
6. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तरांचल शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ह0/–
(सोहन लाल)
अपर सचिव।

संख्या : 719/18(1)/2005

प्रेषक,

सोहन लाल,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

राजस्व विभाग देहरादून : दिनॉक 30 नवम्बर, 05

विषय :– राजस्व संग्रह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ उत्तरांचल के दिनांक 23 व 24 दिसम्बर, 2005 को हो रहे तृतीय द्विवार्षिक राज्य स्तरीय अधिवेशन हेतु अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहना है कि श्री गोबिन्द सिंह नेगी, प्रान्तीय अध्यक्ष, राजस्व संग्रह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ उत्तरांचल के पत्र संख्या–100/संघ/2005 दिनांक 25–10–05 द्वारा सूचित किया गया है कि संघ का द्विवार्षिक अधिवेशन दिनांक 23 व 24 दिसम्बर, 2005 को जनपद देहरादून की सदर तहसील में सम्पन्न होगा।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एम0जी0ओ0 के पैरा–1087 के अन्तर्गत उक्त मान्यता प्राप्त संघ के प्रान्तीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 23 व 24 दिसम्बर, 2005 (दो दिन) का विशेष आकस्मिक अवकाश मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0/–
(सोहन लाल)
अपर सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल।
2. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
3. श्री गोबिन्दसिंह नेगी, प्रान्तीय अध्यक्ष, राजस्व संग्रह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, उत्तरॉचल, कमरा नं0–19, तहसील सदर, देहरादून।

आज्ञा से,
(सोहन लाल)
अपर सचिव।

संख्या : 249 / 18(1)/2006

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।	आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।

राजस्व विभाग देहरादून : दिनॉक 16 माच, 2006

विषय :— भू–राजस्व के अवशेष की बकाया के रूप में बोक्सा जनजाति के किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी वसूली प्रमाण–पत्र के तहत वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में लाया गया है कि बोक्सा जनजाति के बकायेदारों के विरुद्ध पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दिये गये बवशेष ऋण की वसूली के लिये जो वसूली प्रमाण–पत्र जारी किये जाते हैं, उन प्रमाण–पत्रों को आपके जनपद में इस आधार पर वापस कर दिया गया है कि इन बकायादारों की भूमि की नीलामी नहीं की जा सकती है।

इस संबंध में मुझे यह कहने के निदेश हुये हैं कि अवशेष देयों की वसूली के विरुद्ध उक्त श्रेणी के बकायेदारों की भूमि की नीलामी नियमानुसार की जा सकती है। अतः भविष्य में उक्त आधार पर वसूली प्रमाण–पत्रों को वापस न किया जाय। इस संबंध में शासनादेश संख्या–429/18(1)/ 2005 दिनांक 5.8.2005 एवं शासनादेश संख्या–429(1)/18(1)/2005 दिनांक 20.09.2005 पूर्व में भी जारी किया जा चुका है।

भवदीय,
ह0/–
(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. चीफ मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक, जोनल आफिस, क्लॉक टावर, देहरादून को उनके पत्र संख्या–ZOU:P&D:Misc 49 दिनांक 06 मार्च, 2006 के संदर्भ में प्रेषित।
2. सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उत्तरांचल, जोनल आफिस, 1–न्यु कैन्ट रोड़, देहरादून को उनके पत्र संख्या–आ0का0/एस0एल0बी0सी0/624 दिनांक 09 मार्च, 2006 के क्रम में प्रेषित।

आज्ञा से,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या ' 66मु0मं0/18(1)/2006

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी (हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर को छोड़कर)
उत्तरांचल।

राजस्व विभाग देहरादून : दिनॉक : 16 मई, 2006

विषय : पर्वतीय राजस्व सीजनल संग्रह अमीन एवं संग्रह परिचारक संघ, उत्तरांचल द्वारा दिनांक 7.2.2006 से 4.4.2006 तक किये गये धरना, प्रदर्शन आदि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्वतीय सीजनल राजस्व संग्रह अमीन एवं संग्रह परिचारक संघ के पत्र दिनांक 4.4.2006 के सन्दर्भ में मझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्वतीय सीजनल राजस्व संग्रह अमीन एवं संग्रह परिचारक संघ द्वारा दिनांक 7.2.2006 से दिनांक 4.4.2006 तक आयोजित प्रदर्शन/हड़ताल में सम्मिलित सीजनल संग्रह अमीन एवं परिचारकों के विरुद्ध उक्त अवधि के वेतन आहरण को छोड़ते हुए, किसी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्यवाही न की जाये।

भवदीय,
ह0/-
(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(सोहन लाल)
अपर सचिव।

विभाग—7

संख्या—1599 / एक—1 / 2000—8(8) / 1980—रा0—1

प्रेषक,

योगेश कुमार,
सचिव,
उ0 प्र0 शासन,
राजस्व विभाग।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग (1) लखनऊः दिनांकः 02 अगस्त, 2000

विषय— उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम,1982 उ0प्र0 अधिनियम संख्या—20 1982) द्वारा विभिन्न अधिनियमों में किये गये महत्वपूर्ण संशोधनों का आशय कार्यान्वयन की सुविधा हेतु स्पष्ट किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को सम्बोधित एवं अन्य को पृष्ठांकित राजस्व अनुभाग—1 से निर्गत शासनादेश संख्या—133 / 8—(8) / रा0 1980 दिनांक 18 अक्टूबर, 1982 के अनुकम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेशों के पृष्ठ —4 के उप प्रस्तर (3) में उत्तर प्रेदश जमींदारी विनाश और भूमि ब्यवस्था अधिनियम, 1950 में एक नई धारा 211 जोड़कर जिसमें अनुसूचित जनजाति के ब्यक्ति की भूमि पर यदि किसी ब्यक्ति द्वारा कब्जा कर लिया गया हो, तो उसे बेदखल कर खातेदार को कब्जा दिलाये जाने की ब्यवस्था की गयी है, से अवगत कराते हुए, उक्त नई धारा के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाहियों के सम्बन्ध में रिट याचिका स्वर्ण सिंह बनाम शासन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 23 सितम्बर ,1981 को स्थगन आदेश पारित कर दिये जान की सूचना देते हुए उक्त स्थगन आदेश के समाप्त होने तक उक्त धारा 211 के अन्तर्गत कार्यवाही स्थगित रखे जाने का परामर्श दिया गया था।

2— इस संबंध में आपसे यह कहने का मुझे निदेश हुआ है कि रिट याचिका संख्या—11804 / 1981 स्वर्णसिंह तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश स्टेट तथा अन्य को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने दिनांक 03.01.1991 को खारिज कर दिया है। इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 23.09.1981 निष्प्रभावी हो चुका है। अतः कृपया उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि ब्यवस्था अधिनियम,1950 की धारा 211 के अन्तर्गत यदि कोई कार्यवाही स्थगित / वांछित हो तो उस पर विधिवत् आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(योगेश कुमार),
सचिव।

संख्या–1599 (1)/एक–1/2000–8(8)/1980 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– उक्त शासनादेश के क्रम में निम्नलिबिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद , उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. चकबन्दी, आयुक्त उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
4. कृषि उत्तपादन आयुक्त,उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. प्रमुख सचिव गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन,लखनऊ।
6. सचिव, समाज कल्याण विभाग,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
7. पुलिस महानिदेशक,उत्तर प्रदेश लखनऊ।
8. निदेशक समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
(कैलाश प्रकाश),
संयुक्त सचिव।

उत्तरांचल शासन
भूमि संसाधन शाखा,
(राजस्व विभाग)
संख्या–2241/राजस्व/2001
देहरादून–दिनांक 16 जुलाई,2001

अधिसूचना

चूँकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधि को, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में,ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकती है। जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा चूकि उत्तर प्रदेश जंमीदारी विनाश और भूमि ब्यवस्था अधिनियम,1950, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा–86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में लागू है,

अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम–2000 (अधिनियम संख्या–29 सन् 2000),की धारा–87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुऐ राज्यपाल सहर्ष निदेश देते है। कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि ब्यवस्था अधिनियम,1950, उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्रविधानो के अध्यधीन लागू रहेगा:–

उत्तर प्रदेश(जमीदारी विनाश एवं भूमि ब्यवस्था अधिनियम, 1950)
(उत्तरालच अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश),2001

1. (1) यह आदेश उत्तर प्रदेश जंमीदारी विनाश और भूमि ब्यवस्था अधिनियम (उत्तरांचल अनुकूलन उपान्तरण आदेश), 2001 कहलायेगा।
   (2) यह तत्काल लागू होगा,
2. उत्तर प्रदेश के जगह पर उत्तरांचल पढ़ा जाना:–
   उत्तर प्रदेश जंमीदारी विनाश और भूमि ब्यवस्था अधिनियम–1950 में जहां–जहां शब्द पद "उत्तरांचल" के रूप में पढ़ा जायेगा।
3. राजस्व परिषद के स्थान पर मुख्य राजस्व आयुक्त पढ़ा जाना:–
   उत्तर प्रदेश जंमीदारी विनाश और भूमि ब्यवस्था अधिनियम –1950 में जहां–जहां शब्द पद"परिषद" "राजस्व परिषद" व सदस्य राजस्व परिषद" आया है, उसके स्थान पर , जैसा उपयुक्त हो, शब्द "मुख्य राजस्व आयुक्त/अपर राजस्व आयुक्त" प्रतिस्थापित समझाा जायेगा।
4. मुख्य राजस्व आयुक्त का मुख्यालय देहरादून में स्थापित किया जायेगा।
5. मुख्य राजस्व आयुक्त/अपर राजस्व आयुक्त स्तर पर न्यायिक कार्य के लिए सर्किट कोर्ट यथास्थित पौड़ी तथा नैनीताल में रहेगा।

आज्ञा से

(एस0 के0 दास),
प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग,
उत्तरांचल शासन।

संख्या–2241/राजस्व/2001,तददिनांक।

प्रतिलिपि–निदेशक,फोटो लिथो प्रेस रूड़की, उत्तरांचल को हिन्दी एवं अंग्रजी अधिसूचना की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे इस अधिसूचना को माह जुलाई, 2001 के असाधारण गजट के भाग–4खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 200 प्रतियां शासन के इस अनुभाग को अवश्यक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से
(एस0 के0 दास),
प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग,
उत्तरांचल शासन।

संख्या–1078 / 18(1) / 2004

प्रेषक,

एन0एस0 नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तरांचल शासन, देरादून।

राजस्व विभाग– देहरादून:दिनांक 25 नवम्बर,2004

विषय। कुमायूँ एवं गढवाल मण्डल के पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यरत पटवारियों एवं भू–लेख निरीक्षकों तथा उनसे संबद्ध अनुसेवकों को कतिपय भत्ते की दरों में पुनरीक्षण किये जाने कि संबंध में।

महोदय,

पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यरत पटवारियों को राजस्व विभाग के अपने दायित्वों एवं कर्तब्यों के निवर्हन के साथ–साथ अपने हल्कों में अपराध नियंत्रण एवं अनुसंधान से संबंधित पुलिस विभाग के कर्तब्यों का भी अतिरिक्त रूप से निवर्हन करना होता हैं। अतः शासनादेश संख्या–3816 / 01.09 . 1993–11–16(36) / 89–573–रा0–9 दिनांक 16 अगस्त, 1993 एवं शाासनादेश संख्या–580 / 01. 09.1996–11–16(36) / 89–रा0–9दिनांक 23 फरवरी,1996 तथा शासनादेश संख्या– 13 – 16(33) / 81–912–रा0–9 दिनांक 14 जनवरी,1983 के कम में श्री राज्यपाल महोदय कमशः कुमायूँ एवं गढवाल मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यरत पटवारियों एवं भू–लेख निरीक्षकों तथा उनसे संबंद्ध अनुसेवकों को प्रतिकर भत्ता एवं पटवारियों को स्टेशनरी व गोसवारा भत्तें की सुविधाएं दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1. पर्वतीय पटवारियों को अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त पुलिस एवं अन्य कार्यों के लिए पूर्व में अनुमन्य रूप 450 /–(रू0 चार सौ पचास रूपये मात्रा) प्रति के प्रतिकर भत्ते के स्थान पर रूपये 900/–(रू0 नौ सौ मात्रा) प्रतिमाह की दर से प्रतिकर भत्ता इस शर्त के साथ देय होगा कि पुलिस कर्मियों की भांति अवकाश के दिनों में कार्य करने के एवज में एक माह के अतिरिक्त वेतन की मांग नहीं की जायेगी।
2. पर्वतीय क्षेत्रा में पटवारियों को मिल रहे स्टेशनरी भत्ता रू010/–(रूपये दस मात्रा) प्रतिमाह के स्थान पर रूपये 30/–(रूपये तीस मात्रा) प्रतिमाह और गोसवारा भत्ता रूपये 20/–(रूपये बीस मात्रा) प्रतिमाह के स्थान पर रूपये 60/–(रूपये साठ मात्रा) प्रतिमाह देय होगा।
3. पर्यवेक्षक कानूनगो (भू–लेख निरीक्षकों)को अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त पुलिस संबंधी कार्य के लिए पूर्व में अनुमन्य रूपये 150/–(रूपये एक सौ पचास मात्रा) प्रतिमाह के प्रतिकर भत्ते के स्थान पर रूपये 300/–(रूपये तीन सौ मात्रा) प्रतिमाह की दर से प्रतिकर भत्ता इस शर्त के साथ देय होगा कि पुलिस कर्मिको की भांति अवकाश के दिनों कार्य करने के एवज में एक माह तक अतिरिक्त वेतन की मांग नहीं की जायेगी।
4. पटवारियों एवं भू–लेख निरीक्षकों से संबंद्ध अनुसेवकों को पूर्व में अनुमन्य रूपये 60/–(रूपये साठ मात्रा) प्रति माह के प्रतिकर भत्ते के स्थान पर रूपये 120/–(रूपये एक सौ बीस मात्रा) प्रतिमाह की दर से प्रतिकर भत्ता उन्हीं शर्तो के अधीन देय होगा।
5. उक्त भत्तों में पुनरीक्षण शासनादेश निर्गत करने की तिथि से ही माना जायेगा।

6. उक्त स्वीकृति के संबंध में होने वाला व्यय संबंधित वित्तीय वर्ष के आय–व्यय की अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2029–भू–राजस्व–00 आयोजनेत्तर –103–भू–अभिलेख –03 जिला अधिष्ठान –00– के अन्तर्गत सुसंगत प्राप्त ईकाईयों के नामें डाला जायेगा।
7. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–1885/वि0अनु0–3/ दिनांक 25 नवम्बर, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(नृपसिंह नपलच्याल),
प्रमुख सचिव।

संख्याःएवं तददिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महोलेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी,(हरिद्वार को छोड़कार) उत्तरांचल।
3. मंडलायुक्त,कुमायूँ एवं गढवाल, उत्तरांचल।
4. समस्त जिलाधिकारी,(हरिद्वार को छोड़कार)।
5. निदेशक एनआईसी सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–3
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(नृपसिंह नपलच्याल),
प्रमुख सचिव।

संख्या–05 जी0 आई0–1/(1)/2005

प्रेषक,

एन0एस0 नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. मुख्य राजस्व आयुक्त,
   उत्तरांचल ,देहरादून।
2. आयुक्त,
   गढवाल/कुमॉयू मण्डल,
3. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तरांचल।

राजस्व विभाग देहरादून:दिनांक 21 मार्च,2005

विषय– भारत सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत महिला सशक्तीकरण हेतु सरकारी भूमि को पात्रा व्यक्तियों में आवंटित करते समय आवंटन पत्रा/पट्टे में पति पत्नि का नाम संयुक्त रूप से दर्ज करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने के निदेश हुए कि भारत सरकार के "कॉमन मिनिमम प्रोग्राम" के तहत महिलाओं का सशक्तीकरण एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु महिलाओं को भूमि पर समान अधिकार दिया जाना भी आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा इस संबंध में प्रदेश स्तरीय कार्यवाही से अवगत कराने की अपेक्षा की गई है।

2– पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भूमि आवंटन कार्यक्रम के अन्तर्गत पात्रा व्यक्तियों को भूमि आवंटित करते समय आवंटन पत्रा/पट्टा विलेख पति पत्नि के संयुक्त नाम से जारी करने के आदेश निर्गत किए गये थे। भारत सरकार द्वारा भी महिलाओं के सशक्तीकरण के अन्तर्गत महिलाओं को समान अधिकार दिये जाने के उद्देश्य से महिला का नाम भी संयुक्त रूप से भूमि आवंटन संबंधी आदेश/पट्टो में लिखे जाने की अपेक्षा की जा रही है।

3– इस संबंध में उत्तरांचल शासन सरकार द्वारा भी भविष्य में पात्रा व्यक्तियों को भूमि आवंटन के समय अनिवार्य रूप से पात्रा व्यक्तियों के साथ उसकी पत्नि का नाम भी संयुक्त रूप से आवंटन आदेश/पट्टा विलेख में अंकित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

4– कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

एन0एस0 नपलच्याल,
प्रमुख सचिव।

क्रम संख्या–78 (क)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/टी0एन0–30/03
(लाईसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीमेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–4 खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)
देहरादून,सोमवार, 13 जून, 2005 ई0
जेष्ठ–23,1927 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
राजस्व विभाग
संख्या–390/18(1)/2005
देरादून,13 जून,2005

अधिसूचना

प0आ0–68

राज्यपाल उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश भूमि लेख नियमावली, 1958 (यू0पी0 लैण्ड रिकार्ड्स मैनुअल) ,जो उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त)(अधिनियम संख्या 3,1901) के अधीन जारी की गई है। के अध्याय क–8 के नियम क–124 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है:–

उत्तर प्रदेश भूमि लेख(उततरांचल संशोधन) नियमावली, 2005

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (1) यह नियमावली उ0 प्र0 भूमि लेख(उत्तरांचल संशोधन)नियमावली, 2005 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम–क 124 का संशोधन

2. उ0 प्र0 भूमि लेख नियमावली,1958 (जिसे यहां आगे उक्त नियमावली कहा गया नियम क–124 है) के अध्याय क–8 (उन क्षेत्रों के लिये , जिसमें 1950का उ0प्र0जमीदारी) संशोधन विनाश का भूमि अधिनियम लागू है) के नियम क–124 के भाग–1 के उपनियम(1–क) के खण्ड (ख) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थपित किया जायेगा, अर्थातः "ग(ग)" विशेष श्रेणी के भूमिधर द्वारा धारित हो।"

आज्ञा से

एन0एस0.नपलच्याल,
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–विज्ञप्ति के अंग्रजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय,रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत नियमावली को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग–4 (खण्ड–ख) में प्रकाशित कर दिया जाये और नियमावली की हिन्दी की 2500 एवं

अंग्रेजी की 1200 मुद्रित प्रतियॉ प्राथमिकता के आधार पर राजस्व विभाग, उत्तरांचल सचिवालय को तुरन्त भिजवाने की व्यवस्था की जाये।

आज्ञा से

(सोहन लाल),
अपर सचिव।

संख्या एवं तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तरांचल शासन।
2– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
3– आयुक्त, कुमॉयू/गढ़वाल मण्डल,उत्तरांचल।
4– महानिरीक्षक निबधन, उत्तरांचल।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
6– निदेशक एन0आई0सी0 उत्तरांचल।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(सोहन लाल),
अपर सचिव।

संख्याःयू0ओ0 82/राजस्व/2001

प्रेषक,

एस0के0दास,
प्रमुख सचिव,
उत्तरॉचल शासन।

सेवा में,

मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तरॉचल देहरादून।

भूमि संसाधन शाखा (राजस्व) देहरादून--दिनॉक 28,जनवरी 2002

विषय :– भूमि अर्जन अधिनियम 1894 यथा संशोधित की धारा–11 के अंतर्गत एवार्डस की घोषणा के निमित्त अधिकार का प्रतिनिधायन

महोदय,

उपरोक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या 6–5(1)/87–81–रा0–13,दिनॉक 15,सितम्बर 1987 एवं 05 अगस्त 1988 तथा शासनादेश संख्या 6(5)(1)/87–81रा0–13 दिनॉक 02 सितम्बर 1994 में जारी आदेशों को संशोधित करते हुये आज्ञा प्रदान करते हैं कि भूमि अर्जन के समस्त मामलों में निम्नलिखित व्यवस्थाओं के अनुसार अभिलेखों का परीक्षण एवं जॉच तथा पूर्वानुमोदन प्राप्त करके अधिनियम की धारा–3(सी) में परिभाषित कलेक्टर अभिनिर्णय की घोषणा करेगें :–

1. 20000000/–(दो करोड़ रूपये) तक की धनराशि के अभिनिर्णय की जॉच एवं पूर्वानुमोदन सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
2. 2,00,00,000/–(दो करोड़ रूपये) से अधिक किन्तु 5,00,00,000/–पॉच करोड़ तक की धनराशि के अभिनिर्णयों पर जॉच एवं पूर्वानुमोदन सम्बन्धित मण्डलायुक्त करेगें।
3. 5,00,00,000/–पॉच करोड़ रूपये से ऊपर के अभिनिर्णयों की जॉच एवं पूर्वानुमोदन मुख्या राजस्व आयुक्त, उत्तरॉचल करेगें।

कृपया उपरोक्त आदेशों से समस्त जिलाधिकारियों एवं सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 972/वि0अनु–3 2002 दिनॉक 10,जनवरी 2002 में प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
(एस0के0दास)
प्रमुख सचिव।

सख्या एवं तद्दिनॉकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरॉचल शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,उत्तरॉचल राज्य।
3. समस्त भूमि अध्याप्ति/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी उत्तरॉचल राज्य।
4. वित्त अनुभाग–3।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(सोहन लाल)
अपर सचिव।

संख्या–703 / 1–13–2004–8–(3) / 2004–रा0–13

प्रेषक,

श्री कपिल देव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–13 लखनऊः दिनॉक 27 मई, 2004

विषय : प्रदेश की "औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति, 2004 के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं एवं उसके सदृश सेवा क्षेत्र को दिये जाने वाले प्रोत्साहन / लाभ के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश की औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति 2004 के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने निम्नवत प्रोत्साहन दिये जाने का निर्णय लिया है:–

1.1 अवस्थापना सुविधाओं के सदृश की सेवा क्षेत्र के ऐसे उपकम जो निम्नलिखित श्रेणी में आच्छादित हैं तथा राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के निर्धारित शर्तो एवं मानकों को पूरा करते हों, के लिये भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है तो अध्यापित व्यय से भी छूट दी जायेगी :–

(क) प्रदेश के किसी भी भाग में स्थित निर्धारित सुविधाओं से युक्त मल्टी फैसिलिटि चिकित्सालय जिनकी स्थापित क्षमता न्यूनतम 100 बेड है और जिन में चिकित्सा सुविधाओं हेतु प्रयुक्त क्षेत्रफल निर्धारित सीमा से अधिक है।

(ख) प्रदेश में स्थित निर्धारित सुविधाओं से युक्त अति विशिष्टिता चिकित्सालय ।

(ग) विकास खण्ड मुख्यालय (जो जिला व तहसील मुख्यालय से भिन्न हो) पर स्थित निर्धारित सुविधाओं से युक्त ऐसे चिकित्सालय जिनकी स्थापित क्षमता न्यूनतम 50 बेड की हो।

(घ) विकास खण्ड मुख्यालय से नीचे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित निर्धारित सुविधाओं से युक्त ऐसे चिकित्सालय जिनकी स्थापित क्षमता न्यूनतम 30 बेड हो।

(ड) विकास खण्ड मुख्यालय(जो जिला मुख्यालय से भिन्न हो) पर स्थित ऐसे तकनीकी / सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान जिनमें शिक्षारत छात्रों / प्रशिक्षुओं की न्यूनतम संख्या –75 हो और जिनमें चलाया जा रहा पाठयकम राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हो।

(च) निर्धारित सुविधाओ से युक्त तथा निर्धारित शर्ते पूर्ण करने वाले ऐसे मेडिकल व डेन्टल कालेज अन्य शिक्षण संस्थाऐं मल्टी प्लैक्स सिनेमा घर शापिंग माल्स इन्टरटेनमेंट सेन्टर्स , जिनमें भवन और मशीनरी की कुल लागत रूपया–10 करोड़ से कम न हो।

1.2 उपरोक्त संस्थाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से पूर्व विषय से संबंधित विभागों यथा चिकित्सा / शिक्षा / मनोरंजन कर के जिला स्तरीया प्रभारी अधिकारियों के समक्ष "प्रोजेक्ट प्लान" सहित प्रस्तुत किया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रोजेक्ट को संबंधित अधिकारी अपनी संस्तुति

सहित जिलाधिकारी को अग्रसारित करेंगें, जो ऐसे प्रस्तावें पर विचार कर अध्याप्ति व्यय से छूट प्रदान करने का निर्णय लेगें। यदि प्रतिकर का अनुमोदन मण्डालायुक्त या राजस्व परिषद के स्तर से होना हो तो इस छूट का अनुमोदन भी उसी स्तर से लिया जायेगा।

1.3 निर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही सम्पादित कर अर्जन निकाय को भूमि का कब्जा दिये जाने की तिथि से 03 वर्ष के भीतर निर्धारित प्रयोजन हेतु वास्तव में प्रयोग शुरू करना कम्पनी/संस्था के लिए अनिवार्य होगा। यदि 03 वर्ष के उपरान्त भी ऐसा नहीं किया जाता है तो अर्जन व्यय की राशि एवं उस पर 15 प्रतिशत शास्ति शुल्क प्रति वर्ष की दर से वसूल करते हुए नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से संबंधित कम्पनी/संस्था को लिखित में यह नोटिस दी जायेगी, कि वे यदि 02 वर्ष(कब्जा दिये जाने की तिथि से 05 वर्ष) के अन्दर निर्धारित प्रयोजन के लिए उसका उपयोग नहीं करते हैं तो ऐसी समस्त भूमि सभी भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित कर ली जायेगी। इसके बावजूद यदि निर्धारित प्रयोजन के लिए इसका उपयेाग नहीं किया जाता है तो भूमि राज्य सरकार में निहित कर ली जायें।

2. औद्योगिक इकाईयों द्वारा भविष्य में विस्तारीकरण हेतु व्यवस्थित भूमि का अधिग्रहण कराये जाने से उद्योगों का विस्तारीकरण रूक जाता है तथा उद्यमियों का समय तथा धन भूमि अवमुक्त कराने हेतु अपव्यय होता है।अतएव एतद्पश्चात ऐसी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जायेगा। इस संबंध में यदि संस्था के पास उसकी आवश्यकता से अधिक भूमि है तथा भूमि अधिग्रहीत किया जाना जनहित में आवश्यक हो तो उद्योग निदेशक से आवश्यकता न होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही अर्जन की कार्यवाही प्रारम्भ की जायें ।

उपरोक्त प्रोत्साहन/छूट तत्कालिक प्रभाव से अनुमंन्य होंगें तथा शासन के अग्रिम आदेशों तक लागू रहेंगें।

भवदीय,
(कपिल देव)
प्रमुख सचिव

संख्या–703 (1)/1–13–2004 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उ0प्र0 शासन।
2. औ0वि0आयुक्त एंव प्रमुख सचिव, औ0वि0उ0प्र0 शासन को उनके अर्द्धशा0प0सं0–416/औ0वि0आ0/2003–2004/30 ब0 दिनॉक 21 फरवरी, 2004 के कम में सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. निदेशक भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उ0प्र0,लखनऊ।
6. समस्त विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, उ0प्र0 को अनुपालनार्थ।
7. राजस्व विभाग के समस्त अनुभाग।
8. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(कपिल देव)
प्रमुख सचिव

कम संख्या–122(ख)
संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 03

पंजीकृत

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीमेन्ट)

सरकारी गजट,उत्तरॉचल
उत्तरॉचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
देहरादून,वृहस्पतिवार, 15सितम्बर,2005 ई0
भाद्रपद 24,1927 शक सम्वत्

उत्तरॉचल शासन
राजस्व विभाग
संख्या 422 / 18(1) / 2005
विज्ञप्ति
अधिकार

भूमि अर्जन अधिनियम 1894(अधिनियम संख्या 1, 1894) की धारा 3 के खण्ड(ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके एवं राजस्व (क) विभाग,उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति(अधिकार) संख्या 359 / 1क–5–2(2)67 लखनऊ,दिनॉक09 जुलाई,1979 को उत्तरॉचल राज्य के राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के सम्बन्ध में रद्द करते हुए राज्यपाल,इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से,प्रतत्येक डिप्टी कलेक्टर को जिसने डिप्टी कलेक्टर के पद पर स्थायी अथवा स्थानापन्न रूप में एक वर्ष से अधिक समय तक सेवा की हो, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उन जिलों में कलेक्टर के अधिकारों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करते है। जहॉ भी वे समय समय पर डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थापित हों।

आज्ञा से,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव।

संख्या : 1145 / राजस्व / 2003

प्रेषक,

सोहन लाल,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल शासन।

भूमि संसाधन शाखा (राजस्व) देहरादून : दिनांक : 30 अप्रैल,, 2003

विषय : तहसीलों मं प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति में नियम 22–बी का लाभ प्रदान किये जाने के संबधं।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या 8044 / 1–4–94–162बी–4 / 94 दिनांक 5.1.95 एवं शासनादेश संख्या आर0एम 115 / 98 / 1–4–97–162बी–4 / 94 दिनांक 28.1.99 के द्वारा पदों के उच्चीकरण के फलस्वरूप तहसीलों में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों को छोड़र, साान्य प्रकिया के अन्तर्गत नियमानुसार पदोन्नति प्राप्त प्राप्त प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन का निर्धारण वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग–2 से 4 मूल नियम 22 बी में निहित प्रकिया के अधीन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सोहन लाल),
अपर सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तरांचल।
4. समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
5. वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सोहन लाल)
अपर सचिव

संख्या– 57/18(1)/2005

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।
(जनपद हरिद्वार को छोडकर)

राजस्व विभाग | देहरादून दिनांक 25 जनवरी,2005

विषय– नवसृजित तहसील/उपतहसीलों के पदों के सृजन की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1462/राजस्व/2003 दिनांक 22 सितम्बर,2003 शासनादेश संख्या–22/राजस्व/2003 दिनांक 24 जनवरी,2004 तथाशासनादेश संख्या–82/राजस्व /2004 दिनांक 4 फरवरी 2004 के द्वारा कमशः 19, 19 एवं 151 अर्थात कुल 189 पदों का सर्जन 12 तहसीलों एवं एक उपतहसील के लिए किया गया था। अब शासन स्तर पर तहसीलों एवं उप तहसीलों के पदों का पुनगठन करने के निर्णय के कम में प्रति तहसील एवं उप तहसीलों हेतु तहसीलदार एवं उप जिलाधिकारी हेतु अनुमन्य पदों के पुर्ननिर्धारण के उपरान्त पूर्व में उक्त नई तहसीलों के लिए पदों के सृजन के उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 22.9.2003 दिनांक 24.1.2004 एवं दिनांक 4.2.2004 को निरस्त करते हुए उत्तरांचल मे विभिन्न चरणों में अब तक नवसृजित कुल 29 तहसीलों एवं 06 उप तहसीलों कुल 35 इकाईयों का सृजन परिशिष्ट–1 के अनुसार किया गया था, के भौतिक आधार पर छोटा हो जाने तथा जनसंख्या कम होने के फलस्वरूप तहसील/उप तहसील में कार्य लगभग समान हो गया है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त नव सृजित सभी 35 तहसीलों एवं उप तहसीलों के लिए निम्नानुसार आदेश निर्गत होने की तिथि अथवा पदों को भरे जाने की तिथि जो भी पूर्व में हो, से दिनांक 28.2.2005 तक के लिए बशर्ते कि उक्त पद बिना किसी सूचना के इसके पूर्व समाप्त न कर दिये जायं। सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

तहसील/उप तहसील

क0सं0	पदनाम	प्रति तहसील/उप तहसील पदों की संख्या	कुल पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4	5
1.	नायब तहसीलदार	01	35	5500–9000
2.	नायब नाजिर	01	35	4000–6000
3.	मोहर्रिर जुडिशियल	01	35	3050–4590
4.	रजिस्ट्रार कानूनगो	01	35	4000–6000
5.	वासिल वाकी नवीस	01	35	4000–6000
6.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	01	35	3050–4590
7.	चौकीदार	1	35	2550–3200
8.	अनुसेवक	2	70	2550–3200
	योग :–	9	315	

तहसील कार्यालय हेतु पद

क0सं0	पदनाम	प्रति तहसील/उप तहसील पदों की संख्या	कुल पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4	5
1.	तहसीलदार	01	29	8000–13500
2.	वाहन चालक	01	29	3050–4590
3.	अनुसेवक	01	29	2550–3200
	योग	3	87	

तहसीलों का आकार छोटा होने, जनसंख्या कम होने एवं कार्य की कमी को देखते ुए दों तहसीलों पर एक उप जिलाधिकारी का पद सृजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार उप ज़िलाधिकारी के क्षेत्राधिकार का पुनवर्गीकरण करते हुये परिशिष्ट–2 के अनुसार दो तहसीलें पर एक उप जिलाधिकारी रखने पर निम्न प्रकार से उप जिलाधिकारी के 10 अतिरिक्त पदों एवं उनके स्टाफ के सृजन की आवश्यकता होगी :–

उप जिलाधिकारी कार्यालय हेतु पद –

क0सं0	पदनाम	कुल पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	4	5
1.	उप जिलाधिकारी	10	5500–9000
2.	आशुलिपिक–सह–डाटा इन्ट्र आपरेटर	10	4000–6000
3.	पेशकार	10	4000–6000
4.	वाहन चालक	10	3050–4590
5.	अनुसेवक	10	2550–3200
	योग	50	
उपरोक्त तीनों तालिकाओं में सृजित किये जा रहे कुल पद–452			

4– पूर्व से स्वीकृत 9 उप तहसीलों के उच्चीकृत होने और उपरोक्तानुसार पदों के सृजन की आवश्यकता होने के कारण इन 9 उप तहसीलों यथा–जखोली, धनोल्टी, जाखणीधार, बेरीनाग, बाजपुर, गदरपुर, रामनगर, कालाढुगी, बेतालघाट में पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा स्वीकृति समस्त पदों (कुल 74) को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है और उक्त तहसीलों हेतु अब उपरोक्त पुनर्गठन के अनुसार पद सृजित माने जायेंगें।

5– उक्त पदधारकों का उक्त पद के वेतन के अथवा शासन द्वारा समय–समय पर अनुन्य किये गये मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगें।

6– उक्त पदों के सृजन के फलस्वरुप तद्विषयक संवर्गों के अस्थाई अभिवृद्धि के रूप में माने जायेंगें।

7– उक्त पदों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर प्रदेश के यथासम्भव जनपदों/सम्बन्धित जनपदों से उपलबध छटनीशुदा/सरप्लस कर्मियों के पूल से प्रथम वरियता के अनुसार भरे जायेंगें और इस प्रकार से पद उपलबध न होने पर ही संगत सेवानियमावली की व्यवस्थानुसार भरे जायेंगें।

8– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक अनुदान संख्या–6–लेखाशीर्षक–2053–जिलाप्रशासन–00–आयोजनेत्तर–093–जिला स्थापायें–03 कलैक्टरी स्थापना के अन्तर्गत संसुगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

9– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–2232/वि0अनु0–3/2004 दिनांक 15–1–2005 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकर, उत्तरांचल, देहरादून।
2. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
3. आयुक्त कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, उत्तरांचल।
4. वरिष्ठ ोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
5. वित्त अनपुभाग–3
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।

संख्या :199(2)/18(1)2005

प्रेषक,

एन0एस0 नपलच्याल ,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तरांचल
देहरादून।

राजस्व विभाग   देहरादून दिनांक 31 मार्च, 2005

विषय— वरिष्ठ सहायक के पदों को ज्येष्ठ सहायक के पद में उच्चीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय शासनादेश संख्या–199(1)/18(1)/2005 दिनांक 31 मार्च,2005 के द्वारा कलैक्ट्रेट में रू0 4500–7000 वेतनमान के ज्येष्ठ सहायक के पदों का उच्चीकरण तहसीलों के लिए रू0 5500–9000 के वेतनमान में प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर किया गया है । अतः शासनादेश के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय कलेक्ट्रेट अधिष्ठान ,देहरादून में –2, पौडीगढवाल में –1, टिहरी गढवाल में –1,बागेश्वर में –1, चमोली में –2पद अर्थात कुल 7 ज्येष्ठ सहायक के अस्थायी संवर्गीय पदों को वेतनमान रू0 4500–7000 में शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा पदों को भरे जाने की तिथि ,जो भी बाद में हो से दिनांक 28–2–2006 तक के लिये बशर्ते कि ये पद इससे पूर्व ही बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाये , सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2— उक्त पदों का सृजन इस शर्त के अधीन है कि जैसे –जैसे वरिष्ठ सहायकों के पदधारकों की पदोन्नति ज्येष्ठ सहायक के उक्त पदों पर हो जायेगी, वैसे –वेसे कलैक्ट्रेट के उतने ही वरिष्ठ सहायक के पद सवतः ही समाप्त माने जायेगे।

3— उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप तद्विषयक संवर्ग में अस्थायी अभिवृद्धि के रूप में माने जायेगें।

4— उक्त पदधारकों को वेतन के साथ–साथ समय–समय पर प्रसारित आदि अनुसार अनुमन्य मंहगाई एवं अन्य भत्ता भी देय होगे।

5— उक्त पदों पर उ0प्र0 जिला कार्यालय (कलैक्टरी) लिपिक वर्ग सेवा नियमावली के नियम –5 में उल्लिखित श्रेणी –ख,श्रेणी–ग के स्थाई पदाधारियों से पदोन्नति द्वारा नियमावली के अन्य प्राविधानों के अनुसार की जायेगी और इस प्रकार पदोन्नति का वेतन निर्धारण वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 2 भाग 2से4 के मूल नियम –22 पर अंकित सम्प्रेक्षा अनुदेश –4 के अनुसार होगा।

6— उक्त मद में होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय –वययक के मद संख्या –6लेखाशीर्षक–2053–जिला प्रशासन–आयोजनेत्तर–093–जिला स्थापना कलैक्टरी स्थापना के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–1191/वि0अनु0–3/दिनांक 31 मार्च,2005 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय
(एन0एस0 नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार ,उत्तरांचल देहरादून।
2– आयुक्त कुमायू/गढवाल मण्डल, उत्तरांचल।
3– जिलाधिकारी,चमोली,देहरूदन,पौडी,टिहरी,बागेश्वर।
4– वित्त अनुभाग–3
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(एन0एस0 नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

उत्तरांचल शासन
राजस्व विभाग
पंत्राक संख्या 530 / 18(1) / 2005
देह रादून दिनांक 6 अगस्त,2006

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या 177 / XXII / 2005 दिनांक 29–7–2005 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–2(एच) के अन्तर्गत उत्तराचंल शासन के सम।स्त विभोगों एवं विभागाध्यक्षों को लोक प्राधिकारी घोषित किया गया है। इस अधिनियम के कियान्वयन हेतु राजस्व विभाग के अन्तर्गत धारा–5(1) के अन्तर्गत लोक सूचना घारा –5(2) सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं धारा 19 के अन्तर्गत अपीलीय अधिकारी को निम्न प्रकार नामित किया जाता है :–

कार्यालय मुख्य राजस्व आयुक्त

लोक सूचनाधिकारी	अपर मुख्य राजसव आयुक्त, उत्तरांलच।
विभागयी अपीलीय अधिकारी	मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल।

2. आयुक्त गढवाल मण्डल / कुमायू मण्डल

1. लोक सूचनाधिकारी	जिलाधिकारी
2. विभागीय अपीलीय अधिकारी	आयुक्त गढवाल / कुमायू

3. कार्यालय जिलाधिकारी

(1) लोक सूचना अधिकारी	जिलाध्किारी
(2) सहायक लोक सूचना अधिकारी	उप जिलाधिकारी–सम्बन्धित सब डिविजन।
(3) विभागीय अपीलीय अधिकारी	आयुक्त गढवाल / कुमायू

4– तहसील स्तर

(1) लोक सूचना अधिकारी	तहसीलदार
(3) विभागीय अपीलीय अधिकारी	उप जिलाधिकारी

ह0

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

उत्तरांचल शासन
राजस्व विभाग
संख्या 2314/XXX–2/2005
देहरादून दिनांक 02सितम्बर,2006

अधिसूचना

राज्यपाल उत्तरांचल (लाक संवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह ग के पदों पर सीधी भर्ती की प्रकिया नियमावली 2003 के नियम –7 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए समूह ग के पदो पर सीधी भर्ती के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशान की तारीख से सामान्य श्रेणी /अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए रू 80/–(रूपये अस्सी मात्र) अनुसूचित जाति /अनुसूचिकत जनजाति के अभ्यथियों के लिए रू 40/– (चालीस) मात्र तथा सभी वगो के निःशक्तों ि लिएउ रू0 25 (पच्चीस) का शुल्क अवधारित करते है।

आज्ञा से
ह0
(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या 2314(1)/XXX/2/2004 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नाकित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन
2– सचिव श्री राज्यपाल उत्तरांचल
3– समस्त जिलाधिकारी ,उत्तरांचल ।
4– समस्त विभागाध्यक्ष उत्तरांचल।
5– स्थानिक आयुक्त ,नई दिल्ली।
6' सचिव लोक सेवा आयोग ,उत्तरांचल हरिद्वार।
7– निदेशक राजकीय मुद्रणालय रूडकी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि द उक्त आदेश को गजट में प्रकाशित कर इसकी 1000 प्रतियॉं उपलब्ध करायें ।
8– निबन्धक, उच्च न्यायालय ,उत्तरांचल नैनीताल।
9– आयुक्त अनु0जाति तथा अनु0जनजाति ,उत्तरांचल देहरादून।
10– सचिव विधान सभा उत्तरांचल देहरादून।
11– समस्त मंत्रियों के निजी सचिवों को मा0 मंत्रिगणो के सूचनाथ ।
12– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13– गार्ड फाईल।

आज्ञा से
ह0
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
राजस्व विभाग
संख्या 530(3)/18(1)/2005
देहरादून दिनांक 22सितम्बर,2006

कार्यालय–ज्ञाप

कार्यालय आदेश संख्या –530/18(1)/2005 दिनांक 5 सितम्बर,2005 के द्वारा सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा–5 एवं धारा –19 के अन्तर्गत राजस्व विभाग उत्तरांचल शासन के अधीन लोक सूचना अधिकारी ,सहायक लोक सूचना अधिकारी प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी को चिन्हित कर नामित किया गया है। जिसकी छाया प्रति संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित है।

(सोहन लाल)
अपर सचिव

संख्या एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन
2– सचिव सूचना उत्तरांचल शासन।
3– मण्डलायुक्त कुमॉयू/गढवाल मण्डल,उत्तरांचल।
4– समस्त जिलाधिकारी ,उत्तरांचल ।
5– निजी सचिव मा0 मुख्य मंत्री उत्तरांचल ।
6– निजी सचिव मुख्य सचिव,उत्तरांचल शासन।
7– निजी सचिव अपर मुख्य सचिव,उत्तंराचल शासन।
8– निदेशक एन0आई0सी0उत्तरांचल।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से
ह0

(सोहन लाल)
अपर सचिव

संख्या– 1540(1)/कार्मिक–2

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
सचिव,
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तरांचल शासन
समस्त जिलाधिकारी/ कार्यालयाध्यक्ष
उत्तरांचल

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक : 29 मार्च, 2003

विषय– राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण हेतु जाति प्रमाण पत्र।

महोदय,

राज्याधीन लोक सेवाओं में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (यथा अनुकूलित एवं संशोधित) में की गई है। अन्य पिछड़े वर्ग का विवरण उपरोक्त अधिनियम की अनुसूची–एक में अंकित है, परन्तु अनुसूची–एक में समाविष्ट वर्ग का सदस्य होते हुए भी ऐसे व्यक्तियों को आरक्षण अनुमन्य नहीं है, जो उक्त अधिनियम की धारा–3 की उपधारा (1) के परन्तुक के साथ पठित अनुसूची–दो से आच्छादित होते हैं।

2– उक्त आरक्षण अधिनियम के तहत आरक्षण सुविधा प्राप्त करने के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अधिनियम की धारा–9 में यह प्राविधानित है कि ऐसा जाति प्रमाण पत्र ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा तथा ऐसी रीति तथा प्रारूप में जारी किया जायेगा जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा उपबन्ध करें।

3– उक्त धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछडा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट/ उप जिलाधिकारी/ तहसीलदार जिसके क्षेत्र में संबंधित अभ्यर्थी निवास करता हो अथवा वहां उसका जन्म हुआ हो द्वारा सभी वांछित औपचारिकतायें पूर्ण करा कर निर्धारित प्रपत्र में अपने हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा। अनाधिकृत रूप से जारी किये गये प्रमाण पत्रों पर आरक्षण की कोई सुविधा न दी जाए। शासन द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडे वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र के प्रारूप निर्धारित किये गए हैं, जो संलग्न हैं।

4– अनुरोध है कि निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा ऐसे प्रमाण पत्र जारी किये जायें व इस प्रकार जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर उपर्युक्त अधिनियम के तहत आरक्षण के संबंध में नियमानुसार चयन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

5— आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्णय से सभी संबंधित/सक्षम अधिकारियों, जो आपके अधीनस्थ हो को अवगत कराने का कष्ट करें तथा विशेष रूप से अपने जनपद के प्रत्येक अपर जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट /उप जिलाधिकारी/ तहसीलदार को सरकार के इस निर्णय से अवगत करा दिया जाये ताकि उक्त नीति के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में तथा अनुमन्य आरक्षण की व्यवस्था को लागू किए जाने में कोई असुविधा न हो।

भवदीय

(आलोक कुमार जैन)
अपर सचिव

संख्या— 1540(1)/कार्मिक—2/तद्दिनांक।
प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—
1— सचिव, श्री राज्यपाल महोदय
2— सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल
3— सचिव, मंडलायुक्त, उत्तरांचल
4— समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल
5— सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से
(आर0सी0 लोहनी)

उत्तरांचल की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... /सुपुत्र/सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम................................ तहसील...................... ....नगर................... जिला..............................उत्तरांचल की... जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश 1967 के अनुसार जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा/अथवा उसका परिवार उत्तरांचल के .... ग्राम................................ जिला............................ में सामान्यतया रहता है।

स्थान
दिनांक
मुहर

हस्ताक्षर
पूरा नाम
पदनाम
जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/
सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

उत्तरांचल की अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... /सुपुत्र/सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम................................ तहसील...................... ....नगर.................. जिला..............................उत्तरांचल की... जाति के व्यक्ति हैं।यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 की अनुसूची–1 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... उक्त अधिनियम, 1994 की अनुसूची–2 से आच्छादित नहीं हैं।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उसका परिवार उत्तरांचल ग्राम.................तहसील............... नगर.............जिला............................ में सामान्यतया रहता है।

स्थान
दिनांक
मुहर

हस्ताक्षर
पूरा नाम
पदनाम
जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/
सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

संख्या–1739/XXX (2) /2005

प्रेषक,

डा0आर0एस0टोलिया,
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
गृह एवं चिकित्सा/वित्त/कार्मिक/श्रम एवं सेवायोजन
परिवहन/राजस्व/खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग।

सचिव,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग/सूचना/सहकारिता
ग्राम्य विकास/पंचायतीराज/कृषि/महिला सशक्तीकरण
एवं बाल विकास/आबकारी विभाग।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 14 जुलाई, 2005

विषय– लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तरांचल राज्य सम्मिलित सेवा परीक्षा 2002 के अंतर्गत चयनित/ संस्तुत अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्रों की जांच के संबंध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तरांचल राज्य सम्मिलित सेवा परीक्षा 2002 के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाने के संबंध में पत्र दिनांक 28.06.2005 आपको भेजा जा चुका है और आप द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही की जा रही होगी।

2– इस संबंध में आपका ध्यान कार्मिक विभाग के आदेश संख्या 1540/कार्मिक–2/2002 दिनांक 29.03.2003 की ओर आकृष्ट करते हुए यह कहना है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग को जाति प्रमाण पत्र संदर्भित शासनादेश की निर्धारित प्रकिया एवं प्रारूप में इस हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा दिया गया मान्य है। लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तरांचल राज्य सम्मिलित सेवा परीक्षा 2002 के आधार पर चयनित आरक्षित श्रेणी के प्रति चयनित अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संबंधित जिलाधिकारी को तत्काल भेजकर उसकी पुष्टि तहसीलों/ जिला मुख्यालयों में रखी पत्रावलियों व पंजिकाओं से कराई जाए जिसे संबंधित जिलाधिकारी द्वारा स्वयं प्रमाणित किया जायेगा। यदि किसी मामले में यह पाया जाता है कि आरक्षित श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थी ने गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पाई है तो ऐसे अभ्यर्थियों की सूचना विभाग द्वारा प्राप्त कर उसे उत्तरांचल प्रशासन अकादमी नैनीताल को तत्काल अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उपलब्ध करा दी जाए। इसके साथ ही संबंधित अभ्यर्थी के विरूद्ध संबंधित जिले में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करा दी जाये।

3– आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की जाति प्रमाण पत्र की जांच जिलाधिकारी एक माह में पूरा करके संबंधित विभाग के सचिव को अवगत कराया जायेगा।

4– कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय
डा0 आर0एस0टोलिया
मुख्य सचिव।

संख्या– 1739/ XXX (2) /2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त मंडलायुक्त, उत्तरांचल

2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचलं

आज्ञा से

सुरेंद्र सिंह रावत
अपर सचिव।

संख्या–766 / एक–1–2001

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
सचिव
कार्मिक विभाग,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

कार्मिक विभाग — देहरादून दिनांक 09 मई, 2001

विषय– विदेशों को भेजे जाने वाले प्रमाण पत्रों का सत्यापन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों का सत्यापन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जाता है। शासन स्तर पर सत्यापित करने से पूर्व ऐसे प्रमाण पत्रों को संबंधित जिलाधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक होता है। शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि ऐसे प्रमाण पत्रों को त्रुटि रहित एवं युक्त संगत बनाने के उद्देश्य से आप कृपया ऐसे अधिकारी जो अंपर जिलाधिकारी स्तर से कम का न हो, को प्रमाण पत्र सत्यापित किए जाने हेतु अधिकृत कर दें और उक्त अधिकारी का नाम तथा हस्ताक्षर नमूना (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में तीन प्रतियों में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसे प्रमाण पत्रों का सत्यापन या तो स्वयं जिलाधिकारी द्वारा अथवा उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही किया जाए, अन्य अधिकारी द्वारा किया गया सत्यापन शासन को मान्य नहीं होगा।

शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि आवेदक अपने प्रामण पत्रों को सत्यापन हेतु सर्वप्रथम संबंधित जनपद के जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करें और प्राधिकृत अधिकारी प्रमाण पत्रों की औपचारिकताओं को पूर्ण कर भलीभांति परीक्षण / निरीक्ष्ज्ञण करके उसे सत्यापित करने के उपरान्त पत्र के माध्यम से शासन को सत्यापन हेतु सूचित करें। शासन द्वारा ऐसे समस्त प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर संबंधित जिलाधिकारियों को प्रेषित किया जायेगा। जो संबंधित व्यक्ति को अपने स्तर से उपलब्ध करायेंगे।

भवदीय

राकेश शर्मा
सचिव

संख्या–766 / एक–1–2001 तद्दिनांक
प्रतिलिपि
1– स्थानीय आयुक्त, उत्तरांचल नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संदर्भ में सेंट्रल पासपोर्ट आफिस एवं विदेश मंत्रालय भारत

सरकार के संबद्ध कार्यालय द्वारा इस विषय में प्रेस विज्ञप्ति जारी करवाकर उनके कार्यालय के बाहर नोटिस बोर्ड के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित करा दें ताकि संबंधित नागरिक को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में विहित प्रकिया की विस्तृत जानकारी हो सकें।

2– पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल लखनऊ

3– सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से

राकेश शर्मा
सचिव।

संख्या: 1937/कार्मिक–2/2001

प्रेषक,

एस0 कृष्णन,
सचिव
उत्तरांचल शासन,

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तरांचल शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तरांचल।
3–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांलच

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक दिसम्बर, 05 2001

विषय– अधिवर्षता आयु प्राप्त करने पर कर्मचारी /अधिकारी की सेवा निवृत्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 शासन क अधिसूचना संख्या–1098/कार्मिक अनुभाग–1/2001 दिनांक 28 नवम्बर,2001 द्वारा राज्यधीन सरकारी सेवको की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष किए जाने का निर्णय उ0प्र0 शासन द्वारा लिया गया है। उत्तरांचल राज्य गठन के पश्चात उ0प्र0 पुर्नगठन अधिनियम 2000 के अन्तर्गत सभी संवर्गों के अन्तिम रूप से विभाजन की कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है। उ0प्र0 शासन द्वारा जारी अधिसूचना के कम में कतिपय विभागों द्वारा यह जिज्ञासा की गई है कि उक्त अधिसूचना के कम में अग्रेत्तर कार्यवाही किस प्रकार से की जानी है।

2– भारत सरकार के आदेश संख्या–27/9/2001–एस0आर0(एस) दिनांक 11 सितम्बर 2001 के द्वारा निम्नलिखित श्रेणी के समस्त कार्मिकों का अन्तिम आवंटन उत्तरांचल के लिए कर दिया गया है।

(क) जिनका उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम 2000 की धारा 73 में विनिर्दिष्ट 13 जिलो में से एक जिला स्तर अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी है और जो दिनांक 9 नवम्बर 2000 को और उसके बाद उत्तरांचल राज्य में आते है अथवा जिनकी सेवायें उपरिनिर्दिष्ट जिला क्षेत्रोंद के भीतर सामन्य: स्थानान्तरण हेत अधीनस्थ है अथवा

(ख) जिनका नियुक्ति प्राधिकारी दिनांक 9 नवम्बर 2000 को और उसके बाद उत्तरांचल राज्य के गढवाल और कुमायू डिवीजन का एक प्रभागीय स्तर का अधिकारी है अथवा जिनकी सेवायें उपर्युक्त डिवीजन क्षेत्रों के अन्दर सामन्य: स्थानान्तरण हेतु अधीनस्थ हैं अथवा

(ग) जो 9 नवम्बर 2000 तत्काल पूर्व विद्यमान उत्तरांचल राज्य के हिल सब कार्डर से सम्बन्धित है या जिनकी सेवाये 9 नवम्बर 2000 तत्तकाल पूर्व विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के हिल कार्डर जिलों के अन्दर सामन्यत: स्थानान्तरण हेतु अधीनस्थ है अथवा

(घ) जो दिनांक 9 नवम्बर 2000 को और उसके बाद उत्तरांचल राज्य के राज्य क्षेत्र के भाग में विशेष परियोजना अथवा उपकम हेतु नियुक्त है और जिनकी सेवाये 9 नवम्बर 2000 औरउसके बाद उत्तरांचल राज्य के राज्य क्षेत्र के भाग भौगोलिक क्षेत्र के बाहर सामन्यत: स्थानान्तरण योग्य नहीं है।

3– कतिपय संवर्गो में केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम 2000की धारा 73(1) के अन्तर्गत अधिकारी /कर्मचारियों का अंनन्तिम आवंटन किया है इस सम्बन्ध मे सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऐसे सेवा संवर्ग के अधिकारी /कर्मचारी जिनका अनन्तिम /अन्तिम रूप से आवंटन उत्तरांचल राज्य के लिए

नहीं किया गया है और जो उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी है, 30 नवम्बर 2001 या उसके बाद 58 वर्ष की आयु प्राप्त करेगें उन्हें सम्बन्धित विभाग के नियत्रक अधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए अवमुक्त करते हुए उत्तर प्रदेश के विभागीय मुख्यालय में रिर्पोट करने के लिए निर्देशित किया जायेगा इसकी सूचना उत्तर प्रदेश क सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को भी दी जायेगी।

4— इस परिपेक्ष्य यह स्पष्ट करना है कि उत्तरांचल शासन के अधीनस्थ राजकीय कर्मचारियों का अधिवर्षता आयु 58 वर्ष ही है।

5— कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0
(एस0 कृष्णन)
सचिव।

संख्या–1937(1)/कार्मिक–2/2001तददिनांक

प्रतिलिपि–निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक काग्रवाही हेतु प्रेषित।

1— मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन
2— मुख्य विनिवेश आयुक्त /सीनीयक आयुक्त उत्तरांचल नई दिल्ली
3— पुर्नगठन आयुक्त उत्तरांचल शासन लखनऊ
4— मुख्य स्थायी अधिवक्ता मा0 उच्च न्यायाल नैनीताल।
5— सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से
ह0
(एस0 कृष्णन)
सचिव।

संख्या–84/कार्मिक–2 /2002

प्रेषक,

एस0 कृष्णन,
सचिव,
कार्मिक विभाग,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव /सचिव
उततरांचल शासन ।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 29 जनवरी,2002

विषयः– लोक सेवा आयोग को विभन्न पदों के लिये. पद चयन हेतु अधियाचन प्रेषित किये जाने के संबध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तिपय विभागों द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिये जो अधियाचन कार्मिक विभाग को प्रेषित किये गये हैं उनमें ऐसे पदों के किलये अधियाचन शामिल हैं जो कि लोक सेवा आयोग की परिधि में नही हैं । अर्थात जहां पद शतप्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं या जहां एक राजपत्रित पद से दूसरे राजपत्रित पद पर भर्ती का एक मात्र श्रोत पदोन्नति हों, वहां लोक सेवा आयो के माध्यम से चयन कराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि विभागीय चयन समितियों के माध्यम से ऐसे पदों पर चयन किया जाना होगा ।

इस संबध में उ0प्र0 लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (ग्यारहवां संशोधन) विनियम 1992 में निम्न प्रावधान किये गये हैं ।

पदोन्नतियां–

पदोन्नतियां करने में या पदोन्नति के लिये अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के संबध में अपनाये जाने वाले सिद्वान्तों के संबध में,, निम्नलिखित मामलों में, आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा, अर्थात –

(क) समूह "ग" के उन पदों पर, जिनकी सीधी भर्ती आयोग के माध्यम से नहीं की जाती है,पदोन्नतियां करने में या एक अराजपति पद से दूसरे अराजपति पद पर पदोन्नतियां करने में

(ख) समूह "ग" के पदों से समूह "ख" के पदों पर या एक राजपत्रित पद से दूसरे राजपत्रित पद पर जहां भर्ती का एक मा श्रोत पदोन्नति हो, पदोन्नतियां करने में ।

(ग) खण्ड (ख) के अन्तर्गत न आने वाले समूह "क" के पदों पर पदोन्नतियां करने में।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृप्या समूह "ख" तथा "ग" के पदों पर पदोन्नति के संबध में उपरोक्त प्राविधान के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीय,
ह0 /–
(एस0 कृष्णन)

संख्या–84(1) /कार्मिक–2 /2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित :–

समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल ।
समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
सचिव लोक सेवा आयोग हरिद्वार ।

आज्ञा से
ह0 /–
(आर0सी0 लोहनी)
उप सचिव ।

उत्तरांचल शासन
कार्मिक अनुभाग—2
संख्या — 1113/कार्मिक—2 /2002
देहरादूनः दिनांकः 07 अगस्त,2002
अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

उत्तरांचल (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 2002

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) यह नियमावली उत्तरांचल(लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत दों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली ,2002 कही जायेगी

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

(3) यह लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले पदों पर राज्यपाल की नियम विधायी शक्ति के अधीन सभी पदों पर लागू होगी ।

अध्यारोही प्रभाव

2— किसी अन्य नियम या आदेश में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी इस नियमावली अधिप्रभावी प्रभाव होगा।

3— जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो।

परिभाषा

(एक)किसी पर के संबध में नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य ऐसे पदों पर नियुक्त करने के लिये सशक्त प्राधिकारी से है।

(दो) "आयोग" का तात्पर्य उत्तरांचल लोक सेवा आयोग से है। (तीन)"राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है।

र्थ नियुक्तियों वेनियमितीकरण

4— (1) किसी ब्यक्ति को

(एक)जो सेवा में 30.6.1998 के पूर्व तदर्थ आधार पर सीधे नियुक्ति किया गया हो और इसका नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को, उस रुप में,निरन्तर सेवारत हो,

(दो) जो ऐसी तदर्थ नियुक्ति के समय नियमित नियुक्ति के लिये विहित अपेक्षित अर्हताये रखता हो, और

(तीन)जिसने तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, या यथास्थिति, पूरी करने के पश्चात किसी स्थायी या अस्थायी रिक्ति में जो उपलब्ध हो नियमित नियुक्ति के लिये, ऐसी रिक्ति में, संगत सेवा नियमों या आदेशों के अनुसार कोई नियमित नियुक्त करने के पूर्व उसके अभिलेख और उपर्युक्तता के आधार पर विचार किया जायेगा ।

(2) इस नियमावली के अधीन नियमित नियुक्ति करने में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडे वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा ।

(3) उपनियम(1) के प्रयोजनार्थ नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति गठित करेगा

(4) नयुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों में से एक पात्रता सूची उस ज्येष्ठता— कम में तैयार करेगा जैसा कि नियुक्त आदेश के दिनांक के अनुसार अवधारित हो, और यदि दो या अधिक ब्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उस कम में तैयार करेगा जिस कम मे उनके नाम उक्त नियुक्ति के आदेशों में कमबद्व किये गये हों । सूची की अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियों और ऐसे अन्य अभिसलेखों सहित,जो उनकी उपयुक्तता को निर्धारित करने के लिये आवश्यक हो,चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा ।

(5) चयन समिति अभ्यर्थियों के मामलों पर उप नियम(4) में निर्दिष्ट उनके अभिलेखों के आधार पर विचार करेगी ।

(6) चयन समिति चुने गये अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी । सूची में नाम ज्येष्ठता कम में रखे जायेगे, और वह उसके नियुक्त प्राधिकारी को भेजेगी ।

नियुक्तियां

5— नियुक्ति प्राधिकारी नियम 4 के उप नियम (2)के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उक्त नियम के उप नियम (6) के अधीन तैयार की गई सूची से नियुक्तियॉ उस कम में करेगा जिस कम में उनके नाम उक्त सूची में रखे गये हों।

क्तियों को सेवा नियमों अधीन किया मझा जाएगा

6— इस नियमावली के अधीन की गई नियुक्तियॉ संगत सेवा नियमों के आदेशो केयदि कोई हो, अधीन की गई समझी जायेगी।

ता

7 — (1)इस नियमावली के अधीन नियुक्ति कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व संगत सेवा नियमों या यथास्थिति नियमित विहित प्रकिया के अनुसार नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा।

(2)यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाये तो उनके परस्पर ज्येष्ठता नियुक्ति के आदेश में उल्लिखित कम में अवधारित की जायेगी।

(8)ऐसे व्यक्ति की सेवा जो तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया हो और जो उपर्युक्त न पाया जाये या जिसका मामला इस नियमावली के नियम —4 के उप नियम (1) के अधीन न आता हो, तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और समाप्ति पर यह एक मास का वेतन पाने का हकदार होगा।

ह0—
(आलाक कुमार जैन)
सचिव।

संख्या— 1113(1)/कार्मिक—2/2002 तददिनांक

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तरांचल शासन।
2— सचिव श्री राज्यपाल उत्तरांचल।
3— समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।
4— समस्त विभागाध्यक्ष उत्तरांचल।
5— स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली।
6— सचिव लोक सेवा आयोग उत्तरांचल हरिद्वार।
7— निदेशक राजकीय मुद्रणालय रूडकी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेशक को गजट में प्रकाशित कर इसकी 1000 प्रतियॉ उपलब्ध कराये ।
8— निबन्धक, उच्च न्यायालय उत्तरांचल नैनीताल।
9— आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा जन जाति उत्तरांचल देहरादून।
10— सचिव विधान सभा उत्तरांचल देहरादून।
11— समस्त मंत्रीयो के निजी सचिवों को मा0 मंत्रीगणों के सूचनार्थ ।
12— सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13— गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ह0/—
(आलोक कुमार जैन)
सचिव।

संख्या–1095/कार्मिक–2/2002

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव /सचिव
उत्तरांचल शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तरांचल।
3– समस्त जिलाधिकारी
उत्तरांचल।

कार्मिक विभाग–2 देहरादून दिनांक 6 अगस्त,2002

बिषयः– तदर्थ नियुक्तियों /पदोन्नतियों पर प्रतिबन्ध विषयक

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवाओं में स्थिरता एव स्थायित्व लाने तथा नियुक्ति प्रकिया में पारदर्शिता बनाये रखने के उददुश्य से सभी प्रकार की तदर्थ नियुक्तियों /पदोन्नतियों को हतोषाहित करना शासन की नीति रही है, लेकिन शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के बावजूद भी विभागो द्वारा समय–समय पर तदर्थ नियुक्तियों /पदोन्नतियों की आवश्यकता बतायी जाती है और तदर्थ नियुक्तियॉ की जाती हैं और सम्बन्धित पद पर कभी कभी चयन के लिए निर्धारित प्रकिया का अनुपालन किये बिना ही तदर्थ नियुक्तियॉ की जाती हैं। तदर्थ नियुक्तियॉ चाहें सीधी भर्ती के माध्यम से की जाये अथवा पदोन्नति के माध्यम से, जहॉ एक ओर तदर्थवाद को बढावा मिलता है वहीं दूसरी ओर सेवाओं में अस्थिरता उत्पन्न होती है और धीरे धीरे तदर्थ नियुक्ति कार्मिको द्वारा भी नियमितिकरण की मांग की जाती है। इसके अतिरिक्त तदर्थ नियुक्तियॉ करने से जहॉ नियमित चयनों में विलम्ब होता है वही ऐसी नियुक्तियों के कारण सम्बन्धित सेवा सर्वगों में सेवा सम्बन्धी विवाद भी उत्पन्न होते है जिसके कारण मामले मा0 न्यायालयों में जाते है और उच्चतर पदों में समय से पदोन्नतियॉ नही हो पाती है।

2– अतः शासन द्वारा समयक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गये है

(1) तदर्थ नियुक्तियॉ सामान्यतः नही होनी चाहिए। वर्तमान में इनमे पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध है यदि किसी अपरिहार्य परस्थितियों में तदर्थ नियुक्तियॉ किया जाना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा समुचित प्रकिया निर्धारित करते हुए जो यथा सम्भव नियमावली में निर्धारित प्रकिया के अनुरूप हो, कार्मिक विभाग की सहमति के पश्चात मा0 मंत्री परिषद के अनुमोदन से ही किया जा सकेगा।

(2) जिन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इसका उल्लंघन करके तदर्थ नियुक्तियां की जाएंगी ऐसी नियुक्तियां करने को गंभीर कदाचार समझा जाएगा, जिसके लिए उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी और तदर्थ नियुक्त कार्मिक के वेतन/भत्तों पर किये गये व्यय को उनके वेतन से वसूला जाएगा।

(3) आपसे अनुरोध हे कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय
ह0–
(आलोक कुमार जैन)
सचिव।

संख्या: 1095(1)/कार्मिक–2/2002 तददिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– गोपन अनुभाग को उनके पत्र संख्या 4/2/11/2002 सी–एक्स दिनांक 28 जून 2002 के सन्दर्भ में।

2– सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से
ह0/–
(रमेश चन्द्र लोहनी)
उप सचिव।

उत्तरांचल शासन
कार्मिक अनुभाग
संख्या–44/कार्मिक अनुभाग–2/2003
देहरादून दिनांक 5अप्रैल,2003
अधिसूचना

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा–71(1) में उल्लिखित दसवी सूची में विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासन अकादमी नैनीताल के नाम को परिवर्तित कर " उत्तरांचल प्रशासन अकादमी नैनीताल (Uttranchal Academy of Administration Nainital) किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

ह0–
(आलोक कुमार जैन)
सचिव।

संख्या–44(1)/कार्मिक –2/2003 तददिनांक

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार उत्तरांचल देहरादून
2– सचिव श्री राज्यपाल उत्तरांचल।
3– सचिव मा0मुख्य मेत्री उत्तरांचल
4– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तरांचल शासन।
5– कार्मिक एवं लोक शिकायत प्रशासन एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार।
6– समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।
7– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8– निदेशक उत्तरांचल प्रशासन अकादमी नैनीताल को उनके पत्र संख्या 1970/1– 13/2002दिनांक 20–12–2002 के सन्दर्भ में प्रेषित।
9– निदेशक मुद्रणा एवं लेखन सामग्री रूडकी (हरिद्वार)को अधिसूचना की हिन्दी प्रति को संलग्न करते हुए इस निवेदन के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को मुद्रित कराकर इसकी 100 प्रतियॉ कार्मिक अनुभाग–2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ह0/–
(सुरेन्द सिंह रावत)
अपर सचिव।

संख्या–1297/तीस–2/2004

प्रेषक,

नृपसिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराचल शासन।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल ।

2– मण्डलायुक्त,
कुमायूं एवं गढवाल मण्डल,
उत्तरांचल ।

3– समस्त विभागाध्य,
उत्तरांचल ।

4– समस्त कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल ।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 25अगस्त,2004

विषयः– लोक सेवकों द्वारा कार्यालयों में स्वच्छता,समयबद्वता एवं शिष्टता के संबध में।

महोदय,

लोक सेवक का आचरण राज्य की छवि को प्रतिबिम्बित करता है ।सभी लोक सेवकों का यह दायित्व है कि वे अपनी कार्यशली और आचरण से राज्य की छवि को प्रतिबिम्बित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें, क्यों कि किसी राज्य की छवि उसके लोक सेवकों की कार्यप्रणाली और आचरण पर निर्भर करती है । और इसी के साथ जनता के हितो की रक्षा होती है । लोक सेवकों की कार्यप्रणाली और आचरण मुख्य रुप से कार्यालय की स्वच्छता,समयबद्वता ,कार्यों के निस्तारण में तत्परता,सौहार्दपूर्ण ब्यवहार एवं शिष्टता से परिलक्षित होती है ।

2– अतः इस संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक लोक सेवक का यह दायित्व होगा कि वे अपने कार्यालय को स्वच्छ एवं सुब्यवस्थित बनाये रखें,कार्यालयों में उपस्थिति के संबध में समयबद्वता सुनिश्चित करें । कार्यों के निस्तारण शीघ्रता से करें ताकि जनता को अपने कार्यों को निरूतारित करने के लिये बार–बार आने की स्थिति उत्पन्न न हो । जनता द्वारा की जाने वाली जिज्ञासाओं के संबध में उन्हें समुचित सम्मान देते हुये स्पष्ट उत्तार दें । कार्यालय कार्यों को सौहार्दपूर्ण तरीके से निस्तारित करें । जनसम्पर्क की सभी बिन्दुओं की छोटी से छोटी इकाई पर आम जनता को समुचित सम्मान दें और जनता के साथ सद्भावपूर्वक एवं शिष्टता के साथ व्यवहार करें।

3– अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त निर्देशों का सभी स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें। अपने स्तर पर इस संबध में कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत भी करादें ।

भवदीय,
ह0/–
(नृपसिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव ।

संख्या (1) /तीस-2 /2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव उत्तरांचल शासन।
2- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से
ह0/-
(आर0सी0लोहनी)
उप सचिव।

उत्तरांचल शासन
कार्मिक अनुभाग–1
संख्या– 4216/ तीस–1 –2004
देहरादून : दिनांक : 02 दिसम्बा,2004

विषय:– शासन में शाखाओं का गठन व शाखा– प्रमुखों के अधिकारों का प्रतिनिधायन ।

सचिवालय में अवस्थापना विकास आयुक्त, प्रमुख सचिव वन, एवं ग्राम्य विकास आयुक्त तथा प्रमुख सचिव एवं समाज कल्याण आयुक्त शाखा का गठन किया गया है। उपरोकत तीनों शाखाओं के अन्तर्गत निम्न विभाग रखे गये हैं :

1.1 अवस्थापना विकास आयुक्त
1 लोक निर्माण विभाग
2 पर्यअन विभाग
3 उद्योग विभाग
4 सूचना प्रौद्यौगिकी
5 वायो–टैक्नोलाजी
6 नगर विकास विभाग
7 नागरिक उद्छयन विभाग
8 ऊर्जा विभाग
9 सिचाई विभाग
10 अपारम्परिक ऊर्जा
11 परिवहन विभाग
12 उच्च शिक्षा
13 विद्यालय शिक्षा
14 तकनीकी शिक्षा
15 पेयजल
16 आवास

1.2– प्रमुख सचिव तथा वन एव्र ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा
1 वन एवं पर्यावरण विभाग
2 ग्राम्य विकास विभाग
3 पंचायतीराज विभाग
4 ग्रामीण अभियंत्रण विभाग
5 लघु सिचाई विभाग एवं कृत्रिम रुप से भूमिगत जल संवर्धन एवं वर्षा जल संग्रहण
6 जलागम प्रबन्ध विभाग
7 कृषि, कृषि विपणन एवं कृषि शिखा विभाग
8 सहकारिता विभाग
9 गन्ना विकास विभाग
10 चीनी उद्योग विभाग
11 पशुपालन विभाग
12 दुग्ध विकास विभाग
13 मत्स्य पालन विभाग
14 उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
15 रेशम विभाग

1.3 प्रमुख सचिव तथा समाज कल्याण आयुक्त शाखा

1 समाज कल्याण
2 महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
3 पिछड़ा वर्ग विभाग
4 सैनिक कल्याण विभाग
5 अल्प संख्यक कल्याण विभाग
6 विकलांग कल्याण विभाग
7 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग

2. शाखाओं में अपर सचिव व उससे कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों के मध्य आन्तरिक कार्य आंबटन का अधिकार कमशः अवस्थापना विकास आयुक्त, प्रमुख सचिव तथा वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त तथा प्रमुख सचिव एवं समाज कल्याण आयुक्त को प्रतिनिधानित करते हुये निम्नलिखित प्रकिया निर्धारित की जाती है:

2.1 आईए0एस0, पी0सी0एस0 तथा अन्य राज्याधीन सेवाओं के अपर सचिव व उनके कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों को उक्त तीन शाखाओं में तैनाती कार्मिक विभाग द्वारा की जायेगी और शाखाओं में उसके मध्यम कार्य आंबटन शाखा–प्रमुख के रूप में अवस्थापना विकास आयुक्त, प्रमुख सचिव तथा वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव एवं समाज कल्याण आयुक्त द्वारा किया जायेगा ।

2.2 सचिवालय सेवा के अधिकारियों अपर सचिव एवं उससे कनिष्ट अधिकारियों की तैनाती उक्त तीन शाखाओं में सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा की जायेगी और शाखा उनके मध्य कार्य आवंटन अवस्थापना विकास आयुक्त, प्रमुख सचिव तथा वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव एवं समाज कल्याण आयुक्त द्वारा किया जायेगा।

2.3 शाखा प्रमुखों द्वारा प्रस्तर 2.1 व 2.2 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किये जायेगें ऐसे समस्त आदेशों की पत्रावलियों के रख रखाव के लिए अपर शाखा के अधीनस्थ किसी विभाग को नोडल विभाग नामित किया जायेगा। उक्त नोडल विभाग द्वारा शाखा के अन्तर्गत पारित किये जाने वाले समस्त आदेशों की पत्रावलियों का अनुरक्षण किया जायेगा। तथा ऐसे समस्त आदेशों की प्रति अनिवार्य रूप से कार्मिक विभाग को पृष्ठाकित की जायेगी।

2.3 यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

ह0/–
(आर0एस0टोलिया)
मुख्य सचिव।

संख्या–4216(1)/तीस–1–2004 तददिनांक।
प्रतिलिपि– निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन।
2– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तरांचल शासन।
3– सचिव सचिवालय प्रशासन विभाग उत्तरांचल शासन।
4– मण्डलायुक्त ,कुमायू/गढ़वाल मण्ड्ल।
5– समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल

आज्ञा से
ह0
(नृपसिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1887/तीस–(2)/2005

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– अपर मुख्य सचिव
उत्तरांचल शासन।

2– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तरांचल शासन।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक जुलाई 05, 2005

बिषयः– अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों का शीघ्रता से निस्तारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सदैव इस बात पर बल दिया जाता रहा है कि सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही का निस्तारण शीघ्रता से सुनिश्चित किया जाय। परन्तु प्रायः यह देखने में आया है कि सामान्य तया अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने व उसे पूरा करने में तत्परता नही बरती जाती है। बहुत से मामलों में वर्षो पुरानी घटनाओं /आरोपों के आधार पर अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय ले लिया जाता है। कई मामलों में अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने के बाद लम्बे समय तक जांच कार्यवाही पूरी नहीं हो पाती है। विलम्ब से जांच करने में इस बात की सम्भावना बनी रहती है कि सम्बन्धित आरोपों को सिद्ध कर सकने वाले साक्ष्य ही मिट जायें और दोषी सरकारी सेवक दण्ड पाने से बच जाय। यदि जांच करने का निर्णय ही देर में लिया जाय तो इस बीच सरकारी सेवक को वेतन बृद्धि , स्थाईकरण, पदोन्नति जैसो लाभ मिल चुके होने के कारण अनुशासनिक कार्यवाही का कोई महत्व नही रह जाता है। जहाँ अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ होने के बाद लम्बे समय तक चलती है वहाँ आरोपित सरकारी सेवक के पदोन्नति आदि के मामले लम्बे समय तक लम्बित रखने पडते है, जिससे उनमें कुण्ठा उत्पन्न होती है और कैडर मैनेजमैंट में समस्यायें उत्पन्न होती है। अतः आवश्यक है कि अनुशासनिक कार्यवाही समय से की जाय और निर्धारित समय सारणी के अनुसार उसे पूरा कर लिया जाय।

यह भी देखने में आया है कि बहुत से मामलों में अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय अत्यन्त जल्दबाजी में या आवेश में आकर ले लिया जाता है और निर्धारित समय सीमा में आरोप पत्र तैयार नही हो पाता है तथा इस बात की छानबीन होती रहती है कि जो आरोप हैं उनमें किन नियमों /आदेशों की अवहेलना/उल्लघंन निहित हैं तथा उसे सिद्ध करने के लिए आरोप पत्र किन किन साक्ष्यों का उल्लेख /समावेश किया जा सकता है। कुछ मामलों में अनुशासनिक कार्यवाही का निर्णय लेते समय इस विन्दु पर विचार नहीं किया जाता है कि संज्ञान में आये हुए आरोप यदि सिद्ध हो जायेगें तो उनकी गम्भीरता को देखते हुए मात्र कोई लघु शस्ति देना ही तो पर्याप्त नहीं होगा और अन्ततः सभी आरोप सिद्ध होने के बावजूद परिनिन्दा प्रविष्टि जैसा लघु शास्ति दिये जाने का निर्णय होता है जबकि नियमानुसार लघु शस्ति देने के लिए आरोप पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही करना आवश्यक नही होता है। सरकारी विभाग से जो जांच रिर्पोट प्राप्त होती है

उनमें कई मामलों में लघु शास्ति दिये जाने की संस्तुति की जाती है उनमें भी अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। ऐसे मामलों में जहाँ लघु दण्ड शास्ति दिया जाना है, वहाँ अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने से अत्यधिक समय नष्ट होता है और सम्बन्धित अधिकारी /कर्मचारी को कठिनाई का सामना करना पडता है । शास्ति को वर्षो बाद देने से शास्ति लगभग प्रभावहीन हो जाती है और लघु शास्ति के पीछे जो सुधारात्मक दृष्टिकोण निहित होता है वह भी पूरा नहीं हो पाता है।

उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अनुशासनिक कार्यवाही का निस्तारण शीघ्रता से सुनिश्चित करने तथा अनुशासनिक कार्यवाही की समय सारिणी को अधिक प्रभावकारी और व्यवहारिक बनाने के उददेश्य से शासन द्वारा निम्न लिखित निर्णय लिये गये है :–

(1) प्रत्येक दशा में यथा सम्भव निलम्बन आरोप पत्र बनाने के बाद ही किया जाय और जब भी किसी अधिकारी द्वारा किसी सरकारी सेवक (कर्मचारी/अधिकारी) के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जाय तो ऐसे प्रस्ताव के साथ उनके द्वारा आरोप पत्र अवश्यक प्रेषित किया जाय।

(2) नियत्रक अधिकारी द्वारा यह सूनिश्चित किया जाय कि अपचारी सरकारी सेवक को प्रशासकीय कार्य में इस सीमा तक न लगाये रखो कि उसे यह कहने का मौका मिले कि वह अपने प्रशासकीय /शासकीय कार्य में व्यस्थ होने के कारण समय से उत्तर नहीं दे सका।यदि जांच पूर्व नियुक्ति के स्थान से सम्बन्धित है तो अपचारी सरकारी सेवक को उस स्थान पर जाने की अनुमति दे दीजाय जहाँ उसे अभिलेख आदि देखने हो।

(3) निलम्बन एवं अनुशासनिक कार्यवाही का प्रस्ताव भेजने से पूर्व आरोप पत्र के साथ अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्यों का उल्लेख स्पष्ट रूप से कर दिया जाय और अभिलेखीय साक्ष्यों की प्रतियाँ भी संलग्न कर भेजी जाय।

(4) किसी सरकारी सेवक के निलम्बन का प्रस्ताव /रिर्पोट भेजने वाले अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे उन आरापों से सम्बन्धित अभिलेख अपने पास रखे जिनके आधार पर उन्होंने निलम्बन का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किया है ताकि जांच अधिकारी व अपचारी सरकारी सेवक को समय से वांछित अभिलेख उपलब्ध कराये जा सके यदि वे अभिलेख किसी अन्य मामले में वांछित हो तो साक्ष्य के लिए ऐसे अभिलेखों की फोटो प्रतियाँ बनाकर प्रस्ताव करने वाले अधिकारी द्वारा अपने पास रख ली जाय।

(5) समस्त कार्यालयों / अधिष्ठानों की मासिक समीक्षा हेतु आयोजित बैठकों में विभागीय कार्यवहियों की समीक्षा भी की जाय। यह समीक्षा जिला स्तर ,मण्डल स्तर , विभागाध्यक्ष स्तर तथा शासन स्तर पर की जाय।

त्यधिक घटनाओं संबंध में कार्यवाही

6. सामान्यतः बहुत पुरानी घटनाओं जब तक कि उनमें कोई गम्भीर दुराचरण या शासन को आर्थिक क्षति का मामला निहित न हो, के संबंध में अनुशासनिक कार्यवाही / जांच प्रारम्भ न की जाये।

ास्ति प्रकिया

7. किसी सरकारी सेवक के विरूद्ध आरोप संज्ञान में आने पर शस्ति देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यह सूनिश्चित किया जाये कि क्या आरोपों के सिद्ध होने पर भी मात्र लघु शास्ति दिया जाना ही पर्याप्त होगा ? यदि हाँ तो आरोप पत्र जारी कर अनुशासनिक कार्यवाही का निर्णय लिये जाने के बजाय, यदि आवश्यक हो तो सम्बन्धित सरकारी सेवक का स्पष्टिकरण लेकर निम्न लिखित प्रकिया अपनाई जाय।

(क) यदि परिनिन्दा प्रविष्टि या वृद्धि का औचित्य पाया जाय तो शास्ति देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आरोपों व उन्हें सिद्ध करने वाले साक्ष्यों आदि का उल्लेख करते हुए सीधे ही दो सप्ताह के भीतर शास्ति जारी कर दिया जाय।

(ख) यदि उपरोक्त के अतिरिक्त कोई अन्य लघु शास्ति(डिसमिसल ,रिमूवल,प्रत्यावर्तन, जो वृहत दण्ड है को छोड कर) देने का औचित्य हो तो अधिकतम तीन सप्ताह का समय देते हुए आरोपित सरकारी सेवक का स्पष्टीकरण मांगा जाय तथा स्पष्टीकरण प्राप्त होने या स्पष्टीकरण देने की अवधि बीतने के दो सप्ताह के भीतर शास्ति आदेश पारित कर दिया जाय।

दीर्घ शास्ति देने की प्रकिया

8. (1) जहॉ नियुक्ति प्राधिकारी का आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए यह विचार हो कि यदि आरोप सिद्ध हो जोयगें तो बृहद शास्ति देने का औचित्य होगा, तो दो सप्ताह के भीतर आरोप पत्र जारी कर दिये जायें ।

(2) प्रत्येक दशा में यथासम्भव, निलम्बन आरोप पत्र बनाने के बाद ही किया जाय और जब भी किसी अधिकारी द्वारा किसी सरकारी सेवक (कर्मचारी /अधिकारी) के विरूद्ध ऐसी कार्यवाही प्रस्तावित की जाय तो ऐसे प्रस्ताव के साथ उनके द्वारा आरोप पत्र तैयार कर अवश्य प्रेषित किया जाय।

(3) आरोप पत्र में आरोपित सरकारी सेवक से एक माह के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाय तथा अत्यन्न विशेष परिस्थितियों में स्पष्टीकरण के लिए अनधिक एक माह का समय दिय जाने पर विचार कर लिया जाय परन्तु इस हेतु किसी भी दशा में दो माह से अधिक समय न दिया जाय। उक्त अवधि में स्पष्टीकरण दे सकने के लिए उसे पर्याप्त अवसर देने के उददेश्य से सभी संगत अभिलेख आदि आरोप पत्र के साथ ही संलग्न कर उपलब्ध करा दिये जाय। फिर भी यदि किसी अन्य अभिलेख को देखने की अनुमति देना अवश्यक हो तो उन्हें तत्काल अवलोकित करादिया जाय और यदि उनकी तैनाती से भिन्न स्थान पर उपलब्ध हो तो उसके लिए उसे दो सप्ताह के लिए उस स्थान पर जाने की अनुमति दे दी जाय, जहॉ अभिलेख उपलब्ध हों।

(4) आरोपी सरकारी सेवक का स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद अधिकतम तीन माह के भीतर जांच अधिकारी द्वारा जांच की कार्यवाही जिसमें गवाहों का परीक्षण प्रति परीक्षण भी शामिल है, पूरी करली जाय। इस अवधि में जांच पूरी करने के उददेश्य से यह सूनिश्चित कर लिया जाय कि जांच से सम्बन्धित स्थान पर तैनात अधिकारी को ही सामन्यतया जांच अधिकारी नियुक्त किया जाय। जहॉ यह सम्भव न हो वहॉ उस स्थान से निकटतम् स्थान पर तैनात अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया जाय। जांच अधिकारी वैयक्तिक नाम के बजाय केवल पद नाम से नियुक्त किया जाय , ताकि उनके स्थानान्तरण/सेवा निवृत्ति आदि के अवसर पर नयें जांच अधिकारी की नियुक्ति की अवश्यकता न हो।

(5) यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वयं जांच सम्पन्न न की गई हो तो (क) जांच अधिकारी द्वारा जांच समाप्त होने के दो सप्ताह भीतर अपनी जांच आख्या नियुक्ति प्राधिकारी अनुशासनिक अधिकारी को प्रस्तुत कर दी जाय।

(ख) जहॉ सेवा से पदच्युत ,सेवा से हटाना किसी निम्नतर पद या श्रेणी या समय वेतनमान या किसी समय वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति करना या संचयी प्रभाव के साथ वेतन वृद्धि रोकना में से कोई दीर्घ शास्ति प्रस्तावित हो, तो जांच आख्या रिपोर्ट की प्रतिलिपि एवं उस पर अनुशासनिक अधिकारी के अभिलिखित निष्कर्षो की प्रति आरोपित सरकारी सेवक को उपलब्ध कराते हुए आरोपित सरकारी सेवक से यह अपेक्षा की जाय कि वे इस पर अपना प्रत्यावेदन, यदि देना चाहे तो दो सप्ताह के भीतर अनुशासनिक अधिकारी को उपलब्ध करा दे।

(6) आरोपित सरकारी सेवक का अभ्यावेदन प्राप्त होने या अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित अवधि बीतने जैसी भी स्थिति हो के पश्चात अगले दो सप्ताह के भीतर अनुशानिक अधिकारी द्वारा समुचित शास्ति आदेश जारी कर दिये जांय । यदि उक्त सरकारी सेवक

की नियुक्ति उस अधिकारी द्वारा प्रदान की गइ हो जो उसे दण्ड देते समय संबधित पद के नियुक्ति प्राधिकारी से उच्च स्तर के हो, तो बृहद शास्ति के आदेश उस अधिकारी द्वारा ही जारी किये जांय , जिसने उस सेवक को वास्तव में तत्समय नियुक्ति प्रदान की थी ।

(7) उपरोक्त प्रकिया के अनुसार जांच आख्या एवं उस पर अनुशासनिक अधिकारी के अभिलिखित निष्कर्षो की प्रति दिये जाने के अलावा कोई अन्य शो–काज नोटिस दिये जाने की आवश्यकता नही है, क्यों कि सविधान के 42वें शंशोधन के परिणाम स्वरुप अब सेंकेण्ड अपारच्युनिटी दिये जाने की ब्यवस्था समाप्त हो गई है।

(8) जहां कोई शास्ति दिये जाने के लिये लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक हो, वहां शास्ति आदेश पारित करने के पूर्व लोक सेवा आयोग को सन्दर्भ किया जाये और उनसे अधिकतम 6 सप्ताह के भीतर परामर्श प्राप्त किया जाये तथा परामर्श प्राप्त होने के पश्चात दो सप्ताह के भीतर शास्ति आदेश पारित कर दिये जांये ।

9– प्रत्येक विभाग के उपरोक्त समय सारिणी को कडाई से लागू करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाये जो अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करेगा कि अनुशासनिक कार्यवाही के लिए निर्धारित समय सारिणी का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं । समय–सारिणी का पालन न करने वाली अधिकारी के विरूद्ध विभागाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक माह सचिव स्तर पर आख्या प्रस्तुत की जायेगी और जिन प्रकरणों में बिलम्ब दृष्टिगोचर हो , उसकी आख्या मुख्य सचिव स्तर पर भेजी जायेगी। प्रत्येक अनुशासनिक कार्यवाही का अनुश्रवण किया जायेगा जो कार्यवाहियॉ समय पर नहीं हो पायेगी उसकी सूचना विभागाध्यक्ष, विभागों के सचिव व मुख्य सचिव स्तर पर उपलब्ध करायी जायेगी ताकि अनुश्रवण किया जा सके। सभी सचिव एवं विभागाध्यक्ष स्तर पर होने वाले मासिक बैठकों में भी अनुशासनिक कार्यवाही के निस्तारण में होने वाले विलम्ब के संबंध में विचार विमर्श किया जाये और एक अभियान चलाकर सभी लम्बित अनुशासनिक कार्यवाहियों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाय।

10–अनुरोध है कि उपरोक्त निर्णयों से अनुशासनिक कार्यवाही से सम्बद्ध समस्त अधिकारियों को कृपया अवगत करा दे और यह निर्देश दे दे कि सन्दर्भगत समय सारिणी /उपरोक्त निर्णयों का सभी स्तरों पर कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय
ह0/–
(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या 1887(1) तीस–(2)/2005 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायू(पौड़ी/नैनीताल) उत्तरांचल।
2– समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।
3– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उत्तरांचल।
4– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5– अधिशासी निदेशक एन. आई. सी. उत्तरांचल।
6– सचिव लोक सेवा आयोग उत्तरांचल हरिद्वार।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से
ह0/–
(रमेश चन्द्र लोहनी)
संयुक्त सचिव।

संख्या–412/तीस–(2)/2004

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराचल शासन।

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल ।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक 05 मार्च, 2005

बिषय:– राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपने स्थानान्तरण के समय चार्ज नोट छोडा जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रत्येक वर्ष वार्षिक स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत विभिन्न विभागो एवं जनपदो के अधिकारियों के स्थानान्तरण किये जाते हैं। विभिन्न विभागों एवं जनपदों मे कार्यरत अधिकारी शासन की नीतियों ,विकास कार्यकमों, परियोजनाओं तथा अन्य कार्यकमों के कियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। पूर्व से ही यह नीति रही है कि स्थानान्तरण के फलस्वरूप अधिकारी अपने उत्तराधिकारी के लिए एक चार्ज नोट लिख कर छोड जाये, जिससे स्थानान्तरण के फलस्वरूप नये अधिकारी को नवीन स्थान एवं पद से समबन्धित विकास कार्यकमों /परियोजनाओं तथा अन्य कार्यकमों की रूपरेखा ,उनकी अद्यतन स्थिति की जानकारी हो जाय और उसे अपने कार्य से सम्बन्धित स्थिति की जानकारी तुरन्त प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो।

अत: किसी भी अधिकारी के स्थानान्तरण के फलस्रूप प्रदेश में चल रहे विकास कार्यकमों , परियोजनाओं तथा अन्य कार्यकमों के कियान्वयन में कोई गतिरोध उत्पन्न न हो, इस उददेश्य से शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जनपद /मण्डल स्तर पर अथवा विभिन्न विभागों के मुख्यालयों पर तैनात जो राज पत्रित अधिकारी स्थानान्तरित हो, वे कार्यमुक्त होने से पूर्व अपने उत्तराधिकारी के लिए एक टिप्पणी (चार्ज नोट)अनिवार्य रूप से बनाकर छोड दे ताकि नये अधिकारी को उस विभाग /जनपद /मणडल में कार्यान्वित किये जा रहे विकास कार्यकमों /परियोजनाओं तथा ऐसे प्रकरणों, जिन पर तत्काल ध्यान देने की अवश्यकता हो, के सम्बन्ध में, कार्यभार ग्रहण करते ही जानकारी प्राप्त हो जाय।

उपर्युक्त प्रथा अन्य उच्चाधिकारियों तथा विभागाध्यक्षो द्वारा भी अपनाई जानी उपयुक्त होगी।

4– आपसे अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
ह0
(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 412–(1)/तीरा(2) /2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मण्डलायुक्त कुमायू /गढ़वाल उत्तरांचल।

2– समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।

आज्ञा से

ह0

(रमेश चन्द्र लोहनी)

संयुक्त सचिव।

संख्या–48/तीस–(2)/2006

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराचल शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल।

2– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल ।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक 05 मार्च, 2005

विषय:– लोक सेवा आयोग की सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के पदों पर चयन हेतु अधियाचन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत आने वाले सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के पदों पर चयन हेतु अधियाचन प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 375/कार्मिक–2/2002 दिनांक 10 अप्रैल ,2002 द्वारा निर्देश किये गये हैं। सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के पदों पर चयन किये जाने के प्रत्येक चयन वर्ष में 01 जुलाई को उपलब्ध रिक्तियों तथा 30 जून तक घटित होने वाली परिणामी रिक्तियों के लिए प्रतिवर्ष लोक सेवा आयोग को अधियाचन प्रेषित किया जाना आवश्यक है ताकि आयोग द्वारा प्रति वर्ष चयन करने के उपरान्त चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुतियॉ शासन को प्रेषित की जा सके। प्रति वर्ष चयन होने के आधार पर जहॉ एक ओर पद लम्बे समय तक रिक्त नहीं रहते है वही दूसरी ओर पात्र कार्मिको की पदोन्नति भी सयम से सुनिश्चित होती है। ऐसा करने से शासन का कार्य भी प्रभावित होने की सम्भावना नहीं रहती हैं प्रया: यह देखने में आया है कि अनेक विभागो द्वारा सीधी भर्ती तथा पदोंन्नति कोटे की रिक्तियों को आंगणित करके चयन हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन प्रतिवर्ष प्रेषित नहीं किये जाते है फलस्वरूप पद रिक्त रहने के कारण कार्य प्रभावित होता है।

2– अत: इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि कृप्या लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती एवं पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर चयन हेतु प्रतिवर्ष रिक्तियॉ आगणित करते हुए प्रत्येक वर्ष के जुलाई माह में अधियाचन लोक सेवा आयोग को अवश्य प्रेषित कर दिय जाय ताकि आयोग द्वारा समय से चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुतियॉ सम्बन्धित विभागों को उपलब्ध करायी जा सके।

भवदीय,
ह0
(नृपसिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 48(1) तीरा(2)/2006 तददिनांक

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— सचिव लोक सेवा आयोग हरिद्वार
2— मण्डलायुक्त कुमायू/गढ़वाल
3— सचिवालय के समस्त अनुभाग
4— समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल
5— अधिशासी निदेशक एन0आई0सी0 देहरादून

आज्ञा से
ह0
(आर0सी0लोहनी)
संयुक्त सचिव।

उत्तरांचल शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या– 2607/ X X X (ii)/2005
कार्यालय ज्ञाप ।

अधोहताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक सेवा आयेग द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं तथा अन्य चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

(1) किसी चयन वर्ष विशेष में घटित होने वाली रिक्तियों की सही गणना सुनिश्चित करने के उपरान्त ही लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जाय। अधियाचन भेजे जाने के उपरान्त यथा सम्भव रिक्तियों में कोई परिवर्तन न किया जाय।

(2) चयनित अभ्यथियों की संस्तुतियाँ प्राप्त होने के उपरान्त उन्हें कार्यभार अवश्य काराया जाय। शिवाय उन मामलों के जहाँ सम्बन्धित विभाग /संस्था /संगठन को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया हो अथवा किसी न्यायालय द्वारा कोई अन्यथा आदेश दिये गये हो। सम्बन्धित विभाग /संस्था /संगठन को समाप्त किये जाने अथवा न्यायालय द्वारा कोई अन्यथा आदेश दिये जाने की स्थिति में अधियाचित पदों को ही समाप्त किये जाने अथवा रिक्तियों की संख्या में परिवर्तित किये जाने के निर्णय लिये जाने की दशा में तत्काल आयोग को सूचित किया जाय।

3– सम्बन्धित विभागो द्वारा संस्तुतियॉं /आवंटन प्राप्त होने के एक माह अन्दर नियुक्ति आदेश जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा अभ्यर्थि को प्रथमतः कार्यभार ग्रहण करने हेतु अधिकतम एक माह का समय प्रदान किया जायेगा जिसे अपरिहार्य परिस्थितियों में एक माह तक और बढाने पर विचार किया जा सकता है।

4– निर्धारित अवधि में कार्यभाग ग्रहण न करने वाले अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त करते हुए घटित रिक्तियों को आगामी चयन वर्ष हेतु अग्रेनीत कर दिया जाय।

5– चयन सूची का उपयोग उसी चयन वर्ष की रिक्तियों की विरूद्ध किया जाय जिसके लिए अधियाचन भेजा गया हो /चयन किया गया हों।

6– एकल संवर्ग के पदो को छोडकर समस्त सम्मिलित सेवाओं एवं अन्य चयनों में प्रतिक्षा सूची का निर्माण नहीं किया जायेगा और न हीं किसी प्रकार के रिशफलिंग की कार्यवाही की जायेगी।

2– उपर्युक्त आदेशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

ह0–
(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 2607/XXX/2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
2– समस्त प्रमुख सचिव एवं सचिव उत्तरांचल शासन।
3– सचिव लोक सेवा आयोग ,उत्तरांचल हरिद्वार।
4– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तरांचल।
5– मण्डलायुक्त, कुमायू एवं गढवाल।
6– समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।
7– सचिव विधान सभा उत्तरांचल ।
8– सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से
ह0
(आर0सी0लोहनी)
संयुक्त सचिव।

संख्या 2858/तीस(2)/2005

प्रेषक,

डा0 आर0एस0टोलिया,
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में

1— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।
2— समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग—2 देहरादून दिनांक 23 सितम्बर,2005

विषय— अधिकारियों एवं कर्मचारियों की विभागीय परीक्षा का संचालन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति के पश्चात परिवेक्षा अवधि पूर्ण होने तथा पदोन्नति के पश्चात परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर कतिपय पदों के समबन्ध में सम्बन्धित सेवा नियमावलियों में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने की व्यवस्था विद्यमान है। राज्य गठन से पूर्व ऐसी विभागीय परीक्षाओं का आयोजन अध्यक्ष विभागयी परीक्षाएं एवं आयुक्त इलाहाबाद मण्डल द्वारा लोक सेवा आयोग उ0प्र0 के माध्यम से किया जाता था। शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि उत्तरांचल राज्य के विभिन्न विभागों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की विभगीय परीक्षा वर्ष 2000,2001,2002, एवं 2003 में उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के माध्यम से करायी गई थी तथा वर्ष 2004 की परीक्षा के आयोजन हेतु आवेदन पत्र सक्षम अधिकारियों के माध्यम से अग्रसारित कराकर लोक सेवा आयोग उ0प्र0 को प्रेशित किये गये हैं।

2— अतः इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के प्रक्रम में परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात विभागीय परीक्षा आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में जिन सेवाओ एवं पदों में व्यवस्था विद्यमान है ऐसी सेवाओं एवं पदों पर विभागीय परीक्षा का आयोजन वर्ष 2004 तक के लिए उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा किया जायेगा, परन्तु वर्ष 2005 से समस्त सेवाओं एवं पदों पर विभागीय परीक्षा आयोजन उत्तरांचल प्रशासन अकादमी नैनीताल द्वारा किया जायेगा।

3— अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया भविष्य में अधिकारियो /कर्मचारियो की विभागीय परीक्षा आयोजित किये जाने के प्रस्ताव उत्तरांचल प्रशासन अकादमी नैनीताल को प्रेषित करने का कष्ट करे।

भवदीय,
ह0
(डा0आर0एस0टोलिया)
मुख्य सचिव।

संख्या –2858 / तीस–(2) / 2005 तददिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक उत्तरांचल प्रशासनिक अकादमी नैनीताल।
2– डा0 ललित बर्मा अध्यक्ष विभागीय परीक्षायें /आयुक्त इलाहाबाद मण्डल,इलाहाबाद उ0प्र0
3– समस्त जिला अधिकारी उत्तरांचल।
4– सचिव श्री राज्यपाल
5– सचिव विधान सभा उत्तरांचल ।
6– सचिव लोक सेवा आयोग उत्तरांचल, हरिद्वार।
7– सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से
ह0
(आर0सी0लोहनी)
संयुक्त सचिव।

उत्तरांचल शासन
कार्मिक अनुभाग–1
संख्या– 4034/ XXX–1-/ 2005
देहरादून दिनांक 07 अक्टूबर,2005
विज्ञप्ति
नियुक्ति

श्री एम0रामचन्द्रन, आई0ए0एस0(उत्तरांचल–72) को दिनांक 04 अक्टूबर, 2005 की पूर्वान्ह से मुख्य सचिव,उत्तरांचल शासन,देहरादून के पद पर नियुक्ति किया गया है।

ह0
(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या–4034(1)/30–1–2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार नई दिल्ली।
2– समस्त प्रदेशों के मुख्य सचिव।
3– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तरांचल शासन देहरादून।
4– स्थानिक आयुक्त उत्तरांचल नई दिल्ली।
5– सचिव श्री राज्यपाल उत्तरांचल।
6– आयुक्त कुमायू/गढ़वाल उत्तरांचल।
7– समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।
8– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तरांचल देहरादून
9– महा निबन्धक मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल।
10– सम्बन्धित अधिकारी।
11– उप निदेशक राजकीय प्रेस रूडकी को इस आशय से प्रेषित कि कृपया विज्ञप्ति को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ ।

आज्ञा से
ह0
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सिचव

विभाग—9

संख्या—1055 / का—1 / 2001

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तरॉचल शासन।

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरॉचल।

कार्मिक विभाग देहरादून दिनांक 20 जून, 2001

विषय— मृतक सरकारी सेवकों के आश्रितों को सेवायोजन प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तरांचल राज्य में मृतक सरकारी सेवको के आश्रितों के सम्बन्ध में जब तक कि कोई नई नीति निर्धारित नही हो जाती, तब तक उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृतक सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली ,1974 (समय—समय पर किये गये संशोधनों सहित) उत्तरांचल में यथावत् लागू रहेगी।

2— कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0 / —
(राकेश शर्मा)
सचिव।

संख्या–1144/कार्मिक–2–2001–53(1)/2001

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

कार्मिक विभाग देहरादून दिनांक जुलाई,18, 2001

विषय– राज्याधीन सेवाओं ,शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उद्यमों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा उत्तरांचल राज्य में राज्यधीन सेवाओं/ सार्वजनिक उद्यमों, / निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं/शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की नीति निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में सम्यक् रूप से विचारोपरान्त वर्तमान जनगणना के पूर्ण व अन्तिम आकंडे, उपलब्ध होने तक, वर्तमान में उपलब्ध जनसंख्या (रेपिड सर्वे) के आंकडों के आधार पर आरक्षित श्रेणी की जातियों की सकल जनसंख्या में उनके प्रतिशत के एक प्रतिशत अधिक आरक्षण दिये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उत्तरांचल राज्य में आरक्षण अनन्तिम रूप से निम्नवत् निर्धारित किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है :–

(1) अनुसूचित जाति 19%
(2) अनुसूचित जनजाति 04%
(3) अन्य पिछड़ा वर्ग 14%

2– शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि महिलाओं /सैनिकों , विकलांग व्यक्तियों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को निम्नानुसार हारिजेन्टल आरक्षण अनुमन्य किया जाय :–

(1) महिलायें 20%
(2) भूतपूर्व सैनिक 02%
(3) विकलांग व्यक्ति 03%
(4) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित 2%

जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग का होगी/होगा उसे उसी वर्ग हॉरिजेन्टल आरक्षण अनुमन्य होगा।

3— आरक्षण के सम्बन्ध में स्थायी रूप से नीति का निर्धारण पृथक से किया जायेगा।

भवदीय,
ह0/—
(राकेश शर्मा)
सचिव।

संख्या: 1144(1)/कार्मिक—2—2001 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल शासन।
2— सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल हरिद्वार।
3— निबन्धक उच्च न्यायालय, उत्तरांचल नैनीताल।
4— आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा जनजाति ,उत्तरांचल देहरादून।
5— सचिव, विधान सभा ,उत्तरांचल देहरादून।
6— समस्त मंत्रियों के निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण के सूचनार्थ ।
7— सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ह0/—
(आर0सी0लोहनी)
अनु सचिव

संख्या–1370/कार्मिक–2/2001

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तरॉचल शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तरॉचल।
3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

कार्मिक विभाग–2 देहरादून दिनांक 30, अगस्त, 2001

विषय– पर्वतीय उप संवर्ग के कार्मिकों एवं पर्वतीय उपसंवर्ग से भिन्न कार्मिकों के उत्तरांचल हेतु विकल्प एवं प्रतिनियुक्ति स्वीकार किये जाने की स्थिति में शर्तो का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल राज्य के गठन से पूर्व विभिन्न विभागों के अन्तर्गत पर्वतीय उपसंवर्ग का गठन किया गया था। उत्तरांचल राज्य के गठन के पश्चात विभिन्न विभागों के ऐसे कार्मिकों द्वारा उत्तरांचल राज्य हेतु विकल्प प्रस्तुत किये गये है जो पूर्व में पर्वतीय उपसवंर्ग के अन्तर्गत नहीं थे। अतः पर्वतीय उपसंवर्ग से भिन्न ऐसे कार्मिक के उत्तरांचल राज्य हेतु विकल्प दिये जाने अथवा प्रतिनियुक्ति स्वीकार किये जाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्न लिखिता शर्तो के निर्धारण किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

(1) पर्वतीय उपसंर्वग से भिन्न कार्मिक यदि विकल्प के आधार पर उन विभागों में तैनात होते है, जहॉ पर्वतीय उप संवर्ग निर्धारित है तो उनकी ज्येष्ठता का निर्धारण उस संवर्ग में उनके द्वारा विकल्प देते समय पोषित पद पर कनिष्ठतम कार्मिक के रूप में किया जायेगा।

(2) प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कार्मिकों को वर्तमान में प्राप्त हो रहीं सकल परिलब्धियों एवं भत्तों आदि के अतिरिक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमन्य प्रतिनियुक्ति भत्ता ही अनुमन्य होगा।

(3) पर्वतीय संवर्ग में भिन्न उत्तरांचल के लिए विकल्प देने वालों को उन पदों के सापेक्ष नहीं लिया जाए, जिन पर चयन श्रेष्ठता के आधार पर किया जाता है।

2– आपसे अनुरोध है कि तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

ह0/–
(राकेश शर्मा).
सचिव,

संख्याः 1370/(1)/कार्मिक-2/2001,तद्दिनांक।

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2- समस्त अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
3- वैभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

ह0/-
(आर0सी0लोहनी)
उप सचिव।

उत्तरांचल शासन

कार्मिक विभाग

संख्याः 1415/का –2/2001

देहरादूनः दिनांक : 30 अगस्त, 2001

चूँकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन ,उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकती हैं, जो आवश्यक व समीचीन हों।

तथा चूँकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों ,अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछडें वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम ,2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में लागू है,

अतः अब उत्तर प्रदेश अधिनियम ,2000 (अधिनियम संख्या–29 सन 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल सहर्ष निदेश देते हैं कि उ0प्र0 लोक सेवा) अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण (अधिनियम 1994 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगा :–

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण अधिनियम) उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2001

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ–1 (1) यह आदेश उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम)
(उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश) 2001 कहलायेगा।

2. उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना –उत्तर प्रदेश लोक सेवा(अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 में. जहाँ –2 शब्द पद " उत्तर प्रदेश आया है, वहाँ–2"उत्तरांचल" के रूप मे पढा जायेगा।

3. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछडें बर्गो के पक्ष में उत्तरांचल लोक सेवाओं में आरक्षण– उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछडें वर्गो के लिए आरक्षण इक्कीस प्रतिशत के स्थान पर उन्नीस प्रतिशत अनुसूचित जन जातियों के मामलों में दो प्रतिशत, के स्थान पर चार प्रतिशत तथा नागरिको को अन्य पिछड़े बर्गो के मामले में सत्ताईस प्रतिशत के स्थान पर चौदह प्रतिशत पढ़ा जायेगा।

(राकेश शर्मा)
सचिव,कार्मिक

संख्याः 1415 (1)/कार्मिक–2/2001 तददिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
(2) सचिव , श्री राज्यपाल ,उत्तरांचल शासन।
(3) समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
(4) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल, शासन।
(5) सचिव लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल हरिद्वार।

(6) निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूडकी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को गजट में प्रकाशित कर उसकी 1000 प्रतियॉं शासन को उपलब्ध करायें।
(7) निबन्धक उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल।
(8) आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, उत्तरांचल ,देहरादून।
(9) सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल देहरादून।
(10) समस्त मंत्रियों के निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण के सूचनार्थ।
(11) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(12) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ह0/–
(राकेश शर्मा)
सचिव, कार्मिक।

In pursusance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No 1415/ ka-2/2001 Dated 30-8-2001

Govt. of Uttaranchil
Personnel Department
No 1415/ ka-2/2001
Dehradun : Dated : 30 August , 2001

Whereas under Section 87 of the Uttar Pradesh Reorganisation ACT,2000 , the Uttaranchal Government May by Order, Make such adaptation and modification of the law by way of repeal or repeal or amendment as necessary or mepedient ;

And whereas Uttar Pradesh Lod Sava (Scheduled caste, Schedule tribe and other Backward Caste reservation) ACT 1994 is inforce in the state of Uttaranchal under section 86 of the Uttar Pradesh Reorganisation ACT ,2000 :

Now therefore in exercise of the porwers under Section 87 of Uttar Pradesh reorganisation ACT 2000 (Act no 29 of 2000) , the Governor is Pleased to deirect that the Uttar Pradesh Lok Seve (Scheduled Caste) ACT 1994, Shall have applicabillty to the state of Uttaranchal subject to the provisions of the folllwing order ;

UTTAR PRADESH LOK SEVA (SCHEDULED CASTE. SCHEDULED TRIBE AND OTHER BACK BACKWARD CASTE RESERVATION) ACT UTTARANCHAL AVAPTATION AND MODIFICATION ORDER.2001.

1- Short title and comencement-(1) this order may be called Uttar Pradesh Lok Seva (Scheduled Caste, Scheduled Tribe and other Badkward Caste Reservation) ACT 1994 (Uttaranchal Adeptation and Modification) order .2001

2- It shall Come into force atonce

2. In Uttar Pradesh Lok Seva & (Scheduled Caste, Sched Tribe and other Backward Caste reservation) ACT 1994 where the axpression Uttar Pradesh occurs it shall be read as Uttaranchal,

3. Reservation for Scheduled caste , Scheduled Tribes and Uttar Pradesh Lok Seva (scheduled Caste Scheduled tri and other Backward caste) ACT 1994 instead ofb Twenty one Percent inrespect of Scheduled Tribe be read Four percent instead of Two percent and other Backward caste be read Forteen Percent instead of the nty seven percent.

(Rakesh Sharma)
Secretary,Karmik

संख्या–1454/कार्मिक–2–2001

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
सचिव,
कार्मिक विभाग
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरॉचल शासन।

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

समस्त जिलाधिकारी
उत्तरॉचल।

कार्मिक विभाग –2 देहरादून दिनांक 13 अगस्त, 2001

विषय– सीधी भर्ती में आरक्षण नीति को लागू करने हेतु रोस्टर।

महोदय,

उत्तरांचल में आरक्षण नीति लागू करने विषयक शासनादेश संख्याः 1144/कार्मिक –2 /2001–53(1)दिनांक 18 जुलाई, 2001 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति के लिए 19 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति के लिए 04 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़े वर्ग हेतु 14 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य किया गया है।

2. उपरोक्त आरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु सीधी भर्ती में रोस्टर निम्नवत् तैयार किया गया है :–

(1) अनुसूचित जाति
(2) अनारक्षित
(3) अनारक्षित
(4) अनारक्षित
(5) अनारक्षित
(6) अनुसूचित जाति
(7) अन्य पिछड़ावर्ग
(8) अनारक्षित
(9) अनारक्षित
(10) अनारक्षित
(11) अनुसूचित जाति
(12) अनारक्षित
(13) अनारक्षित
(14) अन्य पिछड़ावर्ग
(15) अनारक्षित

(16) अनुसूचित जाति
(17) अनारक्षित
(18) अनारक्षित
(19) अन्य पिछड़ावर्ग
(20) अनारक्षित
(21) अनुसूचित जाति
(22) अनारक्षित
(23) अनारक्षित
(24) अनुसूचित जनजाति
(25) अनारक्षित
(26) अनुसूचित जाति
(27) अनारक्षित
(28) अन्य पिछड़ावर्ग
(29) अनारक्षित
(30) अनारक्षित
(31) अनुसूचित जाति
(32) अनारक्षित
(33) अनारक्षित
(34) अनारक्षित
(35) अन्य पिछड़ावर्ग
(36) अनुसूचित जाति
(37) अनारक्षित
(38) अनारक्षित
(39) अनारक्षित
(40) अनारक्षित
(41) अनुसूचित जाति
(42) अन्य पिछड़ावर्ग
(43) अनारक्षित
(44) अनारक्षित
(45) अनारक्षित
(46) अनुसूचित जाति
(47) अनारक्षित
(48) अनुसूचित जनजाति
(49) अन्य पिछड़ावर्ग
(50) अनारक्षित
(51) अनुसूचित जाति
(52) अनारक्षित
(53) अनारक्षित
(54) अन्य पिछड़ावर्ग
(55) अनारक्षित
(56) अनुसूचित जाति
(57) अनारक्षित
(58) अनारक्षित
(59) अनारक्षित

(60)	अनारक्षित
(61)	अनुसूचित जाति
(62)	अनारक्षित
(63)	अन्य पिछड़ावर्ग
(64)	अनारक्षित
(65)	अनारक्षित
(66)	अनुसूचित जाति
(67)	अनारक्षित
(68)	अनारक्षित
(69)	अनारक्षित
(70)	अन्य पिछड़ावर्ग
(71)	अनुसूचित जाति
(72)	अनुसूचित जनजाति
(73)	अनारक्षित
(74)	अनारक्षित
(75)	अनारक्षित
(76)	अनुसूचित जाति
(77)	अन्य पिछड़ावर्ग
(78)	अनारक्षित
(79)	अनारक्षित
(80)	अनारक्षित
(81)	अनुसूचित जाति
(82)	अनारक्षित
(83)	अनारक्षित
(84)	अन्य पिछड़ावर्ग
(85)	अनारक्षित
(86)	अनुसूचित जाति
(87)	अनारक्षित
(88)	अनारक्षित
(89)	अनारक्षित
(90)	अनारक्षित
(91)	अन्य पिछड़ावर्ग
(92)	अनारक्षित
(93)	अनुसूचित जाति
(94)	अनारक्षित
(95)	अनारक्षित
(96)	अनुसूचित जनजाति
(97)	अनारक्षित
(98)	अन्य पिछड़ावर्ग
(99)	अनारक्षित
(100)	अनारक्षित

3. अनुरोध है कि सीधी भर्ती के मामले में उपरोक्त रोस्टर को अनवरत रूप में लागू किया जायेगा।

भवदीय,
ह0/–
(राकेश शर्मा)
सचिव।

संख्याः 1454/(1)/कार्मिक/2/2001 तददिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों /प्राधिकारियों को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त से कृपया अपने समस्त संबंधित अधीनस्थों को भी अवगत कराने का कष्ट करें :–

वश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) सचिव , श्री राज्यपाल ,उत्तरांचल शासन।

(2) सचिव शिक्षा विभाग, उत्तरांचल शासन को समस्त राज्य सरकार के स्वामित्वधीन और नियंत्रणाधीन तथा सरकार के अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं (अल्प संख्याक वर्ग द्वारा स्थापित व प्रशासित शैक्षिक संस्थाओं को छोडकर इनमें किसी उत्तरांचल प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित समस्त विधालय भी सम्मिलित हैं, की सेवाओं और पदों में उपरोक्त रोस्टर को लागू करने के अनुरोध सहित।

(3) सचिव, नगर विकास /सचिव, आवास विभाग /सचिव पंचायती राज विभाग को उनके अधीनस्थ सभी संबंधित संस्थाओं आदि में उपरोक्त रोस्टर लागू कराने के अनुरोध सहित।

(4) राजय के समस्त उपकमों /निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक /कार्यकारी अधिकारी उत्तरांचल।

(5) समस्त विकास प्राधिकारणों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, उत्तरांचलं

(6) समस्त महाप्रबन्धक जल संस्थान, उत्तराचंल

(7) निदेशक, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा, देहरादून।

(8) समस्त अध्यक्ष जिलापरिषद/नगर महापालिका/नगर पालिका, टाऊन एरिया, उत्तरांचल

(9) निबन्धक, हाई कोर्ट नैनीताल।

(10) निदेशक, प्राशिक्षण एवं सेवायोजन ,उत्तरांचल।

(11) सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल देहरादून।

(12) सचिव लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल हरिद्वार।

(14) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(15) समस्त निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण ,उत्तरांचल शासन।

आज्ञा से,
ह0/–
(राकेश शर्मा)
सचिव, कार्मिक।

संख्या–1455 / कार्मिक–2 / 2001

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
सचिव,
कार्मिक विभाग
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तरॉचल शासन।

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

समस्त जिलाधिकारी
उत्तरॉचल।

कार्मिक विभाग –2 देहरादून दिनांक 31 अगस्त, 2001

विषय– पदोन्नतियों में आरक्षण नीति को लागू करने हेतू रोस्टर।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान शासनादेश संख्याः 1144 / कार्मिक–2 / 2001–53(1) / 2001 दिनांक 18 जुलाई, 2001 की ओर आकर्षित करते हुए यह करने का निदेश हुआ है कि पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति के लिए 19 % अनुसूचित जन जाति के लिए 04% आरक्षण अनुमन्य किया गया है।

2. उपरोक्त आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण विषयक रोस्टर शासन द्वारा निम्नवत् तैयार किया गया है :–

(1) अनुसूचित जाति
(2) अनारक्षित
(3) अनारक्षित
(4) अनारक्षित
(5) अनारक्षित
(6) अनुसूचित जाति
(7) अनारक्षित
(8) अनारक्षित
(9) अनारक्षित
(10) अनारक्षित
(11) अनुसूचित जाति
(12) अनारक्षित

(13) अनारक्षित
(14) अनारक्षित
(15) अनारक्षित
(16) अनुसूचित जाति
(17) अनारक्षित
(18) अनारक्षित
(19) अनारक्षित
(20) अनारक्षित
(21) अनुसूचित जाति
(22) अनारक्षित
(23) अनारक्षित
(24) अनुसूचित जनजाति
(25) अनारक्षित
(26) अनुसूचित जाति
(27) अनारक्षित
(28) अनारक्षित
(29) अनारक्षित
(30) अनारक्षित
(31) अनुसूचित जाति
(32) अनारक्षित
(33) अनारक्षित
(34) अनारक्षित
(35) अनारक्षित
(36) अनुसूचित जाति
(37) अनारक्षित
(38) अनारक्षित
(39) अनारक्षित
(40) अनारक्षित
(41) अनुसूचित जाति
(42) अनारक्षित
(43) अनारक्षित
(44) अनारक्षित
(45) अनारक्षित
(46) अनुसूचित जाति
(47) अनारक्षित
(48) अनुसूचित जनजाति
(49) अनारक्षित
(50) अनारक्षित
(51) अनुसूचित जाति
(52) अनारक्षित
(53) अनारक्षित
(54) अनारक्षित
(55) अनारक्षित
(56) अनुसूचित जाति

(57) अनारक्षित
(58) अनारक्षित
(59) अनारक्षित
(60) अनारक्षित
(61) अनुसूचित जाति
(62) अनारक्षित
(63) अनारक्षित
(64) अनारक्षित
(65) अनारक्षित
(66) अनुसूचित जाति
(67) अमारक्षित
(68) अनारक्षित
(69) अनारक्षित
(70) अनारक्षित
(71) अनुसूचित जाति
(72) अनुसूचित जनजाति
(73) अनारक्षित
(74) अनारक्षित
(75) अनारक्षित
(76) अनुसूचित जाति
(77) अनारक्षित
(78) अनारक्षित
(79) अनारक्षित
(80) अनारक्षित
(81) अनुसूचित जाति
(82) अनारक्षित
(83) अनारक्षित
(84) अनारक्षित
(85) अनारक्षित
(86) अनुसूचित जाति
(87) अनारक्षित
(88) अनारक्षित
(89) अनारक्षित
(90) अनारक्षित
(91) अनुसूचित जाति
(92) अनारक्षित
(93) अनारक्षित
(94) अनारक्षित
(95) अनारक्षित
(96) अनुसूचित जनजाति
(97) अनारक्षित
(98) अनारक्षित
(99) अनारक्षित
(100) अनारक्षित

3. अनुरोध है कि पदोन्नति के मामलों में उपरोक्त रोस्टर को अनवरत रूप में लागू किया जायेगा।

भवदीय,
ह0/–
(राकेश शर्मा)
सचिव।

संख्याः 1455/(1)/कार्मिक/2/2001 तददिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों /प्राधिकारियों को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त से कृपया अपने समस्त संबंधित अधीनस्थों को भी अवगत कराने का कष्ट करें :–

वश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) सचिव , श्री राज्यपाल ,उत्तरांचल शासन।
(2) सचिव शिक्षा विभाग, उत्तरांचल शासन को समस्त राज्य सरकार के स्वामित्वधीन और नियंत्रणाधीन तथा सरकार के अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं (अल्प संख्याक वर्ग द्वारा स्थापित व प्रशासित शैक्षिक संस्थाओं को छोडकर इनमें किसी उत्तरांचल प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित समस्त विधालय भी सम्मिलित हैं, की सेवाओं और पदों में उपरोक्त रोस्टर को लागू करने के अनुरोध सहित।
(3) सचिव, नगर विकास /सचिव, आवास विभाग /सचिव पंचायती राज विभाग को उनके अधीनस्थ सभी संबंधित संस्थाओं आदि में उपरोक्त रोस्टर लागू कराने के अनुरोध सहित।
(4) राज्य के समस्त उपकमों /निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक /कार्यकारी अधिकारी उत्तरांचल।
(5) समस्त विकास प्राधिकारणों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, उत्तरांचल
(6) समस्त महाप्रबन्धक जल संस्थान, उत्तराचंल
(7) निदेशक, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा, देहरादून।
(8) समस्त अध्यक्ष जिलापरिषद/नगर महापालिका/नगर पालिका, टाऊन एरिया, उत्तरांचल
(9) निबन्धक, हाई कोर्ट नैनीताल।
(10) निदेशक, प्राशिक्षण एवं सेवायोजन ,उत्तरांचल।
(11) सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल देहरादून।
(12) सचिव लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल हरिद्वार।
(14) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(15) समस्त निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण ,उत्तरांचल शासन।

आज्ञा से,
ह0/–
(राकेश शर्मा)
सचिव, कार्मिक।

संख्या–1974/कार्मिक–2/2001

प्रेषक,

एस0कृष्णन,
सचिव,
कार्मिक विभाग,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तरांचल शासन।

2. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

कार्मिक विभाग–2 देहरादून दिनांक 01 जनवरी, 2001

विषय– समूह "ग" तथा समूह "घ" के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु रोजगार कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समूह "ग" तथा समूह "घ" के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों को अधिसूचित करने के लिए समस्त विभागों के अन्तर्गत एक रूपता बनाये रखने के उद्देश्य से उत्तरांचल राज्य के अन्तर्गत किसी एक सेवायोजन कार्यालय में अभ्यर्थी का पंजीकरण होने की अनिवार्यता के विषय पर शासन द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया है।

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि चूँकि रोजगार कार्यालय न केवल संस्थाओं से प्राप्त अधियाचनों के लिए प्रस्तुतिकरण का कार्य करते है अपितु बेरोजगार युवक/युवतियों को व्यवसायिक मार्गदर्शन व केरियर गाइडेन्स करते है इस उद्देश्य से रोजगार कार्यालय को यह जानकारी होनी चाहिए कि किन किन श्रेणी /शैक्षिक योग्यता को अभ्यर्थियों का चयन हो रहा है और अधियाचन प्राप्त हो रहा है। इन परिस्थितियों में शासन द्वारा यह उचित समझा गया है कि समूह "ग" तथा समूह "घ" के कर्मचारियों के विषय में उत्तरांचल में किसी न किसी रोजगार कार्यालय में अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है परन्तु अभ्यर्थी को यह सम्पूर्ण स्वतंत्रता है कि वे अपने रोजगार कार्यालय में दर्ज होने का हवाला देते हुए सीधे विज्ञापन के विरूद्ध आवेदन दे सकते हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया "ग" तथा "घ" में सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों पर चयन हेतु रिक्तियाँ अधिसूचित करते समय उपरोक्त निर्णय का भ अनुपालन करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0/–
(एस0कृष्णन)
सचिव,

संख्याः 1974(1)/कार्मिक–2/2001,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– गोपन अनुभाग को उनके अशासकीय पत्र संख्या 4/2/26/सर.एक्स दिनांक 7दिसम्बर 2001 के संदर्भ में।

2– समस्त मा0 मंत्रिगण के निजी सचिव,

3– सचिवालय के समस्त अनुभाग।

4– गार्ड फाईल

आज्ञा से,
ह0/–
(एस0कृष्णन)
सचिव।

संख्या–36/1/76–का–2/2002

प्रेषक,

डा0 हरिकृष्ण,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,/कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

कार्मिक विभाग–2 लखनऊ दिनांक 20अप्रैल,2002

विषय– चरित्र पंजिकाओं के रख–रखाव और मानिटरिंग के लिये कम्प्यूटर का उपयोग किया जाना।

महोदय,

शासनादेश सं0 36/1/76–का–2/1998 दिनांक 5फरवरी,1998 में यह आदेश निर्गत किये गये हैं कि जनपद मण्डल विभागाध्यक्ष एवं शासन में जिस स्तर पर प्रविष्टियों का रख रखाव किया जाता है, प्रत्येक विभाग में उस स्तर पर मूल्यांकन आख्या एवं गोपनीय प्रविष्टि प्राप्त करने एवं पूर्ण कराने के लिये एक अधिकारी को पदनाम से नामित कर दिया जाए। उक्तानुसार विभाग में संबंधित स्तर पर वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियाँ पूर्ण करान का दायित्व उक्त अधिकारी का होगा। चरित्र पंजिका का रख–रखाव एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे पूर्ण तत्परता से किया जाना चाहिए ताकि उसके अभाव में अधिकारी कर्मचारी के सेवा संबंधी मामलों के समय से निस्तारण में असुविधा न हो । सम्प्रति प्रत्येक विभाग /विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष एवं जनपद स्तर पर भी कम्प्यूटर की सुविधा उपलब्ध है इसकी सहायता से कार्य में सुविधा होती है और अपेक्षाकृत समय भी बहुत कम लगता हे अस्तु यह निर्णय लिया गया हैकि चरित्र पंजिकाओं के रख रखाव और अनुश्रवण (मानिटरिंग) के लिए कम्प्यूटर का उपयोग सुनिश्चित किया जाय।

2. कृपया उपरोक्त निर्णय का कियान्वयन सुनिश्चित करने का कष्ट करें, तथा अपने अधीनस्थों को भी अवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0/–
(हरिकृष्ण)
सचिव।

संख्या–131 / 1 / कार्मिक–2 / 2002

प्रेषक,

मधुकर गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

2. समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल शासन।

3. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

कार्मिक विभाग–2 देहरादून: दिनांक 20 फरवरी,2002

विषय– सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवा निवृत्ति।

महोदय,

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2 भाग–2 से 4 तक में प्रकाशित "मूल नियम–56" में यह व्यवस्था है कि 50 वर्ष की आयु प्राप्त किसी सरकारी सेवक को उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बिना कोई कारण बताये तीन मास की नोटिस अथवा 03 माह का वेतन देकर जनहित में अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में कतपय मार्गदर्शक निर्देशों सहित अनिवार्य सेवा निवृत्ति हेतु गठित की जाने वाली स्कीनिंग कमेटियों का विस्तृत रूप से वर्णित प्रकार से है :–

(क) ऐसे सरकारी सेवकों की स्कीनिंग कमेटी जिसके नियुक्ति अधिकारी राज्यपाल भिन्न है :–

(1) नियुक्ति प्राधिकारीद अध्यक्ष,
(2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामित 02 वरिष्ठ अधिकारी– सदस्य
(ख) ऐसे सरकारी सेवकों की स्कीनिंग कमेटी जिनके नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल है
(अ) विभागाध्यक्ष / अतिरिक्त विभागाध्यक्ष से भिन्न अधिकारियों के सम्बन्ध में –
(1) प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव / सचिव अध्यक्ष
(2) विभागाध्यक्ष सदस्य
(3) मुख्य सचिव सदस्य
(ब) विभागाध्यक्ष एवं अतिरिक्त विभागाध्यक्ष के सम्बन्ध में :–
(1) मुख्य सचिव अध्यक्ष
(2) प्रशासकीय विभाग के सचिव सदस्य
(3) सचिव, कार्मिक विभाग सदस्य
(स) उत्तरांचल प्रदेश सिविल सर्विस (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों (स्थानापन्न डिप्टी कलेक्टरों सहित) के सम्बन्ध में :–
(1) मुख्य सचिव अध्यक्ष

(2) मुख्य राजस्व आयुक्त, सदस्य
(3) सचिव, कार्मिक विभाग सदस्य

नोट :– (1) उत्तरांचल प्रदेश सिविल सर्विस (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियो के सम्बन्ध में कार्यवाही कार्मिक विभाग द्वारा की जायेगी।

नोट – (1) उत्तरांचल प्रदेष सिविल सर्विस (कार्यकारी षाखा के अधिकारियों के सम्बन्ध में कार्यवाही कार्मिक विभाग द्वारा की जायेगी।

(2) यदि किसी विभाग में सचिव के स्थान पर अपर सचिव प्रभारी अधिकारी है तो अपर सचिव स्कीनिग कमेटी के सदस्य होगें

4– उक्त स्कीनिंग कमेटी की समीक्षा :– आख्या प्राप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी विचार करके स्वःविवेक से उपयुक्त निर्णय लेने और आवष्यकता अनुसार अनिवार्य सेव निवृत्ति आदेष पारित करेगे। यदि नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल है तो यथा अपेक्षा मुख्य मंत्री /समबन्धित मंत्री जी के आदेष प्राप्त करके आवष्यकता अनुसार अनिवार्य सेवा निवृत्ति के आदेश पारित किये जायेगे।

5– विचारणीय अभिलेख अनिवार्य सेवा निवृत्ति का निर्णय लेने के लिए यद्यपि सम्बन्धित सरकारी सेवक के सम्मपूर्ण सेवा काल के समस्त अभिलेख देखे जाने चाहिए तथापि विषेश बल अन्तिम 10 वर्श के अभिलेखों पर दिया जाना चाहिए और इस दृश्टिकोण से निर्णय लिया जाना चाहिए कि सम्बन्धित सरकारी सेवक की दक्षता /सत्यनिश्ठा का स्तर क्या ऐसा है, जिसके आधार पर उसे जनहित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए।

6– कार्यवाही की समय सारिणी

(1) स्कीनिंग की कार्यवाही सम्मपन्न करने का उत्तरदायित्तव मूलतः नियुक्ति प्राधिकारी का होगा। वह यह सुनिष्चित करेगे कि जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विशय में वे नियुक्ति प्राधिकारी है उनके विशय में सूचना सामग्री जहॉ से भी आती हो,समय से प्राप्त हो जाये।

(2)स्कीनिंग की कार्यवाही प्रति हर वर्ष उस अधिकारी/कर्मचारी के विषय में होगी जिसने 50 वर्श की आयु पूरी कर ली हो।

(3) यथा सम्भव प्रतिवर्श नवम्बर माह के अन्त तक स्कीनिंग कमेटी की बैठक अवश्य कर ली जाय।

(4) स्कीनिंग कमेटी की समीक्षा–आख्या नियुक्ति प्राधिकारी को 15 दिसम्बर तक उपलब्ध करा दी जाये। नियुक्ति प्राधिकारी प्रशासकीय विभाग के सचिव अन्तिम रूप सें निर्णय 15 जनवरी तक अवश्य ले लें

7– स्कीनिंग कमेटी की विधिक स्थिति :–

स्कीनिंग कमेटी का कोई विधिक स्टेट्स नहीं होगा। वे केवल सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी के समाधान में सहायता के लिए कर्मचारी के अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्णय भी ले सकते है जिनके मामले स्कीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत न किये जा सके।

8– मूल नियम –56 के अन्तर्गत संलग्न प्रारूप के अनुसार ही आदेष जारी किये जाय।

9– कार्मिक विभाग को सूचनायें देना :–

अनिवार्य सेवानिवृत्ति के निर्णयों की सूचना प्रशासनिक विभाग के सचिव के माध्यम से 31 मार्च तक कार्मिक अनुभाग–2 को निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध करायी जाय (प्रतिलिपि संलग्न)

10– अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा इस विषय में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।

भवदीय,
ह0
(मधुकर गुप्ता)
मुख्य सचिव।

उत्तरांचल शासन
कार्मिक अनुभाग--2
संख्या--806/का--2--2002
देहरादून दिनांक 15जून,2002
अधिसूचना

राज्याधीन सरकारी सेवको की अधिवर्षता आयु लोक हित में 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष करने की राज्यपाल महोदय की एततद्वारा स्वीकृति प्रदान करते है।

2-- यह आदेश 01जून, 2002 से लागू होगें।

3-- वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड--2 भाग 2से 4के मूल नियम 56 यथा--आवश्यक संशोधन की कार्यवाही पृथक से वित्त विभाग द्वारा की जायेगी।

4-- उपर्युक्त से सम्बन्धित आवश्यक उपबन्धों के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश राज्य सरकार द्वारा पृथक से जारी किये जायेगे।

ह0
(आलोक कुमार जैन)
सचिव

पृष्ठाकंन संख्या --806(2)/2002तददिनांक

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित :-

1-- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव, उत्तरांचल षासन।
2-- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तरांचल ।
3-- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उत्तरांचल।
4-- सचिव राज्यपाल उत्तरांचल।
5-- सचिव विधान सभा उत्तरांचल
6-- सचिव लोक सेवा आयोग उत्तरांचल हरिद्वार
7-- सचिवालय के समस्त अनुभाग
8-- उप निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूडकी उत्तरांचल को आगामी असाधारण गजट मे प्रकाशनार्थ ।

आज्ञा से
ह0
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव।

संख्याः 589/कार्मिक–2/2002

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष उत्तरांचल।
3– समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 21 जून,2002

विषय– राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रकम पर महिलाओं के लिए आरक्षण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित शर्तो एवं उपबन्धों के अधीन राज्यधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रकम पर महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है।

(1) आरक्षण राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर केवल सीधी भर्ती के प्रकम पर होगा। पदोन्नति के पदों प नहीं होगा।

(2) आरक्षण हारिजेण्टल प्रकृति का होगा अर्थात किसी राज्याधीन लोक सेवा और पद पर महिला आरक्षण के अधीन चयनित महिला जिस श्रेणी की होगी उसे उस श्रेणी के प्रति समायोजित किया जायेगी।

(3) यदि कोई महिला, किसी राज्याधीन लोक सेवा और पद पर मेरिट के आधार पर चयनित होती है तो उसकी गणना उस पद पर महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्ति के प्रति की जायेगी।

(4) राज्याधीन लोक सेवाओं पर पदों में सीधी भर्ती के लिए किसी चयन में महिलाओं केलिए आरक्षित पद यदि महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के काकरण नहीं भरा जा सके , तो वह पद उपर्युक्त पुरूष अभ्यार्थियों से भरा जायेगा व भविष्य के लिए अग्रेनीत नहीं किया जायेगा।

(5) राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के लिए महिलाओं के सम्बन्ध में वांछित सभी अर्हतायें, पद सम्बन्धी सुसंगत सेवा नियमावली में उल्लिखित पूर्वत् अर्हताओं के अनुरूप रहेंगी व उनमें इस शासनादेश से कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(6) यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगे लेकिन जिन रिक्तियों के भरने के लिए विज्ञापन जारी किये जा चुके है या जिन रिकित्यों के लिए चयन की प्रकिया प्रारम्भ हो चुकी हों उन पर यह आदेश लागू नहीं होंगें। चयन की प्रकिया प्रारम्भ होने का आशय भर्ती का आधार केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार होने की स्थिति में ऐसी परीक्षा /साक्षात्कार प्रारम्भ हो जाने से है जिन पदों पर भर्ती का आधार लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनो हैं उनके सम्बन्ध में चयन प्रकिया प्रारम्भ होने का आशय लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो जाने से है।

(7) लोक सेवाओं एवं पदों का तात्पर्य उत्तरांचल लोक सेवा (अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिय आरक्षण) अधिनियम 2001 में परिभाषित लोक सेवाओं और पदों से है।

(8) ऐसे विभाग जहॉ कुल पदों में महिलाओं /पुरूषों के लिए पृथक से चिन्हित हैं इन पदों में 20 प्रतिशत हारिजेण्टेल आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी।

2— कृपया शासन के उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। यह भी अनुरोध है कि शासनादेश से अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों को अवगत करादेगें।

भवदीय,
ह0
(आलोक कुमार जैन)
सचिव।

संख्या 589(1)/कार्मिक--2/2002 तददिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अभ्युक्ति सहित कि कृपया अपने सम्बन्धित अधिकारियों को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

1— सचिव महामहिम राज्यपाल उत्तरांचल
2— निदेशक राज्य प्रशासन अकादमी नैनीताल
3— सचिव लोक सेवा आयोग उत्तरांचल हरिद्वार
4— निदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय देहरादून।
5— सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6— समस्त निजी सचिव मा0 मन्त्रीगण उत्तरांचल।

आज्ञा से
ह0
(सुरेन्द्रसिंह रावत)
अपर सचिव।

उत्तरांचल शासन
उत्तरांचल शासन
सचिवालय प्रशासन विभाग
संख्या--1578/एक--4--2002
देहरादून दिनांक 15जून ,2002
अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते है :--

उत्तरांचल सचिवालय वैयक्तिक सहायक ,अवर वर्ग सहायक ,सहायक लेखाकार ,टंकक ,अनुसेवक के पदों पर संविलियन नियमावली 2002

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1.(1) यह नियमावली उत्तरांचल सचिवालय में वैयक्तिक सहायक अवर वर्ग एवं सहायक ,सहायक लेखाकार ,टंकक अनुसेवक के पदों पर संविलियन नियमावली 2002 कही जायेगी ।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।
(3) यह नियमावली सचिवालय में सीधी भर्ती के वैयक्तिक सहायक, अवर वर्ग सहायक ,सहायक लेखाकार ,टंकक ,एवं अनुसेवक के पदों पर संविलियन के लिए लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव

2. किसी अन्य सेवा नियमावली या आदेश में दी गयी किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी यह नियमावली प्रभावी होगी ।

परिभाषाएं

3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो --
(1) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य सेवा नियमों के अधीन सचिवालय में वैयक्तिक सहायक, अवर वर्गसहायक ,सहायक लेखाकार ,टंकक एवं अनुसेवक के पदों पर नियुक्तियॉ करने के लिये सक्षम प्राधिकारी से हैं,
(2) "उपलब्ध रिकित" का तात्पर्य ऐसी रिक्ति से है जो संविलियन की तिथि को सीधी भर्ती के पदों के सापेक्ष रिक्त हो ,
(3) "राज्यपाल " का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है,
(4) " आयोग " का तात्पर्य उत्तरांचल लोक सेवा आयोग से है ।
(5) " सचिवालय " का तात्पर्य उत्तरांचल सिविल सचिवालय से है।
(6) "सेवा नियमावली " का तात्पर्य अवर वर्ग सहायक, सहायक लेखाकार, टंकक एवं अनुसेवक के पदों को शासित करने वाली उत्तरांचल में प्रभावी सेवा नियमावलियों से है।
(7) कार्यकारी आदेश का तात्पर्य वैयक्तिक सहायक के पदों को शासित करने वाले कार्यकारी आदेश से है।
(8) अधीनस्थ विभागों/कार्यालयों का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य के अन्तर्गत आने वाले राजकीय विभाग /कार्यालयों से है।
(9) निगम एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य के अधीन आने वाले निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं से है।
(10) मौलिक नियुक्ति का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी

नियुक्ति है जो तदर्थ न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हों।

संविलियन हेतु पात्रता

4.(1) नियुक्ति प्राधिकारी सचिवालय में 23.12.2001 तक सम्बद्ध विभिन्न अधीनस्थ राजकीय कार्यालयों एवं निगमों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं के मौलिक रूप से नियुक्त कार्मियों का संविलियन निर्धारित मानकों जैसा कि वह विहित करें,के अन्तर्गत आदेश द्वारा करेगें।

(2)विभिन्न राजकीय कार्यालयों के केवल आशुलिपिक, वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ लिपिक ,कनिष्ठ लिपिक ,टंकक, सहायक लेखाकार /लेखा लिपिक /कनिष्ठ लेखा लिपिक, समूह 'घ' के पदधारक जिनका सेवा-स्थानान्तरण सचिवालय में कर दिया गया हो तथा विभिन्न निगमों /स्वायत्तशासी संस्थाओं के मौलिक रूप से नियुक्त समकक्षीय पदधारक जिनके कार्य की प्रकृति उपरोक्त पदों के अनुरूप हो ही संविलियन हेतु पात्र होगें।

(3)संविलियन आशुलिपिक का वैयक्तिक सहायक के पद पर वरिष्ठ सहायक ,वरिष्ठ ,वरिष्ठ लिपिक का अवर वर्ग सहायक के पद पर कनिष्ठ लिपिक का टंकक के पर पर सहायक लेखाकार/लेखा लिपिक/कनिष्ठ लेखा लिपिक का सहायक लेखाकार के पद पर एवं समूह 'घ' श्रेणी के कार्मिक का अनुसेवक के पद पर यथा स्थिति सम्बन्धित कार्मिकों की उस पद पर मौलिक नियुक्ति एवं सेवा अवधिको आधार मानते हुए आदेश द्वारा किया जायेगा।

(4) संविलियिन केवल सीधी भर्ती के रिक्त उपलब्ध पदों के सापेक्ष किया जायेगा। यदि टंकक एवं सहायक लेखाकार के पदों पर संविलियिन हेतु अपेक्षित संख्या में पद उपलब्ध न हो पाये तो यथा स्थिति संविलियन अवर वर्ग सहायक अथवा वैयक्तिक सहायक के सीधी भर्ती के उपलब्ध पदों को आस्थगित रखते हुए उतनी संख्यामें यथास्थिति टंकक एवं सहायक लेखाकार के पद सृजित करते हुए किया जायेगा। यह और कि संविलियन उक्त इंगित विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के कुल कोटे में उपलब्ध रिक्ति सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

आरक्षण

5. प्रत्येक पद पर संविलियिन करते हुए समय शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा।

संविलियन हेतु शर्तों का निर्धारण

6.(1)सचिवालय में वैयक्तिक सहायक ,अवर वर्ग सहायक/सहायक लेखाकार/टंकक/अनुसेवक के पद पर संविलियन में संबंधित पद पर मौलिक का निर्धारण नियुक्ति की तिथि मानी जायेगी और उस तिथि के बाद संबंधित पद पर उसकी ज्येष्ठता पदोन्नति एवं अन्य सेवा संबंधी मामले संगत सेवा नियमावली के अन्तर्गत व्यवहृत होगे।

(2)संविलियिन के पश्चात कर्मचारी की सचिवालय संवर्ग के संबंधित पद पर पारस्परिक ज्येष्ठता संबंधित संवर्ग के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि के आधार पर निर्धारित करने के पश्चात सचिवालय सेवा में कनिष्ठतम में सबंधित पद के विरुद्ध सचिवालय संवर्ग के कनिष्ठतम कर्मचारी के नीचे ज्येष्ठता निर्धारण के समय जिन कर्मचारियों का विभिन्न उनके मूल विभाग में उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि से सेवा अवधि की गणना के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

(3)राजकीय विभागों के सेवा स्थानान्तरण पर तैनात कार्मिकों के संविलियन

के पश्चात भी यदि उक्त पदों पर सीधी भर्ती की रिक्तियाँ उपलब्ध रहती है तो उस दशा में सचिवालय में सम्बद्ध निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों का संविलियन किया जायेगा।

(4) निगम/स्वायत्तशासी संस्था के कर्मचारियों के संविलियन की दशा में उन्हें राजकीय विभागों के संविलीन/कर्मचारियों के टीक नीचे ज्येष्ठता सूची में रखा जायेगा। निगम /स्वायत्तशासी संस्था के एक ही वेतनमान के संविलीन कर्मचारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता उनके निगम /स्वायत्तशासी संस्था में उस वेतनमान में मौलिक नियुक्ति की तिथि से उनकी संविलीन की तिथि तक की सेवा अवधि मे आधार पर निर्धारित की जायेगी।

(5) संविलीन होने वाले कर्मचारी के पूर्व के अर्जित अवकाश एवं चिकित्सा अवकाश की गणना सचिवालय सेवा के अर्जित अवकाश/चिकित्सा अवकाश के साथ किया जायेगा।

(6) समस्त आई राजकीय कर्मचारियों की जी0पी0एफ0 की राशि उनके भविष्य निधि लेखें में अन्तरित होगी। जी0पी0एफ0 से अग्रिम की मांग पर पूर्व में जमा अवशेष की गणना की जायेगी । पूर्व में लिये गये शासन से ऋण/भविष्य निधि से

(7) इस नियमावली के अधीन की गयी नियुक्तियाँ संबंधित कार्मिक को सचिवालय में वैयक्तिक सहायक ,अवर वर्ग सहायक ,सहायक लेखाकार,टंकक तथा अनुसेवक का पदनाम /वेतनमान दिये जाने की तिथि से संगत सेवा नियमावली के अधीन की गयी नियुक्तियाँ समझी जायेगी।

(8)संविलियन होने वाले कार्मिक से इस आशय का विकल्प प्राप्त किया जायेगा कि क्या वह इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन संविलयन हेत सहमत ह अथवा नही । यदि कोई कार्मिक अपने मूल विभाग में वापस जाना चाहे तो सके लिए यह विकल्प संविलियन की तिथि से परिवीक्षा अवधि तक उपलब्ध रहेगा कि वह सचिवालय में संबंधित पद पर संविलियन हेतु इच्छुक नहीं है और उस दशा में उसे उसके पैतृक विभाग को वापस कर दिया जोयगा और ऐसा कर्मचारी किसी प्रकार के प्रतिकर आदि का हकदार नहीं होगा।

आज्ञा से
ह0
(पी0सी0शर्मा)
सचिव।

संख्या 1578/(1)/एक–4/2002 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव,उत्तरांचल शासन।
2– निजी सचिव मा0मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ
3– निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ ।
4– महालेखाकार उत्तरांचल प्रकोष्ठ इलाहाबाद।
5–. सचिव,विधान सभा,उत्तरांचल।

6– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,उत्तरांचल।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तरांचल।
8– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तरांचल।
9. सचिव,लोक सेवा आयोग,उत्तरांचल,हरिद्वार को पांच प्रतियों सहित।
10– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11– गोपन अनुभाग को उनके पत्र संख्या 4/2/10/2002 सी0एक्स0 दिनांक 03 जून 2002 के सन्दर्भ में।
12– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय लिथो प्रेस रूडकी हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त नियमावली की 500 प्रतियां छपवाकर शासन को भेजने का कष्ट करें।
13– इरला चैक लेखा अनुभाग।
14– वैभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से

हेमलता ढौंडियाल
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
कार्मिक अनुभाग--2
संख्या 850 / कार्मिक--2 / 2002
देहरादून,दिनांक 05 जुलाई,2002
अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते है :

उत्तरांचल (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली,2002

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1.(1) यह नियमावली उत्तरांचल (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली,2002 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) यह लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले पदों को छोडकर राज्यपाल की नियम बिनाने की शक्ति के अधीन सभी पदों पर लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव

2.किसी अन्य नियम या आदेश में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस नियमावली का अधिप्रभावी होगा।

परिभाषा

3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो --

(एक) किसी पद के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य ऐसे पदों पर नियुक्त करने के लिए सशक्त प्राधिकारी है।

(दो) " राज्यपाल " का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है।

तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण

4-- (1) किसी व्यक्ति को --

(एक) जो सेवा में 30.6.1998 के पूर्व तदर्थ आधार पर सीधे नियुक्ति किया गया हो और इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को उस रूप में निरन्तर सेवारत हो,

(दो) जो ऐसी तदर्थ नियुक्ति के समय नियमित नियुक्ति के लिए विहित अपेक्षित अर्हतायें रखता हो और

(तीन) जिसने तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, या है,

यथास्थिति पूरी करने के पश्चात किसी स्थायी या अस्थायी रिक्ति के उपलब्ध हो नियमित नियुक्ति के लिये ऐसी स्थिति में संगत सेवा नियमों या आदेशों के अनुसार कोई नियमित नियुक्त करने के पूर्व उसके अभिलेख और उपयुक्तता के आधार पर विचार किया जायेगा।

(2) इस नियमावली के अधीन नियमित नियुक्ति करने में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों ,पिछडे वर्गो और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

(3) उपनियम (1) के प्रयोजनार्थ नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति का गठन करेगी।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों में से एक पात्रता सूची उस ज्येष्ठता कम में तैयार करेगा जैसा कि नियुक्ति आदेश के दिनांक के अनुसार अवधारित हो और

यदि दो से अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उस कम में तैयार करेगा जिस कम में उनके नाम उक्त नियुक्ति के आदेशों में कमबद्ध किये गये हों। सूची की अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियों और ऐसे अन्य अभिलेखों सहित जो उनकी उपयुक्तता को निर्धारित करने के लिये आवश्यक हो चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा।

(5) चयन समिति अभ्यर्थियों के मामलों पर उपनियम (4) में निर्दिष्ट उनके अभिलेख आधार पर विचार करेगी।

(6) चयन समिति चुने गये अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी। सूची में नाम ज्येष्ठता कम में रखे जायेंगें, और वह उसके नियुक्त प्राधिकारी को भेजेगी।

नियुक्तियां

5—नियुक्ति प्राधिकारी,नियम 4 के उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उक्त नियम के उपनियम (6) के अधीन तैयार की गई सूची से नियुक्तियां उस कम में करेगा जिस कम में उनके नाम उक्त सूची में रखे गये हों।

नियुक्तियों को संगत सेवा नियमों आदि के अधीन किया गया समझा जाएगा

6—इस नियमावली के अधीन की गयी नियुक्तियाँ संगत सेवा नियमों के आदेशों के, यदि कोई हों,अधीन की गयी समझी जायेगी।

ज्येष्ठता

7. (1) इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात् केवल नियुक्ति के आदेश के दिनॉक से ज्येष्ठता का हकदार होगा,और सभी मामलों में इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व संगत सेवा नियमों या यथास्थिति नियमित विहित प्रकिया के अनुसार नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा।

(2) यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें परस्पर ज्येष्ठता नियुक्ति के आदेश में उल्लिखित कम में अवधारित की जायगी।

सेवा की समाप्ति

8. ऐसे व्यक्ति की सेवा जो तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया हो और उपर्युक्त न पाया जाये या जिसका मामला इस नियमावली के नियम—4 के उपनियम (1) के अधीन न आता हो, तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और ऐसी समाप्ति पर वह एक मास का वेतन पाने का हकदार होगा।

(आलोक कुमार जैन)
सचिव।

संख्याः 850 (1)/कार्मिक—2/2002तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नॉकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तरॉचल शासन।
2— सचिव श्री राज्यपाल उत्तरॉचल
3— समस्त जिलाधिकारी,उत्तरांचल
4— समस्त विभागाध्यक्ष उत्तरांचल
5— स्थानिक आयुक्त नई दिल्ली
6— सचिव लोक सेवा आयोग उत्तरांचल हरिद्वार
7— निदेशक राजकीय मुद्रणालय रूडकी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को गजट में प्रकाशित कर इसकी 1000 प्रतियां शासन को उपलब्ध करायें।

संख्या 780/कार्मिक–2/2002

प्रेषक,

मधुकर गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तरांचल शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।
3– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक 25 जुलाई,2006.

विषयक– राज्याधीन सेवाओं में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि का अंकन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक सरकारी सेवक के लिए उसके द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के किए गय कार्य के मूल्यांकन के आधार पर एंक चरित्र पंजिका रखी जाती है। चरित्र पंजिकाओं में अंकित प्रविष्टियाँ किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के व्यक्तित्व उसकी प्रतिभा ,उपयुक्तता आदि के बारे में बेरोमीटर का कार्य करती है। अधिकारियों/कर्मचारियों के समस्त सेवा सम्बन्धित मामलों हेतु चरित्र पंजिका की प्रविष्टि ही एक ऐसा माध्यम है जिसके आधार पर समुचित निर्णय लिया जाना सम्भव होता है।

अस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अधिकारियों /कर्मचारियों की वार्षिक प्रविष्टियों के समय से अंकन हेतु निम्नलिखित व्यवस्था/समय सारिणी निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

(1) संवर्ग की स्थिति के अनुसार जनपद मण्डल विभागाध्यक्ष तथा शासन में जिस स्तर पर प्रविष्टियों का रख रखाव किया जाता है विभाग में उस स्तर पर स्वमूल्यांकन आख्या एवं वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि प्राप्त करने एवं पूर्ण कराने के अधिकारी को पदनाम से नामित करते हुए "नोडल अधिकारी" बनाया जाय

(2) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी स्वमूल्याकंन आख्या वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 45 के अन्दर नामित नोडल अधिकारी को उपलब्ध करा देंगे। यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी का वित्तीय वर्ष के दौरान स्थानान्तरण हुआ है तो कार्यभार छोडने के 45 दिन के अन्दर स्वमूल्यांकन आख्या उपलब्ध करा दी जानी चाहिये।

(3) यदि किसी अधिकारी का कार्यकाल किसी पद पर 3माह से कम रहा है तब भी सम्बन्धित अधिकारी स्वमूल्यांकन आख्या प्राप्त कर सकता है,परन्तु उस पर कोई मन्तव्य अंकित नहीं किया जायेगा। यदि संबंधित अधिकारी 3 माह से कम कार्यकाल होने के कारण स्वमूल्यांकन आख्या प्रस्तुत नहीं करना चाहता है तो भी नामित अधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए।

(4) प्रत्येक अधिकारी अपने कार्य के सम्बन्ध में स्वमूल्यॉकन प्रतिवेदक अधिकारी को उपलब्ध कराने के स्थान पर प्रस्तर–1 में नामित अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

(5) नामित अधिकारी ऐसे सभी स्वमूल्यॉकन आख्याओं को कमशः प्रतिवेदक समीक्षक एवं स्वीकृता अधिकारी को भेजकर प्रविष्टियाँ पूर्ण करायेंगे। कोई भी अधिकारी अपना मन्तव्य प्रविष्टि अंकित करने के लिए अगले स्तर के अधिकारी को नहीं भेजेंगे,अर्थात प्रतिवेदक अधिकारी अपना मन्तव्य समीक्षक अधिकारी को और समीक्षक अधिकारी अपना मन्तव्य स्वीकृता अधिकारी को सीधे नहीं भेजेंगे। प्रत्येक स्तर पर मन्तव्य नामित अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

8- निबन्धक उच्च न्यायालय ,उत्तरांचल नैनीताल।
9- आयुक्त अनुसूचित जाति तथा जनजाति उत्तरांचल देहरादून।
10- सचिव विधानसभा ,उत्तरांचल देहरादून।
11- समस्त मंत्रियों के निजी सचिवों को मा0 मंत्रिगणों के सूचनार्थ ।
12- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13- गार्ड फाईल।

आज्ञा से ,
ह0
(आलोक कुमार जैन)
सचिव।

संख्या–1094/कार्मिक2/2002

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तरांचल देहरादून।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 05 अगस्त,2002

विषय– अधिवर्षता आयु प्राप्त करने पर कर्मचारी/अधिकारी की सेवानिवृत्ति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके पत्रांक डी जी –एक 693–2001 (1) दिनांक 17–7–2002 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राज्याधीन सरकारी सेवकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष किये जाने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया था । तत्समय उत्तरांचल में अधिवर्षता आयु 58 वर्ष ही विद्यमान थी जिसके फलस्वरूप शासनादेश संख्या 1937/कार्मिक–2/2001 दिनांक 5–12–2001 निर्गत करते हुए यह निर्देश दिये गये थे कि ऐसे सेवा संवर्ग के अधिकारी/कर्मचारी जिनका अनन्तिम /अन्तिम रूप से आवंटन उत्तरांचल राज्य के लिए नहीं किया गया है और जो उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी है, 30–11–2001 या उसके बाद 58 वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे।उन्हें सम्बन्धित विभाग के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए अवमुक्त करते हुए उत्तर प्रदेश के विभागीय मुख्यालय में रिर्पोट करने के लिए निर्देशित किया जायेगा इसकी सूचना उत्तर प्रदेश के सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को भी दी जायेगी।

2– अधिसूचना संख्या 806/कार्मिक –2–2002 दिनांक 15 जून 2002 द्वारा उत्तरांचल शासन द्वारा भी राज्याधीन सरकारी सेवकों की अधिवर्षता आयु लोक हित में 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है ऐसी स्थिति में अब उपरोक्त शासनादेश निष्प्रभावी हो गया है अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त शासनादेश, दिनांक 15.6.2002 से निष्प्रभावी होने के कारण उक्तानुसार कार्यवाही किये जाने आवश्यकता नहीं है कृपया तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0
(आलोक कुमार जैन)
सचिव।

संख्या– 1094(1)/कार्मिक–2/2002 तददिनांक

प्रतिलिपि –निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
2– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तरांचल शासन
3– समस्त विभागाध्यक्ष उत्तरांचल
4– समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल

(6) यदि निर्धारित 45 दिनों की अवधि में स्वमूल्यॉकन आख्या उपलब्ध नहीं करायी जाती है और सम्बन्धित अधिकारी इस सम्बन्ध में कारण अंकित करते हुए अतिरिक्त समय की मॉग नहीं करते हुए तो यह नामित अधिकारी के विवेक पर होगा कि वे सीधे प्रतिवेदक अधिकारी से मन्तव्य प्राप्त कर कार्यवाही करें।

(7) राजपत्रित अधिकारियों के सम्बन्ध में चरित्र पंजिका प्रविष्टि करने हेतु निम्नलिखित 03 स्तर तथा समय सारणी निर्धारित की जाती है:-

क0सं0	अधिकारी / प्रविष्टि	निर्धारित तिथि
1-	प्रतिवेदक अधिकारी	31 जुलाई
2-	समीक्षक अधिकारी	31 अगस्त
3-	स्वीकर्ता अधिकारी	30 सितम्बर

अराजपत्रित अधिकारियों के लिये केवल निम्नलिखित 02 स्तर पर समय-सारणी निर्धारित की जाती है:-

1	प्रतिवेदक अधिकारी	31 अगस्त
2-	स्वीकर्ता अधिकारी	30 सितम्बर

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतु केवल एक ही स्तर है अर्थात जिसके अधीनस्थ कार्यकर रहा हो वही पर्याप्त है।

(8) प्रविष्टि कर्ता अधिकारी प्रविष्टि समाप्त होने के पश्चात उसका वर्गीकरण भी निम्न श्रेणियों में से किसी एक में करेगा:-

1-	उत्कृष्ट	(OUTSTANDING)
2-	अति-उत्तम	(VERY GOOD)
3-	उत्तम	(GOOD)
4-	सन्तोषजनक	(SATISFACTORY)
5-	खराब / असन्तोषजनक	(BAD/ UNSATISFACTORY)

प्रविष्टियों के अन्त में सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र निम्नप्रकार से अंकित किया जाना चाहिये:-

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी जानकारी में कोई भी ऐसा तथ्य नहीं आया है कि जो श्री..की सत्यनिष्ठा में विरीत प्रभाव डालता हो,ईमानदारी के लिये इनकी सामान्य ख्याति अच्छी है। और मैं इनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित करता / करती हूँ।

(9) नोडल अधिकारी उपरोक्त के अनुसार चरित्र प्रविष्टियों को पूर्ण करवाकर सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी की चरित्र पंजिका में यथा स्थान व्यवस्थित करेंगे।

3. आपसे अनुरोध है कि कृपया वार्षिक प्रविष्टियों के अंकन हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित की गयी समय सारणी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। स्वीकर्ता स्तर पर प्रविष्टियों का अन्तिमीकरण 30 सितम्बर तक अवश्य करा लिया जाय। यदि सम्बन्धित स्तर निर्धारितसमय सारणी के अनुसार अपने मन्तव्य अंकित नहीं करते तो उनके मन्तव्य की प्रतीक्षा किये बगैर अगले स्तर पर सम्बन्धित प्रमाण पत्र तलब करके प्रविष्टि अंकित करने की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाय।

भवदीय,

(मधुकर गुप्ता)
मुख्य सचिव

5— मुख्य विनिवेश आयुक्त/स्थानिक आयुक्त उत्तरांचल नई दिल्ली
6— पुर्नगठन आयुक्त, उत्तरांचल शासन लखनऊ
7— मुख्य स्थाई अधिवक्ता मा0उच्च न्यायालय नैनीताल
8— सचिवालय के समस्त अनुभाग

आज्ञा से
ह0
(आलोक कुमार जैन)
सचिव।

संख्या:1095/कार्मिक–2002

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तरांचल देहरादून।
2– समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तरांचल।
3–समस्त जिलाधिकारी,,
उत्तरांचल ।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 06 अगस्त,2002

विषय– तदर्थ नियुक्तियों /पदोन्नतियों पर प्रतिबन्ध विषयक।

महोदय, .

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों में स्थिरता एवं स्थायित्व लाने तथा नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाये रखने के उददेश्य से सभी प्रकार की तदर्थ नियुक्तियों /पदोन्नतियों को हतोत्साहित करना शासन की नीति रहीं है, लेकिन शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के बावजूद भी विभागों द्वारा समय–समय पर तदर्थ नियुक्तियों /पदोन्नतियों की आवश्यकता बताई जाती है और तदर्थ नियुक्तियाू की जाती है। और सम्बन्धित पद पर कभीकभी चयन के लिए निर्धारित प्रकिया का अनुपालन किये बिना ही तदर्थ नियुक्तियॉ कर दी जाती है। तदर्थ नियुक्तियॉं कर दी जाती है। तदर्थ नियुक्तियॉं चाहे सीधी भर्ती के माध्यम से की जाये अथवा पदोन्नति केमाध्यम से जहॉं एक ओर तदर्थ को बढावा मिलता है वही दूसरी ओर सेवाओं में अस्थिरता उत्पन्न होती है ओर धीरे धीरे तदर्थ नियुक्त कर्मिकों द्वारा विनियमितीकरण की मांग विलम्ब होता है। वही ऐसी नियुक्तियों के कारण सम्बन्धित सेवा संवर्गो में सेवा सम्बन्धी विवाद भी उत्पन्न होते है। जिसके कारण मामले मा0 न्यायालययों में जाते है और उच्चतर पदों में समय से पदोन्नतियॉं नही हो पाती है।

2– अतः शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये है :–

(1) तदर्थ नियुक्तियॉं सामन्यतः नहीं होनी चाहिए वर्तमान में इनमें पूर्व रूप से प्रतिबन्ध है । यदि किन्हीं अपरिहार्य परिस्थिति में तदर्थ नियुक्तियॉ किया जाना आवश्यक समझा जाता है तो समुचित प्रकिया निर्धारित करते हुए जो यथासम्भव नियमावली निर्धारित प्रकिया के अनुरूप हो, कार्मिक विभाग की सहमति पश्चात मा0 मंत्रि परिषद के अनुमोदन से ही किया जा सकेगा।

(2) जिन नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा इसका उल्लधंन करके नियुक्तियॉं की जायेगी, ऐसी नियुक्तियॉं करने को गम्भीर कदा समझा जायेगा। जिसके लिए उनके विरूद्ध अनुशासनिक

कार्यवाही की जायेगी और तदर्थ नियुक्त कार्मिक के वेतन/भत्तों पर किये गये को उनके वेतन से वसूला जायेगा।

3– आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0
(आलोक कुमार जैन)
सचिव।

संख्या–1095(1)/कार्मिक–2/2002तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– गोपन अनुभाग को उनके पत्र संख्या–4/2/11/2002 सी–एक दिनांक 28 जूनह 2002 के सन्दर्भ में।

2– सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से
ह0
(रमेश चन्द्र लोहनी)
उपसचिव।

संख्याः 1028 / कार्मिक--2 / 2002

प्रेषक,

सुरेन्द्रसिंह रावत,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में

1— समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तरांचल शासन।
2— समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।
3— समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तरांचल।
4— समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग--2 देहरादून दिनांक 27 अगस्त,2002

विषय— राज्याधीन सेवाओं एवं सार्वजनिक उपकमों में अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किय जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन क संज्ञान में यह तथ्य लाये गये है कि विभिन्न विभागों के अन्तर्गत राज्याधीन सेवाओं एवं सार्वजनिक उपकमों में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क पदों पर चयन के समय आरक्षण पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

2— शासन द्वारा अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण निर्धारित करते हुए आरक्षण की पूर्ति किय जाने हेतु रोस्टर निर्धारित किया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया विभिन्न पदों पर चयन के समय अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए रोस्टर के अनुसार आरक्षण निर्धारित करते हुए चयन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव।

उत्तरांचल शासन
कार्मिक विभाग
संख्या 849/का–2–2002
देहरादून दिनांक 23,अगस्त,2002

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन क रूप में,ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकती है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा चूँकि उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 66 के अधीन उत्तरांचल राज्य में लागू है,

अतः अब उत्तर प्रदेश अधिनियम 2000 (अधिनियम संख्या–29 सन 2000) की धारा 87 के शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल सहर्ष निदेश देते हैं, कि उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवको के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ (1) यह नियमावली उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के अश्रितों की भर्ती नियमावली 1974) का अनुकूलन एवं उपान्तरण नियमावली 2002 कहलायेगी।

(2) यह तत्काल लागू होगी।

2. उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ जाना उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 में जहॉ जहॉ शब्द पद उत्तर प्रदेश आया है वहॉ वहॉ उत्तरांचल पढा जायेगा।

ह0
(आलोक कुमार जैन)
सचिव।

संख्या 849(1)/कार्मिक–2/2002 तद्दिनांक।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव,उत्तरॉचल शासन।
2. सचिव,श्री राज्यपाल,उत्तरॉचल।
3. समस्त जिलाधिकारी,उत्तरॉचल।
4. समस्त विभागाध्यक्ष,उत्तरॉचल।
5. स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली।
6. सचिव,लोक सेवा आयोग,उत्तरॉचल,हरिद्वार।
7. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री ,रूडकी को इस निदेश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को गजट में प्रकाशित कर इसकी 1000 प्रतियां शासन को उपलब्ध करादे।
8. निबन्धक,उच्च न्यायालय उत्तरांचल नैनीताल।
9. आयुक्त अनुसूचित जाति तथा जनजाति ,उत्तरांचल देहरादून।
10. समस्त मंत्रियों के निजी सचिवों को मा0 मंत्रिगणों के सूचनार्थ।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. गार्ड फाइल

आज्ञा से,
ह0
(आलोक कुमार जैन)
सचिव

संख्या 1162/का0-2-2002

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
सचिव,
कार्मिक विभाग,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

(1)समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

(3) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

कार्मिक विभाग देहरादून दिनांक 23 अगस्त,2002

विषय– उत्तरांचल सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 2002 के नियम 5(1) (तीन) के परन्तुक का स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रायः ऐसे सन्दर्भ प्राप्त हो रहे हैं,जिनमें सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 के प्राविधानों के अन्तर्गत मृतक सरकारी सेवक के कुटुम्ब के सदस्य द्वारा नियमावली में निर्धारित आवेदन की 5 वर्ष की अवधि के बाद आवेदन किया जाता है तथा नियमावली के नियम 5(1) (तीन) के परन्तुक में राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके आवेदन करने की अवधि में शिथिलीकरण करके नियुक्ति प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है। इन मामलों में विलम्ब का कारण मृत सरकारी सेवक के पुत्र/पुत्रियों के सरकारी सेवक की मृत्यु के समय अवयस्क होना तथा उनके द्वारा शासनादेश संख्याः 225/कार्मिक-2/2002 दिनॉक 08.02.2002 द्वारा मृतक सरकारी सेवकों के आश्रितों को नियुक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में मार्ग दर्शक नियम स्पष्ट किये गये थे।

(1) मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि मृत सरकारी सेवक के परिवार की,सरकारी सेवक की मृत्यु पर आर्थिक स्थिति ऐसी हो गयी हो,कि परिवार का गुजारा परिवार के एक सदस्य को नियुक्ति दिये बिना नहीं हो सकेगा।

(ii) मृत सरकारी सेवक के परिवार के सदस्यों को नियुक्ति पाना विहित अधिकार नहीं है,जिसको भविष्य में भी उपयोग किया जा सके। यह अचानक आयी विपदा से परिवार को उबरने के लिए तथा गुजारे का साधन उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से सरकार की ओर से अनुकम्पा है जिसे यथाशक्य अविलम्ब मृतक सरकारी सेवक के परिवार को प्रदान किया जाना चाहिए। नियमावली में निर्धारित अवधि के बाद नियुक्ति प्रदान किया जाना उचित स्थिति नहीं है।

2. मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के सदस्य द्वारा नियुक्ति प्रदान करने के लिए 5साल की अवधि के बाद दिये गये आवेदन पत्रों में नियमावली के नियम 5 (1) (तीन) के परन्तुक "परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए निर्धारित समय-सीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहाँ वह अपेक्षाओं को,जिन्हें वह मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहाँ वह अपेक्षाओं को,जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे अभ्युक्तियाँ शिथिल कर सकता है।" में शक्ति का उपयोग किये जाने हेतु निवेदन किया जाता है।यह शक्तियां किसी विशिष्ट मामले में

अनुचित कठिनाई के न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से निराकरण करने की शक्तियॉं हैं। जिसके द्वारा सरकारी सेवक की मृत्यु के दिन से 05 वर्ष के भीतर आवेदन करने की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मामले में उत्पन्न अनुचित कठिनाईयों का निराकरण किया जाना है। नियमावली के नियम 5 (1) (तीन) में निर्धारित आवेदन करने की 05 वर्ष की अवधि का विस्तार इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि सरकारी सेवक की मृत्यु के समय उनके पुत्र/पुत्री आवेदन करने के 05 वर्ष की अवधि के बाद एक या दो सप्ताह में अपनी न्यूनतम आयु प्राप्त कर रहे हैं/रही हैं,अथवा लम्बी बीमारी के कारण निर्धारित आवेदन करने की 5 वर्ष की अवधि के एक या दो सप्ताहों का विलम्ब हो गया और आवेदन नहीं किया जा सका तथा उपरोक्त कारणों के साथ परिवार की आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है कि मृतक सरकारी सेवक के परिवार का गुजारा हो पा रहा हो या व्यवसाय न कर रहा हो। ऐसे मामले में राज्य सरकार कठिनाइयों का निराकरण की प्रदत्त शक्ति का उपयोग करके आवेदन की अवधि को शिथिल कर सकती है। आवेदन करने में लम्बी बीमारी या अन्य किसी दुर्घटना के कारण हुआ सूक्ष्म विलम्ब जिसमें परिवार के सदस्य के नियन्त्रण में परिस्थतियां नहीं रही ऐसे मामले को विचार के लिये लिया जा सकता है। नियम को इस प्रावधान को पुनः दोहराया जाना है कि परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्ति का उपयोग समान्य रूप में,आवेदन की निर्धारित अवधि "5वर्ष के भीतर" को लम्बे समय का विस्तार देने के लिए नहीं किया जा सकता है।

3. शासन के विभागों में प्राप्त हो रहे सन्दर्भो में उपरोक्तानुसार यह परीक्षण कर लिया जाना चाहिये कि मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के सदस्य द्वारा सरकारी सेवक की मृत्यु के 05 वर्ष के भीतर आवेदन किया गया है। विलम्ब इतना सूक्ष्म एवं अपवादिक है तथा अवधि शिथिलीकरण के लिए पर्याप्त एवं समुचित औचित्य उपलब्ध है,जिसे नियम 5 (1) (तीन) के परन्तुक के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों में शिथिल किया जा सकता है।

4. अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त दिशा निर्देशों के आधार पर मृतक आश्रित से प्राप्त हो रहे आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
सचिव।

उत्तरॉचल शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या 192/कार्मिक–2/2002
देहरादून,दिनॉक 13 अगस्त,2002

" भारत का संविधान " के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

उत्तरांचल राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली,2002

संक्षिप्त नाम प्रारंभ और लागू होना

1.(1) यह नियमावली उत्तरांचल राज्य के सरकारी सेवको की स्थायीकरण नियमावली 2002 कही जायेगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

(3) यह उन सभी व्यक्तियों पर लागू होगी जो उत्तरांचल के कार्य–कलापों के सम्बन्ध में कोई सिविल पद धारण करते हों और जो संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल के नियम बनाने के नियंत्रणाधीन हों।

अध्यारोही प्रभाव

2. इस नियमावली के उपबन्ध भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाए गए किन्ही अन्य नियमों या तत्सयम प्रवृत्त आदेशों में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी प्रभावी होंगे।

परिभाषाएं

3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में,

(क) किसी पद या सेवा के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य सरकार द्वारा जारी किए गये सुसंगत सेवा नियमों या कार्यपालक अनुदेशों के अधीन ऐसे पद पर सेवा में नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है,

(ख) "संविधान" का तात्पर्य भारत के संविधान से है।

(ग) "संवर्ग " का तात्पर्य किसी पृथक इकाई के रूप में स्वीकृत किसी सेवा या सेवा के किसी भाग की सदस्य संख्या से है।

(घ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरॉचल सरकार से है।

(ड.) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरॉचल के राज्यपाल से है।

(च) "सरकारी सेवक" से तात्पर्य उत्तरॉचल के कार्य कलापों के सम्बन्ध में किसी लोक सेवा या पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति से है।

(छ) "धारणाधिकार" का तात्पर्य किसी सरकारी सेवक के किसी नियमित पद को,चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी या तो तुरन्त या अनुपस्थिति की अवधि की समाप्ति पर धारण करने के अधिकार या हक से है।

(ज) "विहित" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा या किसी विशिष्ट सेवा के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्गत कार्यपालक अनुदेशों द्वारा विहित से है।

(झ) "सेवा" का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमों या सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों में यथार्थ परिभाषित सेवा से है।

(ट) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा की संवर्ग से किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार या चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो।

स्थायीकरण जहां आवश्यक है

4 (1) किसी सरकारी सेवक का स्थायीकरण केवल उसी पद पर किया जायेगा जिस पर वह (एक) सीधी भर्ती के माध्यम से या (दो) यदि भर्ती का एक स्रोत सीधी भर्ती भी है प्रोन्नति द्वारा (तीन) यदि पद भिन्नन सेवा से सम्बन्धित है तो प्रान्नति द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त किया गया हो

(2) ऐसा स्थायीकरण निम्नलिखित के अनुसार किया जायेगाः—

(एक) ऐसे पद के प्रति चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी जिस पर किसी अन्य व्यक्ति का धारणाधिकार न हो ।

(दो) यथास्थिति सुसंगत सेवा नियमों या सरकार द्वारा निर्गत किये गये कार्यपालक अनुदेशों,में दी गयी स्थायीकरण की शर्तों को पूरा करने के अधीन

(तीन) स्थायीकरण के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा औपचारिक आदेश जारी किया जाना आवश्यक होगा।

<u>स्पष्टीकरण</u>— इस तथ्य के होते हुए भी कोई सरकारी सेवक किसी अन्य पद पर स्थायी है,चाहे वह किसी पद पर सीधे भर्ती किया जाए,या किसी पद पर,जहां भर्ती का एक स्रोत सीधी भर्ती भी हो प्रोन्नत किया जाए तो उसे पद पर स्थायी करना होगा।

स्थायीकरण जहां आवश्यक नहीं है

5. (1) स्थायीकरण आवश्यक नहीं होगा,यदि कोई सरकारी सेवक उस संवर्ग में,जिसमें भर्ती का स्रोत प्रोन्नति ही हो विहित प्रकिया का पालन किये जाने के पश्चात नियमित आधार पर प्रोन्नत किया जाय।

(2)उप नियम (1) में निर्दिष्ट पद पर प्रोन्नति होने पर सरकारी सेवक को वे सभी लाभ प्राप्त होंगे जो इस श्रेणी में स्थायी किये गये,यदि कोई परिवीक्षा विहित न की गई हो,किसी व्यक्ति को प्राप्त होते।

(3) जहाँ परिवीक्षा विहित वहाँ नियुक्ति प्राधिकारी विहित परिवीक्षा अवधि करेगा और निष्कर्ष पर पहुँचने की दशा पर कि सरकारी सेवक उच्चतर श्रेणी के लिए उपर्युक्त हैं तो वह यह घोषित करते हुए एक आदेश जारी करेगा कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। यदि नियुक्ति अधिकारी के विचार में सम्बन्धित सरकारी सेवक का कार्य और आचरण को देखने की आवश्यकता है तो वह उसे उस पद या श्रेणी पर प्रत्यावर्तित कर सकता है जिससे वह प्रोन्नत किया गया था, या परिवीक्षा की अवधि विहित रीति से बढा सकता है।

(4) जहाँ उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए पात्रता की एक आवश्यक शर्त निम्नतर पोषक पद पर स्थायीकरण विहित की जाय,वहाँ नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन निम्नतम पद पर स्थायी कोई व्यक्ति उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए पात्र होगा और निम्नतर पोषक पद पर उसका स्थायीकरण आवश्यक नहीं होगा यदि उस पद पर उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक पाया जाय।

दृष्टॉन्त—(1) "लेखपाल सेवा नियमावली " में लेखपाल के पद पर भर्ती का एक मात्र स्रोत सीधी भर्ती है। "क" लेखपाल के रूप में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किया जाता है।"क" को नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन उक्त पद पर स्थायी करना होगा

(2) "ख" तहसीलदार के पद पर एक स्थायी सरकारी सेवक है जिसे उ0प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियमावली 1982 के उपबन्धों के अधीन उ0प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में सामान्य श्रेणी के एक पद पर प्रोन्नत किया जाता है। "ख" को नियम 4 के उप नियम (1) के अधीन पुनः बाद वाले पद पर स्थायी करना होगा।

(3) "ग" को सीधी भर्ती के माध्यम से सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता के रूप में नियुक्त किया जाता है और "घ" को यूनाइटेड प्राविन्सेज सर्विस आफ इन्जीनियर्स क्लास टू (इरीगेशन ब्रान्च) रूल्स 1936 के उपबन्धों के अधीन प्रोन्नति कोटा के प्रति सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत किया जाता है "ग" और "घ" दोनो को सहायक अभियन्ता के पद पर स्थायी करना होगा क्योंकि सहायक अभियन्ता के पद पर भर्ती के स्रोतों में से सीधी भर्ती एक सोत्र है।

(4) (ड) सिंचाई विभाग में एक स्थायी सहायक अभियन्ता है जिसे सरकार द्वारा निर्गत किए गए कार्यपालक अनुदेश के अनुसार अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत किया जाता है "ड" को पुन अधिशासी अभियन्ता के पद पर स्थायी करना आवश्यक नहीं होगा क्योंकि अधिशासी अभियन्ता के पद पर भर्ती का एक मात्र सोत्र प्रोन्नति है।

(5) उत्तर प्रदेश सचिवालय के प्रवर वर्ग सहायक का पद लिपिक वर्गीय सेवा का पद है। अनुभाग अधिकारी का पद एक भिन्न सेवा अर्थात उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा का पद है "च" एक स्थायी प्रवर वर्ग सहायक है जिसे नियम 4 के उप नियम (1) के अधीन अनुभाग अधिकारी के पद पर प्रोन्नति होने पर पुनः स्थायी करना होगा। अनुसचिव के पद पर और अन्य उच्चतर पदों पर अगली प्रोन्नति होने पर उसका मामला नियम–5 के उप नियम(1) के अन्तर्गत आएगा और "च'8 को उच्चतर श्रेणी के पदों पर पुनः स्थायी नहीं करना होगा।

(6)उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा नियमावली 1983 के अधीन उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा में उप सचिव के पद पर प्रोन्नति के लिए एक स्थायी अनुसचिव ही पात्र है। उपर्युक्त उपबन्ध से युक्त सेवा नियत इस नियमावली के नियम 5 के उप नियम (4) के अधीन इस सीमा तक संशोधित समझे जायेगे कि प्रोन्नति के लिए ऐसी पात्रता के सम्बन्ध में स्थायीकरण आवश्यक नहीं होगा।

पद जिन पर ये लागू नहीं होंगे

6–ये नियम वहां लागू नहीं होगे जहां नियुक्तियां उन निय अधिष्ठानों के पदों पर की जाए जो निश्चित और पूर्णतः अस्थायी अवधि के लिए सृजित किए गए हो जैसे कि समितियॉ ,जांच आयोग किसी विशिष्ट आपात स्थिति से निपटने के लिए सृजित संगठन जिनके कुछ ही वर्षो से अधिक समय तक चलने की प्रत्याशा न हो विनिर्दिष्ट अवधि के लिए परियोजनाओं और पूर्णतः अस्थायी संगठनों के लिए सृजित पद।

धारणाधिकार करने का अधिकारी

7– ऐसा सरकारी सेवक जिसे नियम–4 के उप नियम (1) के अधीन किसी पद पर स्थायी किया गया हो या जिसे किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया गया हो और इस नियमावली के नियम 5 के उप नियम (3)के अधीन विहित परिवीक्षा पूरी कर लिया जाना धोषित कर दिया गया हो या जहां परिवीक्षा विहित नहीं है । वहां नियमित आधार पर उच्चतर पद पर प्रोन्नत कर दिया गया हो यथास्थिति यह समझा जाएगा कि उस पद पर उसका धारणाधिकार है।

व्यावृत्ति

इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियां ,अनुसूचित जनजातियो और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्धित किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से

ह0

(आलोक कुमार जैन)

सचिव।

संख्या–849 / कार्मिक–2 / 2002

उत्तरांचल शासन
कार्मिक विभाग,
23 अगस्त,2002 ई0

संख्या 489 / का–2 / 2002 चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को आदेश द्वारा निरसन क रूप में या संशोधन के रूप में ऐसे अनुकूलन तथा उपरान्तरण कर सकती है, जो आवश्यक व समीचीन है,

तथा चूंकि उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974,उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में लागू है,

अतः अब उत्तर प्रदेश अधिनियम 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल सहर्ष निदेश देते है कि उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्याधीन लागू रहेगी :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974)
अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002

1– संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ –

(1) यह नियमावली उत्तरांचल ((उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 कहलायेगी।

(2) यह तत्काल लागू होगी।

2– "उत्तर प्रदेश " के स्थान पर "उत्तरांचल "पढा जाना–

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 में जहां जहां शब्द उत्तर प्रदेश आया है, वहां –वहां "उत्तरांचल" पढा जायेगा।

आज्ञा से
(आलोक कुमार जैनी)
सचिव।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/02
(लाइसेंस टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट,उत्तरॉंचल
उत्तरॉंचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
देहरादून,शनिवार,31 अगस्त,2002 ई0
भाद्रपद 09,1924 शक सम्वत्

उत्तरॉंचल शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या 194 /का–2/2002
देहरादून,31अगस्त,2002

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा तदर्थ समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके,राज्यपाल सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित विशेष नियमावली बनाते हैं:–

उत्तरॉंचल सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली,2002

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (1) यह नियमावली उत्तरॉंचल सेवा काल में मृत सरकारी सवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली,2002 कहलायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2. जब कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,इस नियमावली में :–

(क) सरकारी सेवक का तात्पर्य उत्तरॉंचल के कार्यकाल के सम्बन्ध में सेवायोजित ऐसे सरकारी सेवक से है जो–

(1) ऐसे सेवायोजन में स्थायी था,या

(2) यद्यपि अस्थायी है तथापि ऐसे सेवायोजन में नियमित रूप से नियुक्त किया गया था,या

(3) यद्यपि नियमित रूप से नियुक्त नहीं है,तथा ऐसे सेवायोजनों में नियमित रिक्ति में तीन वर्ष की निरन्तर सेवा की है।

स्पष्टीकरण–"नियमित रूप से नियुक्ति" का तात्पर्य यथास्थिति,पद पर या सेवा में भर्ती के लिए अधिकथित प्रकिया के अनुसार नियुक्त किये जाने से है:–

(ख) "मृत सरकारी सेवक" का तात्पर्य ऐसे सरकारी सेवक से है जिसकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाये।

(ग) "कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे:–

(1) पत्नी या पति,

(2) पुत्र,

(3) अविवाहित पुत्रियॉं तथा विधवा पुत्रियॉं,

(4) मृत सरकारी सेवक पर निर्भर अविवाहित भाई,अविवाहित बहन और विधवा माता,यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था।

(घ) "कार्यालय का प्रधान" का तात्पर्य उस कार्यालय के प्रधान से है जिस कार्यालय में मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवारत था।

नियमावली का लागू किया जाना

3. यह नियमावली उन सेवाओं और पदों को छोड कर जो उत्तरॉंचल लोक

सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं,उत्तरांचल के कार्यकलापों से सम्बन्धित लोक सेवाओं में और पदों पर मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती पर लागू होगी।

इस नियमावली का आरोही प्रभाव

4. इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय प्रवृत्त किन्हीं नियमों,विनियमों,या आदेशों के अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी यह नियमावली तथा तद्धीन जारी किया गया कोई आदेश प्रभावी होगा।

मृतक कुटुंब के किसी सदस्य की भर्ती

5. (1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य जो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजि न हो,इसप्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए सरकारी सेवा में ऐसे पद को छोड कर,जो उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो किसी पद पर उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा,यदि ऐसा व्यक्तिः--
(एक) पद के विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता हो,
(दो) सरकारी सेवा के लिए अन्य अर्ह हो, और
(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतरसेवायोजन के लिए आवेदन करता है:परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवायोजन के आवेदन करने के लिए नियम समय सीमा के किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है,वहाँ वह अपेक्षाओं को,जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे,अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।
(2) ऐसा सेवायोजन,यथासंभव,उसी विभाग में दिया जाना चाहिये,जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु से पूर्व सेवायोजित था।
(3) "उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति,मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उक्त मृतक सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।"

6. जहाँ उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति,किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इन्कार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिए वह उपनियम(3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवाएं समय--समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती है।

सेवायोजन के लिए आवेदन पत्र की विषय वस्तु

7 इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए अवेदन--पत्र जिस पर नियुक्ति अभिलाषित है,उस पद से सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को सम्बोधित किया जायेगा, किन्तु वह उस कार्यालय के प्रधान को भेजा जायेगा,जहाँ मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था। आवेदन पत्र में अन्य बातों के साथ--साथ निम्नलिखित सूचना दी जायेगी :--

(क) मृत सरकारी सेवक की मृत्यु का दिनाँक,वह विभाग जहाँ और वह पद जिस पर वह अपनी मृत्यु के पूर्व सेवा कर रहा था,

(ख) मृतक के कुटुम्ब के सदस्यों के नाम,उनकी आयु तथा अन्य ब्योरे विशेषतया उनके विवाह,सेवायोजन तथा आय सम्बन्धी ब्यौरे,

(ग) कुटुम्ब की वित्तीय दशा का ब्यौरा,और

(घ) आवेदक की शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं,यदि कोई हों।

प्रक्रिया जब कुटुंब के एकाधिक सदस्य जब सेवायोजन चाहते हों

8. यदि मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य इस नियमावली के अधीन सेवायोजन चाहते हों तो कार्यालय का प्रधान सेवायोजित करने के लिए व्यक्ति की व्यक्ति की उपयुक्तता को विनिश्चय करेगा।समस्त कुटुम्ब विशेषतया उसके विधवा तथा अवयस्क सदस्यों के

कल्याण के निमित्त उसके सम्पूर्ण हित को भी ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जायेगा .

आयु तथा अन्य अपेक्षाओं में शिथिलता

9. (1) इस नियमावली के अधीन नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी की आयु नियुक्ति के समय 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।

सामान्य अर्हताओं के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान

10– किसी अभ्यर्थी को नियुक्त करने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी अपना यह समाधान करेगा कि :–

(क) अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा है कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है,

टिप्पणी :– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं समझे जायेगें।

(ख) वह मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त है जिनके कारण उसके द्वारा अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो तथा इस बात के लिए अभ्यर्थी से उस मामले में लागू नियमों के अनुसार समुचित चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने और स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी

(ग) पुरूष अभ्यर्थी की दशा में उसकी एक से अधिक पत्नी जीवित न हो और किसी महिला अभ्यर्थी की दशा में उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह न किया हो ,जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

11– राज्य सरकार इस नियमावली के किसी उपबन्ध के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई को जिसके विद्यमान होने के बारे में वह एकमात्र निर्णायक हो) दूर करने के प्रयोजनार्थ कोइ ऐसा सामान्य या विशेष आदेश दे सकती है ,जिसे वह उचित व्यवहार या लोकहित में आवश्यक या समाचीन समझे।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार जैन)
सचिव।

संख्याः 254 /कार्मिक–2/2002

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
सचिव,
उत्तरॉचल शासन,

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।
2–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।
3–समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

कार्मिक विभाग–2 देहरादून : दिनॉक : 10 अक्टूबर,2002

विषय– उत्तरॉचल राज्य के नागरिकों को आरक्षण की अनुमन्यता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरॉचल राज्य के गठन के फलस्वरूप राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती के प्रकम पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग के लिए आरक्षण अनुमन्य किया गया है।

2– राज्याधीन सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती के प्रकम पर नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गों के मामले में अनुमन्य आरक्षण केवल उत्तरॉचल प्रदेश के निवासी उन जातियों के व्यक्तियों को ही अनुमन्य होगा,जो इस निमित्त उत्तरॉचल शासन द्वारा जारी की गयी अनुसूची में सम्मिलित हों।

3– उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम,2000 की धारा 24 एवं 25 द्वारा कमशः संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश,1950 तथा संविधान अनुसूचित जनजातियॉ आदेश, 1950 को उक्त अधिनियम की पॉचवीं एवं छठीं अनुसूची में यथा निर्देशित संशोधित कर दिया गया है।तद्नुसार उत्तरॉचल राज्य की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुर्नगठन अधिनियम की पांचवीं एवं छठी अनुसूची में पृथक से चिन्हित हो चुकी हैं। अतः उत्तरॉचल राज्य के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश तथा अन्य किसी राज्य का कोई व्यक्ति उत्तरॉचल की राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए अनुमन्य आरक्षण का लाभ नहीं पा सकेगा।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
सचिव।

संख्या : 254 / कार्मिक -2 /2002 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि– सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव।
उत्तरॉचल शासन

उत्तरांचल शासन
कार्मिक विभाग
संख्या 1472/कार्मिक –2/2002
देहरादून दिनांक 7.11.202

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक समीचीन हों,

तथा चूंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत् लागू है,

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (अधिनियम संख्या–29 सन 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहित श्री राज्यपाल सहर्ष निदेश देते है कि उत्तर प्रदेश लोक सेव (शारीरिक रूप से विकलांग ,स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूव्र सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगा :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश लोक सेवा शारीरिक रूप से विकलांग ,स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिको के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002

1– संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ – (1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश लोक सेवा –(शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिको के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 कहलायेगा।

(2)– यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना– उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग , स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 में जहाँ –जहाँ शब्द पद "उत्तर प्रदेश " आया है ,वहाँ –वहाँ यह शब्द "उत्तरांचल " के रूप में पढ़ा जायेगा।

आलोक कुमार जैन,
सचिव।

संख्या 1472(1)/कार्मिक–2/2002,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तरांचल शासन।
2. सचिव श्री राज्यपाल ,उत्तरांचल शासन।
3. समस्त जिलाधिकारी ,उत्तरांचल शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष ,उत्तरांचल शासन।
5. राजसचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
6. निदेशक ,राजकीय मुद्रणालय,रूड़की को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को गजट में प्रकाशित कर उसकी 1000प्रतियां शासन को उपलब्ध करायें।
7. निबन्धक, उच्च नयाल, उत्तरांचल, नैनीताल।

8. आयुक्त शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित को भूतपूर्व सैनिक ,उत्तरांचल देहरादून।
9. सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तरांचल।
10. समस्त मंत्रियोंद के निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण को सूचनार्थ ।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(आलोक कुमार जैन)
सचिव।

संख्या : 167 / कार्मिक–2 / 2003

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
सचिव कार्मिक
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

2– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

3– समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक : 11 फरवरी, 2003

विषय : प्रतियोगितात्मक परीक्षा / साक्षात्कार के माध्यम से श्रेष्ठता (मेरिट) के आधार पर चुने गये आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की गणना उनके लिए आरक्षित कोटे के विपरीत किया जाना।

महोदय,

कतिपय श्रोतों से शासन को जिज्ञासायें प्राप्त हुई हैं जिनमें शंका व्यक्त की गई है कि जब अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का साक्षात्कार सामान्य / अनारक्षित उम्मीदरवारों से अलग इस उद्देश्य से किया जाता है कि उनकी तुलना सामान्य उम्मीदवारों से न की जाय तथा उनका चयन, आवश्यकतानुसार मानक शिथिल करके किया जाय तब उक्त "श्रेष्ठता के आधार पर आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की गणना आरक्षण कोटे के विरुद्ध न करके किस प्रकार करना सम्भव हो सकेगा" इस संबंध में स्पष्ट करना है कि किसी पद या सेवा के लिए चयन एक ही परीक्षा / साक्षात्कार के माध्यम से किया जाय। चयन विशेष में आरक्षित रिक्तियों को शिथिलीकरण के उपरान्त निर्धारित अनन्तिम चयन के मानक के आधार पर उपयुक्तता सामान्य अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित मानको के शिथिलीकरण तथा आयु सीमा में छूट की सुविधा प्राप्त किये बिना "श्रेष्ठता" के आधार पर सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित हो जाते हैं, को श्रेष्ठता के आधार पर चयनित माना जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को आरक्षित रिक्तियों के विरूद्ध समायोजित नहीं किया जायेगा।

शासन को इस विषय पर कतिपय श्रोतों से यह जिज्ञासायें प्राप्त हुई" कि "एक से अधिक सेवाओं हेतु आयोजित सम्मिलित परीक्षाओं में श्रेष्ठता के आधार पर आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की गणना किस प्रकार की जानी चाहिए। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि एक से अधिक सेवाओं हेतु आयोजित सम्मिलित परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों का आवंअन / चयन प्रत्येक सेवा को अलग–अलग मानते हुए किया जाना चाहिए। यदि आरक्षित वर्ग का कोई अभ्यर्थी अपनी वरीयता (प्रीफरेन्स) के आधार पर सुविधा प्राप्त किये बिना "श्रेष्ठता / मेरिट" में आता है तो उसका समायोजन आरक्षित कोटे की रिक्ति / पद के विरुद्ध नही किया जाय। इसके विपरीत आरक्षित वर्ग का कोई अभ्यर्थी यदि अपनी वरीयता के आधार पर सामान्य अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित मानको के शिथिलीकरण या आयु सीमा में छूट की सुविधा प्राप्त कर चयन सूची में आता है तो उसका

समायोजन उसकी वरीयता तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों में उसकी मेरिट के आधार पर उपयुक्त सेवा में आरक्षित कोटे की रिक्ति/पद के विरुद्ध किया जाना चाहिए"।

कृपया उपरोक्त स्थिति से अपने अधीनस्थ समस्त सक्षम प्राधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन),
सचिव।

संख्या : 167/कार्मिक–2/2002

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

13. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल, देहरादून।
14. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
15. निबन्धक, उच्च नयाल, उत्तरांचल, नैनीताल।
16. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तरांचल।
17. आयुक्त, अनुसूचित जाति/जनजाति, उत्तरांचल।
18. सचिव, लोक आयुक्त, उत्तरांचल।
19. निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण उत्तरांचल को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
20. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
21. सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तरांचल।
22. नेता विरोधी दल, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तरांचल।

आज्ञा से,

(सुरेन्द सिह रावत)
अपर सचिव।

संख्या : 1803/कार्मिक–2/2003

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
सचिव कार्मिक
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।

2– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

3– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक : 06 फरवरी, 2003

विषय : विभिन्न विभागों के अंतर्गत/तदर्थ/संविदा/नियत वेतन/दैनिक वेतन पर की जाने वाली नियुक्तियों पर रोक

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाये गये हैं, कि कतिपय विभागों द्वारा श्रेणी–ग तथा श्रेणी–घ के कतिपय पदों पर अस्थायी/संविदा/तदर्थ/नियत वेतन तथा दैनिक वेतन पर नियुक्तियां की जा रही है। राज्याधीन सेवाओं/पदों पर नियुक्तियों के लिए सुसंगत सेवा नियमावली में भर्ती एवं चयन प्रक्रियाऐं प्रावधानित है। सेवाओं/पदों पर नियुक्तियां भर्ती एवं चयन के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार आवेदन पत्रों के खुले आमंत्रण कर चयन उपरान्त चयनित अभ्यर्थियों में से प्रवीणता कम में की जानी चाहिए। अन्यथा नियुक्तियों, जैसे दैनिक वेतन, नियत वेतन, तदर्थ नियुक्तियों से सेवा संवर्गों में विसंगतियां उत्पन्न होती है। ज्येष्ठता संबंधी विवाद भी उत्पन्न होत है। शासन की आरक्षण नीति के अनुसार विभिन्न वर्गों का सेवाओं/पदों पर आरक्षण प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। जबकि प्रतिबन्ध होने के पश्चात भी चयन की किसी प्रकिया का अनुपालन किये बिना की गयी नियुक्तियां जहां एक ओर अनियमित नियुक्तियां है, वही दूसरी ओर ऐसी अनियमित नियुक्तियों के लम्बे समय तक बनाये रखने पर विनियमितीकरण की मांग उठती है। जिससे सेवा संबंधी मामलों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

2– इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये है :–

i– श्रेणी 'ग' तथा श्रेणी 'घ' के सिकी भी पद पर दैनिक वेतन/तदर्थ/संविदा/नियत वेतन पर नियुक्ति नहीं की जायेगी। इस प्रकार की नियुक्तियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध रहेगा। यदि किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों में तदर्थ नियुक्ति किया जाना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा, समुचित प्रक्रिया निर्धारित करते हुए यथ सम्भव नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हो कि विभाग की सहमति के पश्चात मा0 मंत्रि परिषद के अनुमोदन से ही किया जा सकेगा। ऐसी नियुक्ति अल्पालिक होगी। उपरोक्त से भिन्न

रूप से में की गई अनियमित नियुक्तियों को गम्भरी कदाचार समझा जायेगा। इस प्रकार किसी नियुक्ति के उपरान्त वेतन आहरण क`प्रकरण प्रकाश में आने पर संबंधित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा उनका वेतन काट दिया जायेगा।

ii- कोषाधिकारी/ज्येष्ठ कोषाधिकारी द्वारा ऐसी नियुक्ति के लिए प्रथमबार भुगतान हेतु बिल भेजे जाने पर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी से उपरोक्त प्रस्तर–2(1) के अनुसार अनुमोदन प्रकिया से नियुक्ति करने का प्रमाण पत्र 2 प्रतियों में प्राप्त किया जायेगा। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र न उपलब्ध कराने पर संबंधित व्यक्ति का वेतन आहरण नहीं किया जायेगा। आगामी माह के प्रथम सप्ताह में ऐसे प्रापत प्रमाण पत्रों की एक प्रति संबंधित कोषाधिकारी द्वारा सचिव, कार्मिक विभाग को पंजीकृत डाक/विशेष वाहक द्वारा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक उपलब्ध करायी जायेगी।

iii- प्रस्तर 2 (1) के अनुसार की गयी नियुक्तियों को लम्बे समय तक नहीं चलाया जायेगा। सुसंगत सेवा नियमावली के प्रावधानों के अनुसार नियमित भर्ती एवं चयन कर प्रकिया शीघ्रताशीध्र पूरी करके चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जायेगी।

iv- जिन नियुक्ति प्राधिकारियों/आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा इसका उल्लंघन करके अनियमित नियुक्तियां की जायेगी, उनके विरूद्ध अनियमित नियुक्तियां करने के लिए अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी और अनियमित नियुक्त कार्मिक के वेतन/भत्तों पर किये गये व्य को उनसे वसूला जायेगा। शासन से उपरोक्तानुसार अनुमति प्राप्त किये बिना की गयी अनियमित नियुक्तियों को संबंधित नियोक्ता द्वारा तत्काल प्रकिया के अनुसार समाप्त किया जायेगा।

v- प्रस्तर 2 (1) में उल्लिखित रीति से भिन्न रीति से की गयी अनियमित नियुक्ति करने पर उसका वेतन आहरित होने पर इस आशय की प्रतिकूल प्रविष्टि संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी की चरित्र पंजिका में की जायेगी।

3– अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन),
सचिव।

संख्या : 1844/कार्मिक–2/2003

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
सचिव कार्मिक
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक : 09 अप्रैल,, 2003

विषय : सरकारी कर्मचारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय कर्मचारियों को 45 वर्ष की आयु पूर्ण करने अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में मूल नियम 56 में व्यवस्था की गयी" कि जिस सरकारी सेवक ने 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है वह नियुक्ति प्राधिकारी को 03 माह की नोटिस देकर सेवा निवृत्त हो सकता है। 03 माह की नोटिस अवधि पूर्ण होने पर ही सरकारी सेवक सेवानिवृत्त होगा। शासन के संज्ञान में ऐसे प्रकरण आये हैं, जिनमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का नोअिस देकर सरकारी सेवक कार्य से अनुपस्थित हो गया। विभागाध्यक्ष द्वारा शासन की अनुमति हेतु प्रकरण 03 माह की अवधि के बहुत बाद सन्दर्भित किया गया, जिसके कारण स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति देने एवं अन्य अनुषांगिक विषयों पर कार्यवाही करने में अवांछित कठिनाई उत्पन्न हुई।

2– मूल नियम 56(ग) मे यह व्यवस्था है, कि नियुक्ति प्राधिकारी चाहें तो वे सरकारी सेवक को किसी नोटिस के बिना या अल्प अवधि के नोटिस पर नोटिस के बदले में किसी शास्ति की भुगतान करने की अपेक्षा किये बिना सेवानिवृत्त होने के अनुज्ञा दे सकता हैं । इस प्रकार के मामलों में स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने की इच्छा करने वाला सरकारी सेवक नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवानिवृत्त होने के अनुज्ञा के लिए प्रतीक्षा करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त होने पर ही सरकारी सेवक स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होगा। सेवानिवृत्त की इच्छा प्रकट करने के साथ ही कार्य से अनुपस्थित हो जाना उचित नही है, परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी को यह ध्यान रखना चाहिये, सेवा निवृत्ति की अनुज्ञा दिये जाने में अवांछित विलम्ब न हो, ओर किसी भी दशा में 03 माह से अनधिक हो।

3– नियुक्ति प्राधिकारी सरकारी सेवक द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्त दिये जाने पर यह जांच कर लें कि कोई अनुशासनिक कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। अथवा अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करना विचाराधीन नहीं है। सरकारी सेवक के विरूद्ध किसी आसन्न अनुशासनिक कार्यवाही की दशा में सरकारी सेवक को उसकी नोटिस स्वीकार न किये जाने की सूचना नोटिस की समाप्ति से पूर्व दे दी जायेगी।

4— सरकारी सेवक द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की नोटिस बिना नियुक्ति प्राधिकारी की अनुज्ञा के वापस नहीं ली जा सकेगी। नियुक्ति प्राधिकारी यदि नोटिस वापस लेने की अनुज्ञा प्रकरण की स्थितियों के कारण देना उचित न पाता हो, तो नोटिस समाप्त होने से पूर्व ही अनुज्ञा न देने के निर्णय से सरकारी सेवक को अवगत करा दें।

5— उपरोक्त स्थिति स्पष्ट करते हुए अनुरोध है कि सरकारी सेवक स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु 03 माह का नोटिस देने के बाद अपने कार्य से अनुपस्थित नहीं होगा, बल्कि सेवानिवृत्ति का नोटिस दिये जाने के बाद नोटिस समाप्त होने पर अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नोटिस स्वीकार किये जाने तक प्रतीक्षा करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी नोटिस समाप्त होने से पूर्व अनुज्ञा देने अथवा अस्वीकार किये जाने का निर्णय लेकर सरकारी सेवक को अवगत करायेगा।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन),
सचिव।

पृष्ठाकन संख्या : 1844(1)/कार्मिक--2--2002, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :-- निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
2. शासन के समस्त अनुभाग।
3. गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
उप सचिव

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकारी द्वारा प्रकाशित
असाधारण
देहरादून : बुधवार, 13 नवम्बर, 2002 ई0
कार्तिक 22, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
कार्मिक अनुभाग--2
संख्या--1525 / कार्मिक--2 / 2002
देहरादून : 13 नवम्बर, 2002

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :--

उत्तरांचल विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के पदों के लिए), नियमावली--2002

1. (1) यह नियमावली उत्तरांचल विभागीय पदोन्नति समिति का गठन संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 2002 कही जायेगी।
   (2) यह तत्काल प्रभाव प्रवृत्त होगी।
   (3) यह नियमावली लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों के सिवाय, श्री राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन पदोन्नति के कोटे के पदों पर लागू होगी।
2. यह नियामवली किसी अन्य नियमावली या आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के अध्यारोही प्रभाव होते हुए भी प्रभवी होगी।
3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो--
   परिभाषाएं
   (क) "मुख्य सचिव" का तात्पर्य "उत्तरांचल" सरकार के मुख्य सचिव से है।
   (ख) "सम्बन्धित विभाग" का तात्पर्य उस विभाग से है जिसके लिए वर्ग विशेष में चयन किया जा रहा है।
   (ग) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है।
   (घ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य की सरकार से है।
   (च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य के राज्यपाल से है।
   (छ) "सचिव कार्मिक" का तात्पर्य कार्मिक विभाग में उत्तरांचल सरकार के सचिव से है।
   (ज) "चयन समिति" का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावलियों के अधीन पदों पर वर्ग विशेष में चयन करने के लिये गठित समिति से है।
   (झ) "आयोग" का तात्पर्य उत्तरांचल लोक सेवा आयोग से है।
4. किसी अन्य नियमवाली या आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, चयन समिति निम्न प्रकार गठित की जायेगी :--
   (क) विभागों में विभागध्यक्ष और अपर विभागाध्यक्ष के पद के लिए
   (1) मुख्य सचिव — अध्यक्ष।
   (2) सचिव, कार्मिक — सदस्य।

(3) सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव सदस्य।

(ख) समय--समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा वर्गीकृत समूह क और समूह ख के पदों के पदोन्नति कोटे के लिये जहां किसी अन्य नियमावली में पदोन्नति के यिले काई विभागीय चयन समिति विहित न हो।

(1) सम्बन्धित विभाग में राज्य सरकार के यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव,

(2) सचिव, कार्मिक या उसका कोई नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, जो सरकार के अपर सचिव के स्तर से निम्न न हों।

(3) सम्बन्धित विभाग का विभागाध्यक्ष और जहां कोई विभागाध्यक्ष न हो, वहां सरकार के सम्बन्धित विभाग के सचिव द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई ऐसा अधिकारी जो सरकार के, अपर सचिव के स्तर से नीचे न हो। ज्येष्ठतम सदस्य समिति का अध्यक्ष होगा।

5. उन पदों के लिये जो नियम--4 के प्रस्तर (क) एवं (ख) के अधीन नहीं आये हैं, जहां सचिव, कार्मिक किसी चयन समिति का सदस्य हो वहां वह अपनी ओर से किसी ऐसे अधिकारी का नाम निर्दिष्ट कर सकता है, जो सरकार के अपर सचिव के स्तर से निम्न न हो।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,
सचिव।

उत्तरांचल सरकार
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या 195 / कार्मिक–2 / 2002
देहरादून,दिनांक,13 अगस्त,2002

अधिसूचना

भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल राज्य सरकार के अधीन सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अवधारित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली,2002

भाग–एक

प्रारम्भिक

1. (1) यह नियमावली उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 कही जायेगी।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

2. यह नियमावली उन सभी सरकारी सेवकों पर लागू होगी जिनकी भर्ती और सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन नियमावली बनाई जायेगी या बनाई जा चुकी है।

लागू होना

3. यह नियमावली इससे पूर्व बनाई गयी किसी अन्य सेवा नियमावली में किसी में किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी प्रभावी होगी।

अध्यारोही

4. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में–

परिभाषाएं

(क) किसी सेवा के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावलियों के अधीन ऐसी सेवा में नियुक्तियाँ करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है,

(ख) "संवर्ग" का तात्पर्य किसी सेवा की सदस्य संख्या,या किसी पृथक,इकाई के रूप में स्वीकृत सेवा के किसी भाग से है,

(ग) "आयोग"का तात्पर्य उत्तरांचल लोक सेवा आयोग,से है,

(घ) "समिति" का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावलियों के अधीन सेवा में नियुक्ति के लिए चयन करने हेतु गठित समिति से है,

(ङ.) "पोषक संवर्ग" का तात्पर्य उस सेवा से है जिसके सदस्यों में से सुसंगत सेवा नियमावलियों के अधीन उच्चतर सेवा या पद पर पदोन्नति की जाय,
(च) "सेवा" का तात्पर्य उस सेवा से है जिसमें सेवा के सदस्यों की ज्येष्ठता अवधारित की

जानी है,

(छ) "सेवा नियमावली" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाई गयी नियमावली से है और जहाँ ऐसी नियमावली न हो वहाँ सुसंगत सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गये कार्यपालक अनुदेशों से है,

(ज) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और सेवा से सम्बन्धित सेवा नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो।

(झ) "वर्ष" का तात्पर्य जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग--दो

ज्येष्ठता का अवधारण

उस स्थिति में ज्येष्ठता जब केवल सीधी भर्ती द्वारा

5. जहाँ सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियाँ केवल सीधी भर्ती द्वारा की जानी हों वहाँ किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्ति किए गए व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी,जो यथास्थिति,आयोग या समिति द्वारा तैयार की गयी योग्ता सूची में दिखायी गयी है, प्रतिबन्ध यह है कि सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है, के कारणों की विधि मान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा,

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गये व्यक्ति पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्तियों से, कनिष्ठ रहेंगे।

स्पष्टीकरण-- जब एक ही वर्ष में नियमित और आपात भर्ती के लिए पृथक--पृथक चयन किये जायं तो नियमित भर्ती के लिये किया गया चयन पूर्ववर्ती चयन माना जाएगा।

उस स्थिति में ज्येष्ठता जब केवल एकल पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा की जाए नियुक्तियां

6-- जहाँ सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां केवल एक पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा की जानी हों वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो पोषक संवर्ग में थी।

स्पष्टीकरण-- पोषक संवर्ग में ज्येष्ठ कोई व्यक्ति,भले ही उसकी पदोन्नति पोषक संवर्ग में उससे कनिष्ठ व्यक्ति के पश्चात की गई हो,उस संवर्ग में जिसमें उनकी पदोन्नति की जाय,अपनी वही ज्येष्ठता पुनः प्राप्त कर लेगा जो पोषक संवर्ग में थी।

उस स्थिति में ज्येष्ठता जब कई पोषक संवर्गों से केवल पदोन्नति द्वारा नियुक्तियां की जाए

7-- जहाँ सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियाँ एक से अधिक पोषक संवर्गों से केवल पदोन्नति द्वारा की जानी हो वहाँ किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता उनके अपने--अपने पोषक संवर्ग में उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक के अनुसार अवधारित की जाएगी।

स्पष्टीकरण--जहाँ पोषक संवर्ग में मौलिक नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांकविनिर्दिष्ट हो,जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाय तो वह दिनॉक मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनॉक माना जाएगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि जहां संवर्ग के वेतनमान भिन्न हों तो उच्चतर वेतनमान वाले पोषक संवर्ग से पदोन्नत व्यक्ति निम्नतर वेतनमान वाले पोषक संवर्ग से पदोन्नत व्यक्तियों से ज्येष्ठ होंगे: अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्तियों से कनिष्ठ होंगे।

उस स्थिति में ज्येष्ठता जब नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती से की जाए

8.जहाँ सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां पदोन्नति सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जानी हों वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से निम्नलिखित उप नियमों के उपबन्धों के अधीन अवधारित की जायेगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायं तो उस कम में अवधारित की जायेगी जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हैं प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्टि पूर्ववर्ती दिनॉक विनिर्दिष्ट हो जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाय,तो वह दिनॉक,मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनॉक माना जाएगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनॉक से होगा:

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किए जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है,कारणों की विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(2) किसी एक चयन के परिणामस्वरूप--

(क) सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी,जैसी यथास्थिति आयेग या समिति द्वारा तैयार की गयी योग्यता सूची में दिखाई गयी हो,

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो इस स्थिति के अनुसार कि पदोन्नति एकल पोषक संवर्ग से या अनेक पोषक संवर्गो से होती है यथास्थिति,नियम 6 या नियम 7 में दिये गये सिद्धन्तों के अनुसार अवधारित की जाय।

(3) जहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दानों प्रकारसे की जायं वहां पदोन्नत व्यक्तियों की,सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में ज्येष्ठता,जहां तक हो सके दोनों स्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार चकानुसार (प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति का होगा) अवधारित की जाएगी।

दृष्टान्त-- (1) जहां पदोन्नत व्यक्तियों और सीधी भर्ती किये गये व्यक्तियों का कोटा1:1 के अनुपात में हों वहाँ ज्येष्ठता निम्नलिखित कम में होगी:--

प्रथम ...पदोन्नत व्यक्ति,
द्वितीय ...सीधी भर्ती किया गया व्यक्ति और इसी प्रकार आगे भी।

(2) जहां उक्त कोटा 1:3 के अनुपात में हो वहां ज्येष्ठता निम्नलिखित कम में होगी--

प्रथम ...पदोन्नत व्यक्ति,
द्वितीय से चतुर्थ तक ...सीधी भर्ती किये गये व्यक्ति
पांचवां ...पदोन्नत व्यक्ति
छठा से आठवां ...सीधी भर्ती किये गये व्यक्ति और इसी प्रकार आगे भी

प्रतिबन्ध यह है कि--

(एक) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विति कोटा से अधिक की जाएं, वहां कोटा से अधिक नियुक्त व्यक्तियों को ज्येष्ठता के लिए उन अनुवर्ती वर्ष या वर्षों के लिए बढा दिया जायेगा जिसमें कोटे के अनुसार रिक्तियां हों।

(दो) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से कम हों और ऐसी न भरी गई रिक्तियों के प्रति नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाएं इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं पायेंगे किन्तु वह उस वर्षा की ज्येष्ठता पायेंगे जिसमें उनकी नियुक्तियां की जाएं किन्तु उनमें नाम शीर्ष पर रखे जायेंगे, जिसके बाद अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम चकानुकम में रखे जायेंगे।

(तीन) जहां सेवा नियमावली के अनुसार,सुसंगत सेवा नियमावली में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी स्रोत से बिना भरी गयी रिक्तियां अन्य स्रोत से भरी जायं वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति उसी वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे मानों व अपने कोटा की रिक्तियों के प्रति नियुक्त किएगए हों।

भाग--3

ज्येष्ठता सूची

9\. (1) सेवा में नियुक्तियां होने के पश्चात यथासम्भव शीघ्र नियुक्ति प्राधिकारी इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त किये गये व्यक्तियों की एक अनन्तिम ज्येष्ठता सूची तैयार करेगा। ज्येष्ठता का तैयार

(2) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को सम्बन्धित व्यक्तियों में आपत्तियां आमन्त्रित करते हुए युक्तियुक्त अवधि का नोटिस देकर,जो अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के परिचालन के दिनॉक से कम से कम सात दिन की होगी परिचालित किया जायेगा।

(3) इस नियमावली की शक्तिमत्ता या विधिमान्यता के विरूद्ध कोई आपत्ति ग्रहण नहीं की जायेगी।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी युक्तिसंगत आदेश द्वारा आपत्तियों का निस्तारण करने के पश्चात अन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी करेगा।

(5) उस संवर्ग की जिसमें नियुक्तियां एकल पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा की जाय, ज्येष्ठता सूची तैयार करना आवश्यक नहीं होगा।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार जैन)
सचिव।

संख्या : 619 / कार्मिक–2 / 2003

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
सचिव कार्मिक
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तरांचल शासन।

2– समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

3– समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक : 24 अप्रैल, 2003

विषय : सेवा शर्तों के अन्तर्गत पदोन्नति की शर्तों के शिथिलीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

समय–समय परकार्मिक विभाग को प्रापत संदर्भों में राज्य सरकार की सेवा शर्तो को विनियमन करने वाले नियमों की शर्तो को शिथिल करके पदोन्नति के प्रस्ताव पर परामर्श मांगा जाता है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवा शर्तों के विनियमन के अन्तर्गत पदोन्नति हेतु नियमों को शिथिल करने हेतु प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्ताव पर कार्मिक विभाग की सहमति प्राप्त की जायेगी। तदन्तर प्रशासकीय विभाग प्रसताव पर मुख्य सचिव के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी का अनुमादेन प्राप्त करेंगें।

2– कृपया शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।?

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन),
सचिव।

संख्या : 619 (1) / कार्मिक-2 / 2003, तद्दिनांक

प्रतिलिपि समस्त अनुभाग अधिकारी, उत्तरांचल शासन को सूचनार्थ प्रेषित।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव।

2191

उत्तरांचल शासन
कार्मिक विभाग
संख्या : 737/कार्मिक-2/2003
देहरादून : दिनांक : 11 जून, 2003

कार्यालय ज्ञाप

शासन के समक्ष यह प्रशन आया है कि क्या किसी कार्मिक को रिक्ति घटित होने की तिथि से पदोन्नति पाने का अधिकार है तथा क्या किसी सेवा निवृत्त अथवा दिवंगत कार्मिक को किसी ऐसे पूर्वगामी तिथि से नोशलन पदोन्नति दी जा सकती है, जिस तिथि को, वह कार्मिक न तो स्वयं पदोन्नति से संबंधित पद पर कार्यरत था, और न ही उसका कोई कनष्ठि पदोन्नति से सम्बन्धित उक्त पद पर कार्यरत था।

2— पूर्व में यह स्पष्ट किया गया था कि पदोन्नति हेतु विलम्ब से चयन सम्पन्न किये जाने की दशा में ऐसे सेवानिवृत्त/दिवंगत कार्मिकों के नाम भी पात्रता सूची में शामिल किये जांय जिनके नाम संगत सेवा नियमावली के अन्तर्गत पात्रता सूची में होते, यदि चयन समय से कराया गया होता, भले ही चयन के समय उसमें से कुछ कार्मिक सेवा निवृत्त हो चुके हों अथवा उनकी मृत्यु हो चुकी हो। मृत्यु एवं सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को, उपयुक्त पाये जाने पर सम्बन्धित वर्ष (दिनाक) से नोशनल पदोन्नति दिये जाने पर विचार के लिए कहा गया है।

3— उपरोक्त के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति प्रक्रिया नियमावली के नियम-8 तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली के नियम-2 के अनुसार प्रतयेक वर्ष के सम्बन्ध में पृथक-पृथक पात्रता सूची तैयार करने का प्रावधान है। इसका आशय यह है कि सम्बन्धित वर्ष में जो कार्मिक पात्रता सूची में रखे जायेंगे, भले ही चयन के समय कार्मिक की मृत्यु हो चुकी हो अथवा वह सेवानिवृत्त हो चुका हो। परन्तु जाहां तक नोशलन पदोन्नति का प्रश्न है रिक्ति की तिथ से पदोन्नति दिये जाने की कोई बाध्यता नहीं है। सम्प्रति नोशलन पदोन्नति सदैव कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि से विचारणीय होती है, प्रतिबन्ध यह है कि कनिष्ठ की पदोन्नति से नोशलन पदोन्नति प्रदान यिक जाने हेतु सम्बन्धित सरकारी सेवक को चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाया गया हो।

4— अतः अनुरोध है कि कृपया ऐसे मामलों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जायं।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव।

संख्या: 737(1)/कार्मिक-2/2002, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त अपर सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
1. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

आज्ञा से,
(आर0सी0 लोहनी)
उप सचिव।

संख्या : 853/कार्मिक–2/2003

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
सचिव कार्मिक
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।

2– समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक : 12 जून 2003

महोदय,

मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के सदस्य को सेवायोजन प्रदान करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–225/कार्मिक–2/02 दिनांक 08 फरवरी, 2002 द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि यह सेवायोजन अचानक आयी विपदा से आश्रित परिवार को उबरने के लिए तथा गुजारे का साधन उपलब्ध कराये जाने के लिए दिया जाता है। सरकारी सेवक के मृत्यु के लम्बे समय बाद आश्रित परिवारों के सदस्यों को सेवायोजन प्रदान किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध मे प्रख्यापित नियमावली के नियम–5(1) (तीन) के अन्तर्गत मृतक सरकारी सेवक आश्रित परिवार के सदस्य को सरकारी सेवक की मृत्यु के 05 वर्ष के अन्दर आवेदन करना है, परन्तु ऐसे प्रकरण अभी भी प्रस्तुत हो रहे हैं, जिनमें उपरोक्त नियम के परन्तुक के प्रावधान के अन्तर्गत सरकारी सेवक की मृत्यु के समय आश्रित परिवार के अव्यस्क सदस्य को आवेदन करने के 05 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के लम्बे अन्तराल के बाद व्यस्क होने पर सेवायोजन हेतु आवेदन करने की अवधि में शिथिलीकरण प्रदान करने हेतु अनुरोध किया जाता है। उपरोक्त नियम के परन्तुक के प्रावधान के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण शासनादेश संख्या–1162/का–2–2002 दिनांक 23 अगस्त, 2002 से यह स्पष्ट किया गया था क परन्तुक की शक्तयां बहुत ही अल्प अवधि की विलम्ब को अपर्मशन के लिए है। सरकारी सेवक की मृत्यु से लम्बे समय व्यतीत होने के बाद आश्रित परिवार के सदस्य को सेवायोजन पाने का अधिकार नहीं रह जाता हैं। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के उद्धरण संलग्न किये जा रहे हैं यथा (1998)–5 एस0सी0सी0–192 डारेक्टर ऑफ ऐजुकेशन बनाम बनाम पुष्पेन्द्र कुमार एवं अन्य (1996) यू09पी0एल0बी0राह–843 हरियाणा स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड, नरेश कंवर एवं अन्य, (1996)–एक– एस0सी0सी0–301 जगदीश प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ बिहार और अन्य ए0टी–2000 (10) एस0सी0–156 संजय कुमार बनाम स्टेट बिहार व अन्य।

2– यह देखा गया है कि मृतक सरकारी सेवक आश्रित सेवायोजन नियमावली के नियम–6 में जिस प्रकार से आवेदन करने के लिए कहा गया है, उस प्रकार से आवेदन नहीं किया जा रहा है, और आवेदन पत्र में विषय पर विचार के लिए पूर्ण सूचना हीं होती है, जिससे प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब होता है।

3– मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुसार उन्हीं मामलों को शिथिलकरण के लिए संदर्भ किया जाय जो उपरोक्त नियम क परन्तुक से प्रावधानित है तथा नियम–6 के अन्तर्गत आवेदन पत्र में प्रावधानित सूचनायें साथ में उपलब्ध करायी जायं।

4– कृपया उपरोक्तानुसार सभी सम्बन्धितों को वांछित कार्यवाही हेत निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन),
सचिव।

पृष्ठाकन संख्या : 853(1)/कार्मिक–2/2003

प्रतिलिपि –निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त अनुभाग अधिकारी, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
3. गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार जैन)
सचिव

संख्या : 734/कार्मिक–2/2003

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
सचिव कार्मिक
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक : 03 जुलाई, 2003

विषय : सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वार्षिक स्थानान्तण।

महोदय,

उपुर्यक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं में सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये वर्ष 2003–2004 वार्षिक स्थानान्तरण के संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये है :–

1. अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक स्थानान्तरण के लिये प्रत्येक विभाग सक्षम स्तर पर अनुमोदन प्राप्त करके अपने स्तर से नीति निर्धारित करे तथा समस्त स्थानान्तरण यथा सम्भव 31 जुलाई, 2003 तक पूर्ण कर लिये जाये।
2. 31 जुलाई, 2003 के बाद यदि किसी विशिष्ट मामलों में स्थानान्तरण किया जाना आवश्यक हो एवं अपरिहार्य हो तो उस दशा में समूह–क एवं ख के कार्मिकों के स्थानान्तरण मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करके किये जायेंगें समूह–ग के कार्मिकों के स्थानान्तरण विभागीय मंत्री का नुमोदन प्राप्त करके किये जायेंगें। तथा समूह घ के कार्मिकों के लिये निर्धारित स्तर से एक स्तर उच्च अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर किये जायेंगें।
3. स्थानान्तरणों को आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम सीमा में रखा जायेगा।
4. सरकारी सेवाओं के मान्यता प्राप्त सेवा संघो के अध्यक्ष एवं सचिव जिनमें जिला शखाओं के अध्यक्ष एवं सचिव भी सम्मिलित है, के स्थानान्तरण उनके द्वारा संगठन में पदधारित करने की तिथि से दो वर्ष तक न किये जायें परन्तु 05 वर्ष से अधिक अवधि पर संघ के पदाधिकारी के रूप में एक स्थान पर तैनात रहने पर सामान्य स्थानानंतरण निर्देशों से व्यवहरत होंगे। यदि स्थानान्तरण किया जाना अपरिहार्य हो तो स्थानान्तरण हेतु प्राधिकृत अधिकारी से एक स्तर उच्च के अधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाय। जिला शाखाओं के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण प्रकरणों पर जिलाधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त की जाय।
5. वार्षिक स्थानान्तण यथासभाव इस प्रकार किये जायें कि पर्वतीय जनपदों तथा दुर्गम स्थानों में कोई पद रिक्त न रहें।
6. दुर्गम स्थान पर तैनात यदि कोई अधिकारी स्वेच्छा से वहीं रहना चाहता है और प्रशासनिक/जनहित में स्थानान्तरण आवश्यक न हो तो उसके शिथिलता दी जा सकती है।

2– आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार विभाग की आवश्यकता के अनुरूप वर्ष 2003–2004 के लिये वार्षिक स्थानान्तरण नीति तत्काल निर्धारित करते हुए वार्षिक स्थनानतरण की कार्यवाही समय से पूर्ण कर ली जायें। इस संबंध मे कृत कार्यवाही से कार्मिक विभाग को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन),
सचिव।

पृष्ठाकन संख्या : 734(1)/कार्मिक–2/2003 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार जैन)
सचिव

संख्या : 855 / कार्मिक–2 / 2003

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
2–समस्त विभागाध्यक्ष,उत्तरांचल,
3–समस्त जिलाधिकारी,उत्तरांचल।

कार्मिक विभाग–2 देहरादून:दिनाँक : 02–09–2003

विषय– चतुर्थ श्रेणी (समूह 'घ') के कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी (समूह 'ग') के न्यूनतम श्रेणी के लिपिकीय पदों में पदोन्नति के अवसर बढाया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली 1985 के नियम–6 में की गई व्यवस्था के अनुसार चतुर्थ श्रेणी (समूह 'घ') के हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष योग्यता धारण करने वाले कर्मचारियों तथा इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे कर्मचारियों,जिन्होंने 05 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो,को तृतीय श्रेणी (समूह 'ग') के न्यूनतम श्रेणी के लिपिक वर्गीय पदों में कमश: 15 प्रतिशत तथा 05 प्रतिशत,कुल 20 प्रतिशत पदोन्नति के अवसर प्रदान किये जाने की पूर्व व्यवस्था की गयी है।

2– चूँकि इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण समूह 'घ' के कर्मचारियों की संख्या में पूर्व की अपेक्षा गुणात्मक रूप से वृद्धि हुई है अत: इस सम्बन्ध में सम्यक रूप से विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सभी विभागों में चतुर्थ श्रेणी समूह 'घ' के इण्टरमीडिएट तथा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे कर्मचारियों,जिन्होंने 05 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली,को उपर्युक्त लिपिक वर्गीय पदों पर पदोन्नति में 10 प्रतिशत स्थान नियत किये जायें। इस प्रकार समूह 'घ' से समूह 'ग' में लिपिक वर्गीय पदों पर पदोन्नति का कोटा 25 प्रतिशत होगा,जिसमें इण्टरमीडिएट एवं समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण पात्र अभ्यर्थियों हेतु 10 प्रतिशत तथा हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियां हेतु 15 प्रतिशत कोटा होगा।

3– अत: अनुरोध है कि भविष्य में तृतीय श्रेणी (समूह 'ग') के लिपिक वर्गीय पदों पदोन्नति के अवसर पर निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन करते हुए शासन के उपरोक्त निर्णय का कियान्वयन सुनिश्चित किया जायें।

(1) पदोन्नतियों के समय आरक्षित वर्ग की श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए प्रभावी आदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) पदोन्नति के पदों पर टंकण के ज्ञान के सम्बन्ध में लागू वर्तमान नियम / आदेश प्रश्नगत अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में भी लागू होंगे।

5– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि समूह 'घ' से समूह 'ग' के पदोन्नति के कोटे के पदों के विरूद्ध सरकारी सेवक के मृतक आश्रित के परिवार के सदस्य की नियुक्ति न की जायें। मृतक सरकारी सेवक के आश्रितों की नियुक्ति सीधी भर्ती के पदों के विरूद्ध ही की जायेगी।

भवदीय,
(आलोक कुमार जैन)
सचिव।

कार्मिक अनुभाग–2
अधिसूचना
प्रकीर्ण
संख्या 1098/कार्मिक–2/2003–55 (35)/2003
31 जुलाई, 2003 ई0

उत्तरॉचल (उत्तरॉचल लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली,2003

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना।

1. (1) यह नियमावली उत्तरॉचल (उत्तरॉचल लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली,2003 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) वह सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल को नियम बनाने की शक्ति के अधीन सीधी भर्ती के समूह 'ग' के पदों पर लागू होगी,सिवाय उन पदों और विभागों के:

(एक) जो उत्तरॉचल लोक सेवा आयोग,उच्च न्यायालय,और उच्च न्यायालय के नियन्त्रण अधीक्षण के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों और प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस और अग्नि शमन सेवाओं को सम्मिलित करते हुए पुलिस विभाग के क्षेत्रान्तर्गत हों,

(एक–क) जिनकी निहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता उत्तर प्रदेश,माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तरॉचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा प्रमाण–पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अर्हता से कम न हो।

(दो) जो सरकार द्वारा अधिसूचित आदेश द्वारा इस नियमावली के लागू होने से अपवर्जित हो।

अध्यारोही प्रभाव

2– यह नियमावली किसी अन्य नियमावली या आदेशों में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी,प्रभावी होगी।

परिभाषाएं

3– इस नियमावली में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो–

(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य संगत सेवा नियमावली के अधीन नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है,

(ख) 'संविधान' का तार्प्य उत्तरांचल राज्य का संविधान से है,

(ग) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तरांचल की सरकार से है,

(ध) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है,

(ड़) 'अन्य पिछड़े वर्गों' का तात्पर्य समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथा उत्तरांचल में लागू) की अनुसूची एक मे विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से है।

रिक्तियों का अवधारण

4– नियुक्ति प्राधिकारी, र्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या संगत सेवा नियमावली के अनुसार ही अवधारित करेगा। यदि चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी से भिन्न कोई अधिकारी है तो नियुक्ति प्राधिकारी चयन समिति के अध्यक्ष को रिक्तियों की सूचना देगा।

5– (1) सीधी भर्ती करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप, सरकार द्वारा, ऐसे न्यूनतम दो दैनिक समाचार–पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा,

सीधी भर्ती की प्रकिया

(2) नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित रीत से सीधी भर्ती के लिए ओवदन–पत्र उपनियम (1) में प्रकाशित प्रारूप पर, आमंत्रित करेगा और रिक्तियां अधिसूचित करेगा :

(एक) ऐसे दैनिक समाचार–पत्रों में जिसका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके,
(दो) कार्यालय के सूचना पट पर सूचना चिपका कर या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार–पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके, और
(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके।

(3) उपनियम (2) के अधीन रिक्तियां अधिसूचित करते समय आवेदन पत्र का प्रारूप पुनः प्रकाशित नहीं किया गये।

(4) चयन के लिए परीक्षा 100 अंकों की हों। अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता सूची निम्नलिखित रीति से तैयार की जायेगी :

(क) (एक) वस्तुनिष्ठ प्रकार की एक लिखित परीक्षा हों, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न पत्र होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 50 प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायेगा, सिवाय ऐसे अभ्यर्थियों के जिनका चयन किसी ऐसे पद पर किया जाना हो, जिसके लिए टंकण या आशुलिपिक और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हो। चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 25 प्रतिशत ऐसे अभ्यर्थियों को दिया जायेगा।

परन्तु ऐसे पद जिनके लिए कोई शारीरिक मानक, अनिवार्य अर्हता के रूप में या भर्ती के ढंग के रूप में विहित किये गये हो, तो लिखित परीक्षा के पूर्व अभ्यर्थियों से विहित शारीरिक परीक्षण करान की अपेक्षा की जायी और केवल उन्ही अभ्यर्थियों को चयन के लिए परीक्षा में सम्मिलत होने की अनुमति दी जायेगी जो पद के लिए विहित न्यूनतम मानको को पूरा करते हों।

(दो) अभ्यर्थियों का प्रश्न पत्र एवं उत्तर–पत्र (दो प्रतियों में) दिये जायेंगे। जब परीक्षा समाप्त होगी तो अभ्यर्थियों को अपने साथ उत्तर पत्र की कार्बन प्रति ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(ख) पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का 20 प्रतिशत प्रत्ये अभ्यर्थी को दिया जायेगा।

(ग) छटनी शुदा कर्मचारियों को निम्नलिखित रीति से अंकि दिये जायेंगे, जो अधिकतम 15 प्रतिशत होंगें–

(एक) सेवा में प्रथम पूर्ण वर्ष के लिए	पांच अंक
(दो) सेवा में दूसरे और प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए	प्रत्येक वर्ष के लिए पांच अंक

(ध) किसी खिलाड़ी को निम्नलिखित रीति से अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम पांच प्रतिशत होंगें,

(एक) यदि अभ्यर्थी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो — पांच अंक
(दो) यदि अभ्यर्थी राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो — चार अंक
(तीन) यदि अभ्यर्थी राज्य स्तर का खिलाड़ी हो — तीन अंक
(चार) यदि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/कालेज/स्कूल स्तर का खिलाड़ी हो — दो अंक

(ड़) किसी ऐसे पद पर जिसके लिए टंकण या आशुलिपि और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हो, चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में यथास्थिति टंकण या आशुलिपिक और टंकण की परीक्षा होगी। उक्त परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का पच्चीस प्रतिशत केवल ऐसे अभ्यर्थियों को दिया जायेगा जिन्होंने यथास्थिति टंकण के लिए विहित न्यूनतम गति प्राप्त कर ली हो। टंकण परीक्षा या आशुलिपिक और टंकण परीक्षा के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या की चार गुना होगी। इस प्रयोजन के लिए नियम–4 में निर्दिष्ट आरक्षण के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची उनके द्वारा खण्ड (क), (ख), (ग) (ध) के अधीन प्राप्त अंको के आधार पर पृथक रूप से तैयार की जायेगी।

(5) (क) उपनियम (4) के खण्ड (क), (ख), (ग) (ध) के अधीन लिखित परीक्षा और अन्य मूल्यांकनों के परिणाम प्राप्त हो जाने, और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् चयन समिति, नियम 4 मे निर्दिष्ट आरक्षण के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार करेगी। साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या की चार गुना होगी। किसी पद पर जिसके लिए टंकण या आशुलिपि और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हो, चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में, केवल ऐसे अभ्यर्थियों को, जो उपनियम (4) के खण्ड (ड़) के अधीन यथास्थिति टंकण परीक्षा या आशुलिपि और टंकण परीक्षा में सफल हो गया हो, साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।

(ख) साक्षात्कार चयन हेतु परीक्षा के लिए नियत कुल अंकों के दस प्रतिशत अंकों का होगा। साक्षात्कार में अध्यक्ष और सभी अन्य सदस्यों द्वारा पृथक–पृथक निम्नलिखित रीति से अंक दिये जायेगें :–

(एक) विषय/सामान्य ज्ञान — चार अंक तक
(दो) व्यक्तित्व निर्धारण — तीन अंको तक
(तीन) अभिव्यक्ति की क्षमता — तीन अंको तक

टिप्पणी– किसी अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्रापत किये गये कुल अंक चयन समिति के अध्यक्ष और सभी सदस्यों द्वारा पृथक–पृथक रूप से दियें गये अंकों के औसत की गणना करके अवधारित किये जायेंगें।

(ग) चयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को किसी भी दशा में साक्षात्कार के समय उपनियम (4) खण्ड (ख), (ग) (ध) और (ड़) के अधीन अभर्थियों द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी जायेगी।

(6) उप नियम (5) के अधीन साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों को उपनियम (4) के अधीन प्राप्त किे गये अंकों में जोड़ दिया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त अंकों को कुल योग के आधार पर अन्तिम चयन सूची तैयार की जायेगी यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग के बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन

सूची के ऊपर रखा जायेगा। यदि लिखित परीक्षा में भी दो या अधिक अभ्यर्थी ने बराबर–बराबर अंक प्राप्त किये हों तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामाकें की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी।

(7) उपनियम (6) में निर्दिष्ट चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी।

6– सीधी भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होगें — चयन समिति का गठन।

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी — अध्यक्ष।

(दो) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों का न हो। तो अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जातियों व अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्टि किया जायेगा। — सदस्य।

(तीन) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्गों का कोई अधिकारी यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्ग का न हो। यदि अध्यक्ष्य अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित ज़ातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। — सदस्य।

(चार) भर्ती किये जाने वाले पद की अपेक्षाओं के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाले एक अधिकारी को अध्यक्ष को नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। — सदस्य।

(पाचं) सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एक नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी। — सदस्य

टिप्पणी– 1. यदि किसी जिले में किसी विभाग में एक से अधिक नियुक्ति प्राधिकारी हो तो उस विभाग हेतु सम्पूर्ण जिले के लिए एक एकल चयन समिति गठित की जायेगी। ज्येष्ठतम नियुक्ति प्राधिकारी चयन समिति का अध्यक्ष होगा।

2– यदि नियुक्ति प्राधिकारी विभागाध्यक्ष हो तो ऐसी दशा में चयन समिति के सभी सदस्य उसके नाम निर्दिष्ट किये जायेंगें। वह अपने स्थान पर किसी ऐसे अधिकारी को जो अन्य सदस्यों से ज्येष्ठ हो चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नाम निर्दिष्ट कर सकता है। ऐसा विभागाध्यक्ष केवल साक्षात्कार करने के लिए एक से अधिक चयन समिति गठित कर सकता है।

3– यदि किसी नियुक्ति प्राधिकारी का क्षेत्राधिकारी एक से अधिक जिलों में हो तो उस दशा में भर्ती की प्रकिया उस जिले में की जायेगी, जिसमें नियुक्ति अधिकारी का मुख्यालय स्थित हो।

7– चयन के लिए अभ्यर्थियों से चयन समिति का ऐसी फीस देने की अपेक्षा की जायेगी जो सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित की जाय। फीस की वापसी के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक सही उत्तरों का प्रदर्शन एवं प्रकाशन

8— जब चयन प्रक्रिया पूरी हो जाय और चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित कर दी जाय तो लिखित परीक्षा के प्रश्नों का सही उत्तर और अभ्यर्थियों द्वारा उनमे प्राप्त किये गये अंको के साथ यथा स्थिति नियम–5 के उप नियम (5) के अधीन प्राप्त अंको का कुल योग दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा। और सम्बन्धित कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखों का निरीक्षण

9— अभ्यर्थियों की ऐसी फीस का जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित जाय, भुगतान करने पर नियम–5 के अनुसार चयन समिति द्वारा की गयी चयन प्रक्रिया से सम्बन्धित अभिलेखों और उसके दिये गये अंको का निरीक्षण करने की अनुमति दी जायेगी। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसी इच्छा व्यक्त करे, तो 10 रू0 प्रति पृष्ठ की दर से फीस का भुगतान करने पर ऐसे अभिलेखों की फोटो प्रतियां भी दी जायेगी।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार जैन)
सचिव।

संख्या : 1430/कार्मिक-2/2003

प्रेषक,

डा0 आर0एस0 टोलिया,
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तरांचल।
3- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक : 29 सितम्बर, 2003

विषय : लोक सेवा आयोग की परिधि से निकाले गये पदों के चयन हेतु सगत सेवा नियमावली के अन्तर्गत चयन कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले वेतनमान 5500-9000 अथवा निम्न वेतनमान के पदों को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके क्रम में शासनादेश संख्या-1381/का-2/2002 दिनांक 19 अक्टूबर, 2002 द्वारा यह अपेक्षा की गयी थी कि उक्त निर्णय के अनुसार सुसंगत सेवा नियमावलियों में चयन प्रकिया के सम्बन्ध में यथावश्यक संशोधन कराकर सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही तत्परता से की जाय।

2- उक्त निर्णय के आलोक में कतिपय विभागों द्वारा वेतनमान 5500-9000 या इससे निम्न वेतनमान के कतिपय पदों के सम्बन्ध में पुनरावलोकन कर उन्हें लोक सेवा आयोग की परिधि में रखने का विनिश्चिय किया गया है। इस सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि यदि किसी भी विभाग द्वारा पदों को लोक सेवा आयोग की परिधि में रखे जाने का विनिश्चिय किया जाता है, और ऐसे पदों को पूर्ववत् लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत रखने का औचित्यपूर्ण कारण है, तो ऐसे कारण का उल्लेख करते हुए प्रस्ताव मंत्रि परिषद के विचार हेतु प्रस्तुत किये जायं। मंत्रि परिषद का अनुमोदन तत्विषय पर प्राप्त हो जाने के उपरान्त सुसंगत सेवा नियमावली के अन्तर्गत पद पर चयन के लिए लोक सेवा आयोग को निर्धारित प्रपत्र पर अधियाचन शीघ्र उपलब्ध कराते हुए उसकी सूचना कार्मिक विभाग को भी उपलब्ध कराई जाय।

3- जिन विभागों द्वारा शासन के निर्णयानुसार पूर्व में लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पद को अब विभागीय चयन प्रकिया द्वारा भरा जाना है, वहां सुसंगत सेवा नियमावलियों में विभागीय चयन के प्रकिया का प्रावधान प्रतिस्थापित करते हुए सेवा नियमावली का प्रख्यापन शीघ्रता से कराकर सीधी भर्ती का चयन शीघ्र सुनिश्चित किया जाय। इस कार्यवाही में विलम्ब के कारण भर्ती की प्रकिया अवरूद्ध हो रही है तथा कार्य संचालन व सेवायें प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही हैं। अतः इस हेतु विभागों द्वारा सुसंगत सेवा नियमावली में विभागीय चयन हेतु चयन समिति का गठन

करने, चयन के लिए लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार परीक्षा अथवा दोनों का प्रावधान करने, तथा लिखित एवं साक्षात्कार परीक्षा दोनों के सम्मिलित परिणाम के आधार पर चयन की प्रकिया में अधिकतम अंकों का बंटवारा, परीक्षा के पाठ्यकम तथा उसके स्तर के सम्बन्ध में समुचित प्रावधान कियें जायं। इस सम्बन्ध में उत्तरांचल समूह 'ग' परीक्षा नियमावली 2003 में प्रतिपादित चयन प्रयिा की सहायता ली जा सकती है।

4– आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार वांछित कार्यवाही 15 अक्टूबर, से पूर्व पूर्ण करके कार्मिक विभाग को कृत कर्यवाही से अवगत कराने तथा सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर तद्नुसार शीघ्र चयन की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 आर0एस0 टोलिया),
मुख्य सचिव।

उत्तरांचल प्रदेश शासन
कार्मिक विभाग–2
संख्या 39 /कार्मिक–2/2004
देहरादून दिनांक: 07 जनवरी, 2004
कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से उत्तरांचल के समस्त विभागों के चपरासी तथा जमादार का पदनाम परिवर्तन करके क्रमशः अनुसेवक तथा वरिष्ठ अनुसेवक किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उपरोक्तानुसार पदनाम परिवर्तन के फलस्वरूप समूह घ की सेवानियमावली में यथा आवश्यक संशोधन किया जाएगा।

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 39 (1)/कार्मिक–2/2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
2. समस्त प्रुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तरांचल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल हरिद्वार।
7. निजी सचिव, सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
9. समस्त मा0 मंत्री/राज्यमंत्रियों के निजी सचिव।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव।

संख्या : 135/कार्मिक–2/2004

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव /सचिव,
उत्तरांचल शासन।
2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।
3– सचिव,
लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल,
हरिद्वार।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 16 फरवरी, 2004

विषय– राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति हेतु आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु निर्गत जाति प्रमाण पत्र की जांच करने के सम्बन्ध।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं/पदों पर नियुक्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ावर्ग के लिए कमशः 19, 04 व 14 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। उक्त आरक्षित वर्ग के अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण की सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया जाता है। जाति प्रमाण पत्र के निर्गत करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1540/कार्मिक–2/2002 दिनांक 29 मार्च, 2003 द्वारा विस्तृत निर्देश दिये गये हैं व जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप भी निर्धारित किया गया है।

2– राज्याधीन सेवाओं/पदों में अनुसूचित जाति, जनजाति अन्या अन्य पिछड़ावर्ग के लिये आरक्षण की सुविधा का लाभा उत्तरांचल राज्य में उक्त वर्ग के उत्तरांचल निवासी अभ्यर्भि को ही अनुमन्य है। अन्य राज्य के निवासी उक्त वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण की सुविधा का लाभ नहीं प्राप्त होगा। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 254/कार्मिक–2/2002 दिनांक 10 अक्तूबर, 2002 से उक्त स्थिति पूर्व में ही स्पष्ट की जा चुकी है।

3– शासन के संज्ञान में लाया गया है कि निकटवर्ती राज्य के निवासी अभयर्थियों को इस राज्य के जनपदों से अनुसूचित जाति, जनजाति, एव अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। तथा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित चयन परीक्षाओं में आयोजित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी होने का लाभ लिया है। यह स्थिति उचित नहीं है। आरक्षित वर्ग के लिए अनुमन्य/सुलभ सुविधाओं का लाभ उत्तरांचल के आरक्षित वर्ग को ही प्राप्त होना चाहियें।

4– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा समय विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी होने का प्रमाण पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी किये गये आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का दायित्व होगा की वह प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व सम्बन्धित व्यक्तियों को उत्तरांचल निवासी होने की

संमृ छानबीन करेगा। और प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करेगा। यदि किसी अधिकारी द्वारा पूर्ण छानबीन किये बिना त्रुटिपूर्ण जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाते हैं, तो उसके विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी। शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों में से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच उनके नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व सम्बन्धित विभाग द्वारा सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों से भी अवश्यक रूप से कराई जायेगी। तथा जिलाधिकारी ऐसे प्रमाण पत्रों की जांच उपजिलधिकारी से न्यून स्तर के अधिकारी से करवाकर 15 दिन के अन्दर जांच परिणाम से सम्बन्धित विभाग को सूचित करेगा। जांच में यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/त्रुटिपूर्ण जारी किया पाया गया तो ऐसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अथवा उसके सम्बन्ध में अभ्यर्थन तुरन्त निरस्त करने हेतु लोक सेवा आयोग को सन्दर्भित किया जायेगा।

भवदीय

(नपृ सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

सख्या 579/कार्मिक–2/2004

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा मे,

1– समस्त प्रमुख सचिव /सचिव,
उत्तरांचल शासन।
2– समस्त जिलाधिकारी
उत्तरांचल।
3 – समस्त विभागाध्यक्ष
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 22 मइ, 2004

विषय– राज्याधीन सेवाओ, शिक्षण संस्थाओ तथा सार्वजनिक उधमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओ मे आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सख्या–1144/कार्मिक-2/2001–53(1)/2001 दिनांक 18 जुलाई के प्रस्तर–2(II) दिनांक 18 जुलाई, 2001 द्वारा भूतपूर्व सैनिको को 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। इस संबध मे शासन द्वारा समय विचारोपरान्त राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओ तथा सार्वजनिक उधमो एव स्वायत्तशासी संस्थाओं में भूतपूर्व सैनिको के लिए वर्तमान क्षैतिज आरक्षण 2 प्रतिशत से बढाकर 5 प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया उपरोक्तानुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्षैतिज आरक्षण दिया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(नपृ सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

सख्या : 579/कार्मिक–2/2004 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल शासन।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
3. निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल नैनीताल।
4. आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उत्तरांचल देहरादून।
5. समस्त मंत्री के निजी सचिव मा0 मंत्रीगणों को सूचनार्थ।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0सी0 लोहनी)
उप सचिव।

उत्तरांचल सरकार
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या–484/XXX(2)/2004
देहरादून : दिनांक : 30 जून, 2004

कार्यालय ज्ञाप

श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश (सेवा संघ की मान्यता) नियमावली–1979 के नियम–5 के प्राविधानों के अन्तर्गत एक उक्त नियमावली में उल्लिखित नियमों/शर्तों के अधीन "उत्तरांल फडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रीरियल, सर्विसेज, एशोसियेशन" को मान्यता प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय

(नपृ सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 484/XXX(2)/2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष उत्तरांचल।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
6. उत्तरांल फडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रीरियल, सर्विसेज, एशोसियेशन के पदाधिकारीगण
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव।

संख्या : 1269 / तीस–2 / 2004

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 11 अगस्त, 2004

विषय– उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान घायल / जेल गये आन्दोलनकारियों को सेवायोजन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है उत्तरखण्ड राज्य आंन्दोलन के दौरान घायल हुये / जेल गये आन्दोलनकारियों को विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया, और सम्यक रूप से विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है, कि उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान घायल हुये आन्दोलनकारियों तथा 07 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए जेल भेजे गये आन्दोलनकारियों जिनकी उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान घायल होने और 07 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए जेल जाने की पुष्टि समस्त अभिलेखों से समुचित रूप से कर ली गयी हो, को विभिन्न विभागों के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के समूह–ग के पदो तथा समूह–घ के पदों पर उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार नियुक्तियां प्रदान कर दी जायं। ऐसी नियुक्तियों के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा जिले में समस्त विभागों में उपलब्ध रिक्त पदों का चिन्हीकरण करने के पश्चात आन्दोलनकारियों की शैक्षित योग्यता के अनुसार उन्हे सूचीबद्ध करते हुए उनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को नियुक्ति की कार्यवाही करने हेतु निर्देश भेजे जायेगें। तथा उनकी सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। यह कार्यवाही आन्दोलनकारी की घायल तथा जेल जाने की शासकीय अभिलेखों से समुचित पुष्टि करने के पश्चात की जायेगी।

2– मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त निर्णय के अनुसार सेवायोजन किये जाने के उद्देश्य से समस्त सेवा नियमावली के अन्तर्गत सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति दिये जाने की आयु सीमा एवं चयन की प्रकिया को एक बार के लिए शिथिलता प्रदान की जाती हैं।

3– आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्णय के अनुसार तत्काल कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय
(नपृ सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या : (1) / तीस–2 / 2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तरांचल
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
5. निदेशक, सूचना उत्तरांचल

आज्ञा से,
(नपृ सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

सरकारी गजट उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग --4 खण्ड (क)
उत्तरांचल शासन
कार्मिक अनुभाग--2
संख्या 743 / XXX(2) / 2004 / 55(40) / 2004
देहरादून 15 जून 2004
अधिसूचना
विविध

सा0प0नि0--12

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :--

उत्तरांचल सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड)
नियमावली 2004

1-- संक्षिप्त नाम,प्रारम्भ और विस्तार --(1) यह नियमावली उत्तरांचल सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली 2004 कहालएगी।

2--यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

3-- वह किसी पद या सेवा में जिसके लिए समय--समय पर यथा संशोधित उत्तरांचल लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम 2003 के अधीन पदोन्नति करने में अनुपालन किये जाने वाले सिद्धान्तों पर लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अपेक्षित नहीं पदोन्नति द्वारा भर्ती के सम्बन्ध में लागू

2-- अध्यारोही प्रभाव--यह नियमावली संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के द्वारा बनाई गई किसी नियमावली या तत्समय प्रवृत्त किन्हीं आदेशों में किसी प्रतिकूल का भी प्रभावी होगी।

3-- परिभाषायें-- जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो --

क-- संविधान का तात्पर्य " भत का सविधान" से है।

ख " राज्यपाल " का त्पर्य उत्तरांचल के राज्यलपाल से है ।

ग-- " पद या सेवा " का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद या सेवा से है।

4-- पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड विभागाध्यक्ष के पद पर विभागाध्यक्ष से नीचे के पद पर और किसी सेवा के ऐसे पद जिसके वेतनमान का अधिकतम रू0 18300 अधिक हो पदोन्नति द्वारा भर्ती योग्यता के आधार पर की जायेगी और सभी सेवाओं के पद भरे जाने वाले शेष पदों पर जिनमें ऐसा पद भी सम्मिलित है जहाँ पदोन्नति किसी अराजपत्रित राजपत्रित पद पर या एक सेवा से दूसरी सेवा में की जाय, पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करने के आधार पर की जायेगी।

आज्ञा से,
(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

सरकारी गजट उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग –4 खण्ड (क)
उत्तरांचल शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या 739/XXX(2)/2004/55(41)/2004
देहरादून 14 जून 2004
अधिसूचना
विविध

सा0प0नि0–12

संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रतिवन्धात्मक खण्ड द्वारा अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

उत्तरांचल सेवओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली 2004

1– संक्षिप्त नाम,तथा विवरण

(1) यह नियमावली उत्तरांचल सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली 2004 कहालएगी।

2–यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2– अधिकतम आयु सीमा–

इस नियमावली के अधीन ऐसी समस्त सेवाओं तथा पदों के सम्बन्ध में जिन पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष से कम है, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी।

3– भर्ती के अवसरों पर प्रतिबन्ध का हटाया जाना–

किसी भी ऐसी सेवा में अथवा पद पर भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा की अवधि में अभ्यर्थी के भर्ती के अवसरों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा।

4–नियमावली का अधिभावी प्रभाव –

यह नियमावली संगत सेवा नियमों के किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी सभी मामलों में प्रभावी होगी ।

5–आयु की गणना–

किसी सेवा नियमावली में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी ऐसी सेवा या पद के लिए चाहे वह लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो या उसके बाहर के अभ्यर्थी को ,जिस कलेण्डर वर्ष में निकाय लोक सेवा आयोग या किसी अन्य भर्ती करने वाले प्राधिकारी द्वारा सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित की जाय या यथास्थिति ऐसी रिक्तियां सेवायोजन कार्यालय को सूचित की जाये उस वर्ष की पहली जुलाई को समय समय पर यथास्थिति न्यूनतम आयु का हो जाना चाहिए और अधिकतम आयु का नहीं होना चाहिए।

आज्ञा से,
(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 1270 / तीस–2 / 2004

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।
2– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तरांचल शासन।
3– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तरांचल
4– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल
5– समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तरांचल ।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 11 अगस्त, 2004

विषय– उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान जेल गये आन्दोलनकारियों को सुविधायें प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा समयक विचारोपरान्त उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन से कम जेल जाने वाले आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवा में अधिकतम 50 वर्ष की आयु तक नियुक्ति हेतु चयन में 5 प्रतिशत का अधिमान दिये जाने तथा अगले 05 वर्षों (अर्थात चयन वर्ष 2004–2005 से 2008–2009) के लिए उनको 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2– कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय
(नपृ सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या : (1) / तीस–2 / 2004 तददिनांक

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना उत्तरांचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(नपृ सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 1296/तीस–2/2004

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 19 अगस्त, 2004

विषय– आन्दोलनकारियों को सेवायोजन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–1269/तीस–2/2004 दिनांक 11 अगस्त, 2004 को उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान घायल/जेल गये आन्दोलनकारियों को सेवायोजन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये गये हैं, कि उक्त शासनादेश में प्रयुक्त पंक्तियां "राज्य आन्दोलन के दौरान घायल हुये तथा 07 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए जेल भेजे गये आन्दोलकारियों के सम्बन्ध में कतिपय जिलाधिकारियों द्वारा पृच्छा की गयी है।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त बाबत को नियमानुसार पढ़ा जाय।

"राज्य आन्दोलन के दौरान घायल हुये अथवा सात दिन या उससे अधिक अवधि के लिए जेल भेजे गये आन्दोलनकारियों"

3– अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय
(नपृ सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 1296(1)/तीस–2/2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तरांचल।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
5. निदेशक, सूचना उत्तरांचल।

आज्ञा से,
(नपृ सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

उत्तरांचल सरकार
कार्मिक अनुभाग--2
संख्या- 1633/XXX(2)/2004
देहरादून : दिनांक : 08 अक्टूबर 2004

अधिसूचना

भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शकित का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 (उततरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002) को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :--

उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2004) (प्रथम संशोधन) नियमावली 2004 कही जायेगी।

1--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002) (प्रथम संशोधन) नियमावली 2004 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2-- उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002) में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान खण्ड में के स्थान पर स्तम्भ --2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात--

स्तम्भ--1	स्तम्भ--2
वर्तमान खण्ड	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
"कुटुम्ब के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे :-- (1) पत्नी या पति (2) पुत्र (3) अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां	" कुटुम्ब के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे :-- (1) पत्नी या पति (2)पुत्र (3) अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां (4) मृत सरकारी सेवक पर निर्भर अविवाहित भाई,अविवाहित बहन और विधवा माता,यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था।

भवदीय

(नपृ सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या :- 1633/XXX(2)/2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :-- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित :--

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तरांचल शासन।
2– सचिव, श्री राज्यपाल,उत्तरांचल।
3– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उत्तरांचल।
4– समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तरांचल।
5– सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल।
6– सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल हरिद्वार।
7– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8– निदेश, एन0आई0सी0, देहरादून।
9– गार्ड फाईल।
10– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की हरिद्वार को नियमावली की हिन्दी, अंग्रेजी प्रतियों को संलग्न करते हुए इस निवेदन के साथ प्रेषित कि कृपया नियमावली को असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–क में मुद्रित कराकर इसकी 100 प्रतियां कार्मिक अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,

(आर0सी0 लोहनी)
उप सचिव।

उत्तरांचल सरकार
कार्मिक अनुभाग--2
संख्या–1536/XXX(2)/2004
देहरादून : दिनांक : 27 अक्टूबर 2004

कार्यालय ज्ञाप

तत्काल प्रभाव से मिनिस्ट्रीरियल संवर्ग के निम्नांकित पदों के वर्तमान पदनामों को उसी वेतनमान में परिवर्तन करके उनके सम्मुख अंकित पदनामों को प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र0सं0	वर्तमान पदनाम	वेतनमान	पूर्व से वेतनमान में संशोधित पदनाम
1.	कनिष्ठ लिपिक	3050–4590	कनिष्ठ सहायक
2.	वरिष्ठ लिपिक	4000–6000	प्रवर सहायक
3.	वरिष्ठ सहायक	4500–7000	मुख्य सहायक
4.	मुख्य लिपिक	4500–7000	–
5.	कार्यालया अधीक्षक/प्रधान लिपिक / मुख्य लिपिक–1	5000–8000	प्रशासनिक अधिकारी–2
6.	प्रशासनिक अधिकारी	5500–9000	प्रशासनिक अधिकारी–1
7	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	6500–10500	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

2– अनुरोध है कि मिनिस्ट्रीरियल संवर्ग में वर्तमान पदनामों को उपरोक्तानुसार तत्कालिक प्रभाव परिवर्तन करते हुए सम्बन्धित सेवा नियमों में तद्नुसार संशोधन किए जाने की कार्यवाही तत्काल करने का कष्ट करें

भवदीय

(नपृ सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 1536/XXX(2)/2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तरांचल शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तरांचल।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तरांचल।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

7. संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की–हरिद्वार।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिह रावत)
अपर सचिव।

संख्या :914/XXX(2)/2005

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1— अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

2— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।

3— समस्त प्रमुख विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

4— मण्डलायुक्त,
गढ़वाल/कुमायू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।

4— समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल

कार्मिक अनुभाग—2 देहरादून दिनांक 08 अप्रैल, 2005

विषय— अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का अंकन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि का अंकन करते हुए वार्षिक प्रविष्टियां की जून के माह तक पूर्ण कराये जाने के निर्देश पूर्व में निर्गत किये गये परन्तु प्रायः यह देखने में आता है कि अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां लम्बे समय तक अंकित नहीं हो पाती है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपा अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराये जाने हेतु अपने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें, कि वित्तीय वर्ष 2004—2005 की प्रविष्टियों के संबंध में जिन अधिकारियों की स्वःमूल्यांकन आख्यायें प्राप्त की जानी है वह तत्तल प्राप्त कर ली जाय और उसके पश्चात उनकी वार्षिक प्रविष्टियों का अंकन कर लिया जाय। जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की स्वःमूल्यांकन आख्या की आवश्यकता नहीं है उनकी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां भी तत्काल अंकित कराकर पूर्ण कर ली जाय ताकि कार्मिको के सेवा संबंधी मामलों में उनकी प्रविष्टियां पूर्ण न होने के कारण विवाद उत्पन्न न हो सके।

आपसे अनुरोध है कि कृपया वर्ष 2004—2005 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के अंकन के संबंध में समीक्षा करते ए यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि आपके नियंत्रणाधीन विभाग में समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां नियत समय पर अंकित कर दी गयी हैं। इस सम्बन्ध में कृपया कृत कार्यवाही से कार्मिक विभाग को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय
(नपृ सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या :432/XXX(2)/2005

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

2– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।

3– समस्त प्रमुख विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष,
उत्तरांचल ।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 14 मार्च, 2005

विषय– निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यधीन सेवाओं /पदों में निःशक्त व्यक्तियों के लिए 03प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण निर्धारित किया गया है । निःशक्त व्यक्तियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यथा :–(क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि , (ख) श्रवणह्रास (ग) चलनकिया संबंधी निःशक्तता या प्रमस्तिस्कीय अंगधात कर्मिकों विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्याः 1388/तीस–2/2004 दिनांक 11 अक्टूबर 2004 द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के लिए पदों का चिन्हांकन किया गया है। पदों का चिन्हांकन करते हुए यह भी स्पष्ट किया गया है कि कौन–कौन से पद किस –किस निःशक्तता की श्रेणी में रहेगे।

2– इस संबंध में समय–समय पर विभिन्न नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा शासन से यह पृच्छा की गयी है कि जहॉ संवर्ग में सीधी भर्ती के पदों की कुल संख्या बहुत कम है, वहॉ निःशक्त व्यक्तियों के लिए 03 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण पदों की संख्या अधिक न होने से किसी प्रकार पूर्ण किया जायेगा। इस संबंध में सम्यक् रूप सेउ विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

(1) जिन संवर्गों के पद को केवल एक निःशक्तता के लिए ही चिन्हित किया गया हो उनमें 03 प्रतिशत का आरक्षण केवल एक ही निःशक्तता के लिए पद चिन्हित है वहॉ समान रूप से आरक्षण प्रदान किया जायेगा इस प्रकार सभी प्रकार की निःशक्तताओं के लिए क्षैतिज आरक्षण 03 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। अर्थात यदि एक पद दृष्टिहीन या कमदृष्टि वाले निःशक्त व्यक्ति के लिए चिनिहत किया गया है तो उस पद पर 03 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण लगाया जायेगा।

(2) सवर्ग में सीधी भर्ती के पदों पर उपरोक्तानुसार क्षैतिज आरक्षण की 0.5 प्रतिशत या उससे अधिक होने पर पूर्णक के रूप में की जायेगी।

(3) निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण की गणना करते समय सीधी भर्ती के कुल पदों की संख्या के आधार पर आरक्षण की गणना की जायगी रिक्त पदों के आधार पर आरक्षण की गणना नहीं की जायेगी।

(4) जिन पदों पर अभी चयन विचाराधीन है अथवा पूर्ण नहीं हुए है उनके निःशक्त व्यक्तियों के लिए उपरोक्तानुसार आरयक्षण की गणना नही की गई तो उनमें उपरोक्तानुसार

निःशक्त व्यक्तियों के लिए निर्धारित 03 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के अनुसार पदों को चिन्हित करते हुए चयन की कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

3- अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में निःशक्त व्यक्तियों को क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने और उनके लिए चिन्हित किये गये को भरने के संबंध में पदों को विज्ञप्ति करते हुए उनके विरूद्ध चयन की कार्यवाही शीघ्रता सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय
(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या-432(1)/XXX(2)/2005 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव श्री राज्यपाल उत्तरांचल।
2- सचिव लोक सेवा आयोग,उत्तरांचल हरिद्वार।
3- समस्त मण्डलाध्यक्ष/जिलाधिकारी ,उत्तरांचल।
4- सचिव,विधान सभा उत्तरांचल ।
5- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से
(रमेश चन्द्र लोहनी)
संयुक्त सचिव।

संख्या : 855/तीस–2/2005

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

2– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।

3– समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

4– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

देहरादून दिनांक 23 अप्रैल 2005

कार्मिक अनुभाग–2

विषय– समूह घ के कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी (समूह–ग) के न्यूनतम श्रेण लिपिकीय पदों में पदोन्नति दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–855/कार्मिक–2/2003 दिनांक 2.9.2003 द्वारा समूह–घ के इंटरमीडिएट एवं समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण पात्र अभ्यर्थियों हेतु 10 प्रतिशत तथा हाईस्कूल परीक्षण उत्तीण अभ्यर्थियों हेतु 15 प्रतिशत कोटा समूह–ग के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित किया गया है। शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि समूह–घ से समूह–ग में पदोन्नति हेतु निर्धारित 25 प्रतिशत पदों पर भर्ती मृतक आश्रित से कर ली जाती है जिससे समूह–घ के कार्मिकों की पदोन्नति सामान्यतया नहीं हो पाती है। इस संबंध में मुझे यह कने का निदेश आ है कि कृपया समूह–घ से समूह–ग के पदों पर पदोन्नति हेतु निर्धारित 25 प्रतिशत कोटे के पदों पर केवल समूह–घ के क्रमश हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण पात्र कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा भरा जाय।

2– मुझे यह भी कहने का निदेश आ है कि समूह–घ से समूह–ग के लिपिक वर्गीय पदों पर पदोन्नति दिये जाने हेतु पदों की गणना कुल सृजित पदों के सापेक्ष की जायेगी।

3– कृपया शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय
(नपृ सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 250 / 18(1) / 2005

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तरांचल, देहरादून।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादून दिनांक 16 अप्रैल, 2005

विषय– तहसील घनसाली (टिहरी), तहसील पोखरी, गैरसैंण (चमोली) एवं तहसील ऋषिकेश, विकासनगर (देहरादून) के अन्तर्गत सृजित अस्थायी पदों का स्थायीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के पत्र सं0 मैमो / नौ–65(97–98) दिनांक 4 अप्रैल, 2005 जिलाधिकारी चमोली के पत्र स0 र–2259 / नौ–48 (2000–2001) दिनांक 30 मार्च, 2005 एवं जिलाधिकारी देहरादून के पत्र सं0 ज्ञाप / सा0लि0(2005) दि0 31.3.2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय संलग्नक–1, सलग्नक–2, संलग्नक–3, संलग्नक–4 एवं सलग्नक–5 में उल्लिखित कमशः तहसील घनसाली (टिहरी), तहसील पोखरी, तहसील गैरसैंण (चमोली) तहसील ऋषिकेश एवं विकासनगर (देहरादून) हेतु सृजित अस्थायी पदों को दिनांक 1 मार्च, 20023 से स्थायी पदों में परिवर्तित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त पदों के पदधारकों को शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता, अन्य भत्ते जो उन्हें अनुन्य हो, भी देय होंगें।

3– उपर्युक्त पदों पर होने वाला व्यय आय–व्ययक की अनुदान संख्या–6 के लेखाशीर्षक–2053–जिला प्रशासन–आयोजनेत्तर–093–जिला स्थापनायें–03 कलैक्टरी स्थापना के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

4– प्रमाणित किया जाता है कि इन पदों का स्थायीकरण कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–2–797 / दस–87–24(12)–87 दिनांक 25.5.1987 में निहित सभी शर्तों पूर्ति के बाद किया जा रहा है।

संलगन यथोक्त।

भवदीय
(नपृ सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

शासनादेश संख्या–250 / 18(1) / 2005 दिनांक 16 अप्रैल, 2005 संलग्नक–2
तहसील गैरसैंण जिला चमोली में दि0 1.3.2002 से स्थायी किये जाने वाले पदों का विवरण।

क0सं0	पद[illegible]	[illegible] किये जाने वाले पदो की [illegible]	[illegible]	[illegible] दिनांक जिससे पद सृजित किये गये थे	[illegible] द्वारा अन्तिम बार निरन्तरता की स्वीकृति प्राप्त हुई
1	वरिष्ठ सहायक	1	4000–6000	4194 / 1–4–91–187 –बी–4 / 97 / टी0सी0 दिनांक 22–12–97	1602 / राजस्व / 02 दिनांक 18 सितम्बर, 2002
2	सूट क्लर्क (पेशकार)	1	4000–6000		
3	नायब नाजिर	1	4000–6000		
4	वासिल वाकी नवीस	1	4000–6000		
5	टंकक	1	3050–4590		
6	जमादार	1	2610–3540		
7	चपरासी	2	2550–3200		
8	वाहन चालक	1	3050–4590		
9	अहलमद	1	3050–4590		

शासनादेश संख्या–250 / 18(1) / 2005 दिनांक 16 अप्रैल, 2005 संलग्नक–2
तहसील पोखरी जिला चमोली में दि0 1.3.2002 से स्थायी किये जाने वाले पदों का विवरण।

क0सं0	पदनाम	स्थायी किये जाने वाले पदों की संख्या	स्वीकृत वेतनमान	शासनादेश संख्या एवं दिनांक जिससे पद सृजित किये गये थे	शासनादेश जिसके द्वारा अन्तिम बार निरन्तरता की स्वीकृति प्राप्त हुई
1	वरिष्ठ सहायक	1	4000–6000	4194 / 1–4–91–187–बी–4 / 97 / टी0सी0 दिनांक 22–12–97	1602 / राजस्व / 02 दिनांक 18 सितम्बर, 2002
2	सूट क्लर्क (पेशकार)	1	4000–6000		
3	नायब नाजिर	1	4000–6000		
4	वासिल वाकी नवीस	1	4000–6000		
5	टंकक	1	3050–4590		
6	जमादार	1	2610–3540		
7	चपरासी	2	2550–3200		
8	वाहन चालक	1	3050–4590		

आज्ञा से,
(सोहन लाल)
अपर सचिव।

संख्या : 1050/XXX(2)/2005

प्रेषक,

डा0 आर0एस0 टोलिया,
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1— अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

2— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।

3— समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग—2

देहरादून दिनांक 29 अप्रैल, 2005

विषय— सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण नीति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में विभिन्न सेवाओं में स्थानान्तरण एक आवश्यक व्यवस्था है, जो प्रशासन, समाज व सरकारी सेवा सभी के हित में है। सुप्रशासन में स्वच्छता व कर्मचारी के कार्य में निष्पक्षता तभी सम्भव है जब कार्मिक अपने अधिकार क्षेत्र में सेवाभाव के साथ—साथ सुप्रशासन कार्य न्यायिक दृष्टि को समान रूप से रखते हुए करें। इस हेतु यह आवश्यक है कि तैनाती के स्थन पर कर्मचारी के ऐसे संबंध या लगाव न हो जिससे उसके विवेक पूर्ण निर्णय लेने पर प्रतिकूल प्रभाव या दबाव पड़े। स्थानान्तरण नीति इसी उद्देश्य से बनाई जाती है। उत्तरांचल राज्य का अधिकतम भू—भाग पर्वतीय क्षेत्रों से आच्छादित है इसमें भी अधिकतम भू—भाग दुर्गम स्थानों में स्थित हैं, जहां स्थित विभागों में कार्य कर रहे कार्मिकों की स्थिति सुगम स्थानों में कार्य कर रहे कार्मिकों से भिन्न होती है। अतः उत्तरांचल में सुगम तथा दुर्गम स्थानों को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण की निम्नवत् नीति निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया है :—

2. (1) कार्मिकों के स्थानान्तरण किए जाने हेतु शासन स्तर पर, विभागाध्यक्ष, मण्डल एवं जनपद स्तर पर प्रत्येक विभागवार स्थायी स्थानान्तरण समितियों का गठन किया जाय, जिसमें विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त एक अधिकारी दूसरे विभाग के भी नामित किए जायं। शासन स्तर पर अवस्थापना विकास आयुक्त शाखा, एफ0आर0डी0सी0 शाखा तथा समाज कल्याण आयुक्त शाखा को छोड़कर अन्य विभागों में स्थानान्तरण समिति में एक अधिकारी कार्मिक विभाग द्वारा नामित किया जायेगा। वार्षिक स्थानान्तरण/परिवर्तन /निरस्तीकरण हेतु प्राप्त सभी प्रस्ताव संबंधित विभाग द्वारा इस हेतु गठित समिति के सम्मुख प्रस्तुत किए जायेगें । समिति इस प्रकार प्राप्त समस्त प्रस्तावों पर विचार करने के पश्चात स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत संबंधित कार्मिकों के स्थानान्तरण आदेश संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष जैसी भी स्थिति हो द्वारा निर्गत किए जायेगें।

(2) स्थानान्तरण किये जाने हेतु स्थानान्तरण की परिधि मे आने वाले कार्मिकों से 03 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प मांगे जायेगें और प्राप्त विकल्पों को स्थानान्तरण समिति के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) वार्षिक स्थानान्तरण सुगम क्षेत्रों में कुल अधिकारी /कर्मचारी संख्या के 20 प्रतिशत तक ही सीमित रखे जायेगे। और दुर्गम क्षेत्रों , जिनकी सूची संलग्न है में कुल संख्या के 15 प्रतिशत तक ही सीमित रखे जायेगें, और यदि निर्धारित संख्या से अधिक स्थानान्तरण किया जाना आवश्यक हो तो समूह "क" एवं "ख" के लिए मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक स्थानान्तरण के समय यह भी ध्यान में रखा जाय कि दुर्गम स्थानों में सुगम स्थानों की अपेक्षा यथा संभव रिक्तियॉं अधिक न हो । यदि दुर्गम स्थानों में रिक्तियॉं अधिक है तो उन्हें भरने के लिए सुगम क्षेत्रों की 20 प्रतिशत की स्थानान्तरण सीमा को प्रशासकीय विभाग द्वारा शिथिल किया जा सकता है। विभागों द्वारा सेवा संवगों की आवश्यकता एवं उनकी कार्यप्रणाली एवं क्षेत्र विशेष की भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सुगम एवं दुर्गमों स्थानों में ही किया जायेगा।

3– सामान्य स्थानान्तरण निम्नलिखित परिस्थितियों में ही किया जाये :–

(1)सामान्य अवधि पूरी होने पर परन्तु सबसे अधिक समय से कार्यरत कार्मिक से प्रारम्भ करते हुए।

(2)पदोन्नति पर।

(3)रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु।

(4)प्रतिनियुक्ति से वापसी पर।

(5) स्वयं के व्यय पर पारस्परिक स्थानान्तरण पर।

(6)दुर्गम स्थानों पर रिक्तियों की पूर्तियों हेतु।

4–तैनाती की सामान्य अवधि :'

प्रशासनिक आधार पर किये गये स्थानान्तरणों को छोडकर तैनाती की अवधि निम्नवत् निर्धारित की जाती है :–

(1) समूह "क" एवं "ख" के अधिकारियों के लिए विभिन्न स्थानों में एक जिले में समस्त पदों को सम्मिलित करते हुए तैनाती की अवधि ,सुगम क्षेत्र के लिए सामान्यतः 03 वर्ष परन्तु अधिकतम 05 वर्ष होगी। दुर्गम क्षेत्रों में सामान्य अवधि 03 वर्ष एवं अधिकतम 05 वर्ष होगी । एक जिले में तैनात अधिकारी को पुनः उसी जिले में 05 वर्ष से पूर्व किसी भी दशा में तैनात नहीं किया जायेगा। अपवाद स्वरूप उक्त अवधि 03 वर्ष होगी।

(2) समूह "ग" के कर्मचारियों के लिए एक स्थान पर तैनाती की सामान्य अवधि 03–05 वर्ष होगी ।यद्यपि पदों की आवश्यकता एवं संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए उक्त अवधि में परिवर्तन किया जा सकता है, किन्तु संवेदनशील पदों पर किसी भी कार्मिक को किसी भी दशा में 03 वर्ष से अधिक नहीं रखा जायेगा।

(3) राज्य के पर्वतीय जनपदों मे दुर्गम क्षेत्रों में तैनात अधिकारियो/कर्मचारियों का स्थानान्तरण किसी भी दशा में 05 वर्ष से पूर्व सुगम क्षेत्र में नहीं किया जायेगा।

(4) तैनाती अवधि की गणना प्रत्येक वर्ष के मई माह के अन्तिम दिवस को मानकर की जायेगी।

(5)यदि कोई कार्मिक दुर्गम स्थान में निर्धारित अवधि के बाद भी स्वेच्छा से रहना चाहता हो और रिक्ति को भरने के लिए प्रतिस्थानी की कमी हो तो उसे दुर्गम स्थान में निरन्तर रखा जा सकता है।

(6)इन दुर्गम स्थान में फिक्स टेन्यूर पूरा करने के पश्चात उनकी इच्छानुसार 05 ऐच्छिक जगहों पर उनसे स्थानान्तरण हेतु विकल्प मांगा जायेगा तथा उन्ही जगहों में से किसी स्थान पर तैनात किया जायेगा।

(7) यदि किसी अधिकारी /कर्मचारी को सेवा निवृत्त होने के लिए मात्र दो वर्ष ही रह गये हो तो उन्हें उनकी इच्छानुसार तीन विकल्पों में एक में तैनात किया जाना।

5–श्रेणीवार कार्मिकों की तैनाती के स्थान :–

(1) समूह "क" एवं "ख" के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा ,लेकिन गैर संवेदनशील पद तथा दुर्गम स्थानों पर तैनाती में इस प्रतिबन्ध से छूट सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा दी जा सकती है।

(2) शिकायत /प्रशासनिक आधार पर हटाये गये अधिकारियों को किसी भी दशा में पुनः उसी जनपद /स्थान पर 03 वर्ष तक तैनात नहीं किया जायेगा।

(3) समूह--ग के लिपिकीय एवं अप्रशासकीय कर्मिकों को गृह स्थन को छोड़कर उनके जिले में ही तैनात किया जा सकता है, किन्तु समूह--ग के प्रशासकीय पदधारकों के स्थानान्तरण जनपद से बाहर भी किये जा सकते हैं। बशर्ते है कि उक्त कार्मिकों के सवंर्ग, मण्डल/प्रदेश स्तर पर निर्धारित किये जाते हों। चूंकि कई विभागों में समूह--ग के संवर्ग अलग--अलग हैं। अतः विभाग समूह--ग के संवर्ग के अनुसार भी मानक निर्धारित कर सकते हैं।

गृह स्थान का तात्पर्य ऐसे गांव/हल्का/तहसील आदि से है, जिसका वह मूल निवासी हो।

(4). तृतीय श्रेणी के कर्मिकों को 03 वर्ष के अन्तर पर दूसरी शीट पर तैनात कर दिया जाना चाहिए। ताकि उन्हें प्रत्येक शीट का कार्य करने का अवसर मिल सके। दुर्गम क्षेत्रों में यह अवधि 05 वर्ष अधिकतम की जा सकती है।

(5) समूह--घ के कर्मिकों को उनके गृह जनपद में ही तैनात किया जायेगा।

(6) सम्बन्धित कार्मिकों की प्रार्थना पर किये जाने वाले पारसपरिक स्थानान्तरणों में कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(7) नैनीताल मुख्याल एवं तहसील हल्द्वानी देहरादून (चकरौता तहसील को छोड़कर) हरिद्वार तथा उधमसिंहनगर में जिला प्रशासन के पदों को सम्मिलित करते हुए किसी भी अधिकारी को निरन्तर 10 वर्ष की अवधि तक तैनात नहीं रखा जायेगा। देहरादून के जिला प्रशासन के पदों के अतिरिक्त अन्य पदों पर की गयी सेवाओं को उक्त अवधि में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(8) यदि कोई अधिकारी उक्त स्थानों/जनपदों में कन्हीं पदों पर 10 वर्ष की कुल अवधि पूर्ण कर चुके हों तो तुरन्त उसका स्थानान्तरण उक्त स्थान/जनपद से करा दिया जाय तथा किसी भी दशा में 05 वर्ष की समाप्ति तक पुनः उन्ही जनपदों में कदापि तैनात नही किया जाय, जो अधिकारी ऐसे स्थानों/जनपदों में एक ही पद पर 03 वर्ष की अवधि पूरी कर चुके हों, उनका भी उक्त पद/स्थान से स्थानान्तरण कर दिया जाय।

प्रशासनिक आधार पर किये जाने वाले स्थानान्तरण

(1) गम्भीर शिकायतों उच्चाधिकारियों से दुर्व्यहार एवं कार्य में अभिरूचि न लेने आदि के आधार पर ही आवश्यक पुष्टि के उपरान्त प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण कयें जायं।

(2)प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण सामान्य प्रकार से मोटिवेटेड शिकायतों के आधार पर अथवा" कैज्वली " न किये जायं।

(3) उक्त स्थानान्तरणों में प्रशासनिक आधार पर अंकित किया जाना आवश्यक होगा।

स्थानान्तरण के अधिकार प्रदान किया जाना :—

(1)समूह "क" के अधिकारियों के स्थानान्तरण इस हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा किये जायेगें तथा समूह "ख'8 के अधिकारियों के स्थानान्तरण स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा किये जायेगें परन्तु जहां विभागाध्यक्ष का पद नहीं है वहां समूह "ख" के अधिकारियों का स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा किये जायेगें।

(2) समूह ग तथा घ के जनपद स्तरीय कार्मिकों जिनका स्थानान्तरण जनपद में ही किया जाना है, के स्थानान्तरण ,स्थानान्तरण हेतु जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर किये जायेगें। ऐसी समितियों में अधिकारी पदेन नामित किये जायेगें और एक अधिकारी जिलाधिकारी द्वारा नामित किये जायेगें। जिसमें जिलाधिकारी द्वारा नामित पदेन अधिकारी भी सदस्य होगें।

मार्गदर्शक सिद्धान्त :—

(1)संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कार्मिकों की तैनाती संवेदनशील पदों पर कदापि न की जाय।

(2) यदि पति पत्नी सरकारी सेवा में हो तो उन्हें यथासम्भव एक ही जनपद/नगर/स्थान पर तैनात किया जाय।

(3)मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के माता पिता के तैनाती अधिकृत सरकारी डाक्टर के चिकित्सा प्रमाण—पत्र के आधार पर विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर की जाय जहॉ चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो।

(4) प्रतिकूल तथ्य न होने पर दो वर्ष में सेवा निवृत्त होने वाले समूह "ग" के कार्मिकों को उनके गृह जनपद में तैनात किया जा सकता है तथा समूह "क" एवं "ख" के अधिकारियों को उनके गृह जनपद को छोडते हुए समीपवर्ती जनपद में तैनात किया जा सकता है।

9—स्थानान्तरित कार्मिकों को अवमुक्त किया जाना :—

(1) स्थानान्तरण आदेशों में कार्मिकों के कार्यमुक्त करने की तिथि तथा यह निर्देश अंकित किये जाने चाहिए कि वे आदेश के जारी किये जाने के दिनांक से अमुक तिथि/एक सप्ताह के अन्दर, प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें और सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त कर दें। स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समय में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी, और जो अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करते हुए,सम्बन्धित कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं करेंगे उनके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। स्थानान्तरण आदेश की प्रति संबंधित कोषाधिकारी को भी प्रेषित की जाय ताकि वे स्थानान्तरित कार्मिक के कार्यमुक्त होने की तिथि के पश्चात उसका वेतन आहरित न करें।

(2) दुर्गम क्षेत्र में तैनात कार्मिकों को उनके नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा तब तक अवमुक्त न किया जाय जब तक कि उनके प्रतिस्थानी कार्यभार ग्रहण न कर लें।

(3) स्थानान्तरित कार्मिकों का किसी प्रकार का अवकाश का प्रार्थन पत्र स्वीकार न किया जाय।

(4) दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनकी वेतन वृद्धि रोक दी जायं तथा उन्हें 02 वर्ष तक प्रोन्नति से वंचित रखा जाय।

(5) स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही की जाय।

10--सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण :--

सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघो के अध्यक्ष /सचिव ,जिनमें जिला शाखाओं केअध्यक्ष /सचिव भी सम्मिलित है, के स्थानान्तरण ,उनके द्वारा संगठन में पदाधारित करने की तिथि से 02 वर्ष तक न किये जाय। परन्तु लगातार 05 वर्ष की अधिक अवधि तक एक स्थान पर तैनात रहने पर सामान्य स्थानान्तरण के निर्देशों से व्यवहृत होगें । यदि कोई सरकारी सेवक निरन्तर मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष /सचिव रहता है तो उस दशा में स्थानान्तरण न किये जाने की छूट की अवधि अधिकतम 05 वर्ष होगी।

स्थानान्तरण हेतु समय--सारिणी :--

(1) शासन स्तर विभागाध्यक्ष स्तर एवं जिला स्तर के समस्त स्थानान्तरण यथा सम्भव 30 जून तक पूर्ण किये जाय। 30 जून के उपरान्त कमेटी द्वारा विचारोपरान्त शासन स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरण हेतु विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन तथा समुह "ग" तथा "घ" के कार्मिकों के स्थानान्तरण के लिए निर्धारित स्तर से एक स्तर उच्च अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

(2) यदि किसी विभाग द्वारा विभाग की विशेषताओं के कम में स्थानान्तरण नीति में कोई परिवर्तन अपेक्षित है तो सकारण प्रस्तुत कर मुख्य सचिव एवं मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायं।

स्थानान्तरण रोकने के लिए प्रत्यावेदन एवं सिफारिश :--

(1) यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता पिता पत्नी अथवा अन्य सम्बधियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जाय और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाय।

(2) स्थानान्तरति कार्मिकों के सथानान्तरण रोकने सम्बन्धी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाय। यदि कोई सरकारी सेवक ऐसे आदेशों के विरूद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करें, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी आचारण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए उसके विरूद्ध "उत्तरांचल सरकारी सेवाक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए निलम्बन के सम्बन्ध में भी विचार किया जाय। 2003 के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए निलम्बन के सम्बन्ध में विचार किया जाय।

(3) यदि किसी स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा अपने स्थानान्तरण रोकने के लिए स्वंय प्रत्यावेदन दिया जाता है,तो ऐसे प्रत्यावेदनों पर स्थानान्तरण द्वारा गठित समिति द्वारा ही विचार किया जायेंगा।

चार्ज नोट :--

नवीन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त सम्बन्धित श्रेणी--क एंव ख अधिकारियों को कार्य की जानकारी होने में समय लगना स्वाभाविक है। अतः स्थानान्तरित अधिकारी महत्वपूर्ण प्रकरणों एवं विकास कार्यकमों/कार्यकमों आदि के सम्बन्ध में एक चार्ज नोट बनायेगे ताकि स्थानान्तरण के फलस्वरूप आये नये अधिकारी को कार्य सम्पादित करने में सुविधा होगी, उस चार्ज नोट की एक प्रति सम्बन्धित फाईल में रखी जायेगी और एक प्रति सम्बन्धित नियंत्रित अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

यह स्थानान्तरण नीति जब तक शासन द्वारा विखण्डित न कर दी जाय यथावत् लागू रहेगी।

उपरोक्त निर्देशों का सभी स्तरों पर कढ़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय
(आर0एस0टोलिया)
मुख्य सचिव।

संख्या–1050(1)/तीस–2/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नांकि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तरांचल।
2. समस्त जिलाधिकारी।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(आर0सी0 लोहनी)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या–1050/तीस–2/2005 दिनांक 29 अप्रैल, 2005 में संलग्न उत्तरांचल के दुर्गम स्थानों की सूची।

1. जिला मुख्यालय, तहसील, ब्लाक मुख्यालय को छोड़कर अन्य पर्वतीय क्षेत्र।
2. ग्रामीण उप केन्द्र (पर्वतीय क्षेत्र)।
3. समस्त सी0एच0सी0पी0सी0एस0 (पर्वतीय क्षेत्रों की स्थिति)।
4. राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय।
5. जनपद देहरादून का मैदानी/तैराई क्षेत्र एवं मसूरी, जनपद पौड़ी चम्पावत, नैनीताल का मैदानी/तराई क्षेत्र, जनपद हरिद्वार, उधमसिंह नगर तथा समस्त उत्तरांचल के जिला मुख्यालय के अतिरिक्त समस्त पर्वतीय क्षेत्र।

आज्ञा से,

(आर0सी0 लोहनी)
संयुक्त सचिव।

संख्या : 1162/तीस–2/2005

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

2– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।

3– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल ।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 07 मई, 2005

विषय– सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की अनाधिकृत अनुपस्थिति पर विभागीय कार्यवाही संबंधी नियमों का कड़ाई से अनुपालन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न विभागों से अनेक ऐसे प्रकरण शासन के संज्ञान में लाये जा रहें है जिनमें सरकारी सेवक लम्बी–लम्बी अवधि के लिए कार्यालय से अनुपस्थित हो जाते हैं। कुछ प्रकरणों में कम्रचारी अवकाश की पूरी अवधि के लिए प्रार्थना पत्र नहीं देते है और कुछ प्रकरणों में कर्मचारी अनेक वर्षो के लिए बिना अवकाश में गायब हो जाते है और वापस आने पर उनके विभाग द्वारा उन्हे सेवा में कार्यभार ग्रहण करा लिया जाता है तथा अपेक्षा की जाती है कि अनुिपस्थित की अवधि को नियमों के अन्तर्गत शिथिल करते हुए अवकाश स्वीकृ कर विनियमित कर दिया जाए। वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड–2भाग 2–4 के मूल नियम 18 के अिनुसार 05 वर्ष से अधिक की अनुपस्थिति पर संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के उपबन्ध लागू होते है , अवधि को विनियमित करने के प्रस्ताव किये जाते है। कार्य के प्रति उत्तरदायी होना प्रत्येक कर्मचारी का दायित्व है। बिना सूचना के अनिुपस्थित होना तथा लम्बी अवधि तक अवकाश पर चले जाना जहॉं एक ओर कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता का द्योतक है वहीं दूसरी ओर शासकीय कार्य प्रभावित होता है अतः इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नंकित निर्णय लिये गये हे।

(1) किसी कर्मचारी के बिना प्रार्थना पत्र दिये अनुपस्थित हो जाने पर उसे एक सप्ताह अन्दर इस आशय का नोटिस ,उत्तर देने हेतु 15 दिन की अवधि निर्धारित करते हुए जारी की जाए कि बिना प्रार्थना पत्र दिये अनुपस्थिति की अवधि में उसे अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित मानते हुहए क्यो न उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाय तथा क्यो न उस अवधि का वेतन न दिया जाय। नोटिस प्राप्ति के बाद यदि संबंधित सेवक द्वारा 15 दिन के अन्दर उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो संबंधित सेवक के विरूद्ध समयान्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाये।

(2) वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–2 भाग 2–4 के मूल नियम 18 की व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन किया जाए तथा बिना अवकाश के 05 वर्ष से अधिक अवधि की अनुपस्थिति के बाद अनिवार्य रूप से अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाय और संबंधित सरकारी सेवक की नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना सेवा में पुनः ग्रहण करने की अनुमति न दी जाय।

2-- कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें।

भवदीय
(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 1162/तीस--2/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त जिलाधिकारी,उत्तरांचल।

2– सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
(रमेश चन्द्र लोहनी)
संयुक्त सचिव।

संख्या : 468/तीस–2/2005

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

2– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।

3– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

4– समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

देहरादून दिनांक 28,अप्रैल,2005

कार्मिक अनुभाग–2

विषय– अनारक्षित रिकितयों के विरूद्ध ज्येष्ठता कम में आने वाले अनु0जाति/जनजाति श्रेणी के व्यक्तियों को पदोन्नति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाये गये है कि किसी पद पर पदोन्नति हेतु अनारक्षित पद उपलब्धहो और पात्रता क्षेत्र में अनु जाति /जनजाति वर्ग का कार्मिक ज्येष्ठता कम में उपलब्ध हो तो उसकी पदोन्नति अनारक्षित वर्ग की रिकित क विरूद्ध की जायेगी अथवा नही। इस सम्बन्ध में भारत सरकार में प्रचलित व्यवस्था की जानकारी की गई भारत सरकार में इस सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था विद्यमान हैं :–

1– यदि किसी संवर्ग में कोई अनारक्षित रिक्ति हो और पदोन्नति की दृष्टि से पोषक संवर्ग प्रकम में सामानय विचारण क्षेत्र के अन्तर्गत कोई अनु0जरति /जनजाति का कार्मिक आ रहा हो तो अनु0जाति /जनजाति के ऐसे कार्मिक को महज इस दलील पर पदोन्नत करने से इनकार नहीं किया जा सकता कि उपर्युक्त रिक्त पद आरक्षित नहीं है। अनु0जाति /जनजाति के ऐसे कार्मिक को सामान्य श्रेणी का कार्मिक मानकर उसे अन्य पात्र कार्मिक के साथ–साथ पदोन्नति करने पर विचार किया जाय। यदि वह चुन लिया जाय तो उसे उपयुक्त रिक्त पद पर नियुक्त कर दिया जाय और उसे उपयुक्त आरक्षण रोस्टर के अनारक्षित विन्दु पर समायोजित कर दिया जाय।

2– सीधी भर्ती या पदोन्नति से अपनी ही योग्यता पर नियुक्ति और आरक्षण रोस्टर के अनारक्षित विन्दुओ पर समायेजित अनु0जातियों/जनजातियों के कार्मिक अपने किसी अनु0जाति /जनजाति का होने की स्थिति कायम रखेंगे और वे भविष्य में आरक्षण का लाभ /आगे कोई और पदोन्नति प्रापत करने के पात्र होंगे ।

3– चूँकि गैर चयन द्वारा पदोन्नतियों के मामलों में पदोन्नतियॉ वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर की जाती है तथा ऐसी पदोन्नतियों में योग्यता की अवधारणा शामिल नही है। अतः उक्त विन्दु 01 तथा 02 गैर चयन द्वारा की गई पदोन्नतियों पर लागू नहीं होगा ।

2– इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी किये गये (संलग्न) दिशा निर्देशों के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि योग्यता (मैरिट) के आधार पर किये जाने वाले चयनों में किसी संवर्ग में कोई अनारक्षित रिकित के आधार पर किये जाने वाले चयनों में किसी संवर्ग में कोई अनारक्षित रिक्ति हो और पदोन्नति की दृष्टि से पोषक संवर्ग में सामानय विचारण क्षेत्र के अन्तर्गत अनु0जाति /जनजाति के ऐसे कार्मिक को केवल इस आधार पर पदोन्नति से वंचित नही किया जा सकता है कि रिक्त पद आरक्षित नहीं है ।

अनु0जाति /जनजाति के ऐसे कार्मिक को सामान्य श्रेणी का कार्मिक मानकर उसे अन्य पात्र कार्मिको के साथ–साथ पदोन्नति करने पर विचार किया जाय और उसे चयन होने की दशा में आरक्षण रोस्टर मे अनारक्षित बिन्दु पर समायोजित कर दिया जाय। ऐसा कार्मिक अनु0जाति /जनजाति श्रेणी का होने की स्थिति कायम रखेगें और भविष्य मे आरक्षण का लाभ /आगे कोई और पदोन्नति प्राप्त करने का पात्र होगें।

आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार योग्यता के आधार पर किये जाने वाले चयनों के संबंध में कार्यावाही करने का कष्ट करें।

भवदीय
(नपृ सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या :468/तीस–2/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल हरिद्वार।
2– सचिव, विधान सभा ,उत्तरांचल।
3– सचिव श्री राज्यपाल ,उत्तरांचल।
4– निदेशक एन0आई0सी0
5– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6– गार्ड फाईल

आज्ञा से,
(रमेश चन्द्र लोहनी)
संयुक्त सचिव।

संख्या 1243/XXX(2)/2005

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1--अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

2--समस्त प्रमुख सचिव /सचिव,
उत्तरांचल शासन।

3--समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग--2

देहरादून दिनांक 12 मई ,2005

विषय- अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों का शीघ्रता से निस्तारण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा इस बात पर सदैव बल दिया जाता है कि सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों के निस्तारण में विलम्ब न किया जाय तथा शीघ्रता से निधारित समय सारिणी के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों को निबटाया जाय। परन्तु यह देखने में आया है कि ऐसे मामले बहुत लम्बे समय तक अनिर्णीत रहते हे जिसके कारण कर्मचारी लम्बे अर्से तक निलम्बन पर रहते है और उनकों शासन द्वारा बिना काम किये निर्वाह भत्ते की अदायगी करनी पडती है। ऐसी स्थिति को सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता है।

2-- अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों का शीघ्रता से निस्तारण एवं अनुश्रवण करने के लिए प्रत्येक विभाग द्वारा एक रजिस्टर तैयार किया जायेगा जिसमें संलग्न प्रपत्र के अनुसार प्रविष्टियो की जायेगी। इस रजिस्टर में तिमाही प्रविष्टियाँ की जाये तथा 31 मार्च ,30 जून,30 सितम्बर,तथा 31 दिसम्बर को विचाराधीन कार्यवाहियों के संबंध में उच्च अधिकारी को रजिस्टर में अंकित प्रविष्टियों से अवगत कराया जायेगा।समस्त अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस प्रकार का रजिस्टर अवश्य रखेंगें और विचाराधीन कार्यवाहियों से अपने अगले ज्येष्ठ अधिकारी को उपरोक्तानुसार अवगत कराते रहेंगें ।

3-- वरिष्ठ अधिकारी अपने दौरों के समय इस बात को सुनिश्चित करेगें कि उक्त रजिस्टर ठीक प्रकार से रखे जा रहे है या नही। उच्च अधिकारियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि अपने दौरों के समय ऐसी कुछ कार्यवाहियों की जांच करे कि निर्धारित प्रकिया तथा समय सारणी का ठीक ठीक पालन हो रहा है या नहीं।

4-- शासन द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही के समय से निस्तारण हेतु समय सारिणी निर्धारित की गयी है। सुविधा के लिये समय--सारिणी नीचे दी जा रही है :--

(1) अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के संबंध में औपचारिक निर्णय की तिथि से 15 दिन के अन्दर आरोप पत्र जारी कर दिया जाये तथा उसे अपचारी कार्मिकों को तामील कर दिया जाय।

(2) आरोप पत्र में अपचारी कर्मचारी से अपना लिखित स्पष्टीकरण 15 दिन से एक महीने के अन्दर आरोप पत्र जारी कर दिया जाये तथा उसे अपचारी कार्मिक को तामील कर दिया जाय।

(3)अपचारी कर्मचारी का स्पष्टीकरण प्राप्त होने के एक महीने के अन्दर जॉच पूरी कर ली जाये जिसमें गवाहों की परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा भी सम्मिलित है।

(4)जॉच अधिकारी की रिपोर्ट जहॉ वह स्वयं दण्डन अधिकारी नहीं है शीघ्रताशीघ्र प्रस्तुत की जाये । साधारणतया यह रिपोर्ट जॉच समाप्त होने के 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत कर दी जाये।

(5) जहॉ दण्डन अधिकारी जॉच अधिकारी से भिन्न है दण्डन अधिकारी जॉच आख्या की प्रति आरोपित कार्मिक को प्रेषित करते हुए उसे यह निदेर्शित किया जाये कि यदि जॉच आख्या के सन्दर्भ में वह कोई अभिकथन देना चाहता है तो अपना प्रत्यावेदन 15 दिन से एक माह के भीतर प्रस्तुत करेगे। यदि किसी आरोप के संबंध में जॉच अधिकारी द्वारा आरोपित कर्मचारी को दोष सिद्ध न पया हो परन्तु दण्डन अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि आरोपित कार्मिक पर सिद्ध हो रहा है तो ऐसा मत स्थिर करने के कारणों सहित जॉच आख्या की प्रति आरोपित कार्मिक को उपलब्ध करायेगे।

(6) दण्डन अधिकारी अंतिम आदेश जारी करने से पूर्व जहॉ :–

(क) लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है वहॉ जॉच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने के 6 सप्ताह के अन्दर लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाये परामर्श प्राप्त होने के बाद 15 दिन के अन्दर अन्तिम आदेश जारी किये जाये।

(ख) लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है जॉच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर अन्तिम आदेश जारी यिका जाये।

5– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक मामले में इस समय –सारणी की जॉच अधिकारी एवं दण्डन अधिकारी द्वारा दृढता के साथ पालन किया जाये यदि किसी मामले में इस समय सारणी का पालन सम्भव नहीं है तो उन कारणों को जॉच अधिकारी द्वारा लेखबद्ध करना चाहिए। यदि ऐसे मामलों में अनावश्यक विलम्ब होता है तो जॉच अधिकारी एवं दण्डन अधिकारी अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकते है।

6– अतः आपसे अनुरोध है कि आप अनुशासनिक कार्यवाही से सम्बद्ध समस्त अधिकारियों की जानकारी में उपरोक्त आदेश ला दे और वह निर्देश दे दे कि इनका कडाई से पालन किया जाये तथा निर्धारित रूप में रजिस्टर भी रखा जयें।

भवदीय

(नपृ सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 1243(1)/2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित :–

1– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

2– सचिवालय के समस्त अनुभाग

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव।

संख्या 855/XXX(2)/2005

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1—अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

2—समस्त प्रमुख सचिव /सचिव,
उत्तरांचल शासन।

3—समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

4—समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग—2

देहरादून दिनांक 21 मई ,2005

विषय— समूह ध के कर्मचारियों को तृतीय (समूह—ग) के न्यूनतम श्रेणी लिपिकीय पदों में पदोन्नति दिये जाने के सबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 855/कार्मिक —2/2003 दिनांक 02.09.2003 द्वारा समूह घा के इण्टरमीडिएट एवं समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण पात्र अभ्यर्थियों हेतु 10 प्रतिशत तथा हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यथियो हेतु 15 प्रतिशत कोटा समूह ग के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित किया गया है । शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि समूह ध से समूह ग में पदोन्नति हेतु निर्धारित 25 प्रतिशत पदों पर भर्ती मृतक आश्रितों से कर ली जाती है जिससे समूह घ के कार्मिकों की पदोन्नति सामान्यतया नही हो पाती है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया समूह ध से समूह ग के पदों पर पदोन्नति हेतु निर्धारित 25 प्रतिशत कोटे के पदों पर केवल समूह —ध के कमशः हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण पात्र कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा भरा जाय।

2— मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि समूह ध से समूह ग के लिपिक वर्गीय पदों पर पदोन्नति दिये जाने हेतु पदों की गणना कुल सृजित पदों के सापेक्ष की जायेगी।

3— कृपया शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय
(नपृ सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

संख्या 1399/XXX(2)/2005

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1—अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।
2—समस्त प्रमुख सचिव /सचिव,
उत्तरांचल शासन।
3— मण्डलायुक्त,
गढवाल /कुमायू (पौडी/नैनीताल)
उत्तरांचल।
4— समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।
5—समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग—2 देहरादून दिनांक 21 मई ,2005

विषय— राज्यधीन सेवाओं /पदों में भर्ती के समय अधिकतम् आयु सीमा में छूट के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं /पदों में भर्ती के समय अनुसूचित जाति के लिए 19 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिय 4 प्रतिशत तथा अन्य पिछडावर्ग के लिए 14 प्रतिशत का आरक्षण शासनादेश संख्या 1144 / कार्मिक —2/ 2001 — 53(1)/2001 दिनांक 18 जुलाई,2001 द्वारा निर्धारित किया गया है।

राज्याधीन सेवाओं /पदों में भर्ती के लिए अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडावर्ग के अभ्यार्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छुट भी प्रदान की जाती रही है। समय—समय पर विभिन्न स्तरों से इन वर्गों/श्रेणियों के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में दी जाने वाली छूट के संबंध में जिज्ञासाएं की जाती रही है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं/पदों में भर्ती के लिए अनुसूचित /अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग के व्यक्तियों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

भवदीय,
(नृपसिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या 1399/XXX(2)/2005तददिनांक।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— सचिव श्री राज्यपाल ,उत्तरांचल
2— सचिव विधानसभा उत्तरांचल ।
3— सचिव लोक सेवा आयोग ,उत्तरांचल हरिद्वार।
4— सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से
(आर0सी0लोहनी)
संयुक्त सचिव।

संख्या 1244/XXX(2)/2005

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1—अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।
2—समस्त प्रमुख सचिव /सचिव,
उत्तरांचल शासन।
3— मण्डलायुक्त,
गढवाल /कुमायू (पौडी/नैनीताल)
उत्तरांचल।
4— समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।
5—समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग—2 देहरादून दिनांक 21 मई ,2005

विषय— राज्यधीन सेवाओं /पदों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों तथा अक्षम व्यक्तियों को अधिकतम् आयु सीमा में छूट के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 114/कार्मिक –2/2001–53(1)/2001 दिनांक 18 जुलाई 2001 द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के व्यक्तियों के लिए 2 प्रतिशत होरिजेन्टल आरक्षण प्रदान किया गया है।

समय—समय पर विभिन्न स्तरों से यह जिज्ञासाए की जाती रही है कि विकलांग व्यक्तियों को तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को सेवाओं में भर्ती हेतु निर्धारित आयु सीमा में छूट अनुमन्य है या नहीं इस सबंधं में शासन द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया है :—

1— स्वतंत्रता संग्राम सेनानियो के आश्रितों को राज्यधीन सेवाओं /पदो में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतमृ आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

2— अक्षम/विकलांग व्यक्तियों को राज्याधीन सेवाओं में समूह क तथा ख की सेवाओं में सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तथा समूह ग तथा घ की सेवाओं में सीधी भर्ती में अधिकतम् आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जायगी।

भवदीय
ह0
(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठाकन संख्या 1244/XXX(2)/2005तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— सचित श्री राज्यपाल उत्तरांचल।
2— सचित विधान सभा उत्तरांचल।
3— सचिव लोक सेवा आयोग उत्तरांचल हरिद्वार।
5— सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से
ह0
(आर0सी0लोहनी)
संयुक्त सचिव।

संख्या 1178/कार्मिक -2/2005

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1--अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।
2--समस्त प्रमुख सचिव /सचिव,
उत्तरांचल शासन।
3-- मण्डलायुक्त,
गढवाल /कुमायू (पौडी/नैनीताल)
उत्तरांचल।

देहरादून दिनांक 30मई ,2005

कार्मिक अनुभाग--2

विषय-- आपराधिक मामलों में दण्डित कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासन के समक्ष समय--समय पर यह शंका प्रकट की जाती है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारीद दाण्डिक न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया जाता है और वह इस दोषसिद्ध के विरूद्ध अपील करता है तब अपील पर फैसला होने से पूर्व अपी लम्बित रहने की स्थिति में अथवा अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील लम्बित रहने के दौरान दोषसि0 पर आधारित दण्डादेश स्थगित कर दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारी जमानत पर छूट जाता है तब क्या ऐसी स्थिति में अपील पर निर्णय होने से पूर्व ऐसे कर्मचारी को सेवा में पदच्युत अथवा हटाया जाना उचित विधिपूर्ण होगा।

2-- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जब किसी सरकारी कर्मचारी को दण्डिक न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जाता है तो अनुशासनिक प्राधिकारी के लिए यह दोषसिद्ध सरकारी कर्मचारी के दुराचरण का समुचित प्रमाण होता है । इसके उपरान्त उन्हे यह विनिश्चत करना होता है कि क्या ऐसे सरकारी कर्मचारी जिसके आचरण के कारण उसे आपराधिक मामलों में दोषसिद्ध किया गया है ,विभागीय स्तर पर उसे दण्डित किया जाय ? यदि हॉं तो कौन सा दण्ड अधिरोपित करना समीचीन होगा । इसका विनिश्चय करने के प्रयोजन हेतु अनुशासनिक प्राधिकारी ,दण्डिक न्यायालय के निर्णय का अवलोकन करेगें तथा उस मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करेगे। ऐसा विचार करते समय अनुशासनिक प्राधिकारी विभिन्न बातों पर, जैसे उस सरकारी कर्मचारी का सम्पूर्ण आचरण उसके द्वारा कारित अपराध जिसके लिए दोषसिद्ध की गई है तकनीकी या नगण्य प्राकृति का था ? तथा उस मामले की लघुकारी परिस्थितियॉं यदि कोई हो विचार करेगें और तदोपरान्त वह भारत का संविधान के अनुच्छेद 311(2) के द्वितीय परन्तुक के खण्ड (क) के अधीन सरकारी कर्मचारी को सुनवाई का अवसर दिये बगैर दण्डादेश कर सकते है।

3-- यदि दण्डिक न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर सरकारी कर्मचारी नेअपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की हो एवं अपीलीय न्यायालय में दण्डादेश का कार्यन्वयन स्थगित करते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जो तब भी ऐसे सरकारी कर्मचारी को दोषसिद्ध बनी रहती है , समाप्त नहीं होती है एवं उसकी दोषसिद्धि के आधार पर उसके विरूद्ध की गयी काई कार्यवाही सिर्फ इस कारण से दूषित नहीं हागी कि अपीलीय न्यायालय ने दण्डादेश का कियानवयन स्थागित कर दिया था।

4— अतः विधिक स्थिति यह है कि जब सरकारी कर्मचारी को दण्डिक न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि किया जाय तब रिवीजन या अपील में पारित होने वाले निर्णय की प्रतीक्षा किये बिना अथवा अपीली दायर होने की प्रतीक्षा किए बिना अथवा अपील लम्बित रहने के दौरान अपीलीय न्यायालय द्वारा दण्डादेश स्थगित किये जाने एवं ऐसे सरकारी कर्मचारी को जमानत पर रिहा करने के बावजूद भी ऐसे सरकारी कर्मचारियों को सेवा से पदच्युत अथवा हटाया जा सकता है। यदि अपीलीय न्यायालय दोषसिद्धि के निर्णय को अपास्त करके एसे सरकारी कर्मचारी को दोषमुक्त कर दे तब तद्नुसार विभागीय स्तर पर पारित दण्डादेश को भी अपास्त किया जाना होगा एवं सरकारी कर्मचारी, सेवा में बहाल होने पर सभी परिणामी सुविधाएं पाने का हकदार होगा। यदि अपील का निर्णय कर्मचारी के विरूद्ध होता है और दोषसिद्धि बनी रहती है तब ऐसी दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप अपील के लम्बित रहते हुए जो विभागीय दण्डादेश पारित किए गए हो, वह यथावत बने रहेंगें।

5— अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया आपराधिक मामलों में दण्डित कर्मचारियों के सम्बन्ध में उपर्युक्त विविधक स्थिति से कृपया अपने अधीनस्थ सभी अनुशासनिक प्राधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 1178(1)/कार्मिक–2/2005, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषितः—

1. मण्डलायुक्त कुमायूं/गढ़वाल।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग
5. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
संयुक्त सचिव।

संख्या : 1887/XXX(2)/2005

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः जुलाई–5, 2005

विषय : अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों को शीघ्रता से निस्तारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सदैव इस बात पर बल दिया जाता रहा है कि सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही का निस्तारण शीघ्रता से सुनिश्चित किया जाय। परन्तु प्रायः यह देखने में आया है कि सामान्यतयाः अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने व उसे पूरा करने मं तत्परता नहीं बरती जाती है। बहुत से मामलों में वर्षों पुरानी घटनाओं/आरोपों के आधार पर अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय ले लिया जाता है। कई मामलों में अनुशासनिक कायर्रुवाही प्रारम्भ करने के बाद लम्बे समय तक जांच कार्यवाही पूरी नहीं हो पाती है। विलम्ब साक्ष्य ही मिट जायें और दोषी सरकारी सेवक दण्ड पाने से बच पायें। यदि जांच करने का निर्णय ही देर में लिया जाय, तो इस बीच सरकारी सेवक को वेतन वृद्धि, स्थायीकरण, पदोन्नति जैसे लाभ मिल चुके होने के कारण अनुशासनिक कार्यवाही का कोई महत्व नहीं रह जाता है। जहां अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ होने के बाद लम्बे समय तक चलती है, वहां आरोपित सरकारी सेवक के पदोन्नति आदि के मामले लम्बे समय तक लम्बित रखने पड़ते हैं, जिससे उनमें कुण्ठा उत्पन्न होती है और कैडर मैनेजमेन्ट में समस्याएं उत्पन्न होती है। अतः आवश्यक है कि अनुशासनिक कार्यवाही समय से की जाय और निर्धारित समय सारणी के अनुसार उसे पूरा कर लिया जाय।

2-- यह भी देखने में आया है कि बहुत से मामलों में अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय अत्यन्त जल्दबाजी में या आवेश में आकर ले लिया जाता है और निर्धारित समय सीमा में आरोप पत्र तैयार नहीं हो पाता तथा इस बात की छानबीन होती रहती है कि जो आरोप हैं उनमें किन नियमों/आदेशों की अवहेलना/उल्लंघन निहित है तथ उसे सिद्ध करने के लिए आरोप पत्र में किन–किन साक्ष्यों का उल्लेख/समावेश किया जा सकता है। मामलों में अनुशासनिक कार्यवाही का निर्णय लेते समय इस बिन्दु पर विचार नहीं किया कि संज्ञान में आये हुए आरोप यदि सिद्ध हो जायेंगें तो उनकी गम्भीरता को देखते हुए कोई लघु शास्ति देना ही तो पर्याप्त नहीं होगा और अन्ततः सभी आरोप सिद्ध होने के बजाय परिनिन्दा प्रविष्टि जैसा लघु शास्ति दिये जाने का निर्णय होता है, जबकि के लिए आरोप पत्र मे किन--किन साक्ष्यों का उल्लेख/समावेश किया जा सकता है। मामलों में अनुशासनिक कार्यवाही का निर्णय लेते समय इस बिन्दु पर विचार नहीं किया कि संज्ञान में आये हुए आरोप यदि सिद्ध हो जायेंगें तो उनकी गम्भीरता को देखते हुए कोई लघु शास्ति देना ही तो पर्याप्त नहीं होगा और अन्ततः सभी आरोप सिद्ध होने के बजाय परिनिन्दा प्रविष्टि जैसा लघु शास्ति दिये जाने का निर्णय होता है, जबकि

नियमानुसार शास्ति देने के लिए आरोप पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही करना आवश्यक
नियमानुसार शास्ति देने के लिए आरोप पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही करना आवश्यक नहीं होता। सरकारी विभाग से जो जांच रिपोर्ट प्राप्त होती है, उसमें कई मामलों में लघु शास्ति देने की संस्तुति की जाती है, उनमें भी अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। ऐसे मामलें जहां लघु शास्ति दिया जाना है, वहां अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने में अत्यधिक समय नष्ट होता है, और सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर जो शास्ति समय के अन्तर्गत दी जा सकती है, उसमें विभागीय कार्यवाहीं कर उस शस्ति को वर्षो बाद देने से शस्ति लगभग प्रभावहीन हो जाती है और लघु शास्ति के पीछे जो सुधारात्मक दृष्टिकोण निहित होता है ,वह भी पूरा नहीं हो पाता है।

3. उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अनुशासनिक कार्यवाही का निस्तारण शीघ्रता से सुनिश्चित करने तथा अनुशासनिक कार्यवाही की समय सारिणी को अधिक प्रभावकारी और व्यवहारिक बनाने के उददेश्य से शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये है :–

(1)प्रत्यके दशा में यथासम्भव निलम्बन आरोप पत्र बनाने के बाद ही किया जाय और जब भी किसी अधिकारी द्वारा किसी सरकारी सेवक (कर्मचारी /अधिकारी)के विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जाय तो ऐसे प्रस्ताव के साथ उनके द्वारा पत्र तैयार कर अवश्य प्रेषित किया जाय।

(2) नियंत्रक अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि अपचारी सरकारी सेवक को प्रशासकीय कार्यो में इस सीमा तक न लगाये रखें कि उसे यह कहने का मौका मिले कि वह अपने प्रशासकीय/शासकीय कार्य में व्यस्त होने के कारण समय से उत्तर नहीं दे सका। यदि जांच पूर्व नियुक्ति के स्थान से संबंधित है तो अपचारी सरकारी सेवक को उस स्थान पर जाने की अनुमति दे दी जाय , जहां उसे अभिलेख आदि देखने हों।

(3) निलम्बन एवं अनुशासनिक कार्यवाही का प्रस्ताव भेजने से पूर्व आरोप पत्र के साथ अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्यों का उल्लेख स्पष्ट रूप से कर दिया जाय और अभिलेखीय साक्ष्यो की प्रतियां भी सलग्न कर भेजी जायें।

(4) किसी सरकारी सेवक के निलम्बन का प्रस्ताव /रिर्पोट भेजने वाले अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे उन आरोपों से संबंधित सभी अभिलेख अपने पास रखें जिनके आधार पर उन्होनें निलम्बन का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किया है, ताकि जांच अधिकारी व अपचारी सरकारी सेवक को समय से वांछित अभिलेख उपलब्ध कराये जा सकें। यदि वे अभिलेख किसी अन्य मामलें में वांछित हो, तो साक्ष्य के लिये ऐसे अभिलेखों की फोटो प्रतियां बनाकर प्रस्ताव करने वाले अधिकारी द्वारा अपने पास रख ली जाय।

(5) समस्त कार्यालयों/अधिष्ठानों की मासिक समीक्षा हेतु आयोजित बैठकों में विभगीय कार्यवाहियों की समीक्षा भी की जाय। यह समीक्षा जिला स्तर, मण्डल स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर तथा शासन स्तर पर की जाय।

सामान्यतः बहुत पुरानी घटनाओं, जब तक कि उनमें कोई गम्भीर दुराचरण या शासन को आर्थिक क्षति का मामला निहित न हो, के संबंध में अनुशासनिक कार्यवाही/जांच प्रारम्भ न की जाये।

किसी सरकारी सेवक के विरूद्ध आरोप संज्ञान में आने पर, शास्ति देने के लिये प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि क्या आरोपों के सिद्ध होने पर भी मात्र लघु शास्ति दिया जाना ही पर्याप्त होगा? यदि हां तो आरोप पत्र पत्र जारी कर अनुशासनिक कार्यवाही का निर्णय लिये जाने के बजाय, यदि आवश्यक हो तो संबंधित सरकारी सेवक का स्पष्टीकरण लेकर, निम्नलिखित प्रकिया अपनाई जाय :–

(क) यदि परिनिन्दा प्रविष्टि या वृद्धि का औचित्य पाया जाय तो शास्ति देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आरोपों व उन्हें सिद्ध करने वाले साक्ष्यों आदि का उल्लेख करते हुए सीधे ही दो सप्ताह के भीतर शास्ति आदेश जारी कर दिया जाय।

(ख) यदि उपरोक्त के अतिरिक्त कोई अन्य लघु शास्ति (डिसमिसल, रिमूवल, प्रत्यावर्तन, जो वृहत् दण्ड है, को छोड़कर) देने का औचित्य हो, तो अधिकतम तीन सप्ताह का समय देते हुए आरोपित सरकारी सेवक का स्पष्टीकरण मांगा जाय तथा स्पष्टीकरण प्राप्त होने या स्पष्टीकरण देन की अवधि बीतने के दो सप्ताह के भीतर शास्ति आदेश पारित कर दिया जाय।

(1) जहां नियुक्ति प्राधिकारी का आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए यह विचार हो कि यदि आरोप सिद्ध हो जायेंगे तो वृहद् शास्ति देने का औचित्य होगा, तो दो सप्ताह के भीतर आरोप पत्र जारी कर दिये जाये।

(2) प्रत्येक दशा में यथा सम्भव, निलम्बन आरोप पत्र बनाने के बाद ही किया जाय और जब भी किसी अधिकारी द्वारा किसी सरकारी सेवक (कर्मचारी/अधिकारी) के विरूद्ध ऐसी कार्यवाही प्रस्तावित की जाय, तो ऐसे प्रस्ताव के साथ उनके द्वारा आरोप पत्र तैयार कर अवश्य प्रेषित किया जाय।

(3) आरोप पत्र में आरोपित सरकारी सेवक से एक माह के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाय तथा अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में स्पष्टीकरण के लिए अनधिक एक माह का और समय दिये जाने पर विचार कर लिया जाय परन्तु इस हेतु किसी भी दशा में दो माह से अधिक समय न दिया जाय। उक्त अवधि में स्पष्टीकरण दे सकने के लिए उसे पर्याप्त अवसर देने के उद्देश्य से सभी संगत अभिलेख आदि आरोप पत्र के साथ ही संलग्न कर उपलब्ध करा दिये जायें। फिर भी यदि किसी अन्य अभिलेख को देखने की अनुमति देना आवश्यक हो तो उन्हें तत्काल अवलोकित करा दिया जाय औरयदि वे उसकी तैनाती से भिन्न स्थान पर उपलब्ध हो तो उसके लिए उसे दो सप्ताह के लिए उस स्थान पर जाने की अनुमति दे दी जाय, जहां अभिलेख उपलब्ध हो।

(4) आरोपी सरकारी सेवक का स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद अधिकतम तीन माह के भीतर जांच अधिकारी द्वारा जांच की कार्यवाही, जिसमें गवाहों का परीक्षण प्रतिपरीक्षण भी शामिल है, पूरी कर ली जाय। इस अवधि में जांच पूरी करने के उद्देश्य से यह सुनिश्चित किया जाय कि जांच से संबंधित स्थान अधिकारी को ही सामान्यतया जांच अधिकारी नियुक्त किया जाय। जहां यह सम्भव न हो वहां उस स्थान से निकटतम स्थान पर तैनात अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया जाय। जांच अधिकारी वैयक्तिक नाम के बजाय केवल पदनाम से नियुक्त किया जाय, ताकि उनके स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति आदि के अवसर पर नये जांच अधिकारी की नियुक्ति की आवश्यकता न हो।

(5) यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वयं जांच सम्पन्न न की गयी हो तो :-

(क) जांच अधिकारी द्वारा जांच समापत होने के दो सप्ताह के भीतर अपनी जांच आख्या नियुक्ति प्राधिकारी अनुशासनिक अधिकारी को प्रस्तुत कर दी जाय।

(ख) जहां सेवा से पदच्युत, सेवा से हटाना किसी निम्नतर पद या श्रेणी या समय वेतनमान या किसी समय वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति करना या संचयी प्रभाव के साथ वेतनवृद्धि रोकना में से कोई दीर्घ शास्ति प्रस्तावित हो, तो जांच आख्या रिपोर्ट की प्रतिलिपि एवं उस पर अनुशासनिक अधिकारी के अभिलिखित निष्कर्षों की प्रति आरोपित सरकारी सेवक को उपलब्ध कराते हुए आरोपित सरकारी सेवक से यह अपेक्षा की जाय कि वे इस पर अपना प्रत्यावेदन यदि देना चाहें, दो सप्ताह के भीतर अनुशासनिक अधिकारी को उपलब्ध करा दें।

(6) आरोपित सरकारी सेवक का अभ्यावेदन प्राप्त होने या अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित अवधि बीतने, जैसी भी स्थिति हो, के पश्चात अगले दो सप्ताह के भीतर अनुशासनिक अधिकारी द्वारा समुचित शास्ति आदेश जारी कर दिया जाये। यदि उक्त सरकारी सेवक की नियुक्ति उस अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी हो जो उसे दण्ड देते समय संबंधित पद के नियुक्ति प्राधिकारी से उच्च स्तर के हों, तो वृहद् शास्ति के आदेश उस अधिकारी द्वारा ही जारी किये जाय जिससे उस सेवक को वास्तव में तत्समय नियुक्ति प्रदान की थी।

(7) उपरोक्त प्रकिया के अनुसार जांच आख्या एवं उस पर अनुशासनिक अधिकारी के अभिलिखत निष्कर्षों की प्रति दिये जाने के अलावा कोई अन्य शो–काज नोटिस दिय जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संविधान के 42 वें संशोधन के परिणामस्वरूप अब सेकेंड अपरारच्युनिटी दिये जाने की व्यवस्था समाप्त हो गयी है।

(8) जहां कोई शास्ति दिये जाने के लिए लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक हो, वहां शास्ति आदेश पारित करने के पूर्व लोक सेवा आयोग को संदर्भ किया जाये और उनसे अधिकततम 06 सप्ताह के भीतर परामर्श प्राप्त किया जायें तथा परामर्श प्राप्त होने के पश्चात दो सप्ताह के भीतर शास्ति आदेश पारित कर दिया जाये।

(9) प्रत्येक विभाग में उपरोक्त समय–सारिणी को कड़ाई से लागू करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाये जो अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करेगा कि अनुशासनिक कार्यवाही के लिए निर्धारित समय–सारिणी का पालन किया जा रहा ह अथवा नहीं। समय–सारिणी का पालन न करने वाले अधिकारी के विरूद्ध विभागाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक माह सचिव स्तर पर आख्या प्रस्तुत की जायेगी और जिन प्रकरणों में विलम्ब दृष्टिगोचर हो, उसकी आख्या मुख्य सचिव स्तर पर भेजी जायेगी। प्रत्येक अनुशासनिक कार्यवाही का अनुश्रवण किया जायेगा जो कार्यवाहियां समय पर नहीं हो पायेंगी उसकी सूचना विभागाध्यक्ष, विभागों के सचिव व मुख्य सचिव स्तर पर उपलब्ध कराई जायेगी ताकि अनुश्रवण किया जा सके। सभी सचिव एवं विभागाध्यक्ष स्तर पर होने वाले मासिक बैठकों में भी अनुशासनिक कार्यवाही के निस्तारण में होने वाले विलम्ब के संबंध में विचार–विमर्श किया जाये और एक अभियान चलाकर सभी लम्बित अनुशासनिक कार्यवाहियों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाय।

10– अनुरोध है कि उपरोक्त निर्णयों से, अनुशसनिक कायर्यवाही से सम्बद्ध समस्त अधिकारियों को कृपया अवगत करा दें और यह निर्देश दे दें कि संदर्भगत समय सारिणी/उपरोक्त निर्णयों का सभी स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

भवदीय,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 1887(1)XXX(2)/2005, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. मण्डलायुक्त कुमायूं/गढ़वाल।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

भवदीय,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या 3806/XXX(2)/2005

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1-- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तरांचल शासन।
2-- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उत्तरांचल।
3-- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग--2

देहरादून दिनांक 12 दिसमबर 2005

विषय-- सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिए विज्ञापनों के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे कहने का निदेश हुआ है कि प्रायः यह देखने में आया है कि समय--समय पर विभिन्न विभागों द्वारा लोक सेवाआयोग को परिधि के बाहर के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किये गये है जिसमें आवेदन पत्र मंगने के लिए रिक्तियों की संख्या आरक्षि रिक्तियों की संख्या शैक्षिक योग्यता,आयु सीमा में छूट ,चयन की प्रकिया तथा पाठय विवरण के समबन्ध में विस्तृत उल्लेख नहीं होता है जिसके कारण आवेदकों की स्थिति स्पष्ट नही हो पाती है जबकि विज्ञापनों में सभी सूचनाऐं सुस्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए समय--समय पर प्रकाशित विज्ञापनों में अंकित त्रुटियों के आधार पर समयक विचारोपरान्त निम्नलिखित दिशानिर्देश निर्गत किये जा रहे है :--

(1) विज्ञापन में कुल रिक्त पदों की संख्या दी जाती है परन्तु अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या का उल्लेख किया जाता है इसी प्रकार निःशक्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित पदों पर सीधी भर्ती में दृष्टिवाधिता ,श्रवण ह्रास ,चलन किया, तथा प्रमस्तकी अंगधात प्रत्येक के लिए एक--एक प्रतिशत कुल तीन प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के आधार पर किस --किस प्रकार को निःशक्तता के लिए कितने पद आरक्षित है इसका उल्लेख भी विज्ञापन में नहीं किया जाता है जबकि रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित करते समय कुल रिक्त पदों की संख्या रिक्त पदों में रोस्टर कमांक के अनुसार अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,अन्य पिछडा वर्ग के लिए आरक्षित पदों एवम् अनारक्षित पदों की संख्या पृथक--पृथक अंकित की जानी चाहिए जिसे आरक्षित पदों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट रहे इसी प्रकार निःशक्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित पदों पर सीधी भर्ती में क्षैतिज आरक्षण के रूप में प्रत्येक प्रकार की निःशक्ता के लिए कितने पद आरक्षित है इसका उल्लेख भी विज्ञापन में स्पष्ट रूप से किया जाना आवश्यक है।

(2) प्रायः विज्ञापनों में यह भी देखने में आया है कि जिन वर्गो को अकिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है उनके संबंध में यह अंकित कर दिया जाता है "समय--समय पर राज्य सरकार द्वारा जितनी छूट आयु सीमा में विनिर्दिष्ट की जाय इससे आवेदक को यह स्पष्ट नहीं होता है कि किस आयु सीमा तक उसे छुट पाप्त होगी जबकि नियमानुसार अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछडी जाति वर्ग के अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट तथा

निःशक्त व्यक्तियों के समूह "क" एवं "ध" के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है अतः विज्ञापन श्रेणीवार /वर्गवार आयुसीमा में अधिकतक छूट को अंकित किया जाना चाहिए।

(3) सेवा नियमावलियों में सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु शैक्षिक योग्यता एवं अन्य योग्यताओं का उ ल्लेख रहता है तथा कतिपय सेवा नियमावलियों में अधिमानी योग्यता भी अंकित होती है विज्ञापनों में अधिमानी योग्यताओं का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

(4) तकनीकि पदों यथा कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता आदि के पदों के लिए सीधी भर्ती के चयन में अप्रेटिसों को अन्य बातें समान होने पर चयन में वरीयता प्रदान करने व रोजगार कार्यालय में पंजीकरण से छूट प्रदान की गई है इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या -736/कार्मिक -2/2003,3 जून 2003 द्वारा यह भी अनुरोध किया गया था कि सम्बन्धित सेवा नियमावलियों में तदनुसार आवश्यक संशोधन कर लिया जाय। जिन पदों के लिए अप्रेटिस द्वारा भी आवेदन किया जाना है उनके विज्ञापन में अप्रेटिसों को वरीयता प्रदान करने के सम्बन्ध में व रोजगार कार्यालय में पंजीकरण की छूट के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

(5) अतः आपसे अनुरोध है कि लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु आवेदन पत्र मंगाने के लिए उपरोक्त निर्देशों के अनुसार विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

ह0
(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख, सचिव।

संख्या 3806/XXX(2)/2005तददिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मण्डलायुक्त कुमॉयू/गढ़वाल नैनीता/पोडी।
2– सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

ह0
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव।

संख्या 06/XXX(2)/2006

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तरांचल शासन।

2– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादून दिनांक 12 जनवरी 2006

विषय– विभिन्न विभागो के अन्तर्गत "ध" के कर्मचारियों के समूह "ग" में पदोन्नति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न विभागो के अन्तर्गत समूह "घ" के कर्मचरियों की समूह "ग" के 25% (15% हाईस्कूल उत्तीर्ण एवं 10% इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण) पदों पर पदोन्नति किये जाने हेतु व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत श्रेणी "घ" के पात्र कर्मचारी को संगत सेवानियमावली में निर्धारित परीक्षा के उपरान्त चयनित होने पर पदोन्नत किया जाता है। इस बीच कतिपय समूह –"घ" के कर्मचारी संघों द्वारा उक्त व्यवस्था को मा0उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए यह अनुतोष मांगा है कि श्रेणी "घ" से श्रेणी "ग" के पदों पर उनकी पदोन्नति उत्तरांचल सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली 2004 के प्राविधानों के अनुसार की जाय। ऐसी रिट याचिकाओं में विभागों द्वारा प्रतिशपथ–पत्र दाखिल करने से पूर्व कार्मिक विभाग का परामर्श प्राप्त नही किया गया, जिसके कारण मा0 उच्च न्यायालय में नियमों की वास्तविक स्थिति प्रस्तुत नहीं की जा सकी है। फलस्वरूप मा0 उच्च न्यायालय द्वारा कतिपय रिट याचिकाओं मे यह आदेश किये कि उत्तरांचल सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के मानदण्ड) नियमावली 2004 अध्यारोही प्रभाव की नियमावली है और इस आधार पर इस नियमावली के नियम 4 नियम 4 के प्राविधानों के अनुसार समूह "घ" से समूह "ग" के पद पर पदोन्नति अनुमुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता आधार पर की जाय।

2– समूह "ग" मे नियुक्तियों के लिए पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय (सीधी भर्ती) नियमावली 1985 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती रही है। इस नियमावली के नियम 6 में प्राविधान किया गया है कि किसी अधीनस्थ कार्यालय की 15 प्रतिशत रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हाईस्कूल उत्तीर्ण समूह "घ" के कर्मियों से समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार पदोन्नति की व्यवस्था उपरोक्त नियमावली के नियम 6 के परन्तुक में दी गई व्यवस्था के अनुसार दी जाती है । उत्तरांचल सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती मानदण्ड) नियमावली 2004 समूह "घ" के समूह "ग" में पदोन्नति के मामले में लागू नही है। इस नियमावली के नियम 1 (3) में यह प्राविधान है कि यह नियमावली के नियम 1(3) में यह प्राविधान है कि यह नियमावली किसी पद या सेवा में जिसके लिए समय–समय पर यथा संशोधित उत्तरांचल लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम 2003 का विनियम 6 पदोन्नतियों के संबंध में है जिसमें कहा गया है कि पदोन्नतियां करने पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों

की उपयुक्त के संबंध में निम्नांकित मामलों में आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा। अर्थात–

(क) समूह "ग" के उन पदों पर जिनकी सीधी भर्ती आयोग के माध्यम से नहीं की जाती है , पदोन्नतियां करने में या एक अराजपत्रित पद से दूसरे अराजपत्रित पद पर पदोन्नतियां करने में,

(ख)समूह "ग" के पदों से समूह "ख" के पदों पर या एक राजपत्रित पद से दूसरे राजपत्रित पद पर जहां भर्ती का एक मात्र स्रोत पदोन्नति हो पदोन्नतियॉ करने में विनियम 6 से स्पष्ट कि समूह "घ" से समूह "ग" में पदोन्नति के मामले विनियम 6 से आच्छादित नही होते है और इस कारण से उत्तरांचल सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली 2004 के प्राविधान समूह "घ" से समूह "ग" में पदोन्नति के मामले में लागू नहीं होगे।

3– उक्त नियमावली के नियम 4 में प्राविधान किया गया है कि पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड विभागाध्यक्ष के पद पर विभागाध्यक्ष से ठीक एक पंक्ति नीचे के पद पर और किसी सेवा के ऐसे पद जिसके वेतनमान का अधिकतक रू0 18300 या इससे अधिक हो, पदोन्नति द्वारा भर्ती " योग्यता " के आधार पर की जायेगी और सभी सेवाओं के पदोन्नति से भरे जाने वाले शेष पदों पर जिनमें ऐसा पद भी सम्मिलित है जहां पदोन्नति किसी अराजपत्रित पद से किसी राजपत्रित पद पर या एक सेवा से दूसरी सेवा में की जाय, पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी। समूह "घ" के पर कोई सेवा नही है और समूह "ग" लिपिक वर्गीय पद भी कोई सेवा नही है । ऐसी दशा में समूह "घ" से समूह "ग" में पदोन्नति हेतु नियम 4 से आच्छादित नही होता है । इसके अतिरिक्त यह पदोन्नति किसी अराजपत्रित पद से राजपतित्रत पद पर या एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति नहीं है।

4– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समूह "घ" से समूह"ग;" के लिपिक वर्गीय पदों पर पदोन्नति के मानदण्ड को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं में प्रतिशपथ पत्र उपरोक्तानुसार नियमों की स्थिति स्पष्ट करते हुए दाखिल किये जायं और उनका प्रभावी रूप से प्रतिवाद किया जाय। जहां प्रतिशपथ पत्र लगाया जा चुका है वहां पूरक शपथ पत्र लगा कर नियमों की सही वस्तु स्थिति मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाय। जिन मामलों में मा0 उच्च न्यायाल य में निर्णय हो गया है उनमें यथा आवश्यकता विशेष अपील/विशेष अनुज्ञा याचिका उपरोक्त स्पष्टीकरण के आलोक में दाखित करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय
ह0
(नुप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 06/तीस–(2)/2005 तददिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– आयुक्त गढ़वाल /कुमाऊ मण्डल ।
2– समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।
3– सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव।

संख्या 87/XXX(2)/2006

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तरांचल शासन।
2— समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उत्तरांचल।
3— समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

देहरादून दिनांक 21 जनवरी 2006

कार्मिक अनुभाग--2

विषय— राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती /पदोन्नति में आरक्षण के लिए पद आधारित रोस्टर लागू किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों में अनुसूचित जाति 19 प्रतिशत ,अनुसूचित जनजाति को 4 प्रतिशत,तथा अन्य पिछडा वर्ग को 14 प्रतिशत तथा पदोन्नति में अनुसूचित जाति को 19 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति को 04 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य कराया गया है।

2— आरक्षण नीति को लागू करने के लिए शासनादेश संख्या 1454/कार्मिक—2/2001 दिनांक 31 अगस्त 2001 तथा शासनादेश संख्या 1455/कार्मिक—2/2001 दिनांक 31 अगस्त 2001 द्वारा रोस्टर का निर्धारण किया गया है तथा शासनोदश संख्या 1168/कार्मिक—2/2003 दिनांक 14 अगस्त 2003 एवं शासनादेश संख्या 269/कार्मिक—2/2004 दिनांक 17 फरवरी2004 द्वारा रोस्टर रजिस्टर तैयार किये जोने के निर्देशदिये गये है। कार्यालय ज्ञाप संख्या 1801/कार्मिक—2/2002 दिनांक 23 जून 2003 में कतिपय निर्देश दिये गये है।

3— कतिपय मामलों में परीक्षण के समय यह तथ्य संज्ञान में आये है कि रोस्टर का रजिस्टर संवर्ग में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर तैयार किया जा रहा है और उसी के अनुसार भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए रोस्टर की गणना की जा रही है। राज्याधीन सेवाओं में रोस्टर के निर्धारण के सम्बन्ध में आर0के0 सब्रवाल व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में (साइटेशन) में दिनांक 10.2.1995 को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि सेवाओं में आरक्षण का रोस्टर प्रत्येक संवर्ग में पद आधारित होना चाहिए न कि रिक्ति आधारित। यह स्पष्ट किया गया है कि आरक्षण कोटा जिस वर्ग हेतु जितना निर्धारित है रोस्टर के द्वारा उसे पूर्ण करना चाहिए तथा उस वर्ग के लिए निर्धारित प्रतिशत से अधिक पद आरक्षित नहीं होने चाहिए । प्रत्येक आरक्षित वर्ग के लिए एक बार वांछित आरक्षण का प्रतिशत प्रापत हो जाने पर रोस्टर का प्रयोग बन्द कर देना चाहिए। तदोपरान्त जिस वर्ग का व्यक्ति संवर्ग प्रकम से हटता है और स्थान रिक्त करता है उ स वर्ग के व्यक्ति से सीधी भर्ती /पदोन्नति जैसी भी स्थिति हो पद भर लेना चाहिए । रोस्टर केवल विभिन्न वर्गो को उनके लिए आरक्षित कोटा भरने में मदद करने के लिए है न कि वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए।

4– शासनादेश संख्या1454/कार्मिक–2/2001 दिनांक 31 अगस्त 2001 व शासनादेश संख्या 1455/कार्मिक–2/2001 दिनांक 31 अगस्त 2001 द्वारा सीधी भर्ती व पदोन्नति के लिए रोस्टर जारी किये गये है। इन रोस्टरों का उपयोग आरक्षित वर्गो का प्रतिनिधित्व निर्धारित प्रतिशत तक प्राप्त करने के लिए किया जायेगा। रोस्टर का उपयोग तब तक ही किया जायेगा जब तक आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व निर्धारित प्रतिशत तक प्राप्त न हो परन्तु यह भी ध्यान रखा जायेगा कि आरक्षित वर्गो का सकल प्रतिनिधित्व 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

5– मा0सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार पद आधारित रोस्टर हेतु राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती /पदोन्नति में आरक्षण के लिए रोस्टर लागू किये जाने हेतु निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किये जा रहे है।

(क) सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए पृथक पृथक रोस्टर हागां रोस्टर गठित करने के दो आधारभूत सिद्धान्त है कि सम्बन्धित आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व निर्धारित प्रतिशत तक हो तथा सकल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक न हो किसी वर्ग के लिए आरक्षण पूर्ण होने पर रोस्टर आगे नही चलाया जायेगा। परन्तु यदि अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति ज्येष्ठताक्रम में आने पर अनारक्षित वर्ग के पद पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के पदोन्नति अनुपयुक्त को छोडते हुए ज्योष्ठता के सिद्धान्त से की गयी हो तो उसकी गणना आरक्षित वर्ग के पद के विरूद्ध की जायेगी।

(ख) संवर्गो में सभी पद पद–आधारित रोस्टर के अनुरूप रखे जायेगें। प्रारम्भिक स्तर पर इन पदों के विरूद्ध संबंधित वर्ग , जिसके लिए पद चिन्हांकित है के अनुसार भर्ती की जायेगी तथा प्रारम्भिक रूप से भरे पदों का बाद में प्रतिस्थापन रोस्टर के अगले बिन्दु पर जिस वर्ग के लिए पद चिन्हांकित है, किया जायेगा। परन्तु यह ध्यान रखा जायेगा कि अगला विन्दु जिस वर्ग के लिए चिन्हांकित है, उस वर्ग का यदि प्रतिनिधित्व पूरा हो चुका है तब अगले विन्दु को छोड दिया जायेगा और उसके आगे का विन्दु जिस वर्ग के लिए आरक्षित है उसके अनुसार भर्ती की जायेगी।

(ग) रोस्टर प्रारम्भ करते समय विभिन्न वर्गो का वास्तविक प्रतिनिधित्व संवर्ग प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा। रोस्टर प्रारम्भ करते समय जिस वर्ग का व्यक्ति संवर्ग प्रक्रम पर है उसे रोस्टर के संबंधित विन्दु पर रोस्टर के प्रारम्भ की और से रखा जायेगा। रोस्टर प्रारम्भ करते समय संवर्ग प्रक्रम पर कार्यरत व्यक्तियों को रोस्टर बिन्दुओं पर रखने में अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछडी वर्ग का कोई व्यक्ति जो श्रेष्ठता/मैरिट के आधार पर सीधे भर्ती हुआ है की गणना अनारक्षित वर्ग में की जायेगी।

(घ) उपरोक्तानुसार समायोजन करने के बाद विभिन्न वर्गो के प्रतिनिधित्व के प्रतिशत की गणना की जायेगी । इसके उपरान्त ही पता चल पायेगा कि किस संवर्ग (काडर) में किस वर्ग की संख्या कम है अथवा अधिक है । अगर किसी आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व उनके लिए निर्धारितद प्रतिशत से अधिक है तो उसे भविष्य में समायोजित किया जायेगा।

(च) सीधी भर्ती पर अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसी भर्ती वर्ष में रिक्तियों की वास्तविक संख्या अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के पद आधारित रोस्टर में रिक्त रहे बिन्दुओं के बराबर होगी।

(छ) सामान्यतः किसी संवर्ग में पदों की संख्या निर्धारित होती है ऐसे संवर्ग में रोस्टर तैयार करते समय संबंधित सेवा नियमों में उस पद पर की जाने वाली भर्ती के स्रोत को ध्यान में रखा जाय, उदाहरण के लिए यदि किसी संवर्ग में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 200 है जिसमें सीधी भर्ती और पदोन्नति का कोटा 50–50 निर्धारित है तो वहॉं सीधी भर्ती के लिए रोस्टर 100 पदों के लिए तथा पदोन्नति के लिए रोस्टर 100 पदों के लिए निर्धारित किया जायेगा।

(ज) विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित आरक्षण रोस्टर द्वारा पूर्ण कर लेने के पश्चात् सेवानिवृत्ति या अन्य प्रकार से रिक्त होने वाले पदों पर जिस वर्ग के व्यक्ति द्वारा वह पद रिक्त किया गया है उसी वर्ग के व्यक्ति द्वारा पद रिक्त किया गया है तो सम्बन्धित आरक्षित वर्ग

के व्यक्ति द्वारा पद रिक्त किया गया है तो सम्बन्धित आरक्षित वर्ग के व्यक्ति से ही पद भरा जायेगा। सभी संवर्गों में कार्यवाही (ख) के अनुसार की जायेगी।

(झ) किसी भी संवर्ग या प्रक्रम में सिर्फ एक ही पद हो तो सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति के उस प्रक्रम पर एकल पद पर आरक्षण नहीं होगा। चक्रानुक्रम में भी आरक्षण नहीं किया जा सकेगा।

(ट) महिलाओं भूतपूर्व सैनिक विकलांग तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के क्षैतिज आरक्षण निर्धारित प्रतिशतों में अनुमन्य है। क्षैतिज आरक्षण के अनुसार महिलाओं ,भूतपूर्व सैनिकों , विकलांगों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए सामान्य व प्रत्येक आरक्षित वर्ग में पदों की संख्या की गणना कर लेनी चाहिए विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण की सुविधा उनके लिए चिन्हित पदों के विरूद्ध चयन में ही अनुमन्य है।

(ट) नियुक्ति /प्रदोन्नति के तत्काल बाद सम्बन्धित प्रविष्टि रोस्टर में अंकित की जायेगी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगी।

6– यह आदेश तुरन्त प्रभावी होंगे परन्तु जिन मामले में चयन प्रकिया पूर्ण हो चुकी हो वह अप्रभावित रहेगी और बाद में ऐसे मामलों में समायोजन कर लिया जायेगा।

7– अतः आपसे अनुरोध है कि कृपाया अपने विभाग के नियत्रणाधीन विभिन्न सेवा संवर्गों में रोस्टर रजिस्टर तैयार किये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करे।

भवदीय,
ह0

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 429/ .वावन–.....33, 98

प्रेषक,

श्री कृष्ण
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–4 लखनऊ दिनांक 31 अक्तूबर, 1998

विषय– अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–2015/चालीस–2–94–14 (5) 91 दिनांक 7 अक्तूबर, 1994 द्वारा चिन्हित अल्पसंख्यकों–मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा पारसी को अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए संलग्न प्रपत्र में अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष जि[illegible] /सिटी मजिस्ट्रेट / तहसीलदार, जिस [illegible] जन्मा हो को अधिकृत करते हैं। यह प्रमाण पत्र किसी अन्य वेतनभोगी मजिस्ट्रेट , जो संबंधित जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत हो अथवा संबंधित जनपद के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा भी प्रदान किया जा सकता है।

धवत प्रपत्र पर जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अनुमन्य लाभों/ आरक्षण से संबंधित अभ्यर्थी को लाभांवित किया जाए।

शासन के उपरोक्त निर्णयों से सभी संबंधित अधिकारियों को कृपया अवगत कराना सुनिश्चित करें, ताकि संबंधित अल्पसंख्यकों को इस संबंध में कोई असुविधा न हो।

संलग्न– उपर्युक्त

भवदीय
(श्रीकृष्ण)
सचिव

संख्या– 429(1). वावन–4–98 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय लखनऊ
2– प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लखनऊ
3– प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम, लखनऊ
4– सर्वे कमीश्नर, वक्फ उ0प्र0 लखनऊ
5– सचिव, अल्पसंख्यक आयोग, उ0प्र0लखनऊ
6– नियंत्रक शिया/सुन्नी वक्फ बोर्ड उ0प्र0 लखनऊ
7– अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग 1/2/3

आज्ञा से
(अरविन्द विक्रम सिंह)
विशेष कार्याधिकारी

अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती...
पुत्र/पुत्री/पत्नी...निवासी...
ग्राम/तहसील/नगर.......................................जनपद..उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं तथा राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग--2 की अधिसूचना संख्या--2015 चालीस --2--94--14 (5)/91 दिनांक 07 अक्तूबर 1994 के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के हैं।

श्री/श्रीमती..........................सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं।

स्थान हस्ताक्षर
दिनांक
मोहर पूरा नाम
पदनाम

(शासनादेश सं0--429/बावन--4--98--33/98 दिनांक 31 अक्तूबर, 1998 में इंगित सक्षम अधिकारी में से एक)

संख्या--3323 / स0क0 / 2003--387(समाज कल्याण) / 2003

प्रेषक,

एस0के0मुट्टू,
सचिव,
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

समाज कल्याण अनुभाग देहरादून: दिनांक : 16 दिसंबर, 2003

विषय-- एक राज्य से दूसरे राज्य में रोजगार अथवा शिक्षा हेतु विस्थापित होने के फलस्वरूप जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के संज्ञान में आया है कि वे व्यक्ति जो रोजगार अथवा शिक्षा हेतु किसी अन्य राज्य से उत्तरांचल में विस्थापित हुए हैं, उनके पुत्र / पुत्रियों को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, जिससे वे शिक्षा व रोजगार हेतु उक्त जातियों को प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित हो रहे हैं।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय के शासनादेश संख्या-- B C- 16014/I /82-SC& BCD-1 दिनांक 6 अगस्त 1984 में यह व्यवस्था दी गई है कि रोजगार अथवा शिक्षा हेतु एक राज्य से दूसरे राज्य में विस्थापित होने पर व्यक्ति का अनुसूचित जाति / जनजाति का दर्जा समाप्त नहीं होगा, किन्तु उक्त जाति विशेष का लाभ उसे उसके पैतृक राज्य में ही प्राप्त होगा न कि विस्थापित होने के फलस्वरूप अंगीकृत राज्य में। उपरोक्त शासनादेश दिनांक 6 अगस्त 1984 के साथ संलग्न जाति प्रमाण पत्र के प्रारूप में उल्लेख है कि पिता / माता को जारी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर उनके बच्चों को भी जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार के शासनादेश दिनांक 6 अगस्त, 1984 में निहित प्राविधानों के अनुसार पिता / माता को जारी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर उनके बच्चों को भी नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र निर्गत करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(एस0के0मुट्टू)
सचिव

संख्या: 3323(1) / स0क0 / 2003 तद्दिनांक
प्रतिलिपि-- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-- आयुक्त गढ़वाल / कुमायूं मंडल, पौड़ी / कुमायूं
2--निदेशक, समाज कल्याण, उत्तरांचल हल्द्वानी (नैनीताल)
3-- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(विनोद चंद्र रावत)
अपर सचिव

संख्या–28 मु0स0/विसंका/36(2)/2005

प्रेषक,

यू0सी0ध्यानी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन,

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन,
आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमायूं मण्डल
समस्त विभागाध्यक्ष/जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग — दिनांकः देहरादून 28 जुलाई, 2005

विषयः— प्रशासन तथा सांसदों और राज्यों के विधान मंडलों के सदस्यों क बीच सरकारी काम–काज की उचित कार्य–विधि के अनुपालन के संबंध में अनुदेश—सार्वजनिक समारोहों में आमन्त्रण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के पत्र संख्या–11013/6/2005 –स्थापना (क) दिनांक 27 जून, 2005 तथा सम संख्यक पत्र दिनांकः 23 मई, 2000 की प्रतिलिपि प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पत्र में अपेक्षानुसार संदर्भित अनुदेशों का पूर्ण रूप से गम्भीरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नः यथोपरि।

भवदीय

(यू0 सी0 ध्यानी)
सचिव।

संख्या– (1)/विसंका/36(2)/2005/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निजि सचिव, मा0 मंत्री जी... समस्त मंत्रालय, उत्तरांचल को अवलोकनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(यू0 सी0 ध्यानी)
सचिव।

संख्या– (2)/विसंका/36(2)/2005/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निदेशक, (स्था. 11) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) भारत सरकार नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या–11013/6/2005– स्थापना (क) दिनांक 27 जून, 2005 के कम में सूचनार्थ।

भवदीय

(यू0 सी0 ध्यानी)
सचिव।

उत्तरांचल शासन
मुख्य सचिव
संख्या— 901/मु0स0/विविध/2005
दिनांक 22 अक्टूबर,2005

कार्यालय ज्ञाप

प्रयाः यह देखने में आया है कि विभिन्न विभागो द्वारा जो भी आदेश निर्गत किये जाते हैउनकी जानकारी मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को नहीं दी जाती है। कृपया समस्त विभाग यह सुनिश्चित कराये कि जो भी शासनादेश एवं स्वीकृतियाँ जारी की जाती है उसकी प्रतियाँ सम्बन्धित मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को भी अनिवार्य रूप से प्रेषित कर ली जाय।

ह0
(एम0रामचन्द्रन)
मुख्य सचिव।

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तरांचल शासन।
2— मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल पौडी/कुमायू मण्डल नैनीताल।
3— समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।

ह0
(एम0रामचन्द्रन)
मुख्य सचिव।

विभाग— 6

महत्वपूर्ण

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव
राजस्व परिषद,
उत्तर प्रदेश
प्री आडिट, सेल अनुभाग लखनऊ

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
चमोली।

संख्या—156/प्री आ0(90)जीपीएफ/91—92 दि030.4. 1991

विषय— सेवानिवृत्त कर्मचारियों कोसामान्य भविष्य निर्वाह निधि लेखों में से 90 प्रतिशत भुगतान के संबंध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या—सा—4—ए0जी0—57/ दस—84— 510 —84 दिनांक 26.12.84 द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि लेखा में अवशेष जमा धनराशि के 90 प्रतिशत की सुविधा प्रदान की गई है, किन्तु परिषदादेश संख्या—407/प्री—आ0—575—90 प्रतिशत/88—89 दिनांक 21—11—86 के अंतर्गत कार्यवाही पूर्ण करने में कई जनपदों से कठिनाईयों से अवगत कराया गया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लेखों में जमा अवशेष धनराशि के 90 प्रतिशत का भुगतान संभव नहीं हो पा रहा है।

अस्तु उपरोक्त विषय पर विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि लेखे में जमा अवशेष धनराशि के 90 प्रतिशत के संबंध में उक्त शासनादेश 26.12.84 के साथ संलग्न विवरण पृष्ठ संख्या—3 के पैरा छ (1)(2) के अनुसार ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए।

इसके अतिरिक्त जी0पी0एफ0 पासबुक के बांये पृष्ठ पर स्तंभ 1 से 8 तक में अग्रिमों के प्रतिवर्ष विवरण को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अवश्य सत्यापित किया जाए।

भवदीय

(वी0एन0उपाध्याय)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त (लेखा)
कृते—आयुक्त एवं सचिव।

प्राथमिकता

संख्या–यू0ओ0–14/जनगणना/2002

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
जनगणना विभाग,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

जनगणना विभाग देहरादूनः दिनांकः 25 सितम्बर, 2002

विषय– जनगणना कार्य 2001 के कार्य निष्पादन हेतु लगाये गये कार्मिकों के सेवामुक्त होने के पश्चात राज्य के विभिन्न विभागों में खपाये जाने विषयक।

महोदय,

जनगणना कार्य के निष्पादन हेतु अस्थाई रूप से नियुक्त कार्मिकों जिनकी सेवायें कार्य सम्पन्न हो जाने के उपरान्त समाप्त हो गई, के सन्दर्भ में प्रभावी व्यक्तियों द्वारा उन्हें सेवा में आमेलन किये जाने के संबंध में मा0 न्यायालयों में वाद दायर किये जाने के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे है। इस संबंध में पूर्व में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 24.02.1995 भी पारित हुआ है। (प्रतिलिपि संलग्न)

2– अतः शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1194–तीन 2000–15(4)/2002दिनांक 24 मई, 2000 द्वारा अस्थाई रूप से जनगणना कार्य 2001 हेतु दिनांक 31.05.2001 तक के लिए सृजित पदों के सापेक्ष कार्यरत रहे कर्मचारी, आमेलन नियमावली–1991 के अधीन छंटनी शुदा कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते हैं।

3– प्रश्नगत प्रकरण में सन्दर्भ में मा0 उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के पृष्ठ संख्या–2 के अतिन्तम प्रस्तर ताकि पृष्ठ संख्या–3 के आरम्भिक प्रस्तर में किया गया सम्प्रेषण उल्लेखनीय है। जिसमें मा0 उच्चतम न्यायालय ने इस आशय का सम्प्रेषण किया है कि प्रत्येक दस वर्षीय जनगणना कार्य को पूर्ण करने के लिए कुल संख्या में ''एक्सट्रा''अस्थाई पद अल्प अवधि के लिए सृजित करने होते हैं। ऐसे पद निर्धारित अवधि के लिए सृजित किये जाते हैं। विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति कर ये पद समाप्त हो जाते है। तथा इन अस्थाई पदों के सापेक्ष नियुक्त किया गये अस्थाई कर्मचारी ''क्पेमदहंहम'' हो जाते है। ऐसे पद धारक किसी नियमित नियुक्ति के हकदार नहीं होगें।

4– अंतएव आप कृपया अपने जिले से सम्बन्धित इस प्रकार के समस्त प्रकरणों/याचिकाओं का निस्तारण उपरोक्तानुसार कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न–मा0 उच्चतम न्यायालय का निर्णय।

भवदीय

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

संख्या–यू0ओ0–14(1)/जनगणना /2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निदेशक,जनगणना कार्य, उत्तरांचल लेखराज मार्केट –111 इन्दिरानगर, लखनऊ को उनके पत्रांक सीटी–1014/डीसीओ–यू0पी0/19–99(11) दिनांक 03.05.2001 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

(अमिताभ श्रीवास्तव),
अपर सचिव।

क्रम संख्या—159

(लाइसेंस ...)

सरकारी गजट उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
विधायी परिशिष्ट
भाग—2खण्ड(क)
(उत्तरांचल अध्यादेश)
देरादून, शुकवार, 12 सितम्बर, 2003 ई0
भाद्रपद, 21, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्या—339/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003
देहरादून, 12 सितम्बर, 2003

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि ब्यवस्था अधिनिय,1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अध्यादेश, 2003 पर दिनांक 12 सितम्बर, 2003 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अध्यादेश संख्या 6,सन, 2003 के रूप में सर्व — साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि ब्यवस्था अधिनियम, 1950)
(अनुकूल एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अध्यादेश, 2003
(उत्तरांचल अध्यादेश संख्या 06 वर्ष ,2003)
(भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

उत्तरांचल राज्य में कृषि भूमि की अनियंत्रित खरीद फरोख्त को नियंत्रित करने हेतु उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि ब्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) में अग्रेत्तर संशोधन करने के उद्देश्य से

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान सभा सत्रा में नहीं है ओर श्री राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

अतएव अब, संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्य पाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैः—

संक्षिप्त नाम 1. (1) यह अध्यादेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि ब्यवस्था विस्तार और अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2 001) (संशोधन) प्रारम्भ अध्यादेश,2003 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राज्य में होगा।

(3) यह तत्काल प्रभावी होगा।

मूल अधि— 2. (4) उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि ब्यवस्था अधिनियम,1950 (जिसे नियम में धारा—3आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के पहले (क) का जोड़ा जाना निम्नलिखित उपधारा जोड़ की जायेगी अर्थातः—

3 (क) ''कृषक ''का तात्पर्य उत्तरांचल में स्थित जोत पर स्वयं कृषि कार्य करने वाले भू–स्वामी से है।

स्पष्टीकरण–(1)–

''स्वयं कृषि कार्य करना'' का ब्याकरणिक रूपभेद तथा सजातीय अभिब्यक्ति सहित निम्नवत् तात्पर्य होगा।

(1) किसी ब्यक्ति के स्वयं के स्तर से :
(2) किसी ब्यक्ति के स्वयं के श्रम से:
(3) किसी ब्यक्ति के परिवार के किसी भी सदस्य के श्रम से :या
(4) किसी ब्यक्ति के स्वयं की अथवा परिवार के किसी सदस्य की देखरेख में अथवा मजदूरी के नगद भुगतान के आधार पर किराये पर लिये गय श्रमिक नौकर द्वारा।

स्पष्टीकरण–(2)–

संयुक्त परिवार के मामलें में यदि परिवार का कोई सदस्य कृषि कार्य करता है तो उस भूमि पर स्वयं द्वारा कृषि कार्य किया जाना समझ जायेगा ''परिवार'' का तात्पर्य पति, उनकी पत्नी तथा उनके बच्चे, जिसमें सौतेले अथवा गोद जिये बच्चे, उसके माता–पिता, दादा–दादी, भाई व अविवाहित, विधवा पृथकीक्कृत एवं तलाकशुदा बहने सम्मिलित है।

मूल अधि– 3. (5) धारा 143 (2) उपधारा (1) उल्लिखित प्रख्यापन के प्रदान पर (इस धारा, धारा नियम की154 क और धारा 154 ख से भिन्न) इस अध्याय के प्राविधान ऐसी भूमि के सम्बन्ध धारा–143(3) में भूमि के हस्तान्तरण के आधिकारी भूमिधर पर लागू नहीं होंगे और

(2 में संशोधन) तदोपरान्त् वह उक्त भूमि के हस्तान्तरण के विषय में ऐसी स्वीय विधि(पर्सनल ला)से, जिसके वह अधीन हो, शासित होगा।

मूल अधि– 4. (6) धारा 143 3) जहां किसी संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को उत्तर प्रदेश नियम की भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 के प्रारम्भ के पूर्व या उसके पश्चात उत्तर धारा–143(3) प्रदेश वित्तीय निगम या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्राण के अधीन किसी में संशोधन अन्य निगत द्वारा ऐसे भूमिधर द्वारा धृत किसी भूमि की प्रतिभूति पर कोई ऋण दिया गया हो, वहां इस अध्याय के उपबन्ध (इस धारा, धारा 154 ए और धारा 154 बी को छोड़कार) ऐसी भूमि के सम्बन्ध में ऐसे भूमिधर पर लागू न रहा जायेंगे और तदोपरान्त् वह उक्त भूमि के हस्तान्तरण के विषय में ऐसी स्वीय विधि (पर्सनल ला) से, जिसके वह अधीन हो, शासित होगा।

मूल अधि– 5. (7) मूल अधिनियम की धारा 154 क में नई धारा 154 ख अन्तःस्थापित कर दी नियम में जायेगी, अर्थात–धारा 154 ख को जोड़ा जाना, 154 ख –अकृषक ब्यक्तित को भूमि के हस्तान्तरण पर प्रतिबंन्ध

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि, संविदा, इकरार नामा, परंपरा में कोई प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किन्तु इस धारा में अन्यथा प्राविधान के अतिरिक्त, कोई भूमि (दीवानी न्यायालय की डिकी अथवा भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूली के लिए हस्तान्तरण सहित) विकय, उपहार वसीयत, पट्टा कब्जे सहित बंधक, अथवा अभिघृति अथवा अन्य प्रकार से अकृषक ब्यक्ति को भूमि हस्तान्तरण बैध नहीं होगा।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजन के लिए''भूमि हस्तान्तरण'' की अभिब्यक्ति में निम्न सम्मिलित नहीं माना जायेगा, अर्थात–

(1) विरासत के रूप में हस्तान्तरण:

(2) उपहार अथवा वसीयत के द्वारा दानी या वसीयतकर्ता के किसी एक या समस्त कानूनी वारिसों का भूमि हस्तान्तरण:

परन्तु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:—

(क) बेनामी संव्यवहार जिसमें, भूमि का हस्तान्तरण किसी ऐसे कृषक व्यक्ति को किया गया हो जिसके लिए धन अकृषक व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराया गया हो, और

(ख) किसी भू—स्वामी द्वारा साधारण और विशेष मुख्तारनाम के रूप में, जिसके द्वारा एक अकृषक व्यक्ति को भूमि पर कब्जा देने ओर उस भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विक्रय आदि करने हेतु इस प्रकार प्राधिकृत करने के आशय से जैसे वह व्यक्ति उक्त भूमि का वास्तविक स्वामी हो, प्राधिकार प्रदान करना है।

(2) उपधारा (1) की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित को भूमि के हस्तान्तरण पर प्रतिबंध है।

(क) भूमिहीन मजदूर: अथवा

(ख) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का कोई भी भूमिहीन व्यक्ति अथवा

(ग) ग्रामीण शिल्पी :अथवा

(घ) कृषि से सम्बद्ध कार्य करने वाला भूमिहीन व्यक्ति:अथवा

(घघ) ऐसे व्यक्ति को जो इस आध्यादेश के लागू होन की तिथि को उत्तरांचल में स्थित किसी जोत में आय हेतु कार्य करता हो और निरंन्तर कर रहा हो तो उसे किसी नगरपालिका क्षेत्रा में रहने के लिए मकान, दुकान अथवा व्यापारिक अधिष्ठान, के लिए राज्य सरकार द्वारा विहित सीमा से अधिक भूमि का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकेगा, किन्तु शर्त यह है कि राज्य के किसी नगरपालिका क्षेत्रा में उसके पास कोई खाली भूमि अथवा कोई घर न हो।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन हेतु उपरोक्त श्रेणी के व्यक्तियों को समनुदेशित अर्थ वही होंगे जो इस अधिनियम की धारा 198 में अन्तर्विष्ट है।

(घघघ) ऐसे व्यक्ति को जो राज्य की तथा भारत सरकार की औद्योगिक नीतियों के अनुरूप औद्योगिक प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जित करता है:

(घघघघ)धार्मिक चिकित्सा सांस्कृतिक व शैक्षणिक संस्थाएं:

(च) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार अथवा कम्पनी अधिनियम,1985 की धारा 617 में परिभाषित सरकारी कम्पनी अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कम्पनी जिनके लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अधीन भूमि अधिग्रहीत की गयी हो अथवा सांविधिक संस्था अथवा निगम अथवा बोर्ड जो किसी संविधि द्वारा या उसके अन्तर्गत स्थापित किया गया हो और जो राज्य सरकार अथवा भारत सरकार का एवं उनके द्वारा नियंत्रित हो:

(छ) कोई भी व्यक्ति जो निम्न कारणो से अकृषक हो गया हो—

(1) यदि उसकी भूमि लोक प्रयोजन हेतु भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1994 के अधीन अधिग्रहीत की गयी हो:अथवा

(2) यदि उनकी भूमि पर अधिनियम के अधीन किसी किरायेदार में निहित हो गयी हो:अथवा

(ज) कोई भी अकृषक व्यक्ति जो मकान या दुकान बनाने के लिए भूमि क्रय करता हो या करना चाहता है अथवा राजकीय आवास परिषद अथवा किसी विकास प्राविकरण अथवा किसी अन्य सांविधिक निगम जो किसी राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा पारित अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किया गया हो, से बना—बनाया आवास या दुकान क्रय करता है:अथवा

(झ) किसी भी अकृषक व्यक्ति को राज्य सरकार की अनुज्ञा से भिन्न प्रयोजनों के लिए विहित अधिकतम सीमा तक—

(1) कृषि अथवा औद्यानिकी अथवा दोनों प्रयोजनों हेतु:

(2) आवासीय घर बनाने के लिए:
(3) दुकान के निर्माण के लिए:
(4) पूर्त धार्मिक अथवा सार्वजनिक सुविधा सेवा हेतु:
(5) होटल, रेस्टोरेन्ट, कैफिटेरिया अथवा इसी प्रकार के अन्य परिसरों के लिए:

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन यदि कोई अकृषक व्यक्ति उपरोक्त खण्ड (घघ) , (घघघ),(घघघघ) अथवा उपरोक्त खण्ड (ज) अथवा खण्ड (झ) के अधीन प्रदन्त स्वीकृति से भूमि क्रय करता है तो उसके द्वारा उपरोक्त भूमि क्रय करने के बाद भी इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए वह अकृषक ही बना रहेगा:

अग्रेत्तर प्रतिबंध यह है कि अकृषक व्यक्ति जिसने खण्ड (घघ),(घघघ),(घघघघ)अथवा उपरोक्त खण्ड (झ) के अन्तर्गत प्रदन्त स्वीकृति के बाद भूमि कय की हो तो वह विकय विलेख के पंजीकरण की तिथि से दो वर्ष के अन्तर्गत उस भूमि का ऐसा प्रयोग अनिवार्य रूप से करेगा जिस प्रयोजन के लिए स्वीकृति की गयी है अथवा उसके बाद एक वर्ष से अधिक अवधि के अन्दर जिसके लिए लिखित रूप से अभिकथित कारणों से राज्य सरकार अनुमति प्रदान कर सकेगी। यदि वह ब्यक्ति ऐसा करने में असुल रहता है अथवा उस भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए करता है अथवा विकय उपहार अथवा अन्यथा भूमि का हस्तान्तरणं करता है तो इस प्रकार कय की गयी भूमि विहित प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकार में बिना किसी भार के निहित हो जायेगी।

(3) कोई भी निबंधक अथवा उप निबंधक जो भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 (अधिनियम संख्या 16 वर्ष 1908) के अधीन नियुक्त हुआ हो, किसी ऐसे हस्तान्तरण से सम्बन्धित अभिलेखों का पंजीकरण नहीं करेंगा जिसमें उपधारा (1) का उल्लंघन होता हो।

प्रतिबंध यह है कि निबंन्धक अथवा उप निबन्धक किसी हस्तान्तरण का पंजीकरण कर सकता है--

यदि बन्धक विलेख किसी भूमि पर स्थित भवन निर्माण के लिए अथवा उसमें सुधार के लिए सरकार अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा गठित अथवा स्थापित या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था से ऋृण प्राप्त करने के लिए किया गया हो।

(3--क)जहां

(क) निबन्धक अथवा उप निबन्धक जो भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 के अधीन तैनात किये गए हो के समक्ष ऐसी भूमि के हस्तान्तरण से सम्बन्धित अभिलेख पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किये जाने पर उसके संज्ञान में आता है अथवा उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस हस्तान्तरण से उपधारा (1) का उल्लंघन होता है:

(ख) राजस्व अधिकारी को कोई प्रार्थना--पत्रा प्रस्तुत किये जाने पर अथवा किसी स्रोत से सूचना प्राप्त होने पर अथवा उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन हो रहा है तब वह उप निबंन्धक निबंन्धक अथवा राजस्व अधिकारी जैसी भी स्थिति हो,उस जिले के कलेक्टर को निर्दिष्ट करेगा जिसमें वह भूमि या उसका भाग स्थित हो। ऐसा निर्दिष्ट प्राप्त होने पर कलेक्टर अथवा कलेक्टर अथवा यदि राजस्व अधिकारी स्वयं कलेक्टर हो तो वह , तो कोई आवेदन प्राप्त होने पर अथवा किसी स्रोत से सूचना प्राप्त होने पर अथवा उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी भूमि का हस्तान्तरण किया गया है अथवा किया जा रहा है जिसमें उपधारा (1) के प्राविधानों का उल्लंघन हुआ है तब हस्तान्तरण के पक्षकारों को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देने और जांच करने के पश्चात यह अवधारित करेंगे कि क्या उक्त भूमि के हस्तान्तरण से उपधारा (1) का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं। तब निर्दिष्ट किये जाने के 90 दिवसों के अन्दर अथवा उससे अधिक अवधि जैसा कि मण्डल आयुक्त अनुमति दें जिसके लिए उन्हें लिखित रूप में कारण अभिलिखित करने होंगे, उन पर अपना विनिश्चय अभिलिखित करेंगे और और वह अपने निर्णय से सम्बन्धित निवंधक अथवा राजस्व अधिकारी को सूचित करेगे।

(3–ख) कोई व्यक्ति कलेक्टर द्वारा अभिलिखित इस निर्णय से कि भूमि विशेष के हस्तान्तरण से उपधारा (1) का उल्लंघन हुआ है, व्यक्ति होता है तो वह ऐसे निर्णय के अभिलिखित किये जाने के दिनांक के 30 दिन अन्दर या ऐसे अधिक समय जिसकी मण्डल आयुक्त अनुमति दें, जिसके कारणों को मण्डलायुक्त द्वारा,जिनके कलेक्टर अधीनस्थ अधिकारी होते है, लिखित रूप में अभिलिखित करना होगा, उनके यहां अपील दायर करेंगे। मण्डलायुक्त पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए तथा कलेक्टर के कार्यालय से अभिलेख मंगा कर कलेक्टर के आदेश को बदल सकते है अथवा उसकी पुष्टि कर सकते है। इस प्रकार मण्डलायुक्त का आदेश अन्तिम तथा निर्णायक होगा।

(3–ग)(क) राज्य सरकार का राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट या किसी आवेदन पर या स्वयं किसी कार्यवाही के अभिलेख जो राजस्व अधिकारी के पास निलंबित या उसके द्वारा निस्तारित तथा जिसमें कोई अपील दायर नहीं की गई है, ऐसी कार्यवाही की बैधता अथवा औचित्य या उस पर दिए गए आदेश के प्रति सन्तुष्ट होने के लिए मंगा सकती है। और जैसा उचित समझे वैसा आदेश पारित कर सकती है:

(ख) इस उपधारा के अधीन पारित कोई भी आदेश जो किसी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक उस व्यक्ति को सुंनवाई का अवसर प्रदान न कर दिया जाय।

(3–घ) उपधारा (3–क) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा निर्णीत किसी प्रकरण के विरूद्ध यदि समयान्तर्गत पुन : विचार वाद योजित न किया गया हो अथवा मण्डलायुक्त द्वारा उपधारा (3ख) अथवा राज्य सरकार द्वारा उपधारा (3ग) के अधीन यह निर्णीत किया गया हो कि प्रकरण से सम्बन्धित हस्तान्तरण में उपधारा (1) के प्राविधानों का उल्लंघन हुआ है तब वह हस्तान्तरण प्रारंभ से ही विधि अमान्य माना जायेगा तथा ऐसे हस्तान्तरण से सम्बन्धित भूमि तथा उस भूमि पर बने भवन ढांच अथवा अन्य संलग्नक आदि, यदि कोई हों, विहित रीति से राज्य सरकार में बिना किसी भार के निहित हो जायेंगे।

(4) उपधारा (2) अथवा उपधारा (3घ) के अधीन जो भूमि राज्य सरकार में निहित हो गयी है अथवा निहित हो सकती हो, ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसा वह उचित समझे, विधिक रूप से प्रयोग कर सकेगी।

सुदर्शन अग्रवाल,
राज्यपाल,उत्तरांचल।

आज्ञा से,

वी0लाल,
सचिव।

क्रम संख्या–16

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाईसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीमेन्ट)

सरकारी गजट उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–1 खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)
देहरादून,वृहस्पतिवार, 15 जनवरी, 2004 ई0
पौष 25,1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्या–501/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003
देरादून, 15 जनवरी , 2004

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमीदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950)(अनुकूलन एवं उपान्तरण, आदेश, 2001)(संशोधन) विधेयक, 2003 पर दिनांक 13.01.2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या–29 सन्, 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनिमय, 1950)
(अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 200)(संशोधन) अधिनियम, 2003,
(जैसा की सदन की प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन तथा विधान सभा द्वारा
यथा संशोधित पारित किया गया है)
(उत्तरांचल अधिनियम संख्या–29 वर्ष 2003)

अधिनियम

उत्तरांचल राज्य के परिप्रेक्ष्य में उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम,1950) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 में संशोधन के उद्देश्य से भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में अधिनियमित–

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ

1. (1) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 कहलायेगा।

(2) नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद और छावनी परिषद क्षेत्रों की सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले और समय–समय पर सम्मलित किये जा सकने वाले क्षेत्रों को छोडकर यह सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में लागू होगा।

(3) यह तत्काल प्रभावी होगा।

मूल अधिनियम में 2.धारा–12 (ख) का जोडा जाना

उत्तर प्रदेश जमीदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम,1950 की धारा 129–क के बाद एक नयी धारा 129 ख निम्नवत् जोड़ दी जायेगी।

129–ख उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (जिसे आगे जिसे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 154 (4) (1)(क),154 (4) (2) (ड़) ,154(4) (2) (च),तथा154 (4)(3) के प्रयोजन के लिए निम्नवत् श्रेणी के भूमिधर कहलायेगे–

(1) विशेष श्रेणी के भूमिधर।

3 मूल अधिनियम की धारा 152 के बाद एक नयी धारा 152–क निम्नवत् जोड दी जाएगी–

(1) 152–क संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर द्वारा भूमि अंतरण हेतु कोई मुख्तारनामा ऐसे व्यक्तियों के पक्ष में किया जा सकेगा जो धारा 171,172,174 अथवा 175 के अन्तर्गत आते है। और ऐसा मुख्तारनामा ऐसे व्यक्ति के विद्यमान न होने की दशा में किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में जिले के कलेक्टर की पूर्वानुमति से अथवा विदेश में रहने वाले व्यक्तियों के मामले में भारतीय दूतावास की पूर्वानुमति से किया जा सकेगा।

(2) जब तक बढाई गई समय सीमा जिले के कलेक्टर द्वारा सकारण अभिलिखित नही कर दी जाती है, दिनांक 12.09.2003 को अथवा उससे पहले निष्पादित भूमि के विक्रय हेतु पंजीकृत मुख्तारनामा बैध होगा यदि ऐसे मुख्तारनामा के आधार पर 31.03.2004 या उससे पहले मुख्तारनामें में उपबन्धित किसी समय सीमा पर विचार किये बिना, विक्रय विलेख निष्पादित कर लिया गया हो।

4. (3) संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर उत्तरांचल राज्य के धारा 129 में धारा 154 उल्लिखित किसी भी श्रेणी के खातेदार अथवा उत्तरांचल में स्थित किसी अचल सम्पति के स्वामी जिसने 12.09.2003 या उससे पूर्व में ऐसी सम्पति अर्जित कर ली हो अथवा ऐसे खातेदार या सम्पति के स्वामी के परिवार का जाना कोई सदस्य जिसका आशय पति, पत्नी तथा उनकी संतान, सौतेली तथा दत्तक संतान सहित, माता–पिता दादा–दादी, भाई और अविवाहित, विधवा, पृथक्ता तथा तलाकशुदा बहन से है, के पक्ष में अपनी भूमि विक्रय कर सकेगा।

(4)(1)(क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट अन्य प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति अपने परिवार की और से (परिवार का तात्पर्य पति,पत्नी और नावांलिक संतान से है) भले ही धारा 129 के अधीन खातेदार या उत्तरांचल में किसी अचल सम्पति का स्वामी न हो बिना किसी अनुमति के अपने जीवन काल में अधिकतम 500 वर्ग मीटर भूमि क्रय कर सकता है।

(ख) जब तक कि किसी बढाई गई समय सीमा जिले के कलेक्टर द्वारा सकारण अभिलिखित नही कर दी जाती है, भूमि के विक्रय हेतु 12. 09..2003 को या उससे पहले निष्पादित पंजीकृत विक्रय के करार के विलेख पर, ऐसे विलेख में उपबंधित किसी समय सीमा पर विचार किये बिना दिनांक 31.03.2004 तक निष्पादित विक्रय विलेख बैध होगा।

(4) (2) धारा154(3) की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित के पक्ष में भूमि का अंतरण निषिद्ध–

(क) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार अथवा कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 617 में परिभाषित सरकारी कम्पनी अथवा सांविधिक संस्था अथवा निगम अथवा बोर्ड जो किसी संविधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया हो और राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के स्वामित्व का हो एवं उसके द्वारा नियंत्रित हो:–

(ख) कोई व्यक्ति जो निम्नलिखित कारणों से खातेदार न रहा गया हो–

(1) यदि उसकी भूमि लोक प्रयोजनार्थ भूमि अर्जन अधिनियम 1994 के अधीन अधिग्रहीत की गयी हो, अथवा।

(2) यदि उसकी भूमि इस अधिनियम के अधीन किसी खातेदार में निहित हो गयी हो:–

(ग) कोई भी व्यक्ति जो खातेदार न हो, राज्य आवास विकास परिषद् अथवा किसी विकास प्राधिकरण अथवा राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पारित अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किसी अन्य सांविधिक निगम से मकान या दुकान बनाने के लिए भूमि खरीदता है या खरीदना चाहता है अथवा बना–बनाना मकान या दुकान खरीदता है:–

(घ) कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से भूमि खरीदना चाहता है जिसके पक्ष में सक्षम प्राधिकारी द्वारा नक्शा (ले आउट प्लान) अनुमोदित कर दिया गया है:–

(ड़) कोई व्यक्ति अथवा कम्पनी उत्तरांचल की औद्योगिक नीति के अनुसार

(1) एकीकृत औद्योगित विकास केन्द्र, (2) औद्यौगिक क्षेत्रा (3) औद्यौगिक आस्थान में भूमि खरीद सकता है:–

(च) धार्मिक प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति,सोसाईटी अथवा न्यास:–

(छ) उत्तरांचल का भूमिहीन मजदूर:अथवा

(ज) उत्तरांचल का अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का कोई भी भूमिहीन व्यक्ति:अथवा

(झ) उत्तरांचल का ग्रामीण शिल्पी:अथवा

(ट) उत्तरांचल का कृषि से सम्बद्ध कार्य करने वाला भूमिहीन व्यक्ति।

(4) (3) (क) धारा 154 के प्रतिबंधों के अधीन रहते हुये कोई व्यक्ति, सोसाईटी अथवा निगमित निकाय उत्तरांचल में सरकार की पूर्व अनुमति से कृषि और औद्यानिकी से भिन्न निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए जो विहित किये जायें,भूमि क्रय कर सकता है–

(1) चिकित्सा अथवा स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये, यदि वह उत्तरांचल की स्वास्थ्य तथा जनसंख्या नीति कि अनुरुप हो:

(2) किसी होटल, ठहरने का स्थान ,अतिथि गृह,भोजनालय,मद्यशाला,सखनिज झरना, मार्ग में सुविधायें अथवा सैरगाह के लिये यदि वह राज्य की पर्यटन नीति के अनुरूप हो:

(3) शिक्षा विभाग की संस्तुति पर शिक्षा सम्बन्धि प्रयोजनों के लिए:

(4) सांस्कृतिक प्रयोजन के लिए:

(5) धारा 154(4)(2)के उपखण्ड (ड़) में उल्लिखित स्थलों से भिन्न स्थलों पर औद्यौगिक इकाईयां स्थापित करने एवं ऐसे अन्य प्रयोजनार्थ।

(ख) कोई व्यक्ति सोसाईटी अथवा कम्पनी,कृषि अथवा औद्यानिका प्रयोजनों के लिए इस आशय का शपथ पत्रा प्रस्तुत करने के पश्चात कि ऐसी भूमि का उपयोग केवल कृषि अथवा औद्यानिकी हेतु और ऐसे उपयोगों के लिए किया जायेगा जो कृषि अथवा औद्यानिकी से सम्बन्धित तथा आनुषांगिक हो, जनपद के कलेक्टर की पूर्व अनुमति से भूमि क्रय कर सकेगा। यदि शपथ–पत्रा में उल्लिखित भूमि उपयोग में परिवर्तन किया जाता है। तो अन्तरण शून्य हो जायेगा और धारा 187 के परिणाम लागू होंगे।

परन्तु उपबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति यदि वह खातेदार नही

है किन्तु धारा 154 (4) (1) (क),154 (4) (2) (ड़), तथा 154 (4) (2) (च) के अधीन भूमि बिना स्वीकृति के क्रय करता है अथवा धारा 154(4)(3) के अधीन प्रदत्त अनुज्ञा से भूमि क्रय करता है, तो धारा 129–ख के अधनी विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिए अर्ह होगा अग्रेत्तर उपबन्ध यह है कि ऐसा भूमिधर बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं के ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी भूमि बंधक या दृष्टिबंधित कर सकेगा तथा धारा 129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वालें अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

अग्रेत्तर उपबन्ध यह है कि यदि कोई ब्यक्ति जो खातेदार नहीं है, जो बिना अनुमति के धारा 154(4)(3)(ड़),154(4)(2)(च) के अधीन भूमि क्रय करता है अथवा धारा 154 (4) (3) के अधीन जिसमें भूमि क्रय करने की अनुज्ञा शासन अथवा जिला अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, द्वारा प्रदान की गई है, दो वर्ष की अवधि के अन्दर जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उक्त भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता है अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा 167 के परिणाम लागू होंगे।

(5) यदिः—

(क) निबंधक अथवा उपनिबंधक के समक्ष जो भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन नियुक्त किये गये हो, ऐसी भूमि के अन्तरण से सम्बन्धित कोई विलेख पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किये जाने पर उसके संज्ञान में यह आता है अथवा उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अन्तरण से धारा 154 (3) अथवा154 (4) (3) का उल्लंघन होता है: अथवा

(ख) किसी राजस्व अधिकारी को प्रार्थना पत्रा प्रस्तुत किये जाने अथवा किसी स्रोत से कोई सूचना प्राप्त होने से अथवा उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि जिस भूमि का अन्तरण किया गया है उससे धारा 152–क, 154 (ड़) 154 (4) (2) (च) अथवा (ड़) 154 (4) (3) के उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है, तब वह उप निवन्धक, निवन्धक अथवा राजस्व अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, उस जिले के कलेक्टर को सन्दर्भित करेगा जिसमें वह भूमि अथवा उसका भाग स्थित है, तो वह उस रीति से जैसा विहित किया जाय, यह

(ग) (1) राज्य सरकार राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट या किसी ब्यक्ति के प्रार्थना पत्रों पर या स्वयं किसी कार्यवाही या वाद के अभिलेख, उसकी या उस पारित आदेश की वैधता अथवा औचित्य पर अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ मांग सकती है और उसके सम्बन्ध में ऐसा आदेश पारित कर सकती है जैसा वह उचित समझे।

(2) इस उपधारा के अधीन पारित कोई भी आदेश, जो किसी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक

उस व्यक्ति का सूनवाई का अवसर न प्रदान कर दिया जाय।

5. (1) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि –निरसन एवं उपवाद व्यवस्था अधिनियम ,1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अध्यादेश, 2003 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम में उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी माने इस अधिनियम में सभी उपबन्ध सारवार समय पर प्रवृत्त थे।"

आज्ञा से

बी0 लाल,
सचिव।

संख्या2911सख/2000-27-सि0-3-10आडिट/99

प्रेषक

श्री डी0पी0सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उ0प्र0
लखनऊ।

सिचाई अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 13 नवम्बर 2000।

विषय :- नियमानुसार बिना भूमि अधिग्रहण किये कार्य प्रारम्भ न किया जाना।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह आया है कि सिंचाई विभाग की कतिपय परियोजनाओं में नियमानुसार बिना भूमि अधिग्रहीत किए ही कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जो वित्तीय नियमों के विरूद्ध है।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और नियमानुसार निर्धारित व्यवस्था के अनुसार पहले भूमि अधिग्रहीत की जाय एवं उसके बाद ही योजनाद्ध ढग से कार्य प्रारम्भ किया जाय। बिना भू-अधिग्रहण के कार्य कदापि प्रारम्भ न किया जाय।

3- कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
(डी0पी0सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्यः 2911/स ख/2000-27-सि0-03 तद्‌दिनॉकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र।
3. राजस्व अनुभाग-13।
4. निदेशक भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, अनु-10 उप्र लखनऊ।

आज्ञा से,

विजय कुमार मिश्रा
उप सचिव।

संख्या:2291/1(2)वि–/2002

प्रेषक,

केशवदेसिराजु
सचिव
उत्तरॉचल शासन

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक
उत्तरॉचल,
कैम्प देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग

देहरादून:दिनॉक:नवम्बर 29.2002

विषय: वन भूमि हस्तान्तरण/लीज प्रकरणों में किये जाने वाले क्षतिपूरक वृक्षारोपण/भूक्षरण आदि कार्यो के निष्पादन प्रकिया का सरलीकरण।

महोदय,

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी कार्यो हेतु वन भूमि का हस्तान्तरण/लीज पर दिये जाने पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण/ भू–क्षरण आदि का कार्य निष्पादन किया जाना एक अनिवार्य प्रतिबंध है। समय–समय पर भारत सरकार, मा0 न्यायालयों द्वारा इस प्रतिबंध के कार्यान्वियन की समीक्षा की जाती है। वर्तमान प्रणाली को सरलीकरण करने तथा इस कार्य को प्रभावी रूप से किये जाने को दृष्टि से सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् प्रकिया निर्धारित की जाती है :

आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण :

1 याचक विभाग द्वारा आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण/ लीज पर लिये जाने पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण/ भू–क्षरण कार्य हेतु निर्धारित धनराशि संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी को सीधे उपलब्ध कराई जायेगी।

2 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यो हेतु हस्तान्तरण होने पर संबंधित वन प्रभाग द्वारा आरक्षित वनों में ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा।

3 यह वृक्षारोपण, कार्य योजना में निर्धारित वृक्षारोपण कार्य जिस हेतु आय–व्ययक से धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, के अतिरिक्त कराया जायेगा।

4 इस हेतु कार्य योजना बनाकर संबंधित मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदित कराया जायेगा।

5 आरक्षित वन क्षेत्र में केवल रिक्त वन भूमि या अवनत वन क्षेत्र ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु लिये जायेंगें।

<u>सिविल एवं सोयम वन भूमि हस्तान्तरण :</u>

6 सिविल एवं सोयम वनों की भूमि गैर वानिकी कार्य हेतु उपयोग में लाने पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण/ भू–क्षरण कार्य हेतु याचक विभाग द्वारा निर्धारित धनराशि को संबंधित वन संरक्षक को सीधे उपलब्ध कराई जायेगी।

7 सिविल एवं सोयम वन भूमि हस्तान्तरण हेतु निर्धारित क्षतिपूरक वृक्षारोपण वन पंचायतों के माध्यम से कराया जायेगा। वन पंचायतों में अवनत वन भूमि, वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध

8 न होने पर उसके निकटस्थ सिविल एवं सोयम वनों की अवनत भूमि मे वृक्षारोपण वन पंचायतो द्वारा किया जायेगा।

9 सिविल सोयम वनों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु लिये जाने वाले क्षेत्र के निकट यदि वन पंचायत का गठन नहीं हुआ है तो वहाँ पर भारत सरकार द्वारा फोरेस्ट डवलेपमेण्ट एजेन्सी के दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही वृक्षारोपण एवं भूमि संरक्षण कार्य सम्पादित किये जायेंगे।

10 उपरोक्त वृक्षारोपण हेतु माइको प्लान संबंधित वन पंचायत मे जन सहभागिता द्वारा बनाकर संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी से अनुमोदित कराया जायेगा। इस हेतु धनराशि वन संरक्षक द्वारा सीधे संबंधित वन पंचायत संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी।

भू–क्षरण हेतु अभियांत्रिकी कार्य :

11 भू–क्षरण रोकथाम हेतु वृहद अभियांत्रिकी कार्य सिंचाई विभाग द्वारा ही निष्पादित किया जायेगा। इस हेतु सिंचाई विभाग द्वारा कार्य योजना एवं आंकलन संबंधित वन संरक्षक की सहमति प्राप्त किया जायेगा। संबंधित वन संरक्षक द्वारा इस हेतु धनरिश सीधे संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को उपलब्ध कराया जायेगा।

12 वृहद अभियांत्रिकी कार्य के अतिरिक्त लघु अभियांत्रिकी कार्य तथा जैविक तटबंध कार्य संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा आरक्षित वन क्षेत्रों में तथा सिविल एवं सोयम वनों में वन पंचायतों के माध्यम से कराया जायेगा।

उपरोक्त कार्यो की समीक्षा संबंधित वन संरक्षक तथा राज्य स्तर पर प्रमुख वन संरक्षक द्वारा प्रतिमाह विभागीय बैठक में किया जायेगा, जिसमें कार्य हेतु उपलब्ध धनराशि प्रस्तावित कार्यो का कियान्वयन आदि सम्मिलित होगा। नोडल अधिकारी द्वारा प्रतिमाह उपरोक्त कार्यो से संबंधित उपलब्ध धनराशि तथा निष्पादित कार्यो का विवरण प्रतिमाह शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

यह आदेश इस विषय में पूर्व में जारी समस्त आदेशों का अतिक्रमित करते हुये जारी किये जा रहे है।।

भवदीय,

(केशव देसिराजु)
सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1 सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय सी0जी0ओ0काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली (ध्यानाकर्षण श्री एन0के0जोशी,अतिरिक्त वन महानिदेशक)।
2 नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम 1980, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3 समस्त मुख्य वन संरक्षक,उत्तरॉचल।
4 समस्त वन संरक्षक, उत्तरॉचल।
5 समस्त जिलाधिकारी, उत्तरॉचल।
6 समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरॉचल।

आज्ञा से

(अशोक)
अपर सचिव।

नैनीताल, राज्य सम्पत्ति विभाग,
संख्या : 1975/एक–6/2002,
देहरादून : दिनाँक 07 नवम्बर, 2002

अधिसूचना

चूँकि उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम,2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरॉचल शासन,उत्तरॉचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को आदेश द्वारा, निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में,ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकती है,जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा चूँकि उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग समूह "ख" और "ग" सेवा नियमावली, 1983 उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम,2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरॉचल राज्य में यथावत् लागू है,

अतः अव उत्तर प्रदेश अधिनियम,2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग समूह "ख" और "ग" सेवा नियमावली,1983 उत्तरॉचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगीः–

उत्तरॉचल (उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग समूह "ख" और "ग" सेवा नियमावली, 1983 (अनुकूलन एवं उपान्तर आदेश, 2002)

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ (1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्स सम्पत्ति विभाग समूह '''ख" और "ग" सेवानियमावली ,1983(अनुकूल एवं उपरान्ती आदेश 2002कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाग से लागू होगा ।

2. उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तरांचल पढा जाना :–उत्तरप्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग समूह "ख" और "ग" सेवा नियमावली,1983 में जहाँ–जहाँ पर शब्द "उत्तर प्रदेश " आया है,वहाँ–वहाँ "उत्तरॉचल" पढा जायेगा।

(पी0सी0 शर्मा)
सचिव।

संख्याः 1975/एक–6/2002,तददिनॉक,

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तरॉचल शासन।
(2) सचिव,श्री राज्यपाल,उत्तरॉचल।
(3) समस्त जिलाधिकारी,उत्तरॉचल।

आज्ञा से,

(पी0 सी0 शर्मा)
सचिव।

संख्या : 244/31-2जी/2005

प्रेषक,

आर0एस0टोलिया,
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन,
देहरादून।

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
2. समस्त कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।

प्रशासनिक सुधार विभाग

दिनांक : देहरादून 25 अप्रैल, 2005

विषय : विभागाध्यक्ष/निदेशालयों एवं कार्यालध्याक्षों के कार्यालयों में अभिलेखों के अभिलेखन करने एवं उन्हें नष्ट करने के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि का विवरण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सैनिक कल्याण निदेशालय के कार्यालय के निरीक्षण के दौरान अभिलेखों के रख-रखाव उनके निर्दान आदि के सम्बन्ध में कतिपय कमियां पायी गयी। यह भी पाया गया है कि कार्मिकों को अभिलेखों के अभिलेखन एवं उनके रख-रखाव के बारे में समुचित जानकारी नहीं है। यह स्थिति अन्य कार्यालयों में भी हो सकती है। अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए कार्यालयों में अभिलेखों के रख-रखाव उनके निर्दान के बारे में पूरी प्रक्रिया एवं उन विषयों की सूची और उन्हें रखने की समयावधि का विवरण सहित जो सामान्यतः सभी कार्यालयों में व्यवृहित होते हैं। आपके पथ प्रदर्शनार्थ भेजी जाती है।

(क) निक्षेप पत्रावलियों को अभिलिखित रिकार्डिंग करने से पूर्व की कार्यवाई :-

1. अभिलिखित करने से पूर्व यह देख लिया जाय, कि पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष तो नहीं है, और उसमें सभी कागजात पूरे हैं।
2. फटे पुराने कवर्स को बदल दिया जाय और पत्रावली संख्या व विषय मोटे अक्षरों में स्पष्ट लिखा जाय।
3. रंगीन चीटों एवं अनावश्यक कागजों को हटा दिया जाय।
4. पत्रावलियों के पत्राचार कवर्स में रखे सभी पत्रों को आरोही क्रम में क्रमांकित कर लिया जाय। तथा महत्वपूर्ण पत्रावलियों में प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या भी आरोही क्रम पर डाल दी जाय।
5. पत्रावलियों के कवर्स पर कुल क्रमांक व पृष्ठ संख्याओं का उल्लेख कर दिया जाय।

(ख) अभिलेखन की कार्यवाही :-

1. यदि पत्रावलियों की टिप्पणी और पत्राचार हेतु अलग-अलग फलक हैं, तो अभिलेखन की कार्यवाही पत्राचार फलक पर निम्न प्रकार दर्शाई जाय। वर्ष माह तक रखी जाय।
2. जो पत्रावलियां स्थायी प्रकृति की है, उनमें वर्ष माह के स्थान पर स्थायी शब्द का उल्लेख किया जाय।

3. पत्रावलियों को विषयवार, वर्षवार एवं कमवार व्यवस्थित करके 20–20 के बण्डलों में रखा जाय।
4. यदि कार्यालय में अभिलेख कक्ष है तो पत्रावलियों को बीजक के माध्यम से अभिलेख कक्ष भेजा जाय। बीजक को निम्न प्रारूप में बनाया जा सकता है।

अभिलेखन के पश्चात की कार्यवाही :–

1. नमी से पत्रावलियों को नष्ट होने से बचाने के लिए रैक्स दिवार और सिंलिग से एक फिंट हटाकर लागाये जाय।
2. धूल से बचाने के लिये समय–समय पर वैक्यूम क्लीनर्स से धूल साफ करा ली जाय।
3. कीडे मकोडे चूहों आदि से पत्रावली को होने वाले नुक्सान से बचाने के लिय कीटनाशकों का समय–समय पर छिडकाव किया जाय एवं रैक्स के नीचे नैप्थलीन ब्रिक्स को रख दिया जाय। सूर्य की सीधी किरणों से बचाने के लिये रैक्स को ऐसे स्थान पर रखा जाय जहाँ पर हवा रोशनी तो आती है लेकिन सूर्य की सीधी किरणें पत्रावलियों पर न पड़ती हो।

पत्रावलियों को नष्ट करने से पूर्व की कार्यवाही (रिव्यू) :–

1. जिन पत्रावलियों को अभिलिखित कर दिया गया है और उनके रखे जाने की अवधि निर्धारित कर दी गई है उन्हें निर्धारित अवधि के पश्चात नष्ट करने से पूर्व एक बार उनका रिव्यू करं लिया जाय। रिव्यू में जिन पत्रावलियों की कार्यालय /विभाग के लिये भविष्य में आवश्यकता समझी जाय उन्हें फिर से अभिलिखित करके भविष्य के लिये रख दिया जाय। शेष पत्रावलियों को एक वीडिंग रजिस्टर में उनकी संख्या व विषय नोट करके और सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करके नष्ट कर दिया जाय।

2. गोपनीय प्रकृति के अभिलेखों को जलाकर एवं शेष को फाडकर नष्ट किया जाय। स्थायी प्रकृति के अभिलेखों को अलग से लॉक एण्ड की में रखा जाय।

सामान्य पत्र व्यवहार विधानसभा प्रश्न अडिट स्थापना/अधिष्ठान ,लेखा,आय–व्ययक सम्बन्धी ऐसे विषय है जो सामान्यता सभी कार्यालयों में व्यवहृत होते है। उनको चिन्हित करके उनसे सम्वन्धित अभिलेखों को रखने के बारे में एक विस्तृत सूची तैयार की गई जो आपके प्रयोगार्थ संलग्न करके भेजी जा रही हैं (अनुसूची–1)

इसके अलावा बहुत से ऐसे विषय है जो विभाग विशेष में ही व्यवहृत होते है । उनके निर्दान आदि के बारे में सम्बन्धित विभाग के मैनुअल्स में व्यवस्था रहती है अतः उनका अभिलेख मैनुअल में उल्लिखित व्यवस्था के अंतर्गत किया जाय। जिस विभागो के मैनुअल्स उपलब्ध है उनकी सूची संलग्न अनुसूची –2 में उल्लिखित है। इसके अलावा जिन विभागों के मैनुअल नहीं है वे उन पत्रावलियों की विभाग/ कार्यालय में उपयोगिता को देखते हुए निम्न पांच श्रेणियों में वर्गीकृत करके उन्हें भविष्य के लिये रखने की कार्यवाही कर सकते है :–

1–	अल्प समय के लिये उपयोगी	एक वर्ष
2–	वांछनीय	तीन वर्ष
3–	आवश्यक	सात वर्ष
4–	महत्वपूर्ण	पंन्द्रह वर्ष
5–	स्थायी रूप से	हमेशा के लिये

अभिलेखों की उपयोगिता ,उनके उचित रख–रखाव से कार्य करने में सुगमता तो होती ही है इसके अलावा इनकी आवश्यकता समय–समय पर आडिट आपत्तियों के निरन्तारण जनता एवं जनप्रतिनिधियों के प्रश्नों का उत्तर देने ,विधिक मामलों में कार्यवाही करके तथा पूर्ण दृष्टांत के लिये पड़ती रहती है। इनकी महत्ता इसी बात से लगायी जा सकती है यदि आपकी सेवा पुस्तिका कहीं खो जाय अथवा अपूर्ण ही तो पेंशन प्राप्त करने में कितनी कठिनाई होगी।

अभिलेखों को व्यवस्थित ढंग से रखने और अनावश्यक अभिलेखों को समय समय पर नष्ट करते रहने से कार्यालयों में स्वच्छता का वातावरण बना रहता है। जिसका अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है । अतः इस बात को हमेशा ध्यान में रखा जाय कि

अनावश्यक अभिलेखों को नष्ट कर दिया जाय ताकि आवश्यक अभिलेखों के लिये स्थान उपलब्ध होता रहे।

भवदीय,
ह0
(डा0आर0एस0टौलिया)
मुख्य सचिव।

संलग्न :
1. अभिलेखों को रखने की अवधि का विवरण पृष्ट संख्या –1
2. विभागों एवं उनसे सम्बन्धित मैनुअल्स की सूची

संख्या 244 तददिनांक

प्रतिलिपि– सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ प्रेषित ।

आज्ञा से

(सुवर्द्धन)
अपर सचिव।

संख्या–994 / XXXI(13)G / 2005

प्रेषक,

एम. रामचन्द्रन,
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

2– मण्डलायुक्त एवं समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

सामान्य प्रशासन विभाग– देहरादून दिनांक 04 जनवरी,2006

विषय– सरकारी कार्यालय में मध्याह्न भोजन का समय निर्धारण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने ओदश संख्या– 2102 / तीन–90 –55[जी] / 1958–सा0 प्र0 अनु0 दिनांक 25 जुलाई 1990 (जिसकी प्रति संदर्भ हेतु संलग्न है) द्वारा सरकारी कार्यालयों में मध्याहन भोजन के समय निर्धारण एवं प्रकिया के बारे में विस्तृत आदेश जारी किये गये थे।

शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि इन आदेशों के अनुरूप कार्यालयों में मध्याहन भोजन के समय एवं इसके उपभोग के बारे में निर्धारित व्यवस्था का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जिससे आम जनता को कार्यालयों में आने पर असुविधा का सामना करना पड़ रहा है । इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी कार्यालयों में मध्याहन भोजनावकाश हेतु प्रकिया के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

मध्याहन भोजन का समय 1.00 बजे अपरान्ह से 2.30 बजे अपरान्ह के मध्य केवल आधे घन्टें का होगा इस अवधि में ही प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी मध्याहन भोजन के लिए जायेगें।

सचिवालय में अनुसचिव / अनुभाग अधिकारी एवं अन्य समस्त कार्यालयों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी / कार्यालय अधीक्षक और जहां इस नाम से अधिकारी न हो वहां पर उनसे वरिष्ठ अधिकारी अपने कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के आधे घन्टे के मध्याहन भोजन का समय इस प्रकार निर्धारित करेगें कि एक बार में लगभग एक तिहाई ही कर्मचारी मध्याहन भोजन पर जाये। जहां पर एकल अधिकारी एवं एकल कर्मचारी ही हो वहां पर वे आपस में मध्याहन्ह भोजन का समय इस प्रकार तय करेंगे कि उनमें से एक कार्यालय में अवश्य उपस्थित रहें । मध्याहन भोजन की विभिन्न अवधियों में जाने वाले कर्मचारियों की सूची विभाग में टांकी जाय।

समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष अपने विभागों एवं कार्यालयों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने के लिए उत्तरदायी होगें।

भवदीय
ह0
(एम0रामचन्द्रन)
मुख्यसचिव

संख्या–994/XXXI(13)G/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तरांचल सेक्टर–1सी–10, डिफैन्स कोलोनी देहरादून को उनके पत्र संख्या 60/मु0सू0आ0/2005 दिनांक 3.12.2005 के संदर्भ में सूचनार्थ ।

2– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अपने नियंत्रणाधीन विभागों में मध्याहन भोजन के समय को उपरोक्तानुसार निर्धारित करने हेतु अपने स्तर से भी निदेश निर्गत करना, सुनिश्चित करें।

3– सचिव विधान सभा उत्तरांचल ।

4– रजिस्टार उच्च न्यायालय नैनीताल को सूचनार्थ एवं ऐसी कार्यवाही के लिए प्रेषित जिसे मा0 उच्च न्यायालय आवश्यक समझे।

5– महालेखाकार उत्तरांचल ओबराय बिल्डिंग माजरा देहरादून।

6– सचिवालय के समस्त अनुभाग।

7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से
ह0

(राजीव गुप्ता)
प्रमुख सचिव

क्रम संख्या–89 पंजीकृत
संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपमेन्ट)

उत्तरांचल लोक सेवा आयोग चालक सेवा विनियमावली,2004

भाग–एक–सामान्य

1. (1) यह विनियमावली उत्तरांचल लोक सेवा आयोग चालक सेवा विनियमावली, 2004 कहलाएगी।
   (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
2. उत्तरांचल लोक सेवा आयोग चालक सेवा एक राज्य सेवा है, जिसमें समूह ''ग'' के पद समाविष्ट है।
3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो,इस विनियमावली में–
   (क) नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य सचिव,उत्तरांचल,लोक सेवा आयोग से है,
   (ख)'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति है, जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाय,
   (ग) 'संविधान' का तात्पर्य भारत के संविधान से है,
   (घ)'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है,
   (ड़) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तरांचल की राज्य सरकार से है,
   (च) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग से किसी पद पर इस विनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त विनियमावली या विनियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है,
   (छ) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तरांचल,लोक सेवा आयोग, चालक सेवा से है,
   (ज) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और विनियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई विनियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रकिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो,
   (झ) 'सचिव' का तात्पर्य सचिव, उत्तरांचल,लोक सेवा आयोग से है,
   (ञ) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग दो–संवर्ग

4.(1) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उप विनियम(1)के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाय,सेवा की सदस्य संख्या निम्न प्रकार होगी :–

पद का नाम	पदों की संख्या
चालक	07

परन्तु –

(क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड सकेंगे या राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित रख सकेंगे कि कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा, या

(ख) राज्यपाल समय–समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थाई या अस्थाई पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वे उचित समझें।

भाग तीन –भर्ती

5. सेवा भर्ती सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।
6. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण,समय–समय पर यथा संशोधित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण)अधिनियम,1994 (अनुकूलन एवं उपान्तरण) आदेश,2001 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार होगा।

भाग चार–अर्हताएं

7. सेवा में सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी –
(क) भारत का नागरिक हो, या
(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थाई निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी,1962 के पूर्व भारत आया हो, या
(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान,बर्मा,श्रीलंका या किसी पूर्वी अफीका देश केनिया,युगांडा,यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया(पूर्ववर्ती तांगनिका और जंजीबार) से प्रवजन किया हो–

परन्तु उपर्युकत श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए,जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और कि श्रेणी(ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक,अभिसूचना शाखा,उत्तरांचल से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी :– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो, न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8. सेवा में भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस वर्ष जिसवर्ष नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा रिक्तियॉं अधिसूचित की जायं, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो :

परन्तु अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायं,उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

सेवा में चालकों के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) ने कक्षा 8 की परीक्षाउत्तीर्ण कर ली हो और देवनागरी लिपि में हिन्दी पढने और लिखने की योग्यता रखता हो,

ख) नियम–15 के अधीन रिक्तियों की अधिसूचना के दिनांक के तीन वर्ष पूर्व की अन्यून अवधि से विधिमान्य ड्राइविंग लाइसेन्सरखता हो,

(ग) मोटरयान अधिनियम,1988 की धारा 118 के अधीन बनाये गये सड़क विनियम,1989 के नियमों का ज्ञान रखता हो।

10. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा--
(एक) जिसने हाईस्कूल परीक्षाउत्तीर्ण कर ली हो,
(दो)जिसने प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
(तीन) जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण--पत्र प्राप्त किया हो,
(चार)जिसें मोटर यांत्रिकी का ज्ञान हो।

11. सेवा में पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए किवह सरकारी सेवा में सेवायोजनके लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी :-- संघ सरकार याकिसी राज्य सरकार या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक उद्यमता के किसी उपराध के लिए दोष सिद्व व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12. सेवा में नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा,जिसकी एक से अधिक पत्नियॉ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है,यदि उसका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

13. किसी व्यक्ति को सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा,जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो,किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेन्शियल हैण्डबुक खण्ड--दो,भाग--3 के अध्याय--3 में दिये गये मूल नियम(फण्डामेण्टल रूल)10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण--पत्र प्रस्तुत करें।

भाग पांच--भर्ती की प्रकिया

14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और विनियम--6 के अधीन अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी,तद्समय प्रवृत्त सरकार के नियमों और आदेशों के अनुसार सेवायोजन कार्यालय को रिक्तियों की सूचना देगा, और वह प्रमुख समाचार--पत्रों में रिक्तियां विज्ञापित भी कर सकता है।

15. (1) सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए एक चयन समिति गठित की जायेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :--

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी — अध्यक्ष।

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का एक अधिकारी,यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का न हो/ यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी-- — सदस्य।

(तीन) सम्भागीय परिवहन अधिकारी,देहरादून या उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति,जो सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी से निम्न स्तर का न हो — , सदस्य।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा,सीधे या सेवायोजन कार्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन–पत्रों की संवीक्षा की जायेगी,जो ऐसे व्यक्तियों को साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा के लिए बुलाएगा,जो इन विनियमों के अधीन अर्ह प्रतीत हो।

(3) साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा के पश्चात् चयन समिति अभ्यर्थियां की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रगट हो,एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु मेंज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामां की संख्या रिक्तयों की संख्या से अधिक(किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) चयन समिति उक्त सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग छः–नियुक्ति,परिवीक्षा,स्थायीकरण और ज्येष्ठता

16.(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें वह,विनियम–15 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों,नियुक्तियों करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जांय तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा,जिसमें चयनित व्यक्तियों के नामों का उल्लेख,चयन में अवधारित ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा।

17. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रतयेक व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे,अलग–अलग मामलों मे परिवीक्षा–अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक भी निदेष्ट किया जायेगा,जब तक अवधि बढ़ाई जाय :

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा–अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा–अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा–अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों को पर्याप्त उकिया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसकी सेवाऐं समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसकी सेवाएं उप विनियम(3) के अधीन समाप्त की जांय,किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

18.(1) किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा–अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा–अवधि के अनत में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि–

(एक) उसका कार्य एवं आचरण संतोषजनक पाया जाय,

(दो) उसकी सत्यनिष्ठाप्रमाणित कर दी जाये, और

(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

19. चालक के पद पर मौलिक रूप मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथासंशोधित उत्तरांचल सरकारी सेवक(ज्येष्ठता निर्धारण) नियमावली,2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग सात--वेतन इत्यादि

20.(1) सेवा में चाहे मौलिक,स्थानापन्न या अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों को अनुज्ञेय वेतनमान वह होगा, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

3050--75--3950--80--4590

21.(1) मूल नियमों(फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो,समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्वि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतनवृद्वि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी तब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा--अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतनवृद्वि के लिए नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें ।

(2) ऐ व्यक्ति को जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो,परिवीक्षा अवधि में वेतन,सुसगत मूल नियमों (फण्डामेंटल रूल्स) द्वारा विनियमित होगाः

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा--अवधि बढ़ाई जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतनवृद्वि के बिना नहीं की जायेगी,जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में या परिवीक्षा--अवधि में वेतन,राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग आठ--अन्य उपबन्ध

22. इन विनियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर,चाहे लिखित हों या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

23. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस विनियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यालयों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगें।

24. यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जायये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी विनियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामलें में अनुचित कठिनाई होती है, तो वह उस मामलें में लागू विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस विनियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामलें मे न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

क्रम संख्या–91
संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 03

पंजीकृत

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपमेन्ट)

समूह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली,2004

भाग–एक

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–(1) यह नियमावली समूह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली,2004 की जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. सेवा नियमावली का लागू होना–(1) इस नियमावली जैसा कि नियम 4 के खण्ड(ज) में यथा परिभाषित सभी अधीनस्थ कार्यालयों में नियम 6 में निर्दिष्ट"घ" के सभी पदों पर लागू होगी।

(2) कोई विशेष पद गैर–तकनीकी पद है या नहीं,ऐसा मामला सरकार के कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

3. इस नियमावली का अभिभावी प्रभाव–इस नियमावली और किसी विभाग में उपर्युक्त किसी पद से सम्बन्धित किसी विनिर्दिष्ट नियम या नियमों के बीच कोई असंगति होने की दशा मे —

(एक) इस नियमावली में दिये गये उपलबन्ध असंगति की सीमा तक अभिभावी होंगे यदि विशिष्ट नियम इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व बनाये गये हों,
(दो) विशिष्ट नियमों में दिये गये उपलबन्ध अभिभावी होंगे यदि वे इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् बनाये जायें।

4. परिभाषायें– जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में –
(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसे प्राधिकारी से है जिसे विशिष्ट विभाग में किसी ऐसी श्रेणी या श्रेणियों के पदो के सम्बन्ध में, जिस पर यह नियमावली लागू होती हो,नियुक्ति प्राधिकारी विनिर्दिष्ट किया जाये,
(ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जायें,
(ग) "संविधान' का तात्पर्य भारत के संविधान से है,
(घ)"अधिष्ठान" का तात्पर्य समूह "घ" के उस अधिष्ठान से है जिसके अन्तर्गत पद हो,
(ङ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है,
(च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है,
(छ) "उच्च न्यायालय" का तात्पर्य उच्चा न्यालय, नैनीताल से है;
(ज) " अधीनस्थ कार्यालय" का तात्पर्य सरकार के नियंत्रण में सभी कार्यालयों से है; किन्तु इसके अन्तर्गत सचिवालय, राज्य विधान मण्डल, लोक आयुक्त, लोक सेवा आयोग उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नियंत्रण और अधीक्षण में अधीनस्थ न्यायालयों, महाधिवक्ता, उत्तरांचल के कार्यालय और महाधिवक्ता के नियंत्रण मे अधिष्टान नहीं हैं;
(झ) " छंटनी किया गया कर्मचारी " का तात्पर्य उस व्यक्ति से है–
(एक) जो राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद पर स्थायी, अस्थायी या स्थानापन्न रूप में कुल एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिये जिसमें से कम से कम तीन मगास की सेवा निरन्तर सेवा के रूप में होनी चाहिए, नियोजित था;
(दो) जिसे अधिष्ठान में कमी या उसका परिसमापन किये जाने के कारण सेवा से असमुक्त किया गया हो या किया जा सकता है; और

(तीन) जिसके सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छंटनी किया गया कर्मचारी होने का प्रमाण--पत्र जारी किया गया हो, किन्तु इसके अन्तर्गत केवल तदर्थ आधार पर नियोजित कोई व्यक्ति नहीं है;
(ट) "भर्ती का वर्ष " का तात्पर्य किसी कलैण्डर वर्ष की प्रथम जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग दो
संवर्ग

5. सेवा की सदस्य संख्या--किसी विशिष्ट विभाग/कार्यालय में समूह "घ" के अधिष्ठान की सदस्य संख्या
उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय--समय पर अवधारित की जाये;
परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी किसी पद या किसी वर्ग के पदों को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

भाग तीन
भर्ती

6.भर्ती का स्रोत -- समूह "घ" के विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती का स्रोत निम्नलिखित होगा:--

(क) चपरासी,संदेशवाहक,चौकीदार,माली,फर्राश,सफाईकार,सीधी भर्ती द्वारा,
पनीवाल,भिश्ती,टिंडेल,ठेलामैन,अभिलेख उठाने वाला
और प्रत्येक अन्य गैर तकनीकी पद
स्थायी चपरासी में से पदोन्नति
(ख) चपरासी--जमादार
द्वारा,
(ग) दफ्तरी/जिल्द--साज/साइक्लोस्टाइल ऑपरेटर — अर्ह चपरासियों,सन्देशवाहकों या फर्राशों में से पदोन्नति द्वारा,
स्थायी फर्राशों में से पदोन्नति
(घ)फर्राश--जमादार
द्वारा,
स्थायी सफाईकारों में से
(ङ)[illegible]
पदोन्नति द्वारा,
स्थायी माली में से पदोन्नति
(च)प्रधान माली
द्वारा,

परन्तु यदि ऐसे किसी विशिष्ट पद पर जिसे पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित हो,पदोन्नति के लिये कोई पात्र उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो उस पर को सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है।

भाग चार
अर्हता

7.आरक्षण--अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य-श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण,भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार होगा।

टिप्पणी-- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित पद पर केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की ही नियुक्ति की जा सकती है। सामान्य अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं हैं।

8. राष्ट्रीयता--समूह "घ" के पद भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी--

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख)तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी,1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का,ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान,बर्मा,श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीका देश--केन्या,उगाण्डा या यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगनिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायेगी किवह पुलिस उप महानिरीक्षक,गुप्तचर शाखा,उत्तरांचल से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में तभी रहने दिया जायेगा जबकि वह भारत की नागरिकता प्रापत कर ले।

टिप्पणी--ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से ही इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

9. आयु--समूह"घ" के पद पर सीधी भर्ती के लिये औयर्थी की आयु भर्ती के वर्ष की प्रथम जुलाई को 18 वर्ष की हो जानी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये :

परन्तु अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति में,उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी,जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

10. शैक्षिक अर्हताएं-- (1) चपरासी,सन्देशवाहक या साइक्लोस्टाइल ऑपरेटर के पद पर भर्ती के लिये अभ्यर्थी कम से कम पांचवी कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये जो कम से कम देवनागरी लिपि में हिन्दी लिख और पढ़ सकता है।

(2) कोई व्यक्ति माली के पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे माली के कार्य का अपेक्षित ज्ञान और समुचित अनुभव न हो।

(3) कोई व्यक्ति दफ्तरी जिल्दसाज के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे जिल्दसाजी के कार्य का अपेक्षित ज्ञान और समुचित अनुभव न हो।

(4) कोई व्यक्ति साइक्लोस्टाइल ऑपरेटर के रूप में या किसी अन्य पद पर जिसके लिये तकनीकी ज्ञान अपेक्षित न हो,नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे अपेक्षित तकनीकी ज्ञान और विशिष्ट कार्य के सम्बन्ध में समुचित अनुभव न हो।

(5) समूह "घ" के प्रत्येक श्रेणी के पद पर भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी साइकिल चलाना जानता हो,परन्तु यह शर्ते महिला अभ्यर्थियों तथा पर्वतीय क्षेत्र के पदों पर लागू न होंगी।

(6) अन्य बातों के समान होने पर,ऐसे अभ्यर्थी को अधिष्ठान में सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसने प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की नयूनतम अवधि तक की सेवा की हो।

11. भूतपूर्व सैनिकों और कतिपय अन्य श्रेणियों के लिये छूट–भूतपूर्व सैनिकों,विकलांग सैनिकों,युद्ध में मृत सैनिकों के आश्रितो,उत्तरांचल सरकार के सेवकों की सेवा में रहते हुये मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों और खिलाडियों के पक्ष में अधिकतम आयु सीमा,शैक्षिक अर्हता या और भर्ती का किन्हीं प्रकियात्मक अपेक्षाओं से छूट,यदि कोई हो, भर्ती के समय इस निमित्त प्रवृत सरकार के सामान्य नियम या आदेश के अनुसार होगी।

12. चरित्र– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अीयर्थी को चरित्र ऐसा होना चाहिए किवह अधिष्ठान में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा किवह इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा। टिप्पणी – राज्य सरकार या संघ सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिकता अधमता के किसी उपराध के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

13. वैवाहिक प्रास्थिति –अधिष्ठान में नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो,परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

14. शारीरिक स्वस्थता–किसी भी अभ्यर्थी को अधिष्ठान में तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोषों से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फण्डामेण्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनेन्शियल हैण्ड–बुक,खण्ड दो,भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे।

भाग पॉच
भर्ती की प्रकिया

15. चयन समिति का गठन–सीधी भर्ती एक चयन समिति द्वारा की जायेगी,जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(1) नियुक्ति प्राधिकारी।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम–निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई

एक अधिकारी। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक ऐसा अधिकारी नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछडे वर्ग का न हो।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अन्य पिछडे वर्ग का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अन्य पिछडे वर्ग का एक अधिकारी नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा जो अन्य पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो :

परन्तु यदि उसके विभाग या संगठन में ऐसे उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हो तो ऐसा अधिकारी, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा और यदि उपयुक्त अधिकारियों के उपलब्ध न होने के कारण वह ऐसा करने में असफल रहे तो ऐसा अधिकारी मण्डलायुक्त द्वारा नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा।

16. भर्ती प्रति वर्ष की जायेगी–इस नियमावली के अधीन भर्ती के लिये चयन प्रतिवर्ष या जब कभी आवश्यक हो, किया जायेगा।

17. चयन की प्रक्रिया–(1) नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा,रिक्तियों की सूचना सेवायोजन कार्यालय को भेजी जायेगी। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे व्यक्तियों से भी,जिन्होने सेवायोजन कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराया हो,आवेदन–पत्र सीधे आमंत्रित कर सकता है। इस प्रयोजन के लिये नियुक्ति प्राधिकारी नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस चिपकाने के अतिरिक्त किसी स्थानीय दैनिक समाचार–पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करायेगा। ऐसे समस्त आवेदन–पत्र चयन समिति के समक्ष रखे जायेंगे।

(2) जब चयन समिति द्वारा सामान्य अभ्यर्थियों और आरक्षित अभ्यर्थियों (जिनके लिये सरकारी आदेशों के अधीन रिक्तियां आरक्षित करना अपेक्षित हो) दोनों के नाम प्राप्त हो जाये तब वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करेगी और विभिन्न पदो के लिये अभ्यर्थियों का चयन करेगी।

(3) चयन समिति चयन करने में छंटनी किये गये कर्मचारियों को महत्व (वेटेज) देने के लिए निम्नलिखित रीति से अंक देगी।

(एक) प्रथम वर्ष की पूरी सेवा के लिये — 5 अंक

(दो) प्रत्येक आगामी एक पूरे वर्ष की सेवा के लिये– 5 अंक :

परन्तु छंटनी किये गये किसी कर्मचारी को इस उपनियम के अधीन दिया जाने वाला अधिकतम अंक 15 अंक से अधिक नहीं होगा।

(4) चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ऐसी रिक्तियों की जिनके लिये चयन किया गया है, संख्या से अधिक किन्तु 25 प्रतिशत से ज्यादा अधिक नहीं होगा। चयन सूची में नाम साक्षात्कार में दिये गये अंकों के अनुसार रखे जायेंगे।

18. सामान्य सूची–जब चयन किये गये सामान्य और आरक्षित दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों के नाम प्राप्त हो जाये तब नियुक्ति प्राधिकारी उन्हें एक सामान्य सूची में क्रमबद्ध करेगा। प्रथम नाम सामान्य अभ्यर्थियों की सूची से और उसके पश्चात् आरक्षित का नाम होगा और इसी प्रकार आगे भी। इस प्रकार तैयार की गयी चयन सूची चयन के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी।

19. पदोन्नति की प्रक्रिया–(1) सभी पदो के सम्बन्ध में पदोन्नति का मानदण्ड,अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए,ज्येष्ठता होगी।

(2) पदोन्नति एक ही अधिष्ठान में, पात्र अभ्यर्थियों में से विभागीय चयन करके की जायेगी। विभागीय चयन समिति का गठन जिसमें तीन सदस्य होंगे, विभागाध्यक्ष के आदेशानुसार किया जायेगा।

भाग छः

नियुक्ति,परिवीक्षा,स्थायीकरण और ज्येष्ठता

20. नियुक्ति--(1) मौलिक रिक्तियां होने पर,नियुक्ति प्राधिकारी,यथास्थिति नियम 20 या 21 के अधीन तैयार की गयी अभ्यर्थियों की सूची में नियुक्तियां उसी कम में करेगा, जिसमें उनके नाम सूची में आये हों।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी स्थानापन्न और अस्थायी रिक्तियों में भी उक्त सूची से और उपनियम(1) में रीति से नियुक्ति करेंगे।

21. परिवीक्षा--(1) अधिष्ठान में, किसी पद पर,स्थायी रिक्त में नियुक्ति किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगाः

परन्तु अधिष्ठान के किसी पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को उस पद के लिए परिवीक्षा--अवधि की संगणना करने में गिने जाने के लिये की जा सकती है :

परन्तु यह और कि नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे,अलग--अलग मामलों में परिवीक्षा--अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक अवधि बढ़ायी जायेगी :

परन्तु यह और कि परिवीक्षा--अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(2) यदि परिवीक्षा--अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा--अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उस पद पर, जिस पर उसका धारणाधिकार हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं जिससे इनमें से किसी दशा में वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

22. स्थायीकरण--किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को,यथास्थिति,परिवीक्षा--अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा--अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक पाया जाये,नियुक्ति प्राधिकारी उसे स्थायी किये जाने के योग्य समझे और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये।

23.ज्येष्ठता--(1) एतद्पश्चात् यथा उपबन्धित के सिवाय किसी श्रेणी के पद पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाये तो उस कम में जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों,अवधारित की जायेगी :

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश से किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाये तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा, और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्ति किये गये व्यक्ति की परस्पर ज्येष्ठता वह होगी जो चयन समिति द्वारा अवधारित की गयी हो :

परन्तु सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपने ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का प्रस्तावित किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। युक्तियुक्ति के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3)पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो जिससे उसकी पदोन्नति की गयी।

भाग सात
वेतन इत्यादि

24. वेतनमान--(1) अधिष्ठान में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर,चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर,नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा,जैसा सरकार द्वारा समय--समय पर अवधारित किया जाये।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिये है :–

पद का नाम

वेतनमान (रू0)

(क) चपरासी,संदेशवाहक,चौकीदार,माली,फर्राश,सफाईकार,
2550--55--2660--60--3200
पनीवाल,मिश्ती,टिंडेल,ठेलामैन,अभिलेख उठाने वाला
और प्रत्येक अन्य गैर तकनीकी पद।

(ख) चपरासी--जमादार

(ग) दफ्तरी / जिल्द--साज / साइक्लोस्टाइल ऑपरेटर
2610--60--3150--65--3540

(घ) फर्राश--जमादार

(ङ) सफाईकार--जमादार

(च) प्रधान माली

25. परिवीक्षा--अवधि में वेतन--.(1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपलब्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को,यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसको प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि तभी दी जायगी जब उसे स्थायी कर दिया गया हो :

परन्तु यदि सन्तोषप्रद सेवा प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा--अवधि बढ़ाई जाये तो इस प्रकारण बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो,परिवीक्षा--अवधि मे वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा--अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश दे।

(3) ऐसे यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा--अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग आठ
अन्य उपबन्ध

26. पक्ष समर्थन–पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक,विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यख रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।
27. अन्य विषयों का विनियमन–ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशां के अन्तर्गत न आते हों,विभिनन विभागों/कार्यालयों में पदों पर नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों/विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे।
28. सेवा की शर्तो में शिथिलता– जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि अधिष्ठान में नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा में शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह,उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामलों में न्यायसंगत और साम्यपूर्णरीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, उसे नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है।

आज्ञा से,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव।

सरकारी गजट उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद शनिवार ,7 फरवरी ,1981 ई0 (माघ 18,1902 शक संवत्)

भाग 1—क

नियम,कार्य—विधियां ,आज्ञाये, विज्ञप्तियां ,जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय ,विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद ने जारी किया ।

राजस्व विभाग

13 अक्तूबर, 1980 ई0

सं0 4789—1—4—80—445—बी—4—62—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल,उत्तर प्रदेश जिला कार्यालय (कलेक्टरी) लिपिक वर्ग सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

उत्तर प्रदेश कार्यालय (कलक्टरी) लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1980:

भाग एक—सामान्य:

1— संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह नियमावली ,उत्तर प्रदेश जिला कार्यालय (कलक्टरी), लिपिक वर्ग सेवा नियमावली 1980 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2— सेवा की प्रास्थिति उत्तार प्रदेश जिला (कलक्टरी) लिपिक वर्ग सेवा एक अराजपत्रित सेवा है जिसमें समूह"ग" के पद सम्मिलित हैं।

3—परिभाषायें— जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो ,इस नियमावली में :—

(क)" नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य कार्यालय ,अधीक्षक की दशा में, प्रभाग के आयुक्त से ,और अन्य समस्त पदों की दशा में ,उसका तात्पर्य जिले के जिला अधिकारी से है,

(ख)"परिषद" का तात्पर्य राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश से है

(ग)" भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय।

(घ) "आयुक्त" का तात्पर्य किसी प्रभाग के आयुक्त से है।

(ड.) "संविधान" का तात्पर्य भारत के संविधान से है,

(च) "जिला अधिकारी" का तात्पर्य किसी जिले के जिला अधिकारी से है,

(छ) "सरकार" का तात्पर्य ,उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है,

(ज) "राज्यपाल " का तात्पर्य ,उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(झ)" सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मोलिक रूप स नियुक्त व्यक्ति से है,

(ट) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग दो—संवर्ग

4—सेवा का संवर्ग —(1) सेवा की सदस्य संख्या और उस में प्रत्येक जिले में प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय—समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक जिले में प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या ,जब तक कि उपनियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश दिये जाय, उतनी होगी जितनी इस नियमावली के परिशिष्ट एक में दी गयी है।

परन्तु :—

(1) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को भरे हुए छोड सकता है या (राज्यपाल उसे अस्थिगत रख सकते है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा,

या

(2) राज्यपाल समय—समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते है, जिन्हें वह उचित समझे।

भाग तीन–भर्ती

5– भर्ती के स्रोत–सेवा में विभिन्न श्रेणीके पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतो से जिलावार की जायेगी :–

श्रेणी –"क"

पद	भर्ती का स्रोत
सहायक बिल लिपिक, अहलमद,नायब नाजिर,(श्रेणी दो) पुस्तकालय लिपि,सहायक नैत्यक लिपिक,सहायक राजस्व लिपिक,सहायक राजस्व सहायक(श्रेणी तीन) शस्त्र प्रपत्र पाल,अपील अहलमद,सहायक अभिलेखपाल, व्यवस्थापक, निर्वाचन (रीडर),प्रतिलिपिक,सहायक स्थानीयनिकाय लिपिक, स्याह नवीस, वाद लिपिक, न्यायिक मोहर्रिर, राजस्व मोहर्रिर, कुर्क अमीन,सहायक अभिलेखपाल , (अनु क्रमणीकार), नगर लिपिक, टंकक, भूमि अर्जन लिपिक, सहायक आबकारी लिपिक, स्टाम्प लिपिक, सहायक अभिलेखपाल(राजस्व), सहायक अभिलेखपाल (न्यायिक), संप्रेषक, सहायक अभिलेखपाल(लेखपाल) राजनैतिक पेंशन लिपिक, स्थानीय निकाय लिपिक, सहायक आयुक्त का लिपिक, ज्येष्ठ लिपिक,कनिष्ठ लिपिक,सहायक सत्र लिपिक, नजूल लिपिक,सहायक मोहर्रिर (न्यायिक) समुद्भरण लिपिक, कनिष्ठ लिपिक,स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी लिपिक,परिवाद लिपिक, सहायक सामान्य लिपिक, अल्पबचत लिपिक,अवैतनिक न्यायालय लिपिक, नीलाम लिपिक, वाद लिपिक(श्रेणी दो), भूमि अभिलेख लिपिक, आमान्तरण लिपिक,सहायक अभिलेखपाल,दूरमुद्रक प्रचालक (टेलीप्रिन्टर आपरेटर) सहायक वासिल बाकी नवीस,अधिकतम सीमा निर्धारण (सीलिंग) लिपिक, सहायक मुख्य राजस्व लेखाकार,कृषि आयकर लिपिक,सरकारी राज्य लिपिक,महाजनी लिपिक(मनीलेंडिग क्लर्क), वित्त और राजस्व लिपिक , मेला लिपिक,सहायक वाद लिपिक, जिलेदार राज्य सम्पत्ति और 20--320 रू0 के वेतनमान में कोई अन्य लिपिक –वर्गीय पद।	सीधी भर्ती द्वारा समय–समय पर यथासंशोधित अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली 1975 ई0के उपबन्धों के अनुसार समूह "घ" के कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा: "परन्तु नियम–6 के उपबन्धों के अधीन रहेते हुए जहां इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व शासनादेश संख्या–बी–2876 एक बी0 –149 बी–59 दिनांक 16 अगस्त, 1961 ई0 के अनुसार वैतनिक शिक्षु भर्ती कर लिए गए हों वहां श्रेणी "क" के पदों पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा नियुक्तियों करने के पूर्व उनके मामलों पर यदि उपलब्ध हो ,विचार किया जायेगा।

श्रेणी –"ख"

पद	भर्ती का स्रोत
बिल लिपिक, नैत्यक लिपिक, न्यायिक अभिलेखपाल,शस्त्र लिपिक, आबकारी लिपिक, नायब नाजिर ,स्थानीय निकाय लिपिक, (श्रेणी एक) स्टाम्प लिपिक,सहायक न्यायिक लिपिक,(श्रेणी दो) सहायक ,राजस्व सहायक(श्रेणी दो) भूमि अर्जन लिपिक, पेशकार, सामान्य लिपिक (जोनल), ज्येष्ठ लिपिक,(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी),सहायक अंग्रेजी अभिलेख पाल,परगना लिपिक, राष्ट्रीय बचत योजना लिपिक, विपत्ति लिपिक, भूमि अभिलेख पेशकार, अभिलेखपाल, अधिष्ठान लिपिक,बाढलिपिक, वाद लिपिक,(श्रेणीएक) प्रधान दूरमुद्रक प्रचालन(टेलीप्रिन्टर आपरेटर) वासिल वाकी नवीस, खान लिपिक,अधिकतमसीमानिर्धारण (सीलिंग) लिपिक, जमीदारी विनाश प्रतिकर लिपिक, ज्येष्ठ लेखालिपिक, नजूल लिपिक और 230–385 रू0 के वेतनमान में कोई अन्य लिपिक वर्गीय पद।	श्रेणी –क में उल्लिखित पदों के स्थायी पदधारियों में से पदोन्नति द्वारा : परन्तु प्रधान दूरमुद्रक प्रचालक (टेलीप्रिन्टर आपरेटर) पद पर पदोन्नति के लिए अंग्रेजी टंकण में कम से कम 40 शब्द प्रति मिनट की गति रखने वाले अभ्यर्थी को अधिकमान दिया जायेगा।

श्रेणी --ग

250-425 रू0 के वेतनमान में पृष्ठांकक लिपिक : श्रेणी --ख-- में उल्लिखित पदों के स्थायी पदधारियों से पदोन्नति द्वारा ,

श्रेणी --"घ"

ज्येष्ठ सहायक जिसके अन्तर्गत नाजिर,न्यायिक सहायक , : श्रेणी "ख" और "ग" में उल्लिखित पदों के स्थायी पदधारियों में से पदोन्नति द्वारा ,

राजस्व-- सहायक, राजस्व अभिलेख पाल ,अंग्रेजी अभिलेखपाल, मुख्य राजस्व लेखाकार और 280--460 रू0 के वेतनमान का कोई अन्य लिपिक वर्गीय पद भी है।

टिप्पणी---- (1) श्रेणी घ के पदों पर पदोन्नति के प्रयोजनार्थ एक संयुक्त ज्येष्ठता सूची तैयार की जायगी जिसमें पृष्ठांकक लिपिक और उसके पश्चात् श्रेणी ख के पदधारण करने वाले व्यक्तियों के नाम ज्येष्ठता कम में रखें जायेगें।

(2) जहां किसी व्यक्ति का दोनों ही श्रेणी "ग" और "घ" के पदो के लिए चयन किया जाय वहां श्रेणी "घ" का पद सबसे पहले ज्येष्ठता व्यक्ति को दिया जायगा।

श्रेणी --"ङ"

कार्यालय अधीक्षक (450 --700 रू0 के वेतनमान में)	श्रेणी "घ" के पदों के स्थायी पदधारियों में से पदोन्नति द्वारा।

श्रेणी "च"

(एक) आशुलेखक--श्रेणी दो (250--425 रू0 के वेतनमान में)	सीधी भर्ती द्वारा
(दो) आशुलेखक --श्रेणी एक (300--500 रू0 के वेतनमान में)	250--425 र0 के वेतनमान के स्थायी आशुलेखको में से पदोन्नति के लिए उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो तो पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है।

6-- आरक्षण --अनुसूचित जातियों ,अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायगा।

पद	अर्हतायें
1--श्रेणी "क" के पदों के लिए	जैसा कि अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली 1975 में विहित है:

भाग चार--अर्हतायें

7-- राष्ट्रिकता --सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी--

(क) भारत का नागरिक हो या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान ,वर्मा,श्रीलंका, केनिया, उगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) किसी पूर्वी अफीका देश से प्रव्रजन किया हो: परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायगी कि वह पुलिस उप--महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा ,उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण--पत्र प्राप्त कर लें,

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एकवर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायगा आर ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी -- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इनकार किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्रउसके द्वारा प्राप्त कर लिया जायगा या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8-- शैक्षिक अर्हतायें-- सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी निम्नलिखित अर्हतायें रखता हो--

टिप्पणी-- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगे नैतिक अधमता के

	परन्तु टंकक के पद की दशा में अभ्यर्थी की हिन्दी टंकण में कम सेकम 25 शब्द प्रति मिनट की गति भी होनी आवश्यक है। परन्तु यह और कि दूरमुद्रक प्रचालक (टेलीप्रिन्टर आपरेटर) के पद के लिए अभ्यर्थी की अंग्रेजी टंकण में कम से कम 40 शब्द प्रति मिनट की गति भी होनी अवश्यक है।
2- आशुलेखक (श्रेणी एक या दो)	(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इन्टरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा, और (दो) हिन्दी आशुलिपि में कम से कम 80 शब्द प्रति मिनट की गति और हिन्दी टंकण में कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति।

9--अधिमानी अर्हतायें --ऐसे अभ्यर्थी को, जिसने (एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायगा।

10--आयु--(आयु)--(1) श्रेणी "क" के पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली ,1975 में विहित आयु सीमा के भीतर होनी चाहिए।

(2) आशुलेखक के पद पर सीधी भर्ती क लिए अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो, उस वर्ष की पहली जनवरी को यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किए जायं और पहेली जुलाई को यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किए जायें, 21 वर्ष की हो जानी चाहिए और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

परन्तु अनुसूचित जातियों ,अनुसूचित जन जातियों और ऐसी अन्य श्रेणी के जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाय ,अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

11-- चरित्र सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होगे।

12-- वैवाहिक प्रास्थिति -- सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसके ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन के छूट दे सकते है यदि उनका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

13--शारीरिक स्वस्थ्यता -- किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जबतक की मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो किसी अभ्यर्थी के नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फण्डामैन्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनेंसियल हैण्ड बुक, खण्ड दो ,भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें,

परन्तु प्रोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी,

भाग --पांच भर्ती प्रकिया

14-- रिक्तियों का अवधारण -- नियुक्ति प्राधिकारी,वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या व नियम 6 के अधीन अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति, एवं अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित किये जायेगे, आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और तत्समय प्रवृत नियमों और आदेशों के अनुसार उन्हें यथास्थिति, सचिव,जिला चयन समिति या सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित करेगा।

15-- श्रेणी"क" के पदों पर सीधी भर्ती प्रकिया-- नियम --5 में श्रेणी "क" में उल्लिखित पदों पर सीधी भर्ती समय --समय पर यथासंशोधित अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 1975 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।

16--आशुलेखक के पद पर सीधी भर्ती की प्रकिया--(1) आशुलेखक के पदों पर सीधी भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति गठित की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होगें :--

(एक) जिले का जिला अधिकारी,

(दो) जिला अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट जिले के दो अन्य अधिकारी ,जो डिप्टी कलक्टर से निम्न पदके न हो,

अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान करेगा।

(2) चयन समिति आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से प्रतियोगिता परीक्षा और साक्षात्कार में उपस्थित होने की अपेक्षा करेगी।

टिप्पणी-- प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्य विवरण और प्रक्रिया परिशिष्ट- 2 में दी गयी है।

(3) चयन समिति लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किये गये अंको को सारणीबद्ध करने के पश्चात नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करे की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार के लिए उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को बुलायेगी जितनी लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस सम्बंध में समिति द्वारा निर्धारित मानक तक पहुँच सके हों।साक्षात्कार के प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंक लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्तांकों में जोडे जायेंगे।

(4) चयन समिति अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के कुल योग से प्रकट हो,एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर--बराबर अंक प्राप्तकरे तो लिखित परीक्षा में अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी।

17-- कार्यालय अधीक्षक के पद से भिन्न पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया--नियम 5 में उल्लिखित श्रेणी "ख""ग""घ" और आशुलेखक श्रेणी एक के पदों पर भर्ती नियम 16 (1) के अधीन गठित समिति के माध्यम से,अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक श्रेणीवार पात्रता सूची तैयार करेगा और उस सूची को उनकी चरित्र पंजियो और उनसे सम्बन्धित अन्य अभिलेख के साथ जो उचित समझे जायें चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति,उपनियम (2) में निर्दिष्ट चरित्र पंजियों और अभिलेख के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों के ज्येष्ठता क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे

(एक) प्रभाग का आयुक्त

(दो) उस जिलेका जिसमें रिक्ति हुई है ,जिला मजिस्ट्रेट और

(तीन) प्रभाग के आयुक्त द्वारा नाम निदिष्ट एक अन्य ज्येष्ठ अधिकारी ,जो अपर जिला मजिस्ट्रेट के निम्न पद का न हो

(2) कार्यालय अधीक्षक के पद पर भर्ती के लिए, आयुक्त, उस जिले के ,.. जिसमें रिक्ति होने की सम्भावना हो , श्रेणी "घ" के पांच ज्येष्ठतम सहायकों के नाम मंगायेगा। उनके नाम श्रेणी में उनके स्थायीकरण के दिनांक के आधार पर ज्येष्ठताकम में रखे जायेगे और इस प्रकार तैयारी की गई सूची से चयन समिति द्वारा चयन किया जायेगा।

(3) यह सूची, उसमें सम्मिलित व्यक्तियों की चरित्र पंजियों और उससें संबंधित ऐसे अन्य अभिलेख के साथ, जो उचित समझे जायं, चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी।

(4) चयन समिति, उप नियम (3) में निदिष्ट चरित्र पंजियों और अभिलेखों क आधार पर अभ्यार्थियों के मामले पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे , तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(5) चयन सतिति चयन किये गये अभ्यर्थी का नाम नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग छः-- नियुक्ति,परिवीक्षा ,स्थाईकरण और ज्येष्ठता।

19-- नियुक्ति-- (1) मौलिक रिक्तियाँ होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को उस कम में लेकर,जिसमें उनके नाम यथास्थिति,नियम 15,16,17,और 18 के अधीन तैयार की गई सूची में हो,नियुक्तियाँ करेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी और स्थापन्न रिक्तियों में भी उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों से नियुक्तियाँ कर सकता है,यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्तियों में इस नियमावली के अधीन नियुक्तिः के लिये पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियाँ कर सकता है परन्तु श्रेणी--"क" में सम्मिलित पदों पर ऐसी नियुक्तियाँ छः माह से अनधिक अवधि के लिए या अगला चयन किये जाने तक,इनमें जो भी पहले हो,की जायेगी और शेष पदों पर ऐसी नियुक्तियाँ एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए या अगले चयन किये जाने तक इनमें जो भी पहले हो रहेगी।

20-- परिवीक्षा--(1) सेवा में किसी भी पद पर मौलिक रिक्ति या उसके प्रतिनियुक्ति किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से,जो अभिलिखित किये जायेगे,अलग--अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है,जिसमें ऐसा दिनाँक विनिर्दिष्ट किया

नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

18–कार्यालय अधीक्षक के पद पर भर्ती की प्रकिया–(1) किसी जिला कार्यालय में कार्यालय अधीक्षक के पद पर भर्ती उस कार्यालय के श्रेणी "घ" के स्थायी सहायकों में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर एतद्पश्चात निर्धारित रीति से एक चयन समिति द्वारा की जायेगी,जिसमें निम्नलिखित होंगे:–

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढायी गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्राप्त करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर,यदि कोई हो,प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम 3 के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें,किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गई निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गणना करने की अनुमति दे सकता है।

21– स्थायीकरण–किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढायी गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा।

(क) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया गया हो।

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी गयी हो और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

22– ज्येष्ठता–(1) सेवा में किसी श्रेणी के पद पर ज्येष्ठता जिलेवार होगी,

(2) सेवा में किसी पद पर ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनॉक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उस कम में,जिसमें उनके नाम,नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों,अवधारित की जायेगी :–

परन्तु:–

(एक) सेवा में सीधी नियुक्ति किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो चयन के समय अवधारित की गयी हो।

(दो) सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो पदोन्नति के समय उनके द्वारा धृत मौलिक पद पर रही हो।

टिप्पणी:–(एक) जहॉ नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा जायेगा जब तक कि अवधि बढायी जाय।

परन्तु अपवादिक कारणों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढायी जायेगी।

भाग–सात

23–वेतनमान (1) सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर मौलिक या स्थापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतानमान ऐसा होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान निम्नलिखित हैं:–

पद का नाम	वेतनमान
1–नियम 5 में श्रेणी"क" में उल्लिखित पद	200–5–250–द.रो. –6–280 द.रो.–8–320 रू0।
2– नियम 5 में श्रेणी"ख" में उल्लिखित पद	230–6–290–द.रो. –9–335 द.रो.–10–385 रू0।
3– नियम 5 में श्रेणी"ग" में उल्लिखित पद	250–7–295–द.रो. –9–375 द.रो.–10–425 रू0,।
4– नियम 5 में श्रेणी"घ" में उल्लिखित पद	280–8–296–9–350 द. रो.–10–400द.रो. –12–460 रू0।
5–कार्यालय अधीक्षक	450–25–575–द.रो. –25–700 रू0।
6–आशुलेखक श्रेणी "एक"	300–8–324–9–360 द. रो.–10–440 द.रो. –12–550 रू0।
7–आशुलेखक श्रेणी "दो"	250–7–285–द.रो. –9–375 द.रो.–10–425 रू0।

24– परिवीक्षा अवधि में वेतन (1) फण्डामेण्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी किसी परिवीक्षा अधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सेवा में न हो समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो। विभागयी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली

पूर्ववर्ती दिनॉक निर्दिष्ट किया जाये जब से किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति की जानी हो वहॉ उस दिनॉक को मौलिक नियुक्ति का दिनॉक समझा जायेगा। अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनॉक से होगा।

(दो) सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है,यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधि मान्य कारणों के बिना कार्य ग्रहण करने में विफल रहे,कारणों की विधि मान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

3— ऐसे व्यक्ति जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हों,परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्य कलाप के सम्बन्ध में सामान्यतः सेवारत् सरकारी सेवकों पर लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

25—दक्षता रोक पार करने का मानदण्ड—नियम 5 में श्रेणी "क" उल्लिखित किसी पद के धारक व्यक्ति को :—

(एक) प्रथम दक्षता रोक पार करने की अनुमति तब नहीं दी जायेगी जब तक उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय,हिन्दी टंकण में उसकी गति 20 शब्द प्रति मिनट (टंकक की दशा में 25 शब्द प्रति मिनट) की न हो,तब उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

(2) द्वितीय दक्षता रोक पार करने की अभुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने तत्परता और अपनी विशिष्ट योग्ता से कार्य न किया हो। हिन्दी टंकण में उसकी गति 20 शब्द प्रति मिनट (टंकक की दशा में 25 शब्द प्रति मिनट) की न हो,तब उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

(2) नियम 5 में श्रेणी "ख" में उल्लिखित किसी पद के धारक व्यक्ति को :—

(एक) प्रथम दक्षता रोक पार करने अनुमति तब नहीं दी जायेगी जब तक कि उसके सेवा अभिलेख से यह पता न चले कि उसने विशिष्ट योग्यता के साथ धीर्यता और पूर्ण ईमानदारी से कार्य किया है।और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठता प्रमाणित न कर दी जाये।

(दो) द्वितीय पक्ष रोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि यह न पाया जाय कि वह नियमों और विनियमों से पूर्णतः परिचित है और उसने तत्परता और बुद्धिमता से कार्य किया है और जब तक उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

(3) नियम 5 में श्रेणी "ग"और "घ" में उल्लिखित किसी पद के धारक व्यक्ति को :—

(एक) प्रथम दक्षता रोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने दक्षता पूर्वक कार्य न किया हो। और उसको विभागीय नियमों.नियम हो और प्रशिक्षण जहॉ विहित हो पूरा कर लिया हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दीजायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो।

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाय तो इस प्रकार बढायी गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए तब नहीं की जायेगी जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोइ पद धारण कर रहा हो परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेंटल रूल द्वारा विनियमित होगा,

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने का कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाय तो इस प्रकार बढायी गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे। उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय और यह प्रमाणित न कर दिया जाय कि कार्यालय के कर्मचारी वर्ग पर उसका पर्याप्त नियन्त्रण रहा है उसने उचित रूप से कार्य का परिवेक्षण करने की क्षमता है।

(5) दोनों वेतनमानों में से किसी भी वेतनमान के आशुलेखक को:—

(एक) प्रथम दक्षता रोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि वह अधिकारी जिसके साथ वह सम्बद्ध हो,यह प्रमाणित न कर दे कि आशुलेखक के रूप में उसका कार्य और आचरण सन्ताषनजक रहा है और तब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करनेकी अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसके सेवा अभिलेख से यह पता न चले कि उसने विशिष्ट योग्यता के साथ धीरता और पूरी ईमानदारी से कार्य किया है।और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग—8 अन्य उपबन्ध

26— पक्ष समर्थन— किसी पद या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर चाहे लिखित हो या मौखिक,कोई विचार नहीं किया जायेगा अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए,प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अर्न्ह कर देगा।

27—स्थानान्तरण—एक ही कार्यालय में एक पद से किसी अन्य पद पर स्थानान्तरण जिला अधिकारी द्वारा किया जायेगा। एक ही प्रभाग मेएक जिले से किसी अन्य जिले मे स्थानान्तरण आयुक्त द्वारा किया जायेगा। किसी एक प्रभाग से अन्य प्रभाग मे स्थानान्तरण राजस्व परिषद द्वारा या राजस्व परिषद के अनुमोदन से

संग्रह,पेंशन सम्बन्धी नियमो और वित्तीय नियमों का ज्ञान न हो और जब तक उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

(दो) द्वितीय दक्षता रोक पार करने की अनुमति तब तक नही दी जायेगी जब तक यह न पाया जाय कि वित्तीय मामलों से सम्बन्धित विभागीय नियमों से पूर्णतः परिचित है और वह उत्तम टिप्पणी और प्रालेख लिख सकता है और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाये।

(4) कार्यालय अधीक्षक को दक्षता रोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि पिछले 5 वर्षों के दौरान उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय।

सम्बन्धित प्रभागों केआयुक्तों के बीच हुई पारस्परिक व्यवस्था करके किया जा सकता है। ऐसा स्थानान्तरण करने में सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित नीति का अनुपालन किया जायेगा।

28–अन्य विषयों का विनियमन– ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों,सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्य कलाप के सम्बन्ध में सेवारत् सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों,विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे।

29– सेवा की शर्तों में शिथिलता–जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त किसी व्यक्ति या सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के परिवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहाँ पर वह उसके मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें मामले में न्याय संगत और सम्पूर्ण रीति से कार्यवाही करनेके लिये आवश्यक समझे,अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

30–व्यावृति– इस नियमावली में किसी बात का ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिनकी इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किएगए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति और अन्य विशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों के लिए व्यवस्था करना अपेक्षित है

आज्ञा से
एन0सी0सक्सेना
सचिव।

परिशिष्ट –एक
(नियम 4 देखिये)

1 जनवरी, 1978 को जिला कलेक्टरी कार्यालय के लिपिक वर्ग अधिष्कान में प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या का विवरण –पत्र पदों की श्रेणी (नीचे दी गयी टिप्पणी देखिये)

का नाम	श्रेणी "क" पदो की संख्या अस्थायी	स्थायी	श्रेणी "ख" पदो की संख्या अस्थायी	स्थायी	श्रेणी "ग" पदो की संख्या अस्थायी	स्थायी	श्रेणी "घ" पदो की संख्या अस्थायी	स्थायी	श्रेणी "ड." पदो की संख्या अस्थायी	स्थायी	श्रेणी "च" पदो की संख्या अस्थायी	स्थायी	संख्या
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
हारनपुर	16	84	2	22	..	..	..	6	..	1	5	1	137
ुजफफरनगर	18	96	3	17	..	..	..	6	..	1	5	1	147
रठ	5	104	..	22	..	1	..	6	..	1	5	1	145
ुलन्दशहर	16	99	2	16	..	..	..	6	..	1	5	1	146
ाजियाबाद	50	27	12	6	..	..	6	..	1	..	..	..	102
िजनौर	1	52	1	12	..	..	..	6	..	1	..	1	77
लीगढ	18	16	6	23	..	..	..	6	..	1	7	1	178
थुरा	10	84	2	22	..	..	..	6	..	1	5	1	131

9–आगरा	16	99	8	24	..	1	..	6	..	1	7	1	162
10–मैनपुरी	2	51	1	14	..	..	..	5	..	..	..	1	81
11–एटा	6	54	2	11	..	..	..	5	..	1	5	..	84
12–बरेली	16	94	4	20	...	1	..	6	..	1	6	1	149
13–बदायू	3	87	1	17	..	..	..	5	..	1	6	1	121
14–शहजहांपुर	11	82	2	19	..	..	..	6	..	1	5	1	127
15–पीलीभीत	12	52	2	14	..	..	..	6	..	1	4	1	93
16–मुरादाबाद	12	111	4	24	..	..	..	6	..	1	7	1	166
17–रामपुर	3	62	..	13	..	..	..	6	..	1	..	1	92
18–फर्रूखाबाद	8	89	2	18	..	..	..	6	..	1	4	1	129
19–इटावा	13	72	2	17	..	..	..	6	..	1	5	1	115
20–कानपुर	16	146	5	29	..	1	..	6	..	1	7	2	213
21–फतेहपुर	14	71	2	18	..	..	..	6	..	1	5	1	117
22–इलाहाबाद	61	137	8	30	..	1	..	6	..	1	2	11	257
23–झाँसी	24	55	5	15	..	..	..	6	1	..	6	1	113
24–ललितपुर	13	18	4	3	..	..	3	..	..	1	4	..	46
25–जालौन	16	61	2	17	..	..	..	6	..	1	1	5	109
26–हमीरपुर	38	68	6	18	..	..	..	6	..	1	6	1	144
27–बाँदा	8	60	..	14	..	..	..	5	..	1	5	1	94
28–वाराणसी	26	77	6	15	..	1	..	5	..	1	8	1	135
29–मिर्जापुर	10	41	3	13	..	..	..	5	..	1	4	1	78
30–जौनपुर	35	92	4	18	..	..	..	6	..	1	6	1	163
31–गाजीपुर	15	95	3	21	..	..	..	6	..	1	5	1	149
32–बलिया	25	78	2	15	..	..	..	6	..	1	3	..	131
33–गोरखपुर	22	130	5	24	..	1	..	6	..	1	5	2	196
34–बस्ती	16	132	2	11	..	..	..	5	..	1	8	1	176
35–आजमगढ	16	104	..	16	..	..	..	5	..	1	7	1	150
36–देवरिया	5	96	5	18	..	..	..	6	..	1	..	1	132
37–लखनऊ	48	85	13	21	..	1	..	6	..	1	7	1	182
38–उन्नाव	28	79	2	18	..	..	..	6	..	1	3	1	142
39–रायबरेली	17	69	2	18	5	..	..	6	..	1	..	1	120
40–सीतापुर	36	86	5	16	..	..	..	6	..	1	6	1	157
41–हरदोई	18	89	3	17	..	..	..	6	..	1	5	1	140
42–खीरी	9	29	4	11	..	..	..	6	..	1	1	4	65
43–फैजाबाद	43	71	4	17	..	1	..	6	..	1	5	1	159
44–गोण्डा	32	91	2	17	..	..	..	6	..	1	5	1	155
45–बहराइच	24	68	4	14	..	..	..	6	..	1	5	1	113
46–सुल्तानपुर	45	77	2	16	..	..	..	6	..	1	5	1	153
47–प्रतापगढ	18	20	2	14	..	..	..	6	..	1	4	1	116
48–बाराबंकी	2	86	2	17	..	..	..	6	..	1	5	1	120
49–नैनीताल	36	60	10	23	..	..	..	6	..	1	7	3	146
50–अल्मोड़ा	4	54	1	12	..	..	..	5	..	1	4	1	82
51–पिथौरागढ	17	35	5	9	..	..	..	6	..	1	6	1	80
52–चमोली	5	25	2	8	..	..	1	5	..	1	4	1	52
53–उत्तरकाशी	8	18	2	5	..	..	2	4	..	1	5	2	47
54–टेहरी–गढ़वाल	11	34	5	10	..	..	..	7	..	1	4	1	72

5-गढ़वाल	17	46	1	12	..	..	..	6	..	1	3	1	87
6-देहरादून	7	41	2	16	..	..	..	7	..	1	3	1	78

टिप्पणी- प्रत्येक श्रेणी के पद अनुलग्नक में दिये गये है।

परिशिष्ट --दो

(नियम 16 देखिये)

(1) प्रतियोगिता परीक्षा में एक लिखित परीक्षा और साक्षात्कार होगा

(2) परीक्षा के विषय और प्रत्येक विषय अधिकतम अंक निम्नलिखित होगें,

(क) लिखित परीक्षा

(एक) हिन्दी आशुलिपिक में परीक्षा	100
(दो) हिन्दी अंकण में परीक्षा	50
(तीन) हिन्दी ओर अंग्रेजी निबन्ध में संक्षिप्त परीक्षा	50

कृपया यह सनिश्चित कर ले कि उनक सम्बन्ध में कोई गलती न हो।

(ख) साक्षात्कार

(एक) व्यक्तित्व	25
(दों) सामान्य ज्ञान और पद के लिये उपयुक्त	25

(3)(क) आशुलिपि की परीक्षा में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से पांच मिनट तक हिन्दी का एक श्रुतलेख होगा। श्रुतलेख की आशुलिपि के अभिलेख अनुलेखन और टंकण के लिए एक घंटे का समय दिया जायगा।इस गद्यांश का चयन अभ्यर्थियों की आशुलिपि में गति के लिए ही नहीं किन्तु उनकी अच्छी हिन्दी ज्ञान की भी परीक्षा लेने की दृष्टि से किया जायगा। ऐसा कोई भी अभ्यर्थी सेवायोजन के लिये अर्ह नहीं माना जायगा। जिसकी परीक्षा में पांच प्रतिशत से आकि अशुद्धियां होगी ।

(ख) हिन्दी और अंग्रेजी निबन्ध की एक लिखित परीक्षा होगी जिसके लिये एक घंटे का समय दिया जायगा और उसमें अभ्यर्थी से एक पत्र या सामान्य अभिरूचि के किसी विषय पर एक संक्षिप्त लेख लिखने की अपेक्षा की जायेगी।

प्रेषक,

मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तरांचल,
26 ई0सी0 रोड़ देहरादून।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
(भूलेख अनुभाग),
उत्तरांचल।

पत्रांक–629 / जिंस0 / रा0कृ0बीमा/2001–2002 दिनांक देहरादून: 28 दिसम्बर,2002

विषय– उत्तरांचल में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू होने पर ग्राम पंचायतवार जिन्सवार एवं मिलान खसरा तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या–1442/कृषि/1(3)/2002दिनांक 16 नवम्बर, 2002 के द्वारा रबी 2002–03 से प्रेदश में राष्ट्रीय बीमा योजना लागू कर दी गई है। स्माल काप एरिया इस्टिमेशन विधि के प्रयोग हेतु ग्राम पंचायतवार क्षेत्राफल की आवश्यकता होगी। अतः रबी 2002–03 से सभी जिंसवार एवं मिलान खसरा तहसीलवार, ब्लाकवार एवं ग्राम पंचायतवार तैयार किये जायेंगे ताकि इसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी एवं एक प्रति उप कृषि निदेशक (सॉख्यिकी) उततरांचल को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उपलब्ध करायेंगे।

भवदीय,

(सोहन लाल),
अपर राजस्व आयुक्त,
कृते–मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तरांचल देहरादून।

पत्रांक– /जिंस0/रा0कृ0बीमा/2001–2002दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. सचिव कृषि उत्तरांचल शासन देहरादून।
2. आयुक्त कुमॉयू/गढ़वाल मण्डल नैनीताल/पौड़ी।
3. अपर निदेशक,कृषि एवं भूमि संरक्षण, उत्तरांचल, पौड़ी कैम्प देहरादून।
4. उप कृषि निदेशक (सॉख्यिकी),उत्तरांचल कैम्प–देहरादून।
5. उप कृषि निदेशक(सॉख्यिकी),उत्तरांचल कुसुमखेडा,हल्द्वानी, नैनीताल।
6. निदेशक,राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (क्षेत्रीय संकार्य प्रभाग), भारत सरकार ब्लाक नं0एन0एच0– 4 फरीदाबाद, हरियाणा–121001
7. सहायक निदेशक,राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (क्षेत्रीय संकार्य प्रभाग),35/एम0 –1 सिविल लाईन, बरेली।

(सोहन लाल),
अपर राजस्व आयुक्त,
कृते–मुख्य राजस्व आयुक्त
उत्तरांचल देहरादून।

प्रतिलिपि शासनादेश संख्या 670/23-2-97-39 (2)/84 दिनांक लखनऊ 19 मार्च, 1997, जो लोक निर्माण अनुभाग -2 से समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को संबोधित है।

विषय- पथकर वसूली के ठेके की निलामी के लिए हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र लिया जाना।

प्रदेश के विभिन्न सेतुओं पर पथकर वसूली के ठेके को सार्वजनिक निलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं की नियमानुसार संबंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाना अपेक्षित होता है। पूर्व में शासन के संज्ञान मे यह तथ्य लाये गए थे कि उक्त निलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों के पक्ष में वांछित प्रमाण पत्र प्रदान करने में कतिपय जिलाधिकारियों द्वारा स्वयं अपने स्तर से रूचि न लेकर अपने अधीनस्थ अन्य अधिकारियों को प्राधिकृत कर दिया जाता है, जबकि शासनादेश संख्या-2893/23-सा0नि0वि0-2-59/80 दिनांक 28 जून 1982 तथा संख्या- 2503 / लो0नि0वि0-2-39 (2)/84 दिनांक 29 जुलाई 1992 में उल्लिखित निर्देशानुसार संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों के हस्ताक्षर से प्रमाणित हैसियत व चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। तदनुसार प्रमाण पत्र न दिए जाने के परिणामस्वरूप वैद्य प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने के कारण संबंधित व्यक्ति निलामी में भाग लेने से वंचित हो जाते हैं और इस प्रकार कड़ी प्रतिस्पर्धा की कमी हो जाने के कारण राजस्व की क्षति होती है, जो शासकीय हित में नहीं है।

2. उपरोक्त प्रकार के वांछित प्रमाण पत्र अपने ही हस्ताक्षर से जारी करने की अपेक्षा शासन के पत्र संख्या-5051 / 23-2 -95-39 (2)/84 दिनांक 11 जनवरी, 1986 में प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों से पुनः की गई थी, किन्तु शासन के संज्ञान में अब भी यह तथ्य समय-समय पर लाये जा रहे हैं कि कतिपय जिला अधिकारी स्पष्ट निर्देशों के बाद भी अपने हस्ताक्षर से संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में उनकी हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र जारी न कर अपने अधीनस्थ अन्य अधिकारियों को प्राधिकृत कर रहे हैं, जो अत्यंत आपत्तिजनक व शासन के स्पष्ट निर्देशों की अवहेलना है।

3. यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई जिलाधिकारी स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अपने अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी को उपरोक्त प्रकार के प्रमाण पत्र देने के लिए लिखित अथवा मौखिक आदेश जारी करते हैं तो शासन इसे गंभीरता से लेगा और संबंधित जिलाधिकारी के विरूद्ध शासनादेश की अवहेलना करने के लिए कार्यवाही करने के लिए वाध्य होगा।

4. अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया संबंधित व्यक्ति के पक्ष में उसकी हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र अपने ही हस्ताक्षर से जारी करें। इस संबंध में पूर्व में जारी उक्त शासनादेश संख्या-2893/23-सा0नि0वि0-2-59/80 दिनांक 28 जून 1982 तथा संख्या- 2503 / लो0नि0वि0-2-39 (2)/84 दिनांक 29 जुलाई 1992 तथा संख्या-5051 / 23-2 -95-39 (2)/84 दिनांक 11 जनवरी, 1986 की प्रतियां सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

भवदीय

(बृजेंद्र सहाय)

मुख्य सचिव

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उत्तर प्रदेश
सार्वजनिक निर्माण विभाग (सामान्य प्रकीर्ण वर्ग)

पत्र संख्या–509 एमटीज़ी/70 एम–83 दि023.11.1984

सेवा में,

समस्त मुख्य अभियन्ता,
(क्षेत्र)
सार्वजनिक निर्माण विभाग

विषय– सार्वजनिक निर्माण विभाग में ठेकेदारों का पंजीकरण एवं निविदा प्राप्त किया जाना।

उपरोक्त विषय पर शासन के पत्र संख्या–3428 एमएस/23 सा0नि07 दिनांक 20 अक्तूबर 1984 का अवलोकन करें, जो शासन द्वारा आपको पृष्ठांकित है (प्रतिलिपि प्रपत्र सहित संलग्न की जाती है) इस संबंध में सूचित करना है कि इन शासनादेशों का कड़ाई से पालन कराने हेतु अपने स्तर से भी अधीनस्थ कार्यालयों को आदेश जारी कर दें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

कृते–प्रमुख अभियन्ता,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
2– समस्त अधिशासी अभियन्ता/कार्याधीक्षक सा0नि0वि0।
3– निदेशक, आई0पी0पी0/अन्वेषणालय सा0नि0वि0
4– क्वालिटी कंट्रोल सेल सा0नि0वि0 लखनऊ

सलंग्नक–उपरोक्तानुसार

कृते–प्रमुख अभियन्ता,